

प्रकाशक :

ग्राम भावना प्रकाशन

पट्टीकल्याणा (करनाल) पंजाब

प्रथमावृत्ति

प्रतियाँ ३०००

मूल्य २००

३० जनवरी, १९६६

मुद्रक :

रघोमशाला प्रेस,

किंग्मये कैंग, दिल्ली-६

दो शब्द

मुनि श्री संतबाल जी की आदर्श 'गृहस्थाश्रम' पुस्तक का हिन्दी अनुवाद पहली बार प्रकाशित हो रहा है। मूल पुस्तक गुजराती में है और अबतक इस के छः संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। मुनीश्री संतबालजी उच्चकोटि के धर्म परायण तथा संतवृत्ति के महान् व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि आदर्श गृहस्थाश्रम केवल एक घर या कुटुम्ब तक ही सीमित नहीं है। उसकी परिधि में व्यक्ति से लेकर जगत् के सभी प्राणिमात्र तक आजाते हैं। इस का सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों से आता है। इस दृष्टि से यह पुस्तक सबके लिये अत्यन्त उपयोगी तथा मानव जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में धर्म की पुट डालने वाली होगी। 'ग्राम भावना प्रकाशन' को यह गर्व है कि वह ऐसा महान् ग्रंथ प्रकाशित कर रहा है। आशा है हिन्दी जगत् इस का पूरा लाभ उठायेगा।

—ओम् प्रकाश त्रिखा

प्रस्तावना

तीस वर्ष व्यतीत हुए जब 'आदर्श गृहस्थाश्रम' की प्रथम आवृत्ति गुजराती में प्रकाशित हुई थी। अभी उसकी छठी आवृत्ति प्रकाशित हुई है। हिन्दी में यह पहली ही आवृत्ति प्रकाशित हो रही है। हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के कारण भारत के प्राय सभी प्रान्तों के विद्यालयीय पाठ्यक्रम में इसे वैकल्पिक रूप से अपनाया गया है। इसलिए सभी प्रान्तों की जनता 'आदर्श गृहस्थाश्रम' के हिन्दी-सस्करण से भलीभांति लाभ उठा सकेगी और जिस प्रकार गुजरात में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने-वाले नवदम्पति को यह पुस्तक सम्बन्धियों की ओर से भेंट में दी जाती है, वैसे ही अन्य प्रान्तों में भी ऐसा रिवाज प्रचलित हो सकेगा। हिन्दी-सस्करण के प्रकाशित होने का मुख्य श्रेय यो तो श्री शान्तिभाई वनमाली शेठ को है। गतवर्ष हमारा चातुर्मास भारत की राजधानी दिल्ली में था, तब ३५ साल बाद श्री शान्तिभाई का गहराई से सम्पर्क हुआ। उनका जैन-धर्म के साथ परम्परागत घनिष्ठ सम्बन्ध होने से 'सर्वोदय-तीर्थ' जैन-धर्म का एक प्राचीन नाम है, ऐसा उनका स्पष्ट मन्तव्य है। सचमुच देश और विश्व को गांधीजी द्वारा दिया गया सर्वोदय-मंत्र जैनो के लिए नया नहीं है। इसी दृष्टि से श्री शान्ति भाई गांधी-विचारधारा के प्रौढ रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सान्निध्य में रहते हैं। काका कालेलकर के साथ उन्होंने काम किया है और करते हैं। इसी दृष्टि से उन्हें सर्वजनोपकारी सर्वोदय-दृष्टि-प्रदायक साहित्य-प्रकाशन की बात सूझी और तदनुसार गाँधी-स्मारक-निधि की पंजाब शाखा के मन्त्री श्री ओम्-प्रकाश जी त्रिखा ने इसके हिन्दी-रूपान्तर को प्रकाशित करने और कम-से-कम मूल्य में जनता के हाथों में पहुँचाने की इच्छा प्रकट की। तदनुसार मेरे प्रिय साथी मुनि नेमिचन्द्रजी ने इसका सक्षिप्त और सार-

गर्भित हिन्दी-रूपान्तर किया । इस प्रकार यह पुस्तक अपने अनूठे रूप में हिन्दी भाषा-भाषी जनता के हाथों में सर्वसुलभ बनकर पहुँच रही है ।

श्रीयुक्त ओम्प्रकाशजी त्रिखा को 'सर्व-धर्म समन्वय' में काफी दिल-चस्पी है, यह जानकर मुझे सतोष हुआ, क्योंकि 'सर्वधर्म-उपासना' व्रत तो विश्ववात्सल्य ध्येय को प्राप्त करने का अनिवार्य व्रत है और उसका आचार भालनलकाठा-प्रयोग के सदर्थ में वर्षों में हो चुका है । इसके सम्बन्ध में 'साधु-माध्वी शिविर' के प्रवचनों में 'सर्वधर्म-उपासना' नामक प्रवचन-संग्रह भी पुस्तकाकार गुजराती में प्रकाशित हो चुका है । इसका हिन्दी-रूपान्तर होना भी जरूरी है । संभव है, श्री त्रिखाजी के प्रयत्नों से वह भी प्रकाशित हो, अस्तु ।

प्रत्येक प्रवृत्ति में धर्म का पट

आदर्श गृहस्थाश्रम केवल एक घर या कुटुम्ब तक ही सीमित नहीं है । उसकी परिधि में व्यक्ति ने लेकर विश्व (जगत् के सभी प्राणिमात्र) तक आ जाते हैं । इसी प्रकार वह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक-नाम्प्रदायिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक (राष्ट्रीय एवं आन्तर्राष्ट्रीय) एवं आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों में भी सम्बद्ध है । इसलिए इस पुस्तक में उन नवके वारेमें मागोपाग विवेचन किया गया है । और इन सब क्षेत्रों या विश्व के प्राणिमात्र तक के साथ कर्तव्य-सम्बन्ध से जोड़नेवाला तत्त्वधर्म है, जिसे भारतीय मानव-समाज के सम्प्रदायों ने प्रत्येक प्रवृत्ति के नायक-नायक बनाए रखा है और रखने का निर्देश किया है । इसी कारण धर्म, धर्म, धर्म और मोक्ष उन चारों पुरुषार्थों के साथ धर्म ही सम्प्रवृत्त सम्बन्ध धर्म पुरुषार्थ का अन्वयान भारत के जनजीवन में निरन्तर होता आया है । भारतीय जनता हमारे किसी तन्त्र के अक्षुण्ण में स्वेच्छा से नहीं गयी, वह धर्म के ही अक्षुण्ण में स्वेच्छा से रहने ही सम्प्रवृत्त है । वह बड़े-से-बड़े समाजवादी या पश्चिम के आगे स्वेच्छा से नहीं भुङ्कती, किन्तु समाज-संरक्षणों प्राप्त करने के लिये एवं साधु-सन्ध्यामियों की सम्प्रवृत्त करने में

अपना गौरव महसूस करती है, क्योंकि धर्म-पुरूषार्थ के प्रेरक एवं मार्ग-दर्शक ये ही दोनो बल यहा रहे है । इस दृष्टि से भारत धर्मप्रधान राष्ट्र माना जाता है । यहा धर्म और अध्यात्म को सिर्फ शब्दो या क्रिया-काण्डो का ही नही, अपितु प्रधानतया जीवन का आचार माना है । जगत् के विविध धर्मों की स्थापना और प्रसार विविध देशो में अवश्य हुआ है, परन्तु उन सभी धर्मों की क्रीड़ा-स्थली और सस्करण-भूमि तो भारतवर्ष की गोद ही रही है । इसीलिए भारत मे सभी देशो की जनता और प्राय सभी धर्मों के गुरुओ को रहने और विकास करने का मौका मिला है । वर्तमान भारतीय जनता मे सरगम के सप्तस्वरी सगीत सवादन की तरह सभी धर्मों के मधुर सगीत का सम्मिश्रण हुआ है । यही कारण है कि दुनिया के उच्च-कोटि के विचारक एकवार भारतीय माता के उदर में जन्म धारण करने और भारतवर्ष को अपनी जन्मभूमि कहलाने के मधुर मनोरथ करते है, क्योंकि यहा जिन्दगी के प्रारम्भ से अन्त तक धर्म-सम्कार का निर्देश, और मार्ग-दर्शन मिला करता है ।

वर्तमान भारत

वर्तमान भारत हमे जरा विचित्र-सा लगता है । धर्म प्रधान भारत राष्ट्र मे आज नीति चौपट हो रही है, साथ ही अनेक दोष दृष्टिगोचर होते है । इसका मुख्य कारण शहरो, बुद्धिजीवियो और भोगवादी मनोवृत्ति के लोगो पर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव का जम जाना है । खुशी की बात है गत शताब्दि मे कुछ ऐसे महापुरुष इस देश मे पैदा हुए, जिन्होंने त्यागप्रधान वृत्ति वाले लोगो को जन-जीवन के मैदान मे लाने का महान् कार्य किया, जिनमे से महात्मा गाधीजी का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने गृहस्थाश्रम मे रहकर विश्व मे शुद्ध धर्म-सत्य, अहिंसा, त्याग-तप को सर्वोपरि-प्रतिष्ठा दिलाई । किंतु दुर्भाग्य से इन धर्म-तत्त्वो को विश्व-प्रतिष्ठित करने के लिए जिस सस्था (राष्ट्रीय महासभा) को माध्यम बनाया था, उसे राजनैतिक क्षेत्र सभालना पड़ा, और तभी से राज्य द्वारा

अहिंसक क्रान्ति का सूत्र मुख्य बन गया । फलतः सत्य-अहिंसा और त्याग-तप का सीमित बनना स्वाभाविक था । इसीलिए जीवन की सन्ध्या बेला में गांधीजीका मन सताप बढ़ गया था । उन्होंने कहा—“क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जनता गुलाम थी तब तक उसे मेरी जहरत थी और अब जब जनता मुक्त हुई, इसलिए स्वतंत्र भारत में उम्रे अब मेरी कोई जहरत न रही ? क्या मानवता और सस्कृति को दूर फेंक देना ही स्वतंत्रता का अर्थ है ?”

धर्म के सिवाय भारतवर्ष को आप कदापि बग में नहीं कर सकेंगे, भारतीय जनता में प्रविष्ट दोषों को नहीं निकाल सकेंगे । इसी परिस्थिति के कारण यहाँ राज्य की अपेक्षा जनता बड़ी रही है । आज जनता का प्रभाव पुनः प्रस्थापित करना है । वह आदर्श गृहस्थाश्रम के सम्कारों से हो सकेगा, क्योंकि कुटुम्ब से ही समाज और समाज का सुनिर्माण होता है । इसीलिए गांधीजी ने आश्रम द्वारा विश्व कुटुम्बिता का प्रयोग किया, उसके फल के रूप में, मजदूर सगठन, हरिजन-सेवक सगठन, सादी-ग्रामोद्योग संस्था, नई तालीम सघ आदि सगठन बनाए । आज इसी प्रकार के नीति-धर्म (सत्य, अहिंसा, तप-त्याग) पर आधारित जनता एक जन-सेवकों के सगठन भारत के गाँव-गाँव और नगर-नगर में स्थापित करने चाहिए, ताकि गांधीजी की कल्पनानुसार गृहस्थाश्रम आदर्श एक विश्वव्यापी बन सके ।

आदर्श गृहस्थाश्रम

इसी दृष्टिकोण को लेकर यह पुस्तक लिखी गई है । साथ ही हमें गृहस्थाश्रम को विश्वव्यापी बनाने के लिए भारतीयकाठा प्रदेश के धर्ममय समाज-रचना प्रयोग के अनुभव भी अजिब किये गए हैं, क्योंकि भारत की कुटुम्ब-रचना विश्व-समाज की रचना की एक छोटी-सी कमी इकाई है कि उसकी नारायणता का प्रभाव केवल भारत को नहीं, विश्व को भी उसके में महादय सिद्ध होगा । इस दृष्टि में इस पुस्तक की उद्देश्यता

एव महत्ता काफी बढ जाती है । आखिर उच्च सेवक, ऋषि-मुनि या साधु-सत रत्न भी तो गृहस्थाश्रम की खान में से ही निकलते हैं न ? एक सादी कहावत है—“कुएं में पानी हो तभी हौज में आएगा” जैन-धर्म-ग्रन्थों में जगत् का सर्वोच्च जीवन साधु-जीवन बताया है, तथापि उन साधु-साध्वियों के माता-पिता के रूप में तो गृहस्थाश्रमी नर-नारियों को ही माना है । गृहस्थाश्रम में मोक्षप्राप्ति भी हो सकती है, पर वह कैसे, किस विधि से हो, इसका सर्वांग सम्पूर्ण विचार ‘आदर्श गृहस्थाश्रम’ में किया गया है ।

आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि श्री शान्तिभाई ने श्री त्रिखाजी के सहयोग से जो कदम उठाया है, उससे आदर्शगृहस्थाश्रमी जीवन में रुचि रखनेवाली जनता पूरा लाभ उठायेगी ।

कमाणी जैनभवन, भवानीपुर
कलकत्ता-२०
ता० २०-६-६४

}

—संतबाल

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
	निर्देश खण्ड	
१	समग्र मानव समाज पर एक दृष्टि	१
	पूर्व चित्र	२
	उद्बोधक	२
	समाज की उत्पत्ति	२
	आश्रम-व्यवस्था का प्रारम्भ कब से और क्यों	३
	चार आश्रमों की प्रणालिका	३
२.	ब्रह्मचर्याश्रम	४
	ब्रह्मचर्य जीवन की बुनियाद में क्यों ?	४
	ब्रह्मचर्याश्रम की प्रणालिका	४
	आश्रम-जीवन के चित्र	५
	ब्रह्मचर्याश्रम की दो श्रेणियाँ	६
३.	गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ या त्यागाश्रम	७
४.	गृहस्थाश्रम का स्थान	१०
	राष्ट्रीय दृष्टि में	१०
	नामाजिक दृष्टि में	१०
	धार्मिक दृष्टि में	११
	गृहस्थाश्रमी की जिम्मेवारी	११
	नभय-विन्दु	१२
५	विवाह-विचार	१३
	विवाह का प्रकार	१८
	सुधार की उम्मीद	१४

मुक्त साहचर्य	.	१६
प्रेम विवाह	.	१७
बुजुर्गों का कर्तव्य	..	१८
तलाक		२०
सतति-नियमन का सिद्धान्त	..	२१
भारत की बेकारी	.	२२
सतति-नियमन का ध्येय और परिणाम		२२
ध्येय शून्य विवाह	.	२४
वैधव्य जीवन		२५
कर्तव्य खण्ड		
१. पति-पत्नी के कर्तव्य	.	२७
गृहस्थाश्रम के मुख्य अंग		२७
गृहस्थ जीवन की प्रारम्भिक प्रतिज्ञाएँ		२७
आदर्श की ओर एक इशारा	..	२८
अनिच्छनीय परिणाम		३०
एक भयकर भ्रम और पतन की परिसीमा	..	३१
स्त्री जाति बहादुर बने		३३
फैशन नारी कर्तव्य में बाधक	...	३३
फैशन से हानि		३४
स्त्रियों का धर्म		३४
पति-पत्नी के पालने योग्य नियम		३५
२ संतति के प्रति माता-पिता का कर्तव्य	.	३७
पिता का कर्तव्य		३७
माता भी कम जिम्मेदार नहीं	.	३८
दोहृद पूर्ति		३९
खान-पान और रहन-सहन		४०
प्रसव काल में सावधानी		४१

निर्वलता के कारण	४१
शिशुपालन के ज्ञान का अभाव	४२
नन्हे शिशुओं के प्रति	४२
बाल शिक्षण	४३
बालक-बालिकाओं की शिक्षा-प्रणाली	४५
परिणाम	४५
नारी जीवन में उपयोगी कलाएँ	४६
बालक की सगति कैसी हो ?	४७
सच्चा धन सुसस्कार	४७
बालक की शारीरिक शक्ति के लिए	४८
बालिकाओं के प्रति	४९
सतान के विवाह के बारे में	४९
कन्या-विक्रय और वर-विक्रय	५१
विवाह के समय पोशाक, गीत आदि	५३
विवाह विधि	५४
कन्या को ससुराल जाते समय सीख	५६
विवाह के बाद	५८
३. पुत्र का माता-पिता के प्रति कर्तव्य	६०
माता-पिता की सेवा के सस्मरण	६१
अधमता का परिचय	६२
अभक्ति के कारण	६३
पुत्र सहिष्णुता और उदारता रखें	६६
मातृ-पितृ-सेवा	६८
४. सास-ससुर के कर्तव्य	६८
सासू के मनसूवे	६८
सासूशाही के सस्कार	६९

बात-बात में रोक-टोक	६६
सासुओ का कर्तव्य	७०
भारतीय विधवाओं की कष्टकथा	७२
५. सास-ससुर के प्रति पुत्र वधू का कर्तव्य	७४
नव वधू का व्यवहार	७४
नव वधू के कर्तव्य	७६
बहूशाही के पजे में	७७
सच्ची सेवा	७८
६. भाइयों का कर्तव्य	७९
आधुनिक परिस्थिति	७९
भाई-बहिन	८१
भाभी और देवर	८२
भाभी के प्रति	८२
ननद-भोजाई	८३
वर्तमान परिस्थिति	८३
ननद का कर्तव्य	८४
७. देवरानी जेठानी के कर्तव्य	८६
८. मित्रों के परस्पर कर्तव्य	८९
मित्रता का मूल	८९
मित्र पद की जिम्मेवारी	९०
मित्र के सद्गुण	९०
मित्रता के दूषण	९१
९. बुजुर्ग और जवान	९२
मामा का कुटुम्ब	९२
काका-काकी	९२
मासी और फूफी	९३
नाना-नानी और दादा-दादी	९४

बुजुर्गों और युवकों में मतभेद के कारण और निवारण	६४
दामाद और सास-ससुर	६६
समधियों के पारस्परिक कर्तव्य	६७
साला-बहनोई	६८
साढु-साढु	६८
गृहस्थाश्रम की सर्वाङ्ग पूर्णता	६८
१०. कुटुम्ब धर्म	१००
कौटुम्बिक सुख कैसे पैदा हो और बढे ?	१००
११ पडौसी-धर्म	१०४
पडौसी-धर्म की व्याख्या	१०४
पडौसी-धर्म के पालन के लिए	१०५
भावना	१०८
१२ व्यावसायिक-धर्म	१०९
भेद भाव था ही नहीं	११०
आर्थिक प्रवृत्ति और धर्म	१११
व्यवसायों के पीछे समाज हित दृष्टि हो	११२
कृषिकार और उसका धर्म	११५
पशुपालक और उसका धर्म	११७
व्यापारी और उसका धर्म	११९
श्रमजीवी-वर्ग और उसका धर्म	१२१
कलाकार और वैज्ञानिक	१२२
साहित्यकार और पत्रकार	१२३
कवि और लेखक	१२४
उपदेशक	१२४
वैद्य, चिकित्सक और डाक्टर का धर्म	१२४
वकील और न्यायधीश का धर्म	१२५
ब्राह्मण धर्म	१२६

	क्षत्रिय और उसका धर्म	. १२८
	मिलमालिक-मजदूर, सेठ-नौकर, स्वामी-सेवक	. १२९
१३.	समाज-धर्म	. १३१
	समाज और उसकी उपयोगिता	. . १३१
	समाज की वर्तमान दशा	. १३२
	समाज का नवनिर्माण	.. १३३
	दोनों सस्थाओं के ध्येय और कार्य	. १३३
	सामाजिक सस्था के कार्य का विश्लेषण	. १३४
	आध्यात्मलक्षी नैतिक सस्था के कार्यों का विश्लेषण	१४३
	समग्र समाज का ध्यान	१५०
	व्यक्ति द्वारा समाजधर्म का पालन	१५१
१४	राष्ट्र-धर्म	१५२
	राष्ट्र का ऋण	१५२
	भारत का अनोखा राष्ट्रधर्म	१५४
	राष्ट्रीय सरकार और जनता	१५४
	राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य	१५५
१५	आध्यात्मिक-धर्म	१५७
	विश्व-धर्म और दूसरे धर्म	१५८
	आध्यात्मिक धर्म का अजीर्ण	१६०
	धर्म की व्याख्या	१६१
	सबसे पहले मानव धर्म	.. १६३
	आध्यात्मिक धर्म के अंग	१६४
	अहिंसागुत्रत का निषेधात्मक रूप	१६५
	अहिंसागुत्रत का विधेयात्मक रूप	. १६६
	दया, अनुकम्पा, रक्षा और करुणा	१६६
	मैत्री, प्रेम और वात्सल्य	.. १६७
	अतिथि-सत्कार, दान, परोपकार और सेवा	. १६८

सत्यागुन्नत	.	१७१
अचौर्य अगुन्नत	.	१७२
ब्रह्मचर्याणुन्नत . स्वदार सतोष		१७३
परिग्रह-परिमाणन्नत. आसक्ति-त्याग	...	१७४
तीन गुणन्नत	...	१७४
चार शिक्षान्नत	. .	१७६
गृहस्थाश्रम का उत्कृष्ट आदर्श सेवा धर्म	...	१७७
विकास की सीढी	.	१७९



आदर्श गृहस्थाश्रम

[निर्देश खण्ड]

समग्र मानव-समाज पर एक दृष्टि

वैदिक धर्म का प्राचीन ग्रन्थ महाभारत है । उसमें यह श्लोक है —

‘एक एव इदं सर्वं पूर्वमासीद्युधिष्ठिर !
क्रियाकर्म-विभेदेन चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थितम् ॥’

अर्थात्—पूर्वकाल में यह सारा विश्व एक ही प्रवाह में बहता था, परन्तु बाद में राष्ट्र की व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए क्रिया और कर्म के भेद के अनुसार चार वर्णों में सारा समाज विभाजित किया गया । वे चार वर्ण ये थे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।

विद्या और सस्कृति का जनता में प्रचार करने वालों की गणना ब्राह्मण वर्ण में, प्रजा की सुरक्षा करने वालों की गणना क्षत्रिय वर्ण में, वाणिज्य द्वारा जनता की सेवा करने वालों की गणना वैश्य वर्ण में और सेवाभावी वर्ण की गणना शूद्र वर्ण में होती थी । इसी कथन की पुष्टि जैन और बौद्ध शास्त्रों में मिलती है —

‘कम्मूणा ब्रह्मणो होइ, कम्मूणा होइ खत्तियो ।

वइसो कम्मूणा होइ, सुद्धो हवइ कम्मूणा ॥’

अर्थात् वर्ण-व्यवस्था जन्मगत नहीं, परन्तु कर्मगत है । कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाना जाता है ।

‘न जच्चा वसलो होत्ति, न जच्चा होत्ति ब्रह्मणो’
कम्मुणा वसलो होत्ति, कम्मुणा होत्ति ब्रह्मणो ॥

सक्ख खु ढीसई तवोविसेसो,
न ढीमई जाइविसेस कोई ।

अर्थात्-जन्म-जाति से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता अपितु गुण-कर्म से ही ब्राह्मण या शूद्र होता है । क्योंकि—वास्तव में सभी जगह तप-गुण की ही विशेषता है, कहीं पर जाति की विशेषता दिखाई नहीं देती है ।

पूर्व चित्र

मानव जाति जब तक इस प्रकार समाज के रूप में परिणत नहीं हुई थी, तब तक कैसी स्थिति में थी, इसका उल्लेख प्राचीन जैन शास्त्रों के इतिहास में मिलता है—“अनेकानेक वर्षों पूर्व जब मानवजाति विलकुल अज्ञान थी, अपनी जाति में सम्बन्धित नियमों तक का उसे भान न था, शरीर-निर्वाह के उपयोगी साधनों के ज्ञान से भी वह वंचित थी, तब की यह बात है ।”

उद्बोधक

जैन शासनके आदि तीर्थंकर तथा वेद और भागवत में जिन्हे आदरणीय व पूज्य माने गये हैं, वे भगवान् ऋषभदेव मनुष्य-समाज के आद्य उद्बोधक और प्रेरक थे । उन्होंने अविकसित मानव-समाज को शरीर-शास्त्र, कृषि-विद्या, वाणिज्य-विद्या, एव शस्त्र-विद्या की व्यावहारिक तालीम दी । मानव जीवन को टिकाए रखने के लिए अन्न की अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति कृषिविद्या से हुई । पारस्परिक विनिमयादि व्यवहार में वाणिज्य-विद्या से सरलता हुई और शस्त्र-विद्या से प्राणिवर्ग का सरक्षण करने की अनुकूलता पैदा हुई । इस प्रकार विभिन्न विद्याओं और कलाओं के शिक्षण द्वारा समाज उन्नति करने लगा ।

समाज की उत्पत्ति

इस तरह सैकड़ों वर्षों तक मानवजाति अनेक प्रकार की नई-नई

खोज करती और बुद्धिबल विकसित करती जाती थी। उस समय यानी महाभारत काल से पहले यह मनुष्यजाति समाज रूप में परिणित हुई और विशिष्ट कर्तव्य विभाजन या कार्यव्यवस्था की दृष्टि से उसे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सजा प्राप्त हुई।

आश्रम-व्यवस्था का प्रारम्भ कब से और क्यों ?

वर्णव्यवस्था के बाद मानव-समाज में जीवन-विकास के विशिष्ट हेतु को लेकर आश्रमव्यवस्था उत्पन्न हुई। शारीरिक और मानसिक शक्तियों की जानकारी होने के बाद मानव-समाज जबसे यह समझने लगा कि इन उभय शक्तियों का कोई न कोई प्रेरक तत्त्व अवश्य अपने में रहा हुआ है, तबसे उसमें आत्म-तत्त्व के शोध की तीव्र जिज्ञासा जागी और उससे सम्बन्धित नीति और धर्म जैसे सर्वांगीण आत्मविकास में उपयोगी तत्त्वों का सृजन हुआ। ऐसे ही प्रसंग में आश्रम-व्यवस्था की प्रणालिका का प्रारम्भ हुआ मालूम होता है। परन्तु उस समय तक तो मानवसंस्कृति-विकास के दो प्रवाह होने चाहिए, जिनका उल्लेख जैन और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रन्थों में आता है—गृहस्थ-जीवन (आगारिमगो) और त्यागी-जीवन (अणगारिमगो)।

चार आश्रमों की प्रणालिका

इन दोनों मार्गों की विशिष्ट योग्यता और सुव्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए वैदिक धर्म ने जीवन-विकास के चार विभाग किये हो, ऐसा जान पड़ता है। सन्यासाश्रम का अतिस्पष्ट उल्लेख तो जगद्गुरु शंकराचार्य के काल के पश्चात् ही मिलता है। उन चारों आश्रमों का नाम क्रमशः इस प्रकार है—(१) ब्रह्मचर्याश्रम, (२) गृहस्थाश्रम, (३) वानप्रस्थाश्रम और (४) सन्यासाश्रम (त्यागाश्रम)।

ब्रह्मचर्याश्रम

ब्रह्मचर्याश्रम यानी जीवन-शक्ति को सगृहीत करने का अत्युत्तम स्थान जिसमे रहकर वीर्य की सुरक्षा और उसका स्तम्भन हो सके, उस आश्रम का नाम 'ब्रह्मचर्याश्रम' है। यह चारो आश्रमो का मूल और जीवन-विकास की दृढ नीव के समान है। बाल्यकाल मे मानस विल्कुल कोरा होता है, उस पर मनचाहे सस्कृतिचित्र अंकित किए जा सकते है। उसके लिए पूर्वकाल मे उदीयमान प्रजा-जीवन मे मुसस्कृति के बीजारोपण के हेतु गुरुकुलो की व्यवस्था प्रचलित थी। गुरुकुलो मे बाल-विद्यार्थियो को २५ साल तक की उम्र तक रखा जाता था। सामान्यतः मनुष्य का जीवनकाल सौ वर्ष का निश्चित करके समाज-शास्त्रियो ने आश्रम को चार भागो मे विभाजित किया है। इस अपेक्षा से ब्रह्मचर्याश्रम-काल २५ वर्ष तक का माना गया है।

ब्रह्मचर्य जीवन की बुनियाद में क्यों ?

बाल्यकाल मे जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित हो गया, वह न तो त्यागी बन कर शान्ति प्राप्त कर सकता है और न गृहस्थाश्रम को ही सफल बना सकता है बल्कि वह स्वयं दुःखी होता है और दूसरो के दुःख का कारण बनता है। हर तरह से ऐसे व्यक्ति का जीवन विश्व पर बोभ्रूप हो जाता है। कच्ची उम्र मे सेवित अब्रह्मचर्य तो जीवनशक्ति के मूल पर ही प्रहार करता है। इसलिए जीवन की बुनियाद-उदीयमानकाल मे ब्रह्मचर्याश्रम द्वारा ब्रह्मचर्यपालन की योजना की गई है। ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे मे पूर्व और पश्चिम के सभी राष्ट्र एकमत है, उपायो के बारे मे भले ही मतभेद हो।

ब्रह्मचर्याश्रम की प्रणालिका

इसीलिए प्राचीनकाल मे बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य-पालन के लिए

आश्रम-पद्धति प्रचलित थी। उस प्रणाली से उस समय की प्रजा की बाल-संस्कृति में चार महान् सद्गुण व्याप्त होते थे—(१) विश्वबन्धुत्व, (२) स्वावलम्बन, (३) सदाचार (४) और कर्तव्यपरायणता। ये चारो सद्गुण सच्ची सुख प्राप्ति के लिए प्रत्येक आश्रम के लिए समान रूप से उपयोगी हैं।

आश्रम-जीवन के चित्र

उस काल में गृहस्थ जीवन के वैभवविलासों को छोड़कर, अरण्य के नैसर्गिक सौन्दर्य में जो ऋषिवर्ग वानप्रस्थजीवन बिताता था, अपनी आवश्यकताएँ कम-से-कम करके, खेती द्वारा स्वावलम्बी जीवन जीता था, उस प्रौढ, पवित्र और सदाचारी वर्ग के चरणों में गृहस्थवर्ग अपनी सतान को सौपता था। वहाँ राजा और रक के भेद नहीं थे, और न थी उच्च-नीच भाव की मलिन वृत्ति। वहाँ मानव-मानव में समानत्व और समान कर्तव्य व अधिकार होते थे। जो कार्य सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मणपुत्र को करना होता था, वही कार्य राजपुत्र श्री कृष्ण को भी करना होता था। वहाँ न थे नगर-जीवन के कृत्रिम स्नेह और स्वार्थ की दुर्गन्ध। वहाँ स्वाभाविक अखण्ड स्नेह-सौरभ फैल रही थी। उनके कानों में विभिन्न शब्दों की ध्वनि नहीं पड़ती थी और न शहरी जीवन के श्रृंगार चित्र उनकी आँखों देखती थी। अपितु उनके कर्णकुहरों को प्रकृति के भावमय गूजन स्पर्श करते थे और आँखों को मृगशावकों के निर्दोष विनोद दृष्टिगोचर होते थे।

ऋषि-पत्नियों के पूर्ण वात्सल्य और पवित्र वातावरण में ब्रह्मचर्य का पालन सहज स्वाभाविक रूप से होता था। उन माताओं की मगल-मयी मूर्ति देखते ही मातृभाव के विशुद्ध सस्कार जागृत हाते थे। ऐसी संस्कृति में जो बालक लगातार १५ वर्ष तक रहे, उसको शक्ति और ओज कितने पैदा हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी भव्य और आल्हादक है।

ब्रह्मचर्याश्रम की दो श्रेणियाँ

ब्रह्मचर्याश्रम को पार करने के बाद जिस युवक को गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर परोपकार, दान, दया आदि सद्गुणों द्वारा समाज सेवा और सुन्दर तथा सुदृढ सतान पैदा करने की वृत्ति होती थी, उस उप-कुर्वाण ब्रह्मचारी युवक का सुयोग्य पत्नी के साथ पाणिग्रहण कराकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराया जाता था और उस विवाहित दंपति की गृहस्थाश्रम-प्रवेश के पहले उस आश्रम को सुन्दर, सुखद और मधुर बनाने की शिक्षा दी जाती थी ।

परन्तु जो युवक आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने में समर्थ होता वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर उपदेशक या त्यागी-संस्था में प्रविष्ट होकर जनता के विभिन्न वर्गों में धर्म-जागृति का महत्वपूर्ण कार्य करता था ।

इस पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम की भूमिका किस परिस्थिति में और किस तरह प्रारम्भ होती थी । इसलिए ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और त्यागाश्रम इन दोनों का मूल है । इससे इन तीनों का परस्पर गाढ सम्बन्ध है ।

गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ या त्यागाश्रम !

वानप्रस्थाश्रम तो लगभग त्यागाश्रम जैसा ही होता है। अन्तर सिर्फ यही है कि वानप्रस्थाश्रमी को त्यागी के जितने कड़े नियमों का पालन करना नहीं होता और वह गृहस्थाश्रम से सम्बन्धित सत्कर्मों का अनासक्तिपूर्वक आचरण अवश्य कर सकता है, जबकि त्यागाश्रमी को गृहस्थजीवन से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष भाग लेना नहीं होता। इतने विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि ये सभी आश्रम एक दूसरे के सहायक और पोषक हैं, बाधक नहीं।

सवाल यह होता है कि त्यागाश्रम और गृहस्थाश्रम इन दोनों में उत्तम आश्रम कौन-सा है ? इस सम्बन्ध में विविध मान्यताएँ और मत-भेद पाये जाते हैं। एक पक्ष कहता है—‘गृहस्थाश्रमसमो धर्म न भूतो न भविष्यति।’ गृहस्थधर्म जैसा कोई भी उत्तम धर्म नहीं है। उसके निम्नलिखित कारण हैं—

(१) भ० महावीर, भ० बुद्ध, भ० कृष्ण जैसी विश्ववन्द्य विभूतियाँ गृहस्थाश्रम के उत्तम फलस्वरूप ही पैदा हुई थी, जिन्होंने विश्व के दीन, हीन एवं पामर प्राणियों का उद्धार किया है। (२) भीष्म और कर्ण जैसे अनेक वीररत्न गृहस्थाश्रम के रत्नाकर में से ही पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारतीय सस्कृति को वीरता की चमक से उज्ज्वल किया है। (३) सन्यासी त्यागी, ब्रह्मचारी, ग्लान, रोगी, बाल और वृद्ध आदि सभी के रक्षण और पालन का आधार गृहस्थाश्रम ही है। (४) सारे ससार की उत्पत्ति का मूल भी गृहस्थाश्रम से ही होता है। इन कारणों से गृहस्थाश्रम को उत्तम मानने से कौन इन्कार कर सकता है ?

दूसरे पक्ष का कहना है कि त्यागाश्रम ही उत्तम है, क्योंकि त्याग के बिना मानव-जीवन का विकास सम्भव नहीं है। त्याग ही मुक्ति की

साधना का मार्ग है। अनेक त्यागी महानुभावो ने इस मार्ग को अंगीकार करके स्व-पर-कल्याण साधा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल में अनेक महर्षियो ने इसी राजमार्ग द्वारा मुक्ति की साधना की थी। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वयं इसी त्याग-मार्ग के आराधक थे।

इन दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों में बहुत अशोभे तथ्य अवश्य हैं, किन्तु इन दोनों आश्रमों में अमुक उत्तम है, अमुक नहीं इसकी चर्चा में उतरना योग्य नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का निर्णय तो उस-उस व्यक्ति की योग्यता पर अवलम्बित है, जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम के योग्य हो। उसके लिए त्यागमार्ग उच्च होते हुए भी आचरणीय नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति त्यागाश्रम के योग्य हो, उसके लिए वही आश्रम उत्तम माना जा सकता है। तात्पर्य यह है कि दोनों की उत्तमता का निर्णय विवेकवृद्धि द्वारा उस-उस स्थिति पर से होना चाहिए। इसी-लिए शास्त्रकारों ने दोनों आश्रमों में से किसी को न्यून या उत्तम न कह कर भूमिकाओं का विकासक्रम इस प्रकार बताया है —

‘भागुसत्त, सव्रणे, नाणे य विन्नाणे, पच्चक्खणे य संजमे’ ।

सबसे पहले मानवता, तत्पश्चात् क्रमशः सद्धर्म-श्रवण, विवेक, विज्ञान (विशिष्ट कार्ययुक्त ज्ञान), आवश्यकता कम करने के नियम और त्याग होने चाहिये। इस क्रमिक विकास की भूमिकाओं में त्याग का माहात्म्य सर्वोपरि है, क्योंकि जगत् के सभी प्राणी जिस सुख को चाहते हैं, उसकी प्राप्ति वैभव-विलास से नहीं हो सकती, किन्तु सतोष, प्रेम, और त्याग से ही सम्भव है।

परन्तु वैभव-विलास के त्याग का अर्थ सिर्फ साधुवेश धारण कर लेना ही नहीं है। यद्यपि साधुजीवन ऊँचा है मगर जो व्यक्ति मानव-धर्म या गृहस्थधर्म की भूमिका का अधिकारी भी न बना हो, वह त्यागीजीवन का अधिकारी नहीं बन सकता। उपर्युक्त शास्त्र-कथन का आशय भी यही है कि त्याग के आदर्श का मेवन करते हुए, अपनी-अपनी योग्यता के

अनुसार, उस-उस स्थान के विशिष्ट कर्त्तव्यो का पालन करके, उस-उस भूमिका को पार करते हुए आगे बढ़ा जाय ।

इस दृष्टि से और दूसरी तरह से कहे तो गृहस्थाश्रम त्यागाश्रम के स्तम्भ के समान है । यह स्तम्भ जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही त्यागीजीवन का भवन सुव्यवस्थित रूप से चिरस्थायी रहेगा । इसी ध्येय को लेकर 'आदर्श गृहस्थाश्रम' क्या है ? उसके लिए किस सामग्री की आवश्यकता है ? इसको समझाने का प्रयास क्रमशः अगले अध्यायो मे किया गया है ।

गृहस्थाश्रम का स्थान

राष्ट्रीय दृष्टि से

विभिन्न गावों और शहरों का समूह प्रान्त कहलाता है और विभिन्न प्रान्त मिलकर एक राष्ट्र या एक देश बनता है। जहाँ जनसमूह एक संस्कृति और रहन-सहन के सूत्र में आवद्ध होकर बसते हों, वह राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र के जन-जन का जनन, पोषण, रक्षण और सर्वर्द्धन गृहस्थाश्रम से ही होता है, इसलिए राष्ट्रीय दृष्टि से गृहस्थाश्रम का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह स्पष्ट समझा जा सकता है।

सामाजिक दृष्टि से

समान आचार-विचार से रगे हुए मानव-समूह को 'समाज' कहा जाता है अर्थात् व्यवस्थित और विचार-प्रधान मानव-संगठन को समाज कहा जा सकता है। 'जीवो जीवस्य जीवनम्' यह सूत्र प्रायः पशुओं में प्रचलित है। मनुष्यों में तो 'जीवो जीवो जीवो' और इससे भी आगे बढ़ कर, 'दूसरों को जिलाकर जीवो' तथा 'स्वयं मरकर भी दूसरों को जिलाओ' के सूत्रों के अनुसार चलने की वृत्ति और विशेषता मानव-समाज में लाने के लिए 'संस्था' की जरूरत होती है, क्योंकि संस्था के द्वारा निश्चित विचारसरणी के क्रियान्वित होने से व्यक्ति या समाज का निर्माण होता है। भारतीय समाज-चिन्तकों ने मूल सिद्धान्तों को सामने रख कर समग्र समाज का निर्माण करने के लिए विभिन्न संस्थाएँ रची हैं। कुटुम्ब, ज्ञाति या मंडल भी एक प्रकार की संस्थाएँ हैं व्यक्तिगत जीवन के अच्छे-बुरे कार्यों का प्रभाव सर्वप्रथम इस प्रकार की संस्थाओं पर और बाद में समाज पर पड़ता है इसीलिए शरीर को जितनी चेतना-शक्ति की आवश्यकता है, उतनी ही समाज को व्यक्तिगत आदर्श गृहस्था-

श्रम की है। गृहस्थोंका व्यक्तिगत एव सस्थाकीय जीवन जितना उदार, उत्तम और चारित्रशील होगा, उतने ही अंशों में समाज सुखी, शान्त और व्यवस्थित बनेगा।

धार्मिक दृष्टि से

राष्ट्रीय और सामाजिक हित में गृहस्थाश्रम का हिस्सा है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, किन्तु धार्मिकता में गृहस्थाश्रम का हिस्सा हो सकता है, इस बारे में आज एक वर्ग शकाशील है। उसका यह मानना है कि गृहस्थाश्रम यानी पापों का स्थान। पाप यानी अधर्म और जहाँ अधर्म हो, वहाँ धर्म हो ही कैसे सकता है? और ऐसे गृहस्थाश्रम में आत्मविकास को स्थान ही कहाँ?

ऐसी अमुक काल से प्रचलित हुई मान्यता के फलस्वरूप भोला-भाला गृहस्थ अज्ञान वर्ग अपने आपको पापी मान कर अपने पवित्र कर्तव्यों से च्युत हो जाता है, क्योंकि वह यह मानने लगता है कि गृहस्थाश्रम में तो पाप ही पाप है और पापों का परिणाम ससार-परिभ्रमण है। फिर जो पापी ही है उसके पाप क्या? जो मान कर जानते हुए भी दुर्लक्ष रख कर कितने ही अनर्थ गृहस्थाश्रम में रह कर, कर बैठता है।

गृहस्थाश्रमी की जिम्मेवारी

मगर उपर्युक्त मान्यता बिलकुल निराधार और भ्रममूलक है। गृहस्थाश्रम आत्म-विकास का प्रथम सोपान है। गृहस्थाश्रम में रह कर भी मनुष्य अहिंसा, सत्य, सयम इत्यादि सद्धर्म के अंगों की आराधना करके उच्च कोटि पर पहुँच सकता है। जैन-शास्त्र में कहा है—

‘भिक्ष्वाण वा गिहस्थे वा, सुव्वण गम्मइ दिव’

अर्थात्—मनुष्य त्यागी भिक्षु हो या गृहस्थ हो, ‘सुव्रती’ हो तो वह स्वर्ग-प्राप्ति का अधिकारी है। गिहीलिंगसिद्ध-गृहस्थवेश में भी सिद्धि-मुक्ति का अधिकार है। गीता तो पुकार-पुकार कर कहती है—‘स्वकर्मणा

तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विंदते मानव' (अपने कर्त्तव्य-कर्म से—धर्म पालन से भगवदाराधन (शुद्ध आत्मा की आराधना) करके मनुष्य सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त कर लेता है। गर्त केवल यही है कि सत्कर्म करते समय फल-आसक्ति, अहंकार, प्रमाद या अकर्मण्यता न हो। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से गृहस्थाश्रम त्याग-वैराग्य की खान है, नदनवन के समान सभी आश्रमों का विश्रामस्थल है और उच्चकोटि के कुटुम्ब-वात्सल्य से विष्ववात्सल्य-प्राप्ति के ध्येय को लिए हुए है।

लक्ष्य-बिन्दु

आदर्श गृहस्थाश्रम का लक्ष्य भोग-विलास नहीं अपितु विकास-साधना है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य-खण्डन विकार—वासना की पूर्ति के लिए नहीं, किन्तु सुन्दरतम मुसस्कारी सतान पैदा करने के लिए होता है। इस कारण ब्रह्मचर्य के इस प्रकार खण्डन में पाप होते हुए भी वह उसके लिए अघर्म नहीं है और वह पाप गृहस्थाश्रमी को पीडित नहीं कर सकता। आदर्श गृहस्थाश्रमी की प्रवृत्ति पर-पीडा के लिए नहीं होती, अपितु परोपकारार्थ होती है, इससे वह प्रवृत्ति पुण्यकारी बन जाती है।

लेकिन वह गृहस्थाश्रम आदर्श न हो तो नदनवन के बदले नरकागार के समान हो जाता है, यह बात भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने दर्जे गृहस्थाश्रम का स्थान उच्च है, उतनी ही उसकी जिम्मेवारी अधिक है।

विवाह-विचार

वास्तव में गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ विवाहित जीवन के बाद ही होता है। विवाह गृहस्थाश्रम का प्रवेशद्वार है और विवाहित जीवन उसका प्रथम और आवश्यक अंग है। इसलिए विवाह के सम्बन्ध में उसके सभी पहलुओं को लेकर यहाँ हम विचार करेंगे।

विवाह का रहस्यार्थ

वि + वह दोनों से 'विवाह' शब्द बना है, उसका अर्थ है,—गृहस्थाश्रम के कर्त्तव्यों को विशेषरूप से वहन करना, जिम्मेवारी निभाना। इसका पर्यायवाची शब्द 'लग्न' है। उसका अर्थ होता है—'पति-पत्नी दोनों का एक दूसरे से सलग्न होना, मिलना, लीन होना। पति और पत्नी अर्थात् दम्पती के प्रेममय मिलन का नाम ही 'लग्न' है।

भारतीय समाज पर पाश्चात्य विचारों का प्रभाव पडा, तब से युवक-युवती मुक्त-सहचार की आकर्षक बातों से प्रभावित हुए, विवाहित जीवन उन्हें बन्धनरूप प्रतीत होने लगा। कई तो यहाँ तक कह बैठते हैं—“विवाह-व्यवस्था मानव-जीवन के लिए विलकुल निरूपयोगी (निकम्मी) है।”

हम इस मान्यता से यहाँ तक सहमत हो सकते हैं कि जो स्त्री या पुरुष जीवन-पर्यन्त नैष्ठिक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहते हों, उनके लिए विवाहित जीवन की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रकारों ने ऐसे वर्ग को विवाहित जीवन के लिए बाध्य नहीं किया है। परन्तु जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना नहीं चाहते, तथापि विवाह-व्यवस्था को एक प्रकार की परतत्रता मान कर, उसका भग करते हैं वे तो दोनों मार्ग से चूकते हैं, अपना पतन करते हैं और भावी सन्तान की संस्कृति का भी खून करते हैं। समाजशास्त्री ऐसी स्वतन्त्रता को सरासर स्वच्छदता का नमूना

मानते हैं, फिर भले ही उमे 'प्रगतिशील-सुधार' जैसा आकर्षक नाम दिया गया हो । इस प्रकार की स्वेच्छाचारिता की हवा पिछले कुछ वर्षों से जोरशोर से फैल रही है । इसके कट्टे और दुःखद परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों को भोगने पड़े हैं और पडते हैं । अतः समाज की प्रत्येक इकाई को भारतीय विवाह-पद्धति के आदर्श पर गभीरता से विचार करना नितान्त ज़रूरी है ।

विवाह का आदर्श

गृहस्थाश्रम का आदर्श जितना उच्च और उन्नतिसाधक है, उतना ही उच्च और विकास-साधक आदर्श विवाहजीवन का है । विवाह का आदर्श है—पति और पत्नी दोनों के प्रेम का भरना एक सरितामय बनकर वहना । जिस जीवन से निर्दोष प्रेम का मंगलारम्भ हो वही विवाहित-जीवन कहलाता है । इसी से समाजहितैषियों ने इसे उच्चकोटि का जीवन माना है । शास्त्रकारों ने भी कहा है—विवाह केवल पति-पत्नी का देहमिलन (देहलग्न) नहीं अपितु मनोमिलन और आत्ममिलन है । यह तभी निष्पन्न हो सकता है, जब दम्पती-जीवन में शिक्षण और सदाचार को सम्पूर्ण स्थान मिला हो और विशुद्ध प्रेम के हेतु से दोनों का विवाह हुआ हो ।

प्राचीन काल में इस आदर्श को सुरक्षित रखने के लिए युवक और युवती के हितैषी वृजुर्गों पर दोनों की पसदगी का भार डाला गया था, आज भी वही प्रथा प्रचलित है । यद्यपि कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि पुत्र और पुत्री के माता-पिता स्वार्थ या लोभ के वशीभूत होकर अपनी जिम्मेवारी से च्युत होकर, अपनी सतान का भारी अहित करते हैं । यही कारण है कि भारतीय समाज की विवाह-व्यवस्था पर आज अनेक विचारों के प्रहार हो रहे हैं, दूसरी ओर से विधवा-विवाह जैसे प्रश्न विचार के रगमच पर आ रहे हैं । मगर गहराई से सोचने पर यह मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में प्राचीन विधि-विधान या विवाह-

व्यवस्था का कोई दोष नहीं है, इस दोष के लिए जिम्मेदार तो उसका अनुसरण न करने वाले कतिपय अपवादित व्यक्ति ही हैं ।

समाज की प्राचीन या अर्वाचीन किसी भी व्यवस्था में मानवजाति में प्रविष्ट होने वाले स्वार्थ आदि दोष के कारण अपवाद अवश्य मिलेंगे । ऐसे अपवादों के लिए व्यवस्थित समाज विधान का भग करने का प्रयत्न करने या वैसा विचार करने की अपेक्षा अपवाद के मूल का पता लगाकर उस विधान में सशोचन-परिवर्द्धन करना जनता के सामूहिक हित की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होगा ।

सुधार की जरूरत

सुधार की आवश्यकता तो प्रत्येक काल में होती है । लेकिन आज जीवन-विकास के लिए अनिवार्य और हितकारक नीति-नियमों का प्राचीन होने के कारण भग करने को 'सुधार' माना जाता है, यह ठीक नहीं । ऐसे सुधार से व्यक्ति और समाज का कोई हित नहीं होता । अतः कोई भी सुधार सामाजिक जीवन के सर्वांग सरक्षक नियमों को लक्ष्य में रखकर होना चाहिए । विभिन्न धर्म-शास्त्र और नीति-शास्त्र के अवलोकन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक युग के विशिष्ट पुरुषों ने ऐसे समाज-हितकर सुधार किये हैं ।

उदाहरणार्थः—एक काल ऐसा था कि एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने की छूट दी गई थी, अनेक स्त्रियों के साथ पाणिग्रहण करना सामाजिक अपराध नहीं समझा जाता था, परन्तु उसके बाद समयानुसार परिवर्तन होते-होते एक पति को एक पत्नी के साथ ही विवाह करना सामाजिक सभ्यता मानी जाने लगी और आज भी वही विधान प्रचलित है । लेकिन समय-समय पर दी गई ऐसी अनुमतियाँ नारी-जीवन के सम्पूर्ण रक्षण और हित की दृष्टि से ही योजित की गई थी, यह भूलना न चाहिये ।

मतलब यह है कि समाज-विधान के नियमों पर चलने और उसे

सुदृढ बनाने का समाज के प्रत्येक अंग का कर्त्तव्य है, इससे वैयक्तिक स्वातंत्र्य की हानि नहीं, अपितु सुरक्षा है।

मुक्त साहचर्य

अभी-अभी मुक्त-साहचर्य और प्रेमलग्न के आकर्षक नामों से विवाह-व्यवस्था की अराजकता समाज में फैल रही है, उसके लाभालाभ पर यहाँ भी विचार कर लेना जरूरी है।

जो युवतियाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन विताने की इच्छा न होते हुए भी अविवाहित रह कर पुरुषों के साथ मुक्त सहचारपूर्वक जीवन विताना चाहती हैं, और वैसे स्थिति में स्वतंत्र सुखप्राप्ति की आशा रखती हैं, उनकी दशा कई बार वाजारू स्त्री (वारागना) की अपेक्षा भी हजार-गुनी बदतर हो जाती है। क्योंकि मुक्त-साहचर्य में प्रेमपात्र एक ही हो ऐसी कोई निश्चितता नहीं होती। इस कारण वे बेचारी प्रेम के वहाने अनेक रूपभ्रमर वासनालोलुपों की शिकार बन जाती हैं। यौवनकाल में जिस दुष्परिणाम की उन्हें कल्पना भी नहीं होती, वैसे असह्य कष्टों का सामना ढलती उम्र में उन्हें करना पड़ता है। क्योंकि समाज से तो वे पहले से ही पृथक् हो जाती हैं, बाद में उनके तथाकथित प्रेमियों द्वारा भी वे छोड़ दी जाती हैं। ऐसी अपमानित और लाञ्छित परिस्थिति में उनका कोई स्नेही या सरक्षक न होने से वे पश्चात्ताप की भट्टी में जलती रहती हैं।

इसी तरह जो युवक भी इस प्रकार का जीवन विताने हैं, वे निर्वीर्य और निःसाधन बन कर अपना और समाज का बहुत अहित कर डालते हैं।

ऐसी युवतियाँ और युवक अत्याचार, अनाचार, अवर्म, कुव्यसन आदि अनेक अनर्थों से पीड़ित होते हैं, उनका माना हुआ स्वच्छदी सुख उन्हें ही ठगता है और वे आजीवन दुःख भोगते रहते हैं। उनके कारण समाज और राष्ट्र को भी बहुत सहना पड़ता है। ऐसे युवक-युवतियों के व्यक्तिगत जीवन में विशुद्ध प्रेम का विकास रुक जाने से सुख और

सतोष के बदले तिरस्कार और असतोष ही उनके पल्ले पड़ते हैं। अतः ऐसे दुःखमय और हानिकारक भविष्य से बचने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य-पूर्वक न रह सकनेवाले पुरुष को एक स्त्री और स्त्री को एक पुरुष चुनकर विवाहित जीवन बिताना ही हितावह है। इसी में भावी सतान का भी हित है।

इसीलिए समाजशास्त्री और नीतिकारी ने धार्मिक-दृष्टि से एक पत्नीव्रत की घोषणा की है जो सामाजिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। जैन-शास्त्रों ने त्यागमार्ग स्वीकार करने की योग्यता न हो तो उसके लिए गृहस्थजीवन की व्यवस्था भी बताई है और उसमें पति-पत्नी के लिए क्रमशः 'स्वदारसतोष' और स्वपतिसतोष को अनिवार्य बताया है।

दाम्पत्य-प्रेम तभी अचल और स्थिर रह सकता है, जब सन्तानोत्पत्ति का ही शुद्ध हेतु विवाहित जीवन के पीछे हो। विवाहसूत्र में शारीरिक सौन्दर्य की कसौटी से युवक-युवती को नहीं बाधा जाता, अपितु उन दोनों के पारस्परिक गुण-दोष, प्रकृति, उम्र, विद्या, कुल, शील, समानता, शरीर-स्वास्थ्य और जीविका-उपार्जन की योग्यता आदि बातें देखकर बाधा जाता है और वही वास्तव में 'प्रेमविवाह' है। ऐसे पति-पत्नियों के जीवन विश्वास, सहयोग और स्नेह से ओतप्रोत रहते हैं।

प्रेम-विवाह

मुक्त-साहचर्य की तरह 'प्रेम-विवाह' का भी एक फैशन आजकल चल पड़ा है। इस तथाकथित प्रेम-विवाह में युवक और युवती दोनों किसी की सलाह लिये बिना सिर्फ़ खुद की पसंदगी से विवाह करते हैं। यद्यपि मुक्त सहचार के सिद्धान्त की तरह इस प्रकार के प्रेम-विवाह में विवाह-व्यवस्था का तिरस्कार नहीं है; परन्तु ऐसी साहसिक विवाह-प्रणाली के अनुसरण करने में अनेक खतरे हैं। जवानी में ऐसे प्रेम-प्रसंग बहुधा वासनाजन्य होते हैं और प्रेम का रंग कृत्रिम होने से गृहस्थाश्रम के जीवनकाल में ही वह उड़ जाता है या फीका पड़ जाता है।

यद्यपि जिन युवक-युवतियों को एक-दूसरे के सहयोग से जीवन-

पर्यन्त गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ी खीचना है, वे राजी-खुशी से परस्पर स्वयं अपने योग्यपात्र ढूँढ़ ले और विवाहसूत्र में आवद्ध हो जाँय, यह बुरा नहीं है, तथापि इस उम्र में युवक-युवती एक-दूसरे के मिर्फ शरीर-सौन्दर्य से आकर्षित होते हैं, एक प्रकार के आवेशवश होते हैं और परिपक्व उम्र का अनुभवज्ञान भी उन्हें नहीं होता, इसलिए वे भलीभाँति पारस्परिक गुणदोषों का तटस्थ बुद्धि से निरीक्षण नहीं कर सकते। फलतः आगे जाकर ऐसे विवाह निष्फल साबित होते हैं।

आवेश और मोह से किए गए गृहस्थाश्रम की कसौटी में वे सांगोपांग पार नहीं उतर सकते। ज्यो-ज्यो गृहस्थाश्रम की नौका आगे बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो ऐसे दम्पती को नये-नये अनुभव होते रहते हैं, धीरे-धीरे सौन्दर्य का आकर्षण क्षीण होता जाता है, पति-पत्नी की महत्त्वाकांक्षाओं के हवाई किले एक के बाद एक ढहते जाते हैं, तब दोनों को अपनी साहसवृत्ति और भूल का भान होता है। परन्तु अब क्या हो? अब तो वे जीवनयात्रा में बहुत दूर चले गए होते हैं। आपस में मन-मुटाव होने पर भी अब तो गृहस्थाश्रम की सुस्त चलने वाली गाड़ी सुखसे दुःख से खींचे बिना कोई चारा ही नहीं। ऐसे दम्पती भले ही उस समय समाज को कोसैं, परन्तु इसमें न तो समाज के विधान का दोष है और न दूसरे किसी का ही दोष है। दोष है, उनकी अपनी ही वृत्ति का।

वुजुर्गों का कर्त्तव्य

इसी कारण ऐसे भयकर भविष्य से बचने के लिए नीतिकारों ने वर-कन्या के गुणदोष-निरीक्षण का भार अनुभवी वुजुर्गों को सौंपा है, क्योंकि उन्हें वर-कन्या की उम्र, कुलीनता, योग्यता और सद्गुणादि की परीक्षा करने का पक्का अनुभव होता है।

जो वुजुर्ग निस्वार्थी और सतति-हितैषी होते हैं, वे अपने इस कर्त्तव्य को भली भाँति समझकर अपनी सतति का गृहस्थ-जीवन सुचारु-

रूप से व्यतीत हो, इस दृष्टि से योग्य जोड़ी का चुनाव कर देते हैं। चुनाव होने के बाद अपनी सतान को वे वस्तु-स्थिति से भलीभाँति परिचित कराकर उसकी पक्की सम्मति मिलने पर ही दोनों का विवाह निश्चित करते हैं। इस व्यवस्था से युवक-युवती दोनों को अपने गृहस्थ-जीवन को स्वर्गोपम और मधुर बनाने का मौका मिलता है और दोनों के जीवन में सौजन्य और स्नेह की महक अन्त तक फैलती रहती है।

यह खेद का विषय है कि आज का बुजुर्ग-वर्ग इस कर्त्तव्य को कई अंशों में भुला बैठा है, अपने पुत्र-पुत्री को चाहे जिसके साथ जोड़ देने में कर्त्तव्य की इति-समाप्ति मान बैठता है या स्वार्थवश अयोग्य कार्य भी कर बैठता है। आज के गृहस्थाश्रम की दुर्दशा में यह भी एक प्रबल कारण है।

कई बुजुर्ग तो विवाहित जीवन के लिए वरकन्या के गुणदोषों का तो दूर रहा, योग्यायोग्य उम्र तक का भी विचार नहीं करते। कई पिता अपने स्वार्थ के लिए किसी बूढ़े, अंधे या बीमार पुरुष के हाथों में अपनी कोमल कली-सी निर्दोष पुत्री के जीवन को होमने में जरा भी नहीं हिचकते। कई पिता तो अपनी पुत्री का विवाह बचपन में ही कर डालते हैं या अयोग्य के साथ उसे बाँध देते हैं।

ऐसे नियम-विरुद्ध तथा अनमेल विवाहों से वे किशोर बालाएँ न्दाम्पत्य-जीवन के मधुररस से वञ्चित रहती हैं और इन्हीं कारणों से प्रायः अबलाओं के आर्त्तनाद और वैधव्य करुण कहानियाँ पैदा होती हैं। और तो और, वैधव्य-जीवन को पवित्र और सुरक्षित रखने के उपायों और साधनों की ओर भी ऐसे तथाकथित हितैषी लापरवाही दिखाते हैं। फसस्वरूप समाज को कलकित करने वाले दुष्ट कृत्यों की एक के बाद एक परम्परा चलती जाती है, जिसे रोकने के लिए विधवा-विवाह या ऐसी ही अन्य प्रवृत्तियों का आन्दोलन चलानेवाला एक वर्ग समाज के खिलाफ खुलेआम तैयार हो जाता है।

समाज के इन सब रोगों को जड़मूल से उखाड़ने के लिए वरकन्या के सरक्षको (अभिभावको) को अपने पवित्र कर्तव्य का भान कराने का व्यावहारिक प्रयत्न करना प्रत्येक सच्चे सुधारक का सर्वप्रथम और अनिवार्य कर्तव्य है। इस प्रवृत्ति में विचारबल के साथ कार्यक्षमता की भी अपेक्षा है।

तलाक

तलाक का प्रश्न विवाह के बाद का है। दाम्पत्य-जीवन योग्य होते हुए भी कई जगह शारीरिक आकर्षण की हीनता या वासना की अतृप्ति के कारण एक पत्नी मौजूद होते हुए भी दूसरी पत्नी लाने या तलाक देने की प्रवृत्ति वर्तमानकाल में अनेक बार होती दिखाई देती है।

ऐसी तलाकप्रथा की हवा प्रायः पाश्चात्य-ससर्ग से यहाँ आई मालूम होती है। तथापि भारतवर्ष की प्राचीन समाज-व्यवस्था में भी पति और पत्नी का सम्मान तथा विवाह-जीवन की व्यवस्था यथार्थरूप से रखने के लिए अति प्रबल कारणों से ऐसी रियायत लेने का उल्लेख स्मृति में जरूर है। देखिये वह पाठ .—

‘नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।

पचस्वापत्सु नारीणां, पतिरन्यो विधीयते ॥’

‘पति भाग गया या गुम हो गया हो, मर गया हो, छोड़ कर या प्रव्रज्या लेकर चला गया हो, नपुसक हो गया हो तो ऐसी पाँच प्रबल आफतों के कारण स्त्रियाँ दूसरे पति के साथ विवाह कर सकती हैं।’

परन्तु आज जिस रूप में यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है, उस रूप में तलाक-प्रथा की छूट गृहस्थाश्रम-संस्था के लिए लेशमात्र भी उपयोगी नहीं है। इतना ही नहीं, अनुभव से ज्ञात हुआ है कि यह दाम्पत्य जीवन के निर्मल स्नेह में विप्लव डोलने वाली है, क्योंकि एक पति अपनी प्रणयपात्र पत्नी का और एक पत्नी अपने प्राणप्रिय पति का जब चाहे तब (गले उतर जाय ऐसे प्रबल कारण के बिना भी) त्याग कर सकती

है। ऐसी सार्वदेशिक रियायत भारतीय सस्कृति के लिए बिलकुल अनावश्यक और निकम्मी है। इतना ही नहीं, बल्कि लज्जाजनक चीज है।

अब तो पाश्चात्य देशों के समाज-हितचिंतक भी ऐसी तलाक-प्रथा की अनावश्यकता को स्वीकार करने लगे हैं, इससे स्पष्ट है कि यह प्रथा समाज के लिए हितकर नहीं है। इसीलिए पश्चिम में, जब-तब तलाक न दिया जा सके, इस प्रकार के कानून बनाकर, तथा पुनर्विवाह पर भारी कर लगाकर, विवाह-जीवन को व्यवस्थित बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। अतः समाज के जिम्मेवार अग्रगण्यो एव लोकनेताओं को ऐसे प्रश्नों पर गंभीर विचार करके, इनके कारणों को नेस्तनाबूद करना चाहिए।

तलाक का मूल

तलाक के प्रश्न उपस्थित होने का मूल कारण है—दाम्पत्य प्रेम का अभाव। शुद्ध दाम्पत्यप्रेम को विकारवासना का शेतान रौंद डालता है। प्रीति का अतिमात्रा से विकार को पोषण मिलता है। इसलिए ब्रह्मचर्य और सयम की उपयोगिता सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी पैदा हुई है। अब तो भारतसरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं, अगर समाज उन्हें सच्चे अर्थ में अपना ले तो ऐसे प्रसंग विरले ही पैदा होंगे।

संतति-नियमन का सिद्धान्त

विवाहित-जीवन में आगे बढ़ने पर संतति का प्रश्न सामने आता है, क्योंकि 'प्रजायै गृहमेधिनाम्' उत्तम सतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थाश्रम में विवाहजीवन को स्वीकार किया जाता है। परन्तु आज संतति-नियमन का प्रश्न क्यों खड़ा हुआ है? यह जानना जरूरी है।

कई लोग ऐसा मानते हैं कि जन-संख्या बढ़ने से राष्ट्र में बेकारी बढ़ती है, अतः जनसंख्या-वृद्धि को रोकने के लिए संतति नियमन समाज और राष्ट्र के हित में आवश्यक है। इस मत में प्रायः विदेशों का प्रभाव है।

भारत की बेकारी

आज भारत की बेकारी दूर करने के लिए कई जिम्मेवार विचारक संतति-निरोध की ओर उँगली उठा रहे हैं, परन्तु यह उपाय वाह्य दृष्टि से जितना सरस और सुन्दर लगता है, उतना ही परिणाम में समांज-जीवन के लिए घातक है। सही माने में राष्ट्र की बेकारी इस उपाय से दूर नहीं हो सकती।

सारी सृष्टि में यह कुदरती नियम है कि जो प्राणी जहाँ जन्म लेता है, वहाँ उसकी उत्पत्ति के साथ उसके जीवन के लिए उपयोगी सामग्री का भी सर्जन होता रहता है। बालक के पैदा होते ही उसे हवा कुदरत से मिल जाती है और पानी और खुराक के लिए उसकी माता के स्तनो में व्यवस्था पहले से हो जाती है, अन्य साधन भी प्राप्त होते रहते हैं।

अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस प्रश्न की छानबीन करें तो 'हेनरी जॉर्ज' नामक एक शास्त्री का कहना है—“जनसंख्या बढ़ने से जिन्दगी की खुराक कम नहीं हो जाती। मानवशक्ति के आज दृष्टिगोचर होनेवाले ह्रास एवं मानवदुःखों के ढेर के लिए कुदरत के कानून जिम्मेवार नहीं है। बल्कि ये दुष्परिणाम तो कुदरत के कानूनों पर नहीं चलने के कारण आते हैं।”

इस पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र में फैली हुई बेकारी को दूर करने के लिए सततिनिरोध का प्रचार विलकुल अवास्तविक है।

संतति का नियमन का ध्येय और परिणाम

अगर सतति-नियमन का उपाय वीर्यरक्षण के शुद्ध लक्ष्य को लेकर अकृत्रिम रूप से आयोजित किया जाता हो तो वह स्वागत योग्य है। आज उसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि एक महापुरुष ने बताया है कि “जो मन्तान विकारी भावना से उत्पन्न होती है, वह कभी अपने माता, पिता, कुटुम्ब, समाज या राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकती, उलटे मातृद्रोही, पितृद्रोही, कुटुम्बद्रोही, समाजद्रोही तथा राष्ट्रद्रोही बनती है

और अपना जीवन भी वह स्वार्थ और वासना के भँवरजाल में गोते खाते-खाते पूरा करती है। मनुस्मृति में भी स्पष्ट कहाँ है—

“जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म-कर्मद्विष. सुता ” (क० ३-४१) ।

विवाहलक्ष्य को भुलाकर या विवाह के पीछे रही हुई पवित्र भावनाओं का लोप करके विकारी वासना से जो सन्तान पैदा की जाती है, वह अधार्मिक ही बनती है। ऐसी पामर सतति पैदा करना भी एक प्रकार का पाप है। इसके विपरीत जो सतान धर्म-भावना और उच्च सस्कार-भावना से पैदा की जाती है, वह सतान अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अनेक बलिदान दे सकती है। इसलिए जहाँ-जहाँ विलास और स्वार्थ का साम्राज्य व्याप्त हो, उस वातावरण में वहाँ वैसी दूषित सतानों में वृद्धि हो, इसकी अपेक्षा समय की भावना फैले यह ज्यादा उचित है।

परिणीत दम्पती यदि कायिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे तो आज समाज में जो तत्त्व अल्पमात्रा में दिखाई देता है, उस स्वास्थ्य-तत्त्व को पुन प्राप्त करके वे अपनी अमूल्य शक्ति का परमार्थ के लिए सद्व्यय कर सकते हैं। प्राचीनकाल में ऐसी भावना खूब व्यापक थी जिससे जन-जीवन सब प्रकार से सुखी था। ऐसे ब्रह्मचर्य-पालक थोड़े से दम्पती भी समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनकर जनता के शत-शत आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर सकेंगे।

परन्तु एक ओर कोई विकारवासना को खुल्लमखुल्ला पोषित करता रहे और दूसरी ओर कृत्रिम साधनों या प्रयोगों द्वारा प्रजनन कार्य को रोकने का प्रयत्न करे तो नतीजा यह आता है कि पुरुष-जाति नपुंसक बन जाती है और स्त्री-जाति के वात्सल्य और सौजन्य के स्रोत सूख जाते हैं। फलतः राष्ट्रहित के बदले राष्ट्रीय सस्कृति के मूल पर ही कुठाराघात होता है और सस्कृति के नष्ट होने पर मानवजाति में जीवनसत्त्व नामशेष हो जाता है।

जो विकारवासना को खाने-पीने या मलत्याग की क्रिया की तरह कुदरती आवेग (हाजत) मानते हैं, वे भी गहरे भ्रम में हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मचर्य अस्वाभाविक या असाध्य वस्तु नहीं है और खाने-पीने की तरह वासना अनिवार्य क्रिया भी नहीं है। जैसे अग्नि में घृत की आहुति देने से वह शान्त होने के बदले बढ़ती ही जाती है, वैसे वासना-प्रवाह को ज्यो-ज्यो मुक्त-रूप से बहाया जाता है, त्यो-त्यो वह शान्त नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है।

ध्येयशून्य विवाह

इन सब अनिष्टों के पैदा होने का मूल कारण है—ध्येयशून्य विवाह। कदाचित् विचारों में विवाह का ध्येय उतरा हो, परन्तु आचरण को देखते हुए ऐसा लगता है, मानो विवाह का ध्येय विकार का पोषण ही हो। 'स्त्री केवल भोगविलास की पूर्ति का एक साधन है' ऐसा भ्रम भी समाज में चल रहा है। इसका नतीजा यह दिखाई देता है कि विवाह होने के बाद जब तक पति-पत्नी दोनों की वासना तृप्त होती रहती है, तब तक ही प्रायः उनका कल्पित प्रेम टिकता है, बाद में क्रमशः क्षीण होता जाता है। दम्पती-जीवन में एक-दूसरे के लिए, दुःख, कष्ट और आफत में या बीमारी में सहने, त्याग करने व सहयोग देने की वृत्ति कम हो जाने से, एकाकारता एवं हार्दिकता के दर्शन कम होते हैं। इस गम्भीर और पेचीदा प्रश्न के वास्तविक हल पर ही आदर्श गृहस्थाश्रम के महल की नींव मजबूती से टिकती है।

जब पति और पत्नी सही माने में यह समझेंगे कि हमारा विवाह विकार-वासना की पूर्ति के लिए नहीं हुआ है, अपितु साथ मिल कर एक हृदय होकर धर्माचरण करने के लिए, एक दूसरे के सहयोग से वासना और दुर्बलताओं को क्रमशः कम करते हुए ब्रह्मचर्य के शिखर पर जाने के लिए हुआ है, सन्तान-प्राप्ति के साथ समाज और कुटुम्ब के ऋण को चुकाने के लिए संतान को सुसंस्कारी, धार्मिक, साहसी एवं समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाने के हेतु हुआ है तभी गृहस्थाश्रम आनन्द-

मय, मंगलमय और स्वर्गोपम बनेगा । और तब वैवाहिक जीवन में फैली हुई सभी अवस्थाएँ दूर होगी । स्त्री और पुरुष दोनों गृहस्थाश्रम रूपी रथ के दो चक्र हैं, दोनों चक्रों के सम होने पर ही यह सुरथ व्यवस्थित चल सकता है और ये दोनों चक्र तभी सम हो सकते हैं, जब दोनों का शिक्षण, सस्कृतिरक्षण, गृहजीवन, कुटुम्बपालन, धर्मपालन, अर्थव्यवस्था आदि में सम अधिकार हो । जब से नारीजीवन के प्रति पुरुषवर्ग लापरवाह बना, नारी को अपमानित दशा में धकेल कर, उसे पैर की जूती या दासी (गुलाम) समझकर उसे वासनातृप्ति का एक साधन माना जाने लगा तभी से गृहस्थाश्रम और परम्परा से राष्ट्र की अधोदशा की शुरुआत हुई और निष्प्राण और निस्तेज सतान पैदा होने लगी है ।

वैधव्य जीवन

वैवाहिक जीवन के साथ-साथ विधुर जीवन और वैधव्यजीवन का भी प्रश्न सम्बन्धित है, इसलिए इस पर भी विचार करना अत्यावश्यक है । विदेशों में जहाँ विभक्त कुटुम्ब प्रथा है, वहाँ विधुर-जीवन और वह वृद्धावस्था में बड़ा ही दुःखदायक होता है । भारत में सयुक्त कुटुम्ब प्रथा होने से यह प्रश्न विधुरों के लिए तो कम ही कष्टप्रद होता है । किंतु भारत में विधवा बहनों की दशा बड़ी ही शोचनीय है । बाल्यकाल में अपने पतिजन्य सुख से वंचित एवं यावज्जीवन ब्रह्मचर्य-पालन की प्रबल पिपासु त्यागमूर्ति विधवा को देखकर पुरुषवर्ग को अपनी विकारी और विलासी वृत्ति पर शर्म आनी चाहिए । ऐसी विधवा बहनों के प्रति पूज्यभाव रख कर वफादार रहना उनका परम कर्तव्य है, उसके बदले विधवा बहनों पर अत्याचार ढहाने वाला समाज का अमुक पुरुषवर्ग सचमुच समाज का कलक है और नारी-हत्या का अपराधी है ।

वैधव्य का एक कारण

आकस्मिक कारणों को छोड़ कर विशेषतः वैधव्य का दुःख अपनी सतति के प्रति माता-पिता या अभिभावकों के कर्तव्यच्युत हो जाने से ही पैदा होता है । बालविवाह, वृद्धविवाह, अनमेल विवाह या अयोग्य

विवाह ही प्राय वैधव्यविपवृक्ष के बीज के कारण हैं । इन्हे जल्दी समाज में से दूर करने चाहिये ।

वैधव्य जीवन को सुखद बनाने का उपाय

अभिभावको के द्वारा दृढतापूर्वक सतति के प्रति कर्त्तव्यपालन किये जाने पर भी आकस्मिक कारणों से वैधव्य आ पडे तो उसे सहज और सुखद बनाने के लिए निम्न उपाय समाजहितैषियों को करने चाहिये —

(१) उन्हे त्याग और सयम की जीती-जागती प्रतिमा मान कर आदर और सम्मान दिया जाय, (२) उन्हे शिक्षण और सस्कार से सुसज्जित करके योग्य सुविधाएँ देनी चाहिए, (३) उनके कुटुम्बियों को सादगी और सयम के अनुकूल वातावरण रखना चाहिए, (४) वे स्वाभिमान-पूर्वक जी सके, समाज-निर्माण या बाल-शिक्षण का सत्कार्य कर सके, इसलिए उनके मार्ग की कठिनाइयाँ दूर करनी चाहिये, (५) वे अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख सकें, इतनी तेजस्विता पैदा करनी चाहिए; (६) वे किसी के बहकावे में आकर साम्प्रदायिकता से युक्त बाडो में फँस कर अपने जीवन की असली स्वतन्त्रता को न खो दे, अपना सर्वांगी विकास अवरुद्ध न कर दें, इसका पूरा ध्यान रखा जाय ।

इन्ही उपायों से विधवा बहने स्वेच्छा से अनायास वैधव्य-पालन में समर्थ हो सकती हैं और ब्रह्मचर्य का प्रभाव समाज और राष्ट्र को बता सकती हैं । नारीजीवन की उन्नति के लिए सरकार अनेक कानून बना रही है, किन्तु नमाज उन कानूनों को दिल से समझ कर, पचाकर अपनाएँ और नारी भी स्वजीवन निर्माण का अवसर पाकर अधिकारी की सुरक्षा कर सके एव प्राप्त स्वतन्त्रता का सदुपयोग कर सके, तभी गृहस्थाश्रम सर्वांगत. सफल हो सकता है ।

आदर्श गृहस्थाश्रम

[कर्तव्य खण्ड]

पति-पत्नी के कर्तव्य

गृहस्थाश्रम के मुख्य अंग

गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना एक महान् जिम्मेवारी अपने पर लेना है, इसी कारण इसे एक प्रकार की दीक्षा कहा जाता है। इस आश्रम का काल भी अन्य आश्रमों की तरह २५ वर्ष का है। परन्तु आज वान-प्रस्थाश्रम की प्रणाली लुप्तप्रायः हो जाने से पति-पत्नी को जीवनभर गृहस्थस्थिति में रहना होता है, अपवाद की बात अलग है। इस दृष्टि से समाज के महत्त्वपूर्ण अंग कुटुम्ब में गृहस्थाश्रम के प्रधान अंग पति-पत्नी हैं। ये कुटुम्ब के आभूषण हैं। यदि ये दोनों अपने-अपने कर्तव्यों को, भलीभाँति समझ कर आचरण करें तो उनके जीवन में सुख की सरिता बहने लगे, और कौटुम्बिक जीवन सुखद और समृद्ध बनने से समाज की भी उन्नति हो।

गृहस्थजीवन की प्रारम्भिक प्रतिज्ञाएँ

गृहस्थ-जीवन के उपर्युक्त आदर्श की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञाओं और एक दूसरे प्रति कर्तव्यों के लिए पति-पत्नी को सतत जागृत रहना चाहिये —

१ पति अपनी पत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियों के प्रति मातृदृष्टि रखे और पत्नी अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष के प्रति भ्रातृदृष्टि रखे।

२ हम दोनों जीवन-पर्यन्त सहजीवन विताएँगे, इसलिए उस सह-

जीवन को मधुर और सुखद रखने के लिए हम एक दूसरे की मानव-सुलभ सामान्य भूलों को क्षमा करना सीखेंगे ।

३. हम दोनों गृहस्थाश्रम-रथ के समान उपयोगी दो चक्र हैं, इनमें से एक भी कम उपयोगी या निकम्मा नहीं है । अतः हमारे कार्यक्षेत्र भले ही भिन्न रहे, पर हम एक दूसरे के अभिन्न हृदय से पूरक रहेंगे ।

४ जितनी मात्रा में पति अपनी पत्नी को हितबुद्धि से कह सकता है, उतनी ही मात्रा में पत्नी भी अपने पति की भूल होने पर विनीतभाव से हितशिक्षा देने की अधिकारिणी है ।

५ पति को उसके योग्य बातों में सतुष्ट करना जैसे पत्नी का पवित्र कर्त्तव्य है, वैसे ही पत्नी के अन्तःकरण को भी उसके योग्य बातों में सतुष्ट करना और सम्मान देना पति का अनिवार्य कर्त्तव्य है ।

६ हमारा गृहस्थाश्रम केवल हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, अपितु विघेषत कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र की उचित और उपयोगी सेवा के लिए है । अतः अपना जीवन हम इतना सादा और सयमी बनाएँ कि हमारा जीवन दूसरों के लिए बोझिल नहीं, किन्तु उपकारक बने ।

७ हमारा परस्पर सयोजन (गठजोड़) विकार के लिए नहीं, किन्तु स्नेह और सहकार के लिए है । 'सहोभौ चरतां धर्ममिति' इस सूत्र के अनुसार पति-पत्नी दोनों मिलकर, सहचारी बनकर धर्माचरण करें । जिस सहकार से अतिथि-सत्कार, धार्मिक यमनियमों के आचरण तथा इतर प्राणियों की सेवा सरलतापूर्वक हो सके और जीवन का वास्वविक आनन्द प्राप्त कर सकें ।

इतनी बातें जान चुकने के बाद और गृहस्थाश्रम के कठोर धर्म के आचरण की योग्यता प्राप्त करने के बाद जो युवक-युवतियाँ गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होती हैं, उनका गृहजीवन स्वर्गोपम बन जाता है ।

आदर्श की ओर एक इशारा

यौवन के सिंहद्वार पर पहुँचते ही युवा-शरीर में वीर्य उछलने

लगता है, अगर उस समय योग्य दिशा में मोड़ न मिले तो वह समुत्पन्न अद्भुत शक्ति विकृति के पथ पर मुड़ जाती है और जिनके मन ब्रह्मचर्याश्रम में सुसंस्कृत नहीं होते, वे झटपट इसके शिकार हो जाते हैं।

युवक की अपेक्षा युवती पर इस उम्र का गुप्त रूप से अधिक असर होता है, वह उसकी अग्रचेष्टा, वाणी और हाव-भाव पर से लक्षित हो जाता है। परन्तु नारीसुलभ लज्जा, सहिष्णुता, धैर्य, कोमलता आदि गुणों के कारण बाह्यरूप से तो क्वचित् ही वह दिखाई देता है। अतः युवक की अपेक्षा युवती की जिम्मेवारी और स्थिति समय के सम्बन्ध में अधिक है।

वासना के तूफानी आवेग के अधीन बना हुआ जो युवक विवाह से पहले विकृत वातावरण या कुसंग के कारण मार्गभ्रष्ट हो जाता है, उसका विवाहित जीवन कितना कष्टप्रद व शोचनीय बन जाता है, इसका वर्णन कल्पनातीत है। परन्तु जो युवक सुपथ पर टिक सका है और जिसके अन्तःकरण में आदर्श गृहस्थाश्रम की महत्त्वाकांक्षा है, वह भी विवाहित होने के बाद गृहस्थाश्रम के प्रारम्भ में ही दुःख को न्यौता देने की महान् भूल कर बैठता है। उस समय की पारस्परिक तीव्र आसक्ति को भी भ्रान्तिवश 'प्रेम' मान लेते हैं और दोनों को अपने कर्तव्य का भान तक नहीं रहता। फलतः दोनों का प्रेम अखण्ड न रहकर, विकृत बन कर विकारवासना के रूप में बदल जाता है। उन दोनों के अन्तःकरण में पहले कभी अनुभव की न हो, ऐसी आग धधकती है, जिसका शरीर और मन पर घातक असर होता है। पुरुष मोहवश स्त्री की वासना को सन्तुष्ट करने के लिए अपना सत्त्व निचोड़ने लगता है, इसी प्रकार स्त्री भी पुरुष के पतन का प्रबल साधन बन कर अपना काम कर लेती है। दोनों अपने चेतन को बेच कर मन और वासना के गुलाम बन जाते हैं तथा अपने अमूल्य स्वास्थ्य और सौन्दर्य को खो बैठते हैं।

इस समय मदमाते यौवन में विपरीत मार्ग पर कदम रखने के

दुष्परिणामो के अनुभवी और जीवन की अटपटी घाटियों को पार किये हुए हितैषी अभिभावक उस युगल को जब उनका कर्त्तव्य-भान करने का प्रयत्न करते हैं तो वे दम्पती यह मान बैठते हैं कि ये हमारे स्नेह मार्ग में काँटे विद्याते हैं और मधुर दाम्पत्य में विष घोलते हैं। फलस्वरूप उनकी हितगिखा मानने के बदले वे अपनी भ्रान्त मान्यता के कारण उनका सामना करते हैं या बलवा करने लगते हैं।

अनिच्छनीय परिणाम

ऐसी परिस्थिति होने में दो मुख्य कारण हो सकते हैं - (१) नये वातावरण में आने वाली कन्या को उसके माता पिता ने तालीम नहीं दी होती, (२) पुरुष की आसक्ति गाढ़ होती है, क्योंकि सस्कारपूर्ण लैंगिक विज्ञान उसे मिखाया नहीं जाता तथा समाज की तथाकथित शुद्धि के नाम पर स्त्री-पुरुष के बीच में भारी कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी जाती है।

फलत एकान्त का लाभ लेकर पत्नी अपने पति के पास हमेशा अपने सास-ससुर, ननंद आदि के दोषों को बड़ा-चड़ा कर कहती रहती है। देवर, जेठ आदि कुटुम्बीजनों के साथ रहने में कठिनाइयों का वर्णन करती है और ऐसी परतंत्रता से छुटकारा पाने को वारम्बार आग्रह क्रिया करती है या उत्तेजित करती रहती है। मोहान्ध युवक इनके दुष्परिणामो पर विचार नहीं करता और शक्ति के मद में शीघ्र ही अपने स्नेहीजनों के वात्सल्य और प्रेम को ठुकरा कर उनसे दूर रहना पसन्द करता है। अगर वह स्वावलम्बी न हो तो दूसरा कोई मार्ग अपनाता है। ऐसे दुःसाहस से हुआ कार्य ही प्रायः अपने ससार को कटु बनाने में निमित्त बनता है। ढलती उम्र में इसका भान होने पर उसके वग की बात नहीं रहती। इस प्रकार के जवानी के नशे से ही प्रायः अपने ससार में कुटुम्बकलह का वातावरण पैदा होता है।

परन्तु जिस युवक ने ब्रह्मचर्य का महत्व जान लिया है, जिसका मन बलवान है, जिसे अपने माता-पिता में मुसस्कार एवं परम्परागत

संस्कृति उत्तराधिकार में प्राप्त हैं, जो अपने हिताहित को समझ सकता है, वह वीर युवक ऐसे नरों के अधीन नहीं होता, बल्कि उसे बश में कर लेता है। और अपनी पत्नी को भी सत्य, समझाकर, सुशिक्षा देकर ठिकाने लाता है। कदाचित् अपने माता-पिता या कुटुम्बीजनो के बुरे स्वभाव के कारण घर में अनबन रहती हो तो उसका मूल कारण दूढ कर उसे निवारण करने का प्रयास करता है और अपनी पत्नीको सहिष्णु बनाकर गृहस्थाश्रम के महान् कर्तव्यो का भान कराता है।

एक भयंकर भ्रम और पतन की परिसीमा

कई बुद्धिमान समझे जाने वाले व्यक्ति भी 'विवाह किया, इसलिए भोग करना चाहिए' इस भ्रम के शिकार बने हुए हैं। यह मान्यता आदर्श गृहस्थाश्रम के लिए कलकरूप और अतिहानिकारक है। विवाह व्यवस्था विलास और विकार के लिए नहीं, अपितु सुदृढ और सस्कारी सन्तानोत्पत्ति के शुभ हेतु से बनाई गई है। यही कारण है कि नीतिकारो और स्पृतिकारो ने 'ऋतुशालाभिगामी स्थात्' (ऋतुकाल में ही स्त्रीसहवास करने) के सिद्धान्त पर जोर दिया है।

इस पर से बाकी समय में ब्रह्मचर्य ही फलित होता है। अगर पतिपत्नी इस महान् उद्देश्य को लेकर चले तो उनका गृहस्थाश्रम भी सफल और सुखी हो, और उनकी सतान भी वीर्यवान् और सयमी बने। कदाचित् युवावस्था में आवेगवश इसमें खलना हो तो तुरन्त सुधारने का लक्ष्य रखें तो बहुत लाभ हो।

ब्रह्मचर्य के खण्डन से सुख मिलने की मान्यता भी अवास्तविक है, क्योंकि इसके द्वारा जीवात्मा जिस सुख को प्राप्त करना चाहता है, उसी सुख को गवाता है, वीर्यपात के बाद उसके अन्तर में गहरा आघात पहुँचता है। अतिविकार के कारण शरीर भी रोगिष्ठ बन जाता है और शारीरिक संपत्ति खोने के बाद विषयजन्य सुख का उपभोग अशक्य हो जाता है। और फिर वह व्यक्ति विषय-सेवन का इतना गुलाम बन जाता है कि एक दिन भी उसके बिना बिता नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति

स्वस्त्रीरक्त होने का दावा भले ही करते हो, पर असल मे वे है विषयान्ध ही । क्योकि स्वस्त्री के साथ भी मर्यादित ब्रह्मचर्य-पालन अनिवार्य है । स्त्री तो धर्मपत्नी है, विषय वासना सतुष्टि का यन्त्र नहीं है, सन्तानोत्पत्ति के शुद्ध हेतु के अलावा सभोग की गणना व्यभिचार में होती है ।

यद्यपि कई विषयलोलुप अज्ञान नरभ्रमर, जिन्होंने अपने यौवन सत्व की रक्षा नहीं की है, अपनी दुष्ट लालसा को रोक नहीं सकते । अत वे एक स्त्री के मौजूद होते हुए भी सतान की इच्छा के वहाने दूसरी स्त्री के साथ शादी करते है, या परस्त्रीगामी बनकर वासना तृप्त करने के लिए अनेक अवलाओं का जीवन भ्रष्ट करके समाजद्रोही बनते है । जिनके पास धन या वैसे साधन नहीं होते वे पामर चाहे जिस स्त्री की ओर विकारी दृष्टि से ताकते रहते है, किसी भी रूपवती नारी को देखते ही उनकी दबी हुई वासना भडक उठती है और उसकी तृप्ति के सयोग जुटाने को लालायित हो जाते है । ऐसे व्यक्ति अनिच्छा से शारीरिक ब्रह्मचर्य पालते हो, तो भी उन्हें ब्रह्मचारी की कोटि मे नहीं गिना जा सकता, क्योकि उनके मन और वाणी तो विकारग्रस्त हो चुकते है । कई नरपिशाच तो वासनाग्रस्त होकर कई कोमल बालक-बालिकाओं का जीवन भ्रष्ट कर देते है । दृढावस्था मे शरीर और इन्द्रिया शिथिल हो जाने पर भी उनकी वासना का आवेग शिथिल नहीं होता, विकार उन पर सवार ही रहता है ।

पत्नीवाले कई युवक इस कामी वृत्ति के शिकार होकर अपनी पत्नी की गर्भावस्था मे भी वे सयमी नहीं रह सकते । पत्नी की इच्छा न होने पर इस शैतान के वशीभूत होकर वे बलात्कार करते हैं और अल्पवयस्क पत्नी हो तो भी अत्याचार करते नहीं चूकते ।

भारत मे प्रसवावस्था मे माताओं की मृत्यु होने के अनेक प्रसंग, एव दिल दहला देने वाली इतनी विशाल मृत्यु-संख्या सचमुच युवावस्था के विकारो का ही कुफल है ।

इस वारे मे अकेले पुरुष ही जिम्मेवार नही, कुछ अशो मे स्त्रिया भी है। वे अत्याचार भले न करती हो पर अत्याचार का शिकार तो बनती ही है, इसलिये वे भी इस माने मे दोषी हैं। अब निरकुश विकार का सामना करने की वृत्ति स्त्रियो मे आती जा रही है, यह देश का सद्भाग्य है।

स्त्रीजाति बहादुर बने

स्त्रीजाति अगर मनोबली बनकर लालच या शिकार के वशीभूत न होकर सात्त्विक वीरता से अपने स्त्रीधर्म की रक्षा करे तो वह अपना भी स्थान सुरक्षित रख सकती है और पुरुष को भी अपने स्थान का भान करा सकती है। अनेक विषयान्ध पामरो की शान ठिकाने लाने के लिए भारतीय नारी-रत्नो ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए अपना धर्म बजाया है। जेसल-तोरल के ज्वलत उदाहरण के अलावा सती नारियो के अनेक प्रसंग इतिहासप्रसिद्ध है। परन्तु स्त्रीजाति को एक सावधानी जरूर रखनी है कि चिरकाल से वह अन्याय-पीडित रही है, इसलिए पुरुषजाति के प्रति द्वेषजन्य प्रतिक्रिया का सहारा लेकर कोई कार्य न करे। नही तो, स्त्रीपुरुष समानता का दुरुपयोग ही होगा।

फैशन : नारीकर्तव्य में बाधक

पाश्चात्य सभ्यता के संसर्ग के कारण उसके सद्गुणो की अपेक्षा निकम्मी वस्तुओ या प्रथाओ का अधिक मात्रा मे भारतवासी अनुसरण करने लगे है। पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो पर इसने अपना अधिक जादू चलाया है। वह है फैशन। चूकि सौन्दर्यवर्द्धन और सौन्दर्य-उपासना पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो मे विशेष होती है, और उस कृत्रिम सौन्दर्य-प्राप्ति के साथ-साथ वह विलास, नाज़नखरे, आमोद-प्रमोद और नाच-गान आदि मे फस कर अपने कर्तव्य से-पत्नीधर्म से-अनेक बार च्युत होती देखी गई है।

वस्तुतः सौन्दर्य नैसर्गिक वस्तु है, वह बाहर से प्राप्त होने वाली चीज नही है। शरीर-सौन्दर्य प्रायः शारीरिक और मानसिक स्वस्थता

पर निर्भर है। स्वास्थ्य नष्ट होने के बाद सौन्दर्य टिक नहीं सकता। इस बात को भूल कर कई युवतियाँ जवानी में अपने-शरीर का दुरुपयोग करके, अपने असली सौन्दर्य से हाथ धो बैठती हैं, तब नकली सौन्दर्य की प्राप्ति के लिए फैशन का अवलम्बन लेकर उसमें ही अपने अमूल्य समय और शक्ति को खोती रहती हैं।

फैशन से हानि

बहुतसी सौन्दर्यलोलुप स्त्रियाँ अपना बहुत-सा समय फैन्सी वस्त्र पहिनने, बाल सँवारने, प्रसाधन-सामग्री जुटाने आदि अनावश्यक टीप-टाप में व्यर्थ खो देती हैं, साथ ही इन्हे इस फैशन का शौक पूरा करने के लिए अनेक पदार्थों की ओर उसमें फैशन के रोज-व-रोज बदलते रहने से अद्यतन प्रसाधन-सामग्री की बारबार आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हजारों रुपया स्वाहा हो जाता है। इतनी बड़ी आर्थिक हानि भारत जैसे दरिद्र राष्ट्र के लिए तो असह्य है ही, समाज और कुटुम्ब के लिए भी यह अभिशाप है, क्योंकि माता-पिता द्वारा किये जाने वाले अनावश्यक खर्च का चेप सतति को भी लगता है, उनका चंचल फैशन-परस्त मन विलास और विकृति के मार्ग पर सरपट दौड़ने लगता है। अतः ऐसी रूढियाँ, कुप्रथाएँ और आदतें, जो फैशन, देखादेखी या धनमद आदि किसी भी कारण से चल रही हो उन्हें समाज, कुटुम्ब और राष्ट्र के हित की दृष्टि से स्त्रियों को अविलम्ब वद करनी चाहिए। और अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए।

स्त्रियों का धर्म

जहाँ जनता का बहुत बड़ा वर्ग बेकार हो, अभाव पीडित हो, गरीबी से परेशान हो, वहाँ मौजशोक और ऐशआराम में या सैरसपाटों में द्रव्य का दुर्व्यय करना-कराना पाप है।

कदाचित् उन स्त्रियों के पति अपनी पत्नियों की गुड्डी मान कर उन्हें श्रृ गारित करने के लिए चाहे जहाँ से, और चाहे जिस प्रकार से श्रृ गार प्रसाधन सामग्री की पूर्ति कर देंगे और उन स्त्रियों की ऐसी इच्छा को

सन्तुष्ट करके अपनी वासना पूरी कर लेगे, परन्तु उसका नतीजा बुरा ही होगा। राष्ट्र में अन्याय और स्वार्थ का आधिपत्य फैलेगा, जिससे वह अधिक कगाल और पामर बन जायगा।

जब पत्निया फैशन के फदे में न फस कर, व्यसनो और कुरूढियों से दूर रह कर, अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेंगी, असली सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए विषयवृत्ति से मुँह मोड़ लेंगी, तब कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र समृद्ध बनेगा, धर्म और नीति दोनों का सहज विकास होगा, अपने पदभ्रष्ट व धर्मभ्रष्ट होते हुए पतियों को धर्म में सुस्थिर करने में वे सफल होंगी, उनमें वीरत्व प्रगट होगा। अपना धर्मपत्नीपद वे सार्थक कर सकेंगी और फलतः स्वयं भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख का साक्षात्कार कर सकेंगी।

पति-पत्नी के पालने योग्य नियम

मर्यादित ब्रह्मचर्य-पालन के लिए तथा समय-साधना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन पति-पत्नी दोनों के लिए आवश्यक है—

(१) ऋतुकाल के अलावा प्रायः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए, 'मेरा मनोबल मजबूत है' इस भरोसे न रह कर शय्या पृथक् रखनी चाहिए। हो सके तो सोने का कमरा या खड भी अलग रखा जाय।

(२) सोते समय सात्त्विक समय-प्रेरक पुस्तकों या जीवन-चरित्रों का वाचन किया जाय अथवा प्रेरणाप्रद जप या प्रार्थना की जाय।

(३) ब्रह्मचर्य-पिपासुओं के लिए शास्त्र में ब्रह्मचर्यरक्षार्थ ९ वाडें बताई हैं, उनमें से इन तीन पर तो खूब ही जोर दिया गया है—(१) शरीर-विभूषा (२) कामोत्तेजक चटपटा व दुष्पाच्य भोजन, (३) गाढ एकान्त में स्त्री-पुरुष का पारस्परिक ससर्ग। इन तीनों से अवश्य वचना चाहिये और सात्त्विक आहार, सादे पोशाक एवं शुद्ध वातावरण का सेवन उचित है।

(४) ऐसे उत्तम जीवन के लिए नशीले खानपान का त्याग अत्या-

वश्यक है क्योंकि सभी नशीले पदार्थ तामसी वृत्ति की ओर मनुष्य को घसीट ले जाते हैं। देश की अपार संपत्ति का प्रतिवर्ष इनके पीछे दुर्व्यय होता है, अतः आर्थिक और गारीरिक दोनों दृष्टियों से यह हानिकारक है।

(५) कामोत्तेजक, अश्लील, मोहक, गंदे एवं सांप्रदायिकतापोषक अश्लील चलचित्रों, नाटकों, सिनेमाओं, दृश्यों या अश्लील वातावरण से भी दूर रहना चाहिए। कला के नाम पर कामुकता को उभाड़ने वाले ये दृश्य, श्रव्य, वाच्य नैतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं।

(६) उच्च भावनावाले जवान स्त्री-पुरुषों को अपने-पति-पत्नी के-सिवाय अन्य स्त्रीपुरुषों के साथ एकान्त ससर्ग और छिपे परिचय प्रसंगों से दूर रहना जरूरी है।

इन नियमों का हेतु स्त्रीजाति और पुरुषजाति के बीच भेद, द्वेष या अलगाव पैदा करना नहीं है, स्त्री-पुरुष की सुयोग्य समानता गृहस्थ-जीवन में जरूरी है किंतु यह समानता दोनों के अतिमार्ग से ही सिद्ध नहीं होती, किंतु उदारता और विवेक ही इसकी आधारगिला है। अतिसर्ग से तो दोनों को लाभ के बदले नुकसान ही अधिक आता है।

(७) पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति समानता का अभ्यास करना चाहिये। समानता का अनुभव तभी हो सकता है जब पति एक स्वपत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियों को मातृतुल्य देखे और स्त्री पति के अलावा अन्य पुरुषों के प्रति भ्रातृवृद्धि से देखे। समानता की भावना वाला पति अपने गृहमन्दिर को ही स्वर्ग और अपनी पत्नी को ही प्रेम और सुख का केन्द्रस्थान समझता है और पत्नी अपने को अर्द्धांगिनी मान कर व्यावहारिक बोझ से घबराए हुए, व्यग्र एवं बेचैन अपने पति का भार हलका कर देती है, पति के मुख-दुःख में सहभागिनी बनती है, पति के लिए विश्राम-स्थान बन जाती है।

इन सब नियमों की आदर्श गृहस्थाश्रम में अनिवार्य उपयोगिता है, क्योंकि इन नियमों का यथार्थरूप से पालन करने पर गृहस्थाश्रमी दम्पती स्वर्ग को घरती पर उतार सकते हैं।

संतति के प्रति मातापिता का कर्त्तव्य

आदर्श गृहस्थाश्रम के आराधक सुप्रणयी दम्पती दाम्पत्य-जीवन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई सतान मे गर्भाधान से लेकर वयस्क होने तक किस प्रकार के सस्कार डालें तथा सतान के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखे, यह विचार करना जरूरी है, क्योंकि सारे समाज की उन्नति का मूलाधार सुसंस्कृत सतान है।

पिता का कर्त्तव्य

गर्भाधान से लेकर प्रसूतिकाल पर्यन्त पत्नीसंग करना, पत्नी के प्रति विकारी दृष्टि से देखना या विकारोत्तेक बातें करना भयकर पाप है, क्योंकि बालक जब गर्भ मे आता है तब से उसकी और उसकी माता की नाडी एक ही होती है, माता के श्वासोच्छ्वास से ही गर्भ जीता है इसलिए माता पर होने वाले अच्छे-बुरे प्रभाव उसकी सतान पर शीघ्र ही दिखाई देते हैं। जिस सतति के माता-पिता ऐसे समय मे अपनी बुरी वासना को नहीं रोक सकते, उनकी सतान रोगिष्ठ, पशु, और विकारी बनती है। ऐसे माता-पिता अपने पवित्र नाम को डूबा कर धर्म-माता और धर्मपिता के बदले सतति-सहारक कहलाते हैं जो माता-पिता अपने इस कर्त्तव्य को चूक कर भविष्य मे अपनी सतान की ओर से सद्भावना या सेवा की आशा रखते हैं वे नीम का बीज बोकर आम का फल पाने की इच्छा रखने वाले मूर्खों की कोटि मे है।

गर्भविस्था के समय गैरजिम्मेवार बने हुए पुरुषों की वासना के कारण ही स्त्रियों मे अनेक रोग फूट निकलते हैं। २५ प्रतिशत माताएँ तो प्रसवकाल मे ही मृत्यु की शरण हो जाती है, बाकी की जो जीती हैं, वे शक्तिहीन, नि सत्व और निस्तेज होकर अपनी जिन्दगी पूरी करती हैं। प्रदर, हिस्टीरिया, क्षय आदि प्राणघातक रोगों से घिरी रहती है,

फिर शक्तिवर्द्धक टॉनिक या अभक्ष्य-अपेय कॉडलिवर ऑइल, माल्ट आदि दवाओं का सेवन करती रहती हैं जिनमे घन और घर्म दोनो की बली दे दी जाती है। एक बार गया हुआ स्वास्थ्य फिर हाथ नहीं आता और दो चार बालको की माता बनने के बाद तो वह शिथिलांगी, कृशागी बुडियासी दिखने लगती है। प्रसवपीडा से बचने के लिये या खोये हुए स्वास्थ्य को पुन प्राप्त करने के लिए कई स्त्रियाँ कृत्रिम सततिनिरोध का आश्रय लेती हैं, पर इससे रोग का मूल नष्ट नहीं होता। विषय-वासना तो कम नहीं होती, फिर चिर स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? इसलिए ब्रह्मचर्यपूर्वक सततिनियमन ही इसके लिए रामवाण दवा है। जिस सतति के माता-पिता बालक दूध पीना न छोड़ दे तब तक या ३-४ वर्ष के होने तक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनकी सतति सुन्दर, सयमी, संस्कारी, स्वस्थ और वलिष्ठ होती है।

बालक के जीवन के प्रथम ६ वर्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। इस समय दरम्यान दूसरी सतान का बोझ माता-पिता पर आ पड़े तो वे प्रथम सतान के प्रति पूरा ध्यान नहीं दे सकते। इसका कुप्रभाव भावी सतान के जीवन पर पड़े बिना नहीं रहता। अधिक जिम्मेवारी का बोझ माता-पिता से सहन न होने से वे चिडचिडे बन जाते हैं और बालक की भावनाओं और विकास-ऊर्मियों को कुचल देते हैं।

माता भी कम जिम्मेदार नहीं

ऐसी परिस्थिति में सतान की माता भी कम जिम्मेदार नहीं। उसे ऐसे पति को सद्बोध द्वारा अपने पवित्र कर्त्तव्य का भान कराना चाहिए। इतने से न माने तो सत्याग्रह करके भी उसे अपने पति को ठिकाने लाने का प्रयत्न करना चाहिये। जीवन की सहचारिणी के नाते पद-भ्रष्ट पति की कर्त्तव्य-च्युतता के समय अगर वह इतनी भी नैतिक हिम्मत नहीं बता सकती और पति की वासनामय वृत्ति के अधीन हो जाती है तो वह स्वयं भी अत्याचारी पति की तरह गुनहगार बनती है और सतान की माता नहीं, पर हत्यारी बनती है ! पति की खोटी वासना

तृप्त करने में, पतिभक्ति नहीं पतिमोह है।

गर्भाधान के बाद माता के पालने योग्य नियम

(१) मन और वाणी से भी ब्रह्मचर्य-भावना का प्रभाव जारी रहे, इसके लिए उच्च और पवित्र वातावरण में रहना।

(२) सतियों के जीवन-चरित्र पढ़ना या सुनना।

(३) व्यर्थ की निन्दा, चुगली या फालतू बातें करना या सुनना नहीं।

(४) कुत्सित (विकार-वर्द्धक) दृश्य न देखना।

(५) अपना समय लडाई-भगडों में बर्बाद न करके नवीन उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने में बिताना।

गर्भावस्था की प्रत्येक क्रिया का प्रभाव अव्यक्तरूप से बालक पर पड़ता है। अभिमन्यु को गर्भ में ही षट-चक्रव्यूह-भेदन का ज्ञान अपनी माता की वृत्ति से ही हुआ था। इतना ही नहीं, आज भी यह देखा जाता है कि माता गर्भावस्था में जैसे विचार करती है, जो सुनती, देखती, बोलती या प्रवृत्ति करती है, वैसी ही प्रकृति की उसकी सतान बनती है। उस समय अगर माता लापरवाह रहती है तो उसकी सतान सस्कारहीन बनने से सारा दुष्परिणाम उसे ही भोगना पड़ता है।

दोहद पूर्ति

गर्भवती स्त्री को दो हृदय होने से विभिन्न प्रकार की उत्कट इच्छाएँ या भोजन-रुचियाँ पैदा होती हैं, उसे संस्कृत में 'दोहद' कहते हैं, हिन्दी में 'दोहला' कहते हैं।

जो बहने सुशील और सस्कारी होती है, उन्हें धार्मिक बातें सुनने, दान देने, सत्कार्यादि करने, प्राकृतिक दृश्य देखने, सुमधुर भोजन करने आदि की उत्तम रुचि पैदा होती है। ऐसी उत्तम रुचियों को परिपूर्ण करना उनके पति, सास-सुसर या बुजुर्गों का कर्त्तव्य है। अन्यथा उत्तम

इच्छाओं की अपूर्ति के कारण, उनके अंतर में दुःख पैदा होने से सतान को हानि पहुँचने का अदेशा है ।

परन्तु कई वहनो को मिट्टी या राख खाने की, निरर्थक बातें करने या निरूपयोगी वस्तु देखने-सुनने की अथवा खट्टा, तीखा या चरपरा खाने की भी इच्छा होती है । ऐसी इच्छाएँ प्रायः आसपास के खराब वातावरण, हल्के दर्जे की स्त्रियों के ससर्ग या शरीर में पोषक खाद्य-द्रव्यों की कमी के कारण पैदा होती हैं । समझदार माताओं को ऐसी इच्छाओं को स्वयं समयपूर्वक दबा देनी चाहिए या उपचार करना चाहिए, अन्यथा अपनी सतान पर कुसस्कारो का प्रभाव पड़ जाने का डर है ।

खान-पान और रहन-सहन

गर्भस्य-जीव की तन्दुरुस्तीका आधार माता के खान-पान और रहन-सहन पर है । इसलिए गर्भवती माता को अधिक मिर्च-मसालो वाले, अत्यंत तीखे, खट्टे, कसायले या खारे खाद्य पदार्थ नहीं सेवन करने चाहिए, किन्तु सादा, सात्विक और परिमित भोजन लेना चाहिए । तथा चलने-फिरने आदि की क्रिया भी गर्भ को तकलीफ न हो, अशक्ति न आजाय, यह देख-सोच कर करनी चाहिए ।

बुजुर्गों के प्रति

ऐसे प्रसंग पर गर्भवती वहन के बुजुर्गों और खासकर उसकी सासुओं का अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वे अपनी बहू को अतिश्रम वाला काम न करने दें, अधिक उठने-बैठने की क्रिया न कराएँ, और उसे आघात पहुँचे इस प्रकार की कोई भी बातचीत या व्यवहार न करें, उसे विधेय मुखशान्ति में रखने का प्रयत्न करें । गृहकार्य की सत्ता प्रायः सासुओं के हाथ में होती है, इसलिए कई सासुएँ गर्भवती बहूओं ने अपनी स्वार्थ-पूर्ति के हेतु अत्यधिक श्रमजनक और कष्टदायक काम लेती हैं । नतीजा यह आता है कि बहूओं की तन्दुरुस्ती गिरती जाती है, जिसका प्रभाव उनकी संतान पर भी पड़ता है ।

प्रसवकाल में सावधानी

। आजकल जगह-जगह शफाखानों में या जहाँ अलग प्रसूतिगृह होते हैं, वहाँ अद्यतन साधन-सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, स्वच्छता भी रखी जाती है। अनाड़ी दाइयों से प्रसव कराने में बड़ा खतरा है, परन्तु साथ ही कई दफा यह देखा गया है कि देशी दाइयों जितना भी नर्सों में परिपक्व व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण गर्भ और गर्भवती दोनों को काफी सहना पड़ा है। अतः आज के नये प्रसूतिविज्ञान के शरीरशास्त्र और स्वच्छता व्यवस्था आदि के विचार और पुरातन प्रसूतिकारिणियों के अनुभव दोनों का अध्ययन करके भारतीय परिस्थिति और सस्कृति के अनुकूल प्रसूतिविज्ञान में सशोधन किया जाकर तदनुरूप समन्वयात्मक प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है।

आज की शहरी स्त्री में इतनी निर्बलता है कि उसमें प्रसवपीडा सहन करने की शक्ति प्रायः नष्ट हो गई है, जबकि तन्दुरुस्त ग्रामीण-नारियाँ प्राचीनकाल की तरह आज भी यह कष्ट आसानी से सह सकती हैं, क्योंकि उनका शरीर ताकतवर होता है। अतः माता बननेवाली प्रत्येक नारी को अपना शरीर स्वस्थ व सशक्त रखने, एवं योग्य आहार-विहार व रहन-सहन का ज्ञान होना चाहिये। साथ ही प्रसवकाल के समय माता और बालक को पर्याप्त पोषक खाद्य एवं अनुकूल वातावरण की व्यवस्था समाज और सरकार की ओर से की जानी लाजिमी है, क्योंकि बालक राष्ट्र का धन है, समाज की थाती है।

निर्बलता के कारण

स्त्रियों में दुर्बलता आने का मुख्य कारण तो समुचित व्यायाम का अभाव है। प्राचीनकाल में कूटने-पीसने, बिलोने, पानी भरकर लाने, दूहने, पशुपालन करने आदि प्रत्येक क्रियाओं से शरीर के प्रायः सभी अंगोपागों की कसरत हो जाती थी। सतत कार्य करते रहने से भोजन का पाचन अनायास हो जाता था और प्रत्येक अवयव अभ्यस्त हो जाता था। साथ ही हवा, पानी और आहार ऐसे कुदरती व्यायामों

से सात्त्विक और शुद्ध मिलते थे, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता था। आज हाथ से काम करना छोड़ देनेवाली स्त्रियो को मदाग्नि, गैस, रक्तचाप, स्नायुदोर्वल्य, हृदयपीडा, क्षय, कब्ज, अतिसार आदि अनेक भयकर रोगो ने घेर रखा है, जिससे उन्हे आर्थिक और शारीरिक दृष्टियो से अतीव हानि सहनी पडती है। फिर अनेक चाय, काफी आदि राष्ट्रघातक व्यसन भी पुरुषससर्ग से उनके जीवन मे लग चुके है। दूसरे अनेक छोटे-बडे व्यसनो को छोड दे, तो भी शारीरिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और धार्मिक चारो दृष्टियो से हानिकारक चाय जैसी वस्तु जहाँ देखो वहाँ वहनोमे फैल गई है। स्वय पीती है। इसलिए बालक की भी जन्मघुटी मे चाय पिलाकर उसकी आयु को घटाने की पाशविक क्रिया करती है, ऐसा कहने मे कोई अत्युक्ति न होगी।

शिशुपालन के ज्ञान का अभाव

छोटे-से बालक की जरासी आँख दुखने लगी या सिर मे दर्द हुआ, दस्ते लगने लगी कि उसकी माँ कहेगी-‘बुलाओ डॉक्टर को’, यह शिशुपालनज्ञान के अभाव का सूचक है। पुराने जमाने मे घर मे अनुभवी बूढी दादी घरेलू वैद्यक का ज्ञान रखती थी, अब नई पीढी ने उस ज्ञान की उपेक्षा करदी है। उसका कटुफल बालको को भोगना पडता है, उन्हे डॉक्टरो की शरण मे सौंप कर, दवा पिलाकर, और इजेक्शन लगवाकर शुरू से ही दुर्बल बना दिया जाता है। इस दुख से बचने के लिए माता बनने वाली प्रत्येक वहन को घरेलू औषधियो का ज्ञान प्राप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है।

नन्हे शिशुओ के प्रति

बालक जहाँ तक स्तनपान करना न छोड दे वहाँ तक माता को अपनी प्रत्येक क्रिया मे समय और विवेक रखना चाहिये और स्तनपान के साथ-साथ उच्च सस्कारपान भी कराना चाहिये। इस समय बालक का अपनी माँ के साथ इतना तादाम्य होता है कि वह अपनी माँ के सिवा

और किसी को नहीं पहिचानता, अतः माता उसके कानो मे मधुर और धर्मपुनीत वचन भरे ।

कई बालको के नाक मे से लीट व मुह से लार टपकती रहती है; आँखो और कानो मे मैल जमा रहता है, ऐसे बालको को खिलाने या पास बिठाने का किसी का मन नहीं होता, इसमे उसकी माता की असस्कारिता और अस्वच्छता वृत्ति के दर्शन होते है । समझदार माता को बालक के प्रति ऐसी लापरवाही से दूर रहना चाहिये ।

बालक रोता हो या सोता न हो तो कई माताएँ उसे 'चुप रह, वह बाबा आया, हौआ आया, कान काट लेगा, सो जा नहीं तो बिल्ली खा जायगी', इत्यादि भयदायक वाक्यो से बालक मे भयवृत्ति पैदा कर देती है, जो जिन्दगी भर तक नहीं जाती । कई माताएँ बालक मे रोने की आदत डाल देती है । भारतीय माताओ को अपने बालक डरपोक या कायर न बनाकर शूरवीर और निर्भय बनाने चाहिए । कहा भी है—

‘जननी जण्ये तो भक्त जण्ये, कां दाता कां शूर ।

नहीं तो रहजे बांझडी, मती गमाजे नूर ॥’

जो माता शिशुसगोपन के ज्ञान से रिक्त है, वह सारे समाज और राष्ट्र का द्रोह करती है । सिर्फ सतानोत्पत्ति से ही माता-पिता के कर्त्तव्य की इति-समाप्ति नहीं हो जाती, कर्त्तव्य का मुख्य श्रीगणेश तो बालक के पैदा होने के बाद होता है ।

बालशिक्षण

बालक के ६ साल के होने से पहले तक उसकी शिक्षादीक्षा और सस्कार का सारा भार माता के ऊपर है । इसी उम्र मे भरे हुए सुसस्कार आजीवन स्थायी होते हैं । अतः इस उम्र तक प्रतिक्षण मातापिता को जागृत रहना चाहिए । उसके बाद बालक को योग्य शिक्षक के हाथ मे सौपना चाहिए । शिक्षक का चुनाव उसके चारित्र्य, परिपक्व अनुभव और वात्सल्य पर से करना चाहिए । शिक्षको के हाथ मे सौप देने पर भी

माता-पिता बालक के देख-भाल की जिम्मेवारी से कभी छूट नहीं सकते ।

शिक्षा कैसी हो ? उसका क्रम क्या हो ?

शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसका जीवन-व्यवहार से अभिन्न सम्बन्ध हो, जिससे बौद्धिक विकास के साथ-साथ गारीरिक और मानसिक विकास भी हो । यानी जिनमें बुद्धि के साथ-साथ धर्म के संस्कार भी जागृत हो, और हाथपैर भी काम करते रहें । म० गावीजी ने 'नई तालीम' की व्याख्या में राष्ट्र को इसी प्रकार की बुनियादी शिक्षा की ओर इशारा किया है । इसके लिए व्यस्क होने तक बालक को इतना ज्ञान तो अवश्य मिलना चाहिए —

(१) मातृभाषा का गहरा अध्ययन एवं राष्ट्रभाषा का परिपक्व ज्ञान । (२) अपनी रुचि के अनुसार कृषि, वाणिज्य या अन्य उद्योग-जैसे मथारकाम, लुहारकाम, बुनाई-रगाई आदि में से एक का तलस्पर्शी ज्ञान, जिससे भविष्य में स्वावलम्बनपूर्वक अपनी आजीविका चला सके । (३) देश की परिस्थिति और उसके प्रति अपने कर्तव्य का बोध । (४) राष्ट्रीय और आन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों और प्रवाहों का परिचय । (५) अपने राष्ट्र की राजनीति के मुख्य विषयों का ज्ञान । (६) — देश और विश्व की महाविभूतियों की जीवनियों का ज्ञान । (७) जगत् के मुख्य-मुख्य धर्मों—जैसे जैन, बौद्ध, वैदिक, ईसाई, इस्लाम, पारसी, यहूदी, आदि—का रहस्य, उनकी उत्पत्ति और उसके संस्थापकों के उद्देश्य का समन्वयात्मक ज्ञान । (८) साहित्य, विज्ञान और संगीत आदि कलाओं का अध्ययन । साहित्य, विज्ञान और संगीतादि कलाएँ तभी उपयोगी होंगी, जब उनसे रागवृत्तिके बदले सच्चि रसवृत्ति पैदा होकर उनका उपयोग स्वपरहितमें किया जायेगा । जिससे शृ गारिकवृत्ति-कामुक वृत्ति पैदा हो, वह साहित्य व कला और जिससे प्राणिमहार होता हो, प्राणियों के सत्त्व का हास होता हो, वह विज्ञान निकम्मे है ।

बालक-बालिकाओं की शिक्षाप्रणाली ।

स्त्री और पुरुष की शरीर-रचना में जितना नैसर्गिक अंतर है, उतना ही उनकी प्रकृति में भी प्रायः अन्तर देखा जाता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा श्रद्धा, सरलता सहिष्णुता और सेवा इत्यादि गुण विशेषमात्रा में होते हैं, पुरुषों में दृढता, साहस, कठोरता, हिम्मत आदि गुण विशेषमात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि समाज के मानसशास्त्रियों ने इन दोनों अंगों के स्वतंत्र और समान होते हुए भी विभिन्न कार्यों में उनकी पृथक्-पृथक् नियुक्ति की है, इस दृष्टि से उनके शिक्षण में भी आगे जाकर पृथक्-पृथक् दिशाएँ होनी चाहिए। यद्यपि कितना ही व्यवहार समानरूप से उन्हें रखना पड़ता है। अतः स्त्री-पुरुष दोनों की प्राथमिक शिक्षा समान हो और उसके लिए छोटी उम्र तक दोनों का सहशिक्षण हो, यह स्वाभाविक है।

परन्तु आज समाज में जिस प्रश्न की काफी चर्चा है, वह है कॉलेज में सहशिक्षण की। मुझे लगता है वयस्क युवकयुवतियों का अमर्यादित, अनियंत्रित रूप से साथ-साथ रहना नैतिक दृष्टि से हानिकारक है ही, नारीजीवन की उपयोगिता की दृष्टि से भी ऐसा शिक्षण अधिक आवश्यक नहीं है।

परिणाम

कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद शायद वह कन्या आगे जाकर वकील, डॉक्टर शिक्षिका या बैरिस्टर बने, किन्तु आखिर उसे विवाह तो करना ही पड़ेगा, विवाहित हो जाने के बाद उसका कार्यक्षेत्र स्वाभाविकरूप से ही बदल जायेगा। कदाचित् वह अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्षेत्र में नैतिक हिम्मत रख कर डटी रहे, फिर भी नारी के लिए अकेली उक्त दिशा की शिक्षा से काम नहीं चलेगा। पतिप्रेम, सततिपालन, गृहव्यवस्था इत्यादि कार्य तो उसके लिए अनिवार्य रहेगे ही।

दूसरे देशों की पद्धति, रीतिरिवाज, वातावरण और परिस्थिति के

कारण कदाचित् वहा की ऐसी शिक्षा स्त्रियों के लिए उपयोगी साबित होती हो, जैसे रूस में सतानोत्पत्ति के बाद उसके पालन का कार्यभार माता-पिता पर नहीं रहता, बचपन से वयस्क होने तक वहाँ की सरकार ही उसका भार उठाती है और उसकी सभी व्यवस्था कर देती है। परन्तु भारतीय संस्कृति और मनुष्य के सहज विकास की दृष्टि से यह भारत के अनुरूप नहीं है। भारत में चारित्र्य ही जीवन है। प्रेम, स्नेह और सेवा उस जीवनवृक्ष के रसीले फल हैं। इनका रसाम्बादन करने में भारतीय नारियाँ अपना सौभाग्य समझती हैं।

थोड़ी देर के लिए मान लें कि आज के समाज का पुनर्निर्माण हो और स्त्री-पुरुष दोनों को एक ही कार्य में नियुक्त किया जाय, फिर भी ऐसा सुशिक्षितवर्ग बिरला ही निकलेगा। फिर ६६ प्रतिशत स्त्रियों को माता बनना है तो तदनु रूप ज्ञान तो उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। यद्यपि पुरुष की अपेक्षा स्त्री किसी तरह नीची नहीं है। दोनों का दर्जा बराबर है और पुरुष की तरह स्त्री को भी शिक्षण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, तथापि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद अब सामाजिक उत्थान और आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में उसे महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करना है, यह न भूले।

नारीजीवन में उपयोगी कलाएँ

कई माता-पिता 'लड़की को कहा नौकरी करने जाना है या हुडियाँ लिखनी है कि उसे पढाया जाय।' ऐसा कह कर कन्या-शिक्षण के प्रति लापरवाह रहते हैं, कन्या को अक्षरज्ञान से वंचित रखते हैं। यह मान्यता नारीजीवन के विकास में महान् अवरोधक है। इसका दुःखमय फल बाद में उन्हें और कन्या को भी भोगना पड़ता है। अतः लड़की को महिलोपयोगी प्रत्येक कला और विद्या सीखनी चाहिए।

गृहस्थधर्म की दृष्टि से लड़की को अक्षरज्ञान के अलावा पाक-कला, बालपालन, घरेलू वैद्यक, सिलाई, कढ़ाई, कताई तथा गोपालन आदि तमाम गृहोद्योगों का ज्ञान सहज साध्य होना चाहिये।

इन उद्योगों और कलाओं का ज्ञान होने से वह भविष्य में अपने गृहस्थाश्रम को भी सुखमय बना सकेगी, कदाचित् वैधव्यजीवन बिताना पड़े तो भी वह स्वावलम्बी बनकर सुख से बिता सकती है ।

दाम्पत्य जीवन के सुख साधनों में मनोरंजन हेतु संगीतादि कलाओं की आवश्यकता जरूर है, पर है सीमित उद्देश्यपूर्ति तक ही । इस कला के विकास के लिए समाज में गरबा, रास आदि पद्धतियाँ प्रचलित थी ।

परन्तु अत्यन्त बारीर और मर्यादाहीन स्वाग सजकर पुरुषों के साथ क्लबों या कलामन्दिरों में नाट्यादि प्रयोग करना, पाश्चात्य सस्कृति के अनुकूल भले ही हो, भारतीय सस्कृति के तो बिल्कुल नहीं है । ऐसा करना कला का भौडा भद्दा प्रदर्शन है, जो सस्कृति-विघातक है व स्वपर-हिताय (सत्य के लिए) नहीं है ।

बालक की संगति कैसी हो ?

बालको का अधिकांश समय घर में बीतता है, इसलिए बालक के सस्कार चारित्र्य निर्माण पर, घर और पड़ोस के वातावरण का बहुत असर पड़ता है । अतः इसकी जाँचपड़ताल माता-पिता को करते रहना चाहिये कि हमारे बालक किन बालकों के साथ खेलते हैं ? उन बालकों के माता-पिता की खासियत कैसी है ? हल्के मस्कारों वाले बच्चों के साथ खेलने से या अतिसर्ग से अच्छे बालक भी प्रायः बिगड़ जाते हैं, उनमें कई ऐसी कुटेवे पड़ जाती है, जो जिदगी-भर नहीं छूटती । जैसे झूठी बीड़ी पीना, परस्पर गालीगलौज या मारामारी करना, अश्लील कुचेष्टाएँ करना आदि बुरी आदतें कुसंगति से ही बालक में पड़ती हैं । इसीलिए सुसंगति की ओर ध्यान देना चाहिए ।

सच्चा धन सुसंस्कार

सस्कारिता और शिक्षण ही सच्चा धन है, जिसे कोई छीन नहीं सकता । जो माता-पिता अपने बालको को ऐसे शाश्वत धन देने के प्रति लापरवाह बन कर बालक के लिए धातु के सिक्कों का संचय करते हैं,

और यह मानते हैं कि इससे बालक सुखी होंगे, सचमुच वे बहुत बड़े भ्रम में हैं। अपनी सतानों के हाथ में सचित धन देने से अक्सर वे दुखी होते हैं इससे उनके वैभवविलास मूर्खता और मद में वृद्धि होती है और फलतः भाई-भाई परस्पर लड़कर सम्पत्ति, प्रेम व शरीर तीनों को खोते हैं और अनेक दुर्गुणों के भाजन बन कर कुल को कलकित करते हैं। यह अनुभवसिद्ध बात है।

इसके विपरीत सम्स्कार-सचय करने से धन-सचय की तृष्णा से उत्पन्न होने वाले अनेक पाप, राष्ट्र-द्रोह और वीमारियों का अन्त आ जायगा और भूख से पीड़ित माताके पुत्रों के प्रति वे सहयोगी बन कर कर्त्तव्य पालन कर सकेंगे।

परन्तु सम्स्कार प्रदान करने में माता-पिता को बहुत ही फूंक-फूंक कर चलना होगा। बालको को गाली देना, उनके सामने झगडा, उन पर अत्यधिक गुस्से होना, उन्हें मारना-पीटना, उन्हें चिडाना या किसी वस्तु का लोभ बताकर काम लेना या डराना, उनके सामने किसी भी प्रकार की दाम्पत्य-क्रीडा करना, बालको को सुसस्कारी के बदले कुसस्कारी बनाना है।

अतः बालकों में सद्गुण, सदाचार और अच्छी आदतों का सम्स्कार-धन प्रदान करना माता-पिता का परम कर्त्तव्य है

बालक को शारीरिक शक्ति के लिए

कई देसमझ माता-पिता अपने बालको को हृष्टपुष्ट बनाने के लिहाज से दुष्पाच्य, गरिष्ठ या तामसी भोजन ठूस-ठूस कर खिलाया करते हैं, और वे इसे सतानप्रेम मानते हैं, परन्तु यह भयकर भूल है। बालको को स्वस्थ रखने और सशक्त बनाने के लिए सात्त्विक, मुपाच्य और सादा आहार देना चाहिए। साथ ही उन्हें व्यायाम की तालीम भी देनी चाहिए, जिसमें मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति विकसित हो।

बालिकाओं के प्रति

बालिकाओं को तो गृहकार्य में निपुण बनाना चाहिए ताकि उन्हें अनायास व्यायाम और स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ गृहोद्योगों का ज्ञान मिले तथा आर्थिक दृष्टि से भी फायदा हो। साथ ही बालिकाओं को माताएँ विशेषतः उत्तम प्रकार के सस्कारों का शिक्षण दें यह जरूरी है, क्योंकि पुत्र तो पुरुषजाति का होने से सदा स्वतन्त्र जीवन बिता सकता है, किन्तु पुत्री को तो विवाहित होने के बाद अपने स्वसुरगृह में रहना पड़ता है। अतः पुत्री सुसंस्कृत हो तो वह सहिष्णु, उदार और सुन्दर जीवन बिताकर अपने गृहस्थाश्रम को आदर्श बना सकती है।

कई माता-पिता अपने पुत्र-पुत्रियों के प्रति असमानता की भावना रखते हैं और तदनुसार व्यवहार भी करते हैं, यह भारतीय संस्कृति के लिए कलकरूप है। पुत्रजन्म होने पर खुशिया मनाई जाती है और पुत्री-जन्म होने ही घर में उदासीनता छा जाती है। इस भेदभाव के पीछे यह क्षुद्र स्वार्थवृत्ति काम करती है कि 'पुत्र तो धनोपार्जन करके देता है, जबकि पुत्री को तो धन देना पड़ता है, पुत्र घर में रहनेवाला है, जबकि पुत्री पराये घर जानेवाली है।' इस प्रकार की मनोदशा उच्च सस्कार के लिए बाधक है। आजकल के पुत्रों के बारे में माता-पिता का अनुभव विपरीत है, क्योंकि बहुत से पुत्र तो विवाहित होने के बाद समझ आने पर माता-पिता से अलग होजाते हैं पर पुत्रियाँ कष्ट के समय पूरी वफा-दारीपूर्वक माता-पिता की सेवा करती हैं।

संतान के विवाह के बारे में

आदर्श माता-पिता अपने पुत्र-पुत्रियों को उत्तम सस्कार और शिक्षण से सुसम्पन्न करके उनकी विवाहयोग्य उम्र होने पर, उनके योग्य पात्र देखकर, उनकी सम्मति लेकर गृहस्थाश्रम में जोड़ते हैं। यदि पुत्र-पुत्री की इच्छा पूर्ण ब्रह्मचर्यपालन करने की हो तो उन्हें तदनुकूल मार्ग की

सुविधा कर देते हैं। सामान्यतः पुत्र की २५ वर्ष की और पुत्री की १६ वर्ष की उम्र विवाहयोग्य मानी जाती है। इससे कुछ अधिक उम्र हो तो भी चल सकता है, क्योंकि इतनी परिणव उम्र होने पर ही गृहस्थाश्रम का भार वहन करने की क्षमता और पारस्परिक हिताहित का ज्ञान उनमें आता है। परन्तु खेद है कि समाज में इस परिपाटी का भंग होना दिखाई देता है।

कई उच्च घरानों में तो यह खासियत होती है कि बालक-बालिकाओं की अज्ञानावस्था में ही वचन में सगाई कर देते हैं, कई तो शादी भी कर देते हैं। यहातक कि कई माता-पिता तो खानदान लडका देखकर कच्ची उम्र में ही अपनी लडकी की शादी कर देते हैं, कई बार तो भ्रान्तिवश अपनी पुत्री की अपेक्षा कम उम्र के लडके के साथ विवाह सम्बन्ध जोड़ देते हैं। यह भी एक प्रकार का अनमेल विवाह है। नीतिकारों और शरीरशास्त्रकारों ने लडके-लडकी की विवाहयोग्य उम्र में ७-८ साल का अन्तर शरीरशास्त्र एवं मानवशास्त्र की दृष्टि से ही रखा है। देखिये मुश्रुत का वह पाठ :—

“पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे ।

ममत्वागतत्रयीं तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥”

पुरुष पच्चीसवें वर्ष में और स्त्रियाँ सोलहवें वर्ष में समानवयव होते हैं, ऐसा कुशल वैद्य समझे।

छोटी उम्र में शादी कर देने से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं —

(१) पति-पत्नी में उम्र का जो अंतर रहना चाहिये, वह नहीं रहता, फलतः दोनों की जोड़ी बराबर नहीं होती, और उनसे उत्पन्न होनेवाली मतान कुरूप और निर्बल होती है। (२) उम्र की असमानता से उनमें प्रकृति का मेल नहीं खाता। (३) अज्ञानदशा में हुए विवाह के कारण दाम्पत्य-प्रेम का प्रवाह समरूप नहीं रहता। (४) बाल्यवयव में ही स्त्री पर वैधव्यदुःख आ पड़ने की संभावना रहती है।

ऐसे बालविवाहो और अनमेलविवाहो मे माता-पिता दोनो जिम्मे-
वार है, क्योकि वह यह चाहती है कि मेरे घर मे जल्दी-से-जल्दी वह
आ जाय, पिता यह मानता है कि लडके की जितनी जल्दी शादी करदूँ
उतनी ही जल्दी कर्ज से मुक्त बनू । पर यह मनोदशा पुत्र-पुत्री के
भावी जीवन के लिये अतिघातक है ।

वृद्धविवाह तो माता-पिता की अत्यन्त स्वार्थवृत्ति का परिचायक
है । इसके दुष्परिणाम के नमूने के रूप मे एक ओर विधवा बहने साक्षी
है, दूसरी ओर आए दिन बहनो द्वारा होने वाले अग्निस्नान, कूप-सम-
र्पण आदि अश्राव्य बातें है । समाज की भयकर दुर्दशा करने वाली
और अबलाओ मे हाहाकार मचानेवाली ऐसी कुप्रथाओ का शीघ्राति-
शीघ्र काला मुह करना चाहिए और अपनी पुत्री की यथोचित सम्मति
मिलने पर ही उसका विवाह करने की सोचना चाहिए ।

कन्या-विक्रय और वर-विक्रय

ये दोनो कुप्रथाएँ विवाह से सम्बन्धित हैं । इसलिए माता-पिता को
इस वारे मे खूब सतर्क रहना चाहिए और किसी भी रूप मे इन कुप्रथाओ
का स्पर्श न होने देना चाहिये । जो माता-पिता अपनी सतान को पैदा
करके बेचते है, वे पशु से भी अधम है, उनमे सतान के प्रति वात्सल्य
की एक बूद भी नही है । अहिंसक और सभ्य समझे जानेवाले कुटुम्बो
मे ये कुप्रथाएँ तो सचमुच निर्दयता की पराकाष्ठा ही है ।

कन्या-विक्रय और वर-विक्रय इन दोनो कुप्रथाओ मे नारी-जाति
का घोर अपमान और हिंसा है । मनुस्मृतिकार कहते है —

‘गृहश्छुल्क हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ।’

जो मनुष्य अपनी सतान का विक्रय करता है, थोडा-सा भी धन
लेता है, वह अपनी सतान का व्यापार करने वाला अधम गिना
जाता है ।

कन्या-विक्रय करने वाले माता-पिता भले ही विपत्ति के खातिर ऐसा करते हो,—अधर्मी हैं, क्योंकि मानव-धर्म की कसौटी आपत्काल में ही तो होती है। कन्या-विक्रय करनेवाले पहले अपनी आत्मा को वेचते हैं, क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वरूप है। अन्तःकरण में प्रेमरस सूख जाता है तभी आत्मस्वरूपघातक यह निर्दय कार्य होता है। जो माता सुगील होती है वह अपने पति को ऐसे समय में अच्छे विचार सुभा कर कर्त्तव्य में दृढ़ करती है। परन्तु अफसोस है कि कई बार स्वयं माता ही गहने, धन या वस्त्र आदि के क्षुद्र प्रलोभन या स्वार्थ में फँस कर ऐसे दुष्ट-कार्य में सम्मत हो जाती है। यदि माता सम्मत न हो तो अवश्य ही यह कार्य रुक सकता है। परन्तु अज्ञान और स्वार्थान्धतावश ऐसी नारियाँ ही अपनी नारी-जाति की दुर्दशा करने में कारण बनती हैं। स्वार्थान्ध माता-पिता अपनी कन्या का अयोग्य वर के साथ गठजोड़ करने में नहीं चूकते, और कहते यह मुने जाते हैं, 'कन्या और गाय, जहाँ दे वहाँ जाय।' कन्या की भावी कष्टकथा एवं अन्तर्वेदना के पाप में ऐसे ही माता-पिता हिस्सेदार बनते हैं। चार कारणों से कन्या-विक्रय होता है—(१) पिता कर्जदार हो, (२) पहले अच्छी स्थिति में हो और बाद में निर्वन हो चुका हो, (३) वेकार होने से सामाजिक कुरुडियो प्रीतिभोज, दहेज आदि के पालन में विवश हो, (४) अपने पुत्र का विवाह करने के लिए पुत्री के पैसे लेता है। अतः समझदार माता-पिता को अपना कर्त्तव्य समझकर कन्या को कुछ-न-कुछ देते रहना चाहिये।

आजकल तो कन्या-विक्रय की अपेक्षा वर-विक्रय बहुत जोरो से चलता है। जिस समाज में कन्याएँ अधिक सख्या में हो, वहाँ ऐसी कुप्रथा प्रचलित होती है। इस कुप्रथा के फलस्वरूप पुरुष एक पर दूसरी और तीसरी स्त्री लाते नहीं शरमाता। फिर मौतो में परस्पर डाह, कलह, द्वेष आदि दुर्गुण बढ़ते हैं। इससे स्त्रीजाति का अवनतन होता है। आजकल तो पढ़े-लिखे लड़के हो तो उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, लड़के के माता-पिता लड़की के पिता से तिलक, बीटी, आदि के रूप में लड़के

की पढाई का विदेश जाने का खर्च या, रेडियो सेट, स्कूटर, घडी, सोना या नकद रकम आदि मागा करते है, लडका भी इसमे सहमत होता है। इस प्रकार मुहमागे भाव मे लडका विकता है। इस मुपतखोरी और नीचता की भी कोई हद है। प्रायः उच्च मानो जानी वाली कौमो मे यह कुप्रथाएँ घर की हुई है। ज्ञातिपच मिष्ट भोजन या धन की थैलियो से लुब्ध होकर सरेआम होने वाले, ऐसे गुनाहो के प्रति आख-मिचौनी करते है। धीरे-धीरे ऐसे गुनाहो की सख्या बढती जाती है, तब ये घातक कुप्रथाएँ पच जाती है, इन्हे छोडने का मन ही नही होता। सचमुच समाज और समाज के अगुआ ऐसे पापो के लिए अधिक जिम्मे-वार हैं। ऐसी घोर कुप्रथाओ को उखाडने के लिए युवक-युवतियो को प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिए।

विवाह के समय पोशाक, गीत आदि के बारे में

विवाह के समय समाज मे विभिन्न जातियो मे अलग-अलग नाना प्रथाएँ है, उनमे कई प्रथाएँ तो अत्यन्त घातक है। समाज मे दु ख और वैषम्य पैदा करने वाली है। माता-पिता के कर्त्तव्य से सम्बद्ध होने से यहाँ उनमे से कुछ पर विचार करना अत्यावश्यक है—

समाज या जाति मे सब एक सरीखी हैसियत के नही होते, किन्तु जाति मे अपनी प्रतिष्ठा तो सभी वरकरार रखना चाहते है। धनिक लोग तो उसके लिये हज़ारो रुपये बिना किसी प्रकार का आगे-पीछे का विचार किए फूक देते है और जाति या समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते है, परन्तु निर्धन व्यक्ति कन्या-विक्रय या वृद्ध के साथ कन्या का गठजोड करके या अनीति से द्रव्य कमाकर इसकी पूर्ति करता है और अपनी प्रतिष्ठा वरकरार रखता है। भले ही उसकी हैसियत न हो, विवाह के समय कीमती पोशाक वर-वधू या अमुक सम्बन्धियो को धारण करना ही चाहिये, इसके बिना अपना पोजीशन अच्छा नही दीखेगा, और फिर तुरा यह कि दुलहिन के लिए २५-२५ जोडी कीमती कपडे हो तभी शोभा है।

ऐसे पापमूलक रिवाजों से समाज रसातल में चला जाता है। फैशनेबल और वारीक, अधिक न चलने वाले इन खर्चीले वस्त्रों में कितनी हिंसा और कितनी आर्थिक कठिनाई है ? इनकी सिलाई के पीछे ही बहुत-सा द्रव्य वर्वाद किया जाता है ? इसमें कौन-सी शोभा है ? कुछ समझ में नहीं आता।

इसके अतिरिक्त गहनों के पीछे भी बहुत बड़ा खर्च किया जाता है। आजकल तो अद्यतन फैशन के गहनों की घडाई में धातु की कीमत की अपेक्षा ज्यादा खर्च होता है, फिर बेचने जाए तो आधे दाम भी नहीं मिलते। आभूषणों को स्त्रीधन मानकर, उसके सुखदुःख के लिए उन्हें सुरक्षित रखा जाता था, वह उद्देश्य आज भुला दिया गया है। वह आजकल के गहनों से पूर्ण भी नहीं होता। कई निर्धन कुटुम्बों को तो किसी से गहने-कपड़े उधार लाकर या भाड़े पर लाकर इस रूढ़ि को पोसना पड़ता है। गहनों से ही शोभा है, यह वस्तु आज अविश्वसनीय और युगबाह्य हो गई है। उलटे, कईवार तो गहने स्त्रियों की जान को जोखिम में डालनेवाले बन जाते हैं। समझदार और सम्पन्न माता-पिताओं का कर्तव्य है कि वे इस कुरूढ़ि को तोड़े और अपनी पुत्रियों को सुसंस्कारों और सद्गुणों के आभूषणों से सुसज्जित करें, जिससे समाज में धन के बदले सद्गुण की प्रतिष्ठा हो, निर्धनों को भी समाज में वाङ्मय सद्गुण बढ़ाने का मौका मिले और आर्थिक दृष्टि से समाज समृद्ध बने।

विवाह प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत सुमधुर, कर्णप्रिय, शिक्षाप्रद और सद्गुणवर्द्धक होने चाहिये। अश्लील गीतों से या अश्लील विनोद से बालकों के कोमल मानस पर बुरे संस्कार जम जाते हैं, वातावरण भी भद्दा और शृ गारयुक्त बन जाता है यह समाज की संस्कारिता में बाधक है।

विवाह विधि

जिस विधि के द्वारा गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का निर्देश और दम्पति

में पारस्परिक प्रतिज्ञाएँ ली जाती है, उसे विवाह-विधि कहते हैं। प्राचीन काल में इस विधि का अत्यधिक महत्त्व था, यह सप्तपदा के मंत्रों और प्रतिज्ञा-सूत्रों से स्पष्ट परिलक्षित होता है। आजकल तो ऐसी पवित्र और उपयोगी विवाहविधि 'समोर्तं शुभलग्न आरोग्यं, शुभं भवतु। समो वरते सावधान।' इस प्रकार के मंत्रों को अशुद्ध, अस्पष्ट और अर्थ समझे-समझाए बिना ही बोलकर अपठ या अर्ध-विदग्ध जोशी महाराज द्वारा जैसे-तैसे पूरी की जाती है। विवाहविधि प्रायः रात को चलती है, वारह एक बजे तक। लग्नमण्डप में बैठे हुए वर-वधू नीद के भ्रोकों के साथ इन सब क्रियाओं को निरुत्साहपूर्वक पूरी करते हैं। कन्यापक्ष के लोगों को भी अरुचि से ही इस सारी क्रिया में जुटना पड़ता है, क्योंकि वे सारे दिन के कार्यों से थककर चूर-चूर हो जाते हैं, फिर यह निरस विधि।

साथ ही दुल्हे की सासू भी प्रतीक रूप में कई चीजें (मूसल, तकुआ आदि) बताकर जाती है उसके रहस्यार्थ को वह स्वयं भी नहीं समझती तो उसके दामाद को तो पता ही कैसे हो ?

समाज के प्रभावशाली माने जाने वाले अगुआ लोगों को लड्डू खाने में और बरातियों को खासी बड़ी बरात लेकर जाने और कन्या के अभिभावकों को कष्ट में डालने में जितनी दिलचस्पी होती है, उतनी दिलचस्पी अगर गृहस्थाश्रम-प्रवेश के इस मंगलकार्य की विधि व सज्ञात्मक चिह्नों के पीछे रही हुई प्रेरणा एवं बोध स्वयं समझकर दम्पती को सम्पूर्णतः रहस्य के साथ समझाने में हो तो गृहस्थाश्रम में पद-पद पर आनेवाली विडम्बनाएँ अनायास हल हो जाय।

विवाह-प्रसंग पर थोड़े-से मनुष्य, सादगी और एक समय का प्रीति-भोज तथा दो या तीन घण्टे में किसी अच्छे, प्रौढ विद्वान् एवं गृहस्थाश्रम के अनुभवी से शान्तिपूर्वक सार्थ विवाहविधि का आयोजन किया जाय तो ऐसे अवसरों पर व्यर्थ खर्च जाने वाले बहुत से समय और धन की

रक्षा हो और विवाह में घाघली के बदले आदर्शता आए ।

कन्या को ससुराल जाते समय सीख

जो कन्या सोलह-सत्तरह वर्ष तक कुटुम्ब के स्नेहमय वातावरण में पली है, जिसने माता का वात्सल्य, पिता का लाड और भाइयों के मीठे स्नेह सस्मरण का स्वर्गीय आनन्द लूटा है, अपनी प्रेमल सखी सहेलियों के साथ जो हँसी, खेली कूदी है, उसे उन सबके आनन्द को छोड़कर और जन्मभूमि की ममतामयी गोद को छोड़कर अजाने, अननुभूत और अपरिचित वातावरण में अपने को फिट करना पड़ता है, तब उसकी मानसिक स्थिति कितनी करुण, कितनी वेदनापूर्ण होती है । इस दृश्य की कल्पना सचमुच कवियों के लिए भी अगम्य है ।

ऐसे प्रसंग में माता का हृदय विदीर्ण होता है । उसकी आँख में प्रेमाश्रु बहने लगते हैं । हृदय गद्गद् हो जाता है, वाचा अवरुद्ध हो जाती है । इसी समय उसके वात्सल्य की कसौटी होती है—विदाई की सीख के रूप में । फिर भी अपने जलते हृदय को कर्त्तव्यजल से उपशान्त करके पुत्री के स्नेहाश्रुओं को पोछनी और गोद में लेती वात्सल्यमयी माता जब विदाई की शिक्षा देती है, उस समय 'जननीनी जोड सखि । नही जडे रे लोल' वाली बोटदकर कवि की काव्यपक्ति का दृश्य साकार हो जाता है । उस समय मातृहृदय 'अभिजान शाकुन्तल' के श्लोक द्वारा अपनी हितशिक्षा व्यक्त करता है —

‘शुश्रूपस्व गुरुन् कुरु प्रियमखीवृत्तिं सपत्नीजने,
भर्तुर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मास्स प्रतीपंगम ।
भृयिष्ठं भव ढञ्जिणा परिजने भाग्येऽवनुत्सेकिनी,
यान्त्येव गृहिणीपठं युवतयो वामा कुलस्याधय ॥’

बेटी ! सामु, समुद और वुजुगों की भक्तिपूर्वक सेवा करना । उनके स्वभाव या दुर्गुणों की ओर नहीं देखना । तेरी देवराणी, जिठानी आदि के साथ सहेली की तरह प्रेमल व्यवहार करना । पतिप्रेम की प्रतिक्षण

आकाक्षा करना, स्वप्नमे भी उसके साथ रोष न करना और न उसके रोप का निमित्त बनना । तेरे आश्रित रहने वाले लोगो पर अमृतदृष्टि रखना, उन पर दया करना । दाम्पत्य-जीवन मे पति के सुख-दुःख मे सहभागिनी बनना । वस्त्र, आभूषण और खानपान का मोह न करना । गरीबी मे शोक और अमीरी मे हर्ष न करना । इतनी योग्यता तुम्हे गृहिणी पद के योग्य बनाएगी । जो युवतियाँ इसके अनुसार नहीं चल सकती, वे गृहिणी पद के योग्य नहीं हैं ।”

माता की यह अन्तिम हितशिक्षा दाम्पत्यप्रेम का मधुर आशीर्वाद है । जो माता ऐसे उद्गार प्रगट करती है, उसकी पुत्री का गृहस्थाश्रम भी वैसा सुन्दर बनता है ।

ऐसी सासुएँ अपने दामाद को भी पुत्रवत् मानती हैं और उसके हित के लिए सदा जागृत रहती हैं । अपनी पुत्री के गुण-दोषो को खुले हृदय से उसके आगे प्रस्तुत करके उसका मार्ग सरल बना देती हैं ।

कई माताएँ इस कर्त्तव्य को नहीं समझती, वे वचपन से ही अपनी लडकियो मे हल्के सस्कार डालती हैं । “बेटी ! अच्छा-अच्छा खाना, अच्छे-अच्छे कपडा पहनना, गहनो से शरीर को सजाना, पति भले ही गरीब हो या बेकार हो” ऐसे सस्कारो से युक्त लडकी अपने ससुराल मे जाकर स्वयं भी सुखी नहीं हो सकती, दूसरो को भी सुखी नहीं कर सकती, उसको दृष्टि स्वार्थ की ओर ही रहती है । इससे वह छोटी छोटी बातो मे देवरानी, जिठानी सासु आदि के साथ लडती-भगडती रहती है । फिर ऐसी क्रोधी और तुनुकमिजाजी लडकियो को पीहर मे जो माताएँ आश्रय देकर, उत्तेजित करती हैं, उनका पक्ष लेती हैं, वे अपनी पुत्रियो के मधुर गृहसभार मे जहर धोलती हैं । ऐसी माताएँ शत्रु का कार्य करती हैं । अतः हितैषी माता को प्रारम्भ से ही अपनी पुत्री के सच्चे हित के लिए दीर्घदृष्टि से अच्छे सस्कार और शिक्षण देने का श्रयत्न करना चाहिए ।

विवाह के बाद

इस प्रकार वयस्क होने पर पुत्र-पुत्री की विवाहादि क्रिया निपट जाने के बाद उनके माता-पिता अपनी जिम्मेवारी से बहुत अंशो में मुक्त होते हैं। यद्यपि पिता की हित बुद्धि और माता की विमल वात्सल्य-गंगा तो जीवन भर पुत्र-पुत्री पर बहती रहेगी ही, वह कभी सूखेगी नहीं, परन्तु कार्य की जिम्मेवारी का बोझ तो उन पर से जरूरी उतर जाता है।

पुत्री के अपने समुराल चले जाने के बाद अपने पीहर में कभी-कभी उत्सव, त्योहार, या मुख-दुःख प्रसंग पर आगमन होता है। फिर भी उसका पितृगृह का प्रेम तो अखण्ड रहता है। लडकी जब-जब अपने पीहर आए तब उसे सुख-दुःख आदि के प्रश्न पूछ कर उसके दुःख दूर करने, उसकी सामाजिक-आर्थिक कठिनाई को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वमुरपक्ष के साथ मुमेल रखाना, सामु-समुर आदि की सेवा करने, उनके सुख दुःख में भाग लेने आदि की शुभ शिक्षा देनी चाहिए। कन्या का जीवन पुत्र की अपेक्षा दयनीय होने से उसके जीवन की देखभाल रख कर उसे सुखी बनाने का माता-पिता का कर्त्तव्य अन्त तक है।

पुत्र के वयस्क हो जाने पर उसके साथ माता-पिता को मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में विधान है। वयस्क पुत्र की सम्मति प्रत्येक कार्य में लेनी चाहिए। उसकी सम्मति लेने में उमका हृदय प्रेमल और प्रफुल्ल रहता है। कदाचित् उम्र के अनुपात में उमके विचारों के साथ थोड़ा अन्तर हो तो उमके विचार मुनना और दीर्घदृष्टि में विचार करने के बाद ग्राह्य हो उन्हें ग्रहण करना और ठीक न हो तो उन्हें सुधारने के लिए मधुर शिक्षा देनी चाहिये किन्तु उमके विचारों का तिरस्कार न करना चाहिए। तिरस्कार करने से तो उमका दिल दुखेगा और प्रेम में क्षति पहुँचेगी। उमके सत्कार्य और सद्विचार में सहयोग देकर उसका उत्साह बढ़ाना लेकिन रोड़ा न अटकाना चाहिए। अगर वह व्यवहार से

अनभिज्ञ हो तो अपना व्यावहारिक अनुभव बता कर प्रेमपूर्वक उसके जीवन विकास में सहायक बनना पिता का कर्त्तव्य है। माता का वात्सल्य तो सदा पुत्र पर अखण्ड ही रहता है। फिर भी अधिक पुत्र हो तो सब पर समान प्रेम रखना चाहिए। अगर किसी की भूल होती हो तो मातृ-हृदय के योग्य उचित मार्गदर्शन करना भी माता का कर्त्तव्य है। ऐसे व्यवहार से जीवन के अन्त तक सारा कुटुम्ब स्नेहामृत और सस्कारसुधा से परिपूर्ण रहता है और वह वातावरण कई पड़ोसी कुटुम्बोंके लिए भी अनुकरणीय बन जाता है।

पुत्र का माता-पिता के प्रति कर्त्तव्य

अपने ससुराल जाने के बाद पुत्री का कर्त्तव्यक्षेत्र विभक्त हो जाता है, उसे विशेष कर्त्तव्य अपने पति, सामु, ससुर, ननद, देवर, जेठ, देवरानी जिठानी, आदि के प्रति बजाना पडता है। इससे माता-पिता के प्रति उसका कर्त्तव्य क्षेत्र सहज ही परिमित हो जाता है। और सामान्य कर्त्तव्य जो अपने माता पिता के प्रति होने चाहिये, वे तो उसमे स्वाभाविक रूप में रहते ही हैं।। परन्तु पुत्र के वयस्क हो जाने पर जितने अग में उसके माता-पिता कर्त्तव्य मुक्त होते हैं, उतने ही अग में पुत्र का अपने माता-पिता के प्रति नवीन कर्त्तव्य क्षेत्र प्रारम्भ होता है। परन्तु अवि-कागन यह देखा जाता है कि पुत्र के पत्नी आते ही वह माता-पिता को घर में निकालने या उनकी अवहेलना करके उनसे अलग होने अथवा उनकी आज्ञा न मानने का प्रयत्न करता है। पुत्र की यह कर्त्तव्य-भ्रष्टता माता-पिता के अन्त करण को अतीव व्यथित करती है। वर्षों तक अनेक नकलीफें उठाकर जिन माता-पिता ने अपने पुत्र की ओर से अब शान्ति और निवृत्ति की आशा रखी हो, उनके प्रति पुत्र की ऐसी क्षुद्र वृत्ति से उनकी आशाओं पर तुपारापात हो जाता है।

ऐसे भग्न हृदय माता-पिताओं के अभिशाप या अन्तर की आहें जिस पुत्र पर बरसती हैं, वह भले ही धन सम्पन्न हो, किन्तु उसके अन्तर के किसी कोने में इस अकार्य का गहरा दुःख अवश्य पैदा होता है। जिसे मिटाने के लिए बाहर की अन्य सामग्री निरर्थक मावित होती है।

कई पुत्र तो अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने तक के लिए भी तैयार नहीं होते। अगर कोई दूसरा करता है तो उनकी ओर

तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। उन अशक्त और वयोवृद्ध माता-पिता को निवृत्ति और सतोष देने के बदले उनके दिल में क्लेश और सताप उत्पन्न करते हैं, उनके ब्रूते से बाहर उनसे श्रम करवाते हैं।

कई कुलीन कहे जाने वाले पुत्र तो माता-पिता के भरण पोषण के लिए परस्पर भाई-भाई लड़ते हैं, उन्हें अलग रखते हैं, खर्च देने के लिए आनाकानी करते हैं। कई जगह तो दो भाई हो तो उनमें से एक माँ का भरणपोषण करता है और एक पिताजी का। इस तरह बटवारा कर लेते हैं।

अपने मौज, शौक और ऐशोआराम के पीछे हजारों लाखों का धुआ उड़ा देने वाले सपूतों को अपने माता-पिता का भरणपोषण करना खटके या भारी पड़े, यह स्वार्थान्धता की पराकाष्ठा और अधमता की परि-सीमा है। इस प्रकार के कार्य से मानवता का महान ह्रास है।

माता-पिता की सेवा के संस्मरण

“ऊढो गर्भं. प्रसवसमये सोढमत्युग्रशूलं,
पथ्याहारै स्वपनविधिभिः स्तन्यपानप्रयत्नैः ।
बिष्टामूत्रप्रभृतिमलिनैः कष्टमासाद्य सद्य-
स्त्रात. पुत्र कथमपि यया, स्तूयतां सैव माता ॥

नीतिशास्त्र के इस श्लोक में मातृ-सेवा कितनी बेजोड़ होती है, उसका दिग्दर्शन कराया गया है। गर्भ में आने से लेकर वयस्क होने तक बालक के जीवन का मुख्य आधार माता है। प्रथम तो वह गर्भ का भार नौ-नौ मास तक वहन करती है। गर्भ को लेशमात्र भी दुख न हो, इसके लिए वह वात्सल्य मूर्ति अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग कर देती है, खानपान के स्वाद और रसवृत्ति पर सयम रख कर सादा और सामान्य आहार लेती है। गर्भ को जरा भी तकलीफ न हो इसलिए उठना, बैठना, बोलना, चालना आदि अपनी हर क्रिया बड़ी सावधानी से करती है। प्रसव के समय वह अपार और असह्य कष्ट सहती है।

परन्तु प्रसव के बाद ज्यो ही अपने हृदयघन बालक की ध्वनि सुनती है कि सारा दुःख भूल जाती है, उसके मुख पर मृदु हास्य रेखाएँ उभर आती हैं। कितना अगाध वात्सल्य ! जन्म होने के बाद बालक का स्वास्थ्य सुन्दर रहे, इसके लिए माता खानपान आदि में पूर्ववत् सयम रखती है और जब-जब जरूरत हो तब अपने सभी कार्य छोड़ कर बालक को स्तनपान कराती है। स्वयं अन्य सब काम करती हो, फिर भी उसका ध्यान तो अपने बालक में ही होता है। बालक की हसी से माता के दिल में स्वर्गीय आनन्द और बालक के रुदन में आँदासीन्य छा जाता है। अपनी ममतामयी गोद में सुला कर वह नन्हे शिशु को पपोलती है, मस्तक पर वात्सल्यमय हाथों से सहला कर बालक को हिलाती है, पालने में झुलाती है। कितने मीठे वचन और कितने अमृत भरे नयन !

माता के साथ विछीने में मोया हुआ बालक मूत्र या विष्ठा से उसके उत्तम वस्त्रों को बिगाड़ देता है, फिर माँ बिना किसी क्षोभ से साफ करती है। नन्हे मुँह को सूखे में सुलाती है, रात भर कभी-कभी जागरण करती है, कभी भरनीद में बालक का रुदन सुन कर जाग उठती है। ऐसे अनेक कष्टों में भी जिसका वात्सल्य-प्रवाह अखण्डित रहता है, ऐसी कोई भक्तिमती सेविका हो तो वह सिर्फ माता ही है। मारे जगत् में जिसकी जोड़ का कोई नहीं है ! चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, पानी आदि जगत् के महान् उपकारी हैं, किन्तु जननी के अनन्त उपकार के सामने उसके उपकार नगण्य मालूम होते हैं। जननी के गुणों की सच्चा अपार है। ऐसी पारावार उपकारिणी जननी को कोटिश वन्दन !

पिता का स्नेह भी अनुलनीय है। पुत्र के लालनपालन के पीछे उसके समय और शक्ति का काफी हिस्सा है। बालक के लिए वह अपनी प्यारी-से-प्यारी सम्पत्ति को न्यौछावर कर देता है। उसके सुख के हेतु पिता की सेवा का पर्याप्त हिस्सा है।

अधमता का परिचय

किन्तु उस वात्सल्यप्रवाहिणी, अनेकोपकार कारिणी पूजनीय माता

को “चुपचाप बैठी रह, ‘अधिक बडबड मत कर’ और उपकारी पूज्य पिता को “बस, बूढ़े होगए, ‘साठी बुद्धि नाठी’ होने से बुद्धि सठिया गई है,” ऐसे तिरस्कृत वचनो और अपमानसूचक विशेषणो से जब आज के कलियुगी बेटे पुकारते हैं, तब माता-पिता को बडा दु ख होता है । सच-मुच यह भारत का दुर्भाग्य है । ऐसे लोगो की वृत्ति पशुओ से भी गई ब्नीती है ।

अगर आधुनिक शिक्षा लडको मे ऐसी निष्ठुर वृत्ति पैदा करती हो तो ऐसी शिक्षा को शीघ्रातिशीघ्र तिलाजलि देनी चाहिए । इसकी जरा भी आवश्यकता नही है । जिस वातावरण मे ऐसी दुस्वार्थवृत्ति पैदा होती हो उसका भी नेस्तनावूद होजाना श्रेयस्कर है । जो धन या अधिकार माता-पिता और पुत्र के बीच या भाई-भाईयो के बीच भगडा पैदा करता है उस धन को दफना कर और उस अधिकार को तिलाजलि देकर गरीबी मे दिन काटना मानव-सस्कृति के लिए अधिक सलामत राह है ।

अभक्ति के कारण

माता-पिता के प्रति पुत्र मे ऐसी अभक्ति पैदा होने के मुख्य कारण ये हैं —

१ उम्र का मद—जवानी, धनप्राप्ति और अधिकार ये तीनो जहाँ मिलते हैं, वहाँ प्राय अविवेक भी आकर अपना अड्डा जमा लेता है । जिससे पुत्र जवानी के नशे मे माता-पिता के पूर्व उपकारो को विस्मृत हो जाता है, कर्त्तव्याकर्त्तव्य का भान नही रहता । इससे वह माता-पिता को कुछ नही गिनते । पूर्वोक्त चारो की चाडाल-चौकडी मिलकर स्वच्छन्दता को बढाती है । अधिकार और धन का मद भी कर्त्तव्यभ्रष्ट बनाता है । ऐसी स्वच्छन्दता आजकल बहुत से युवको मे दृष्टि-गोचर होती है । इसको वे स्वतन्त्रता मे खपाते हैं, यह कह कर कि हम तो स्वतन्त्र रहना चाहते हैं, आज स्वतन्त्रता का जमाना है । परन्तु यह निरी स्वच्छन्दता

ही है, जिसके कारण उनके विचार और उत्साह अत्युच्च होते हुए भी वे आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत-सी बार ठोकर खाते और मारे-मारे फिरते हैं। ऐसे युवकों को नियमों की अधीनता लेशभर भी अच्छी नहीं लगती, वे स्वैर (स्वच्छेद) विहार पसंद करते हैं। अपनी स्वेच्छाचारी वृत्ति के कारण वे समाज की शुद्ध प्रणालि को और नियमों को तोड़ते देर नहीं लगाते। इसमें समाज में अव्यवस्था बढ़ती है। समाज के रूढ़िपरायण अगुआ ऐसे स्वच्छेदी युवकों को नास्तिक कह कर इसके प्रति अपना कर्त्तव्य चूक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी अहितकर रूढ़ि से जरा-सा भी टक्का से मस नहीं होना है। फलतः अराजकता बढ़ती है।

युवक की इस स्वच्छेदी प्रवृत्ति का चेप प्रायः उसकी सहचारिणी को लगता है। फलस्वरूप दोनों नैतिक कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह होते जाते हैं। और नाटक, सिनेमा, आमोद-प्रमोद, सैरसपाटे, खोटे नखरो और फैशन में अत्याधिक धन बर्बाद करते हैं, अपनी हैसियत की ओर नहीं देखते। अपने घर की लगाम खुद के हाथ में आजाने से वे कमाने के बजाय खर्च अधिकाधिक करते जाते हैं। बुरी सोहवत से भी वे कई दुर्व्यसन और बुराइयों के शिकार हो जाते हैं।

पुत्र की ऐसी स्वैच्छाचारिता देख कर माता-पिता उसे रोक-टोक करते हैं तो वह उसे जरा भी सहन नहीं होता, उनकी भली सीख भी सुनने को वह तैयार नहीं होता। फलस्वरूप माता-पिता के साथ उसकी हर बात पर ठनती रहती है। माता-पिता के प्रति अभक्ति होने का एक कारण यह भी है।

२ विचारों की अग्रमानता—कई बार पुत्र को माता-पिता के विचारों से मेल नहीं खाता। इससे अग्रहिणु और उद्वेग युवक तो माता-पिता से झगड़ने लग जाते हैं और मधुरस्नेह में क्लेश के जहरीले बीज बो देने हैं। इसमें माता-पिता भी कुछ अंश में दोषी होते हैं। कई माता-पिता रूढ़ियों के इतने गुलाम और अज्ञान होते हैं कि वे 'पहले से

चली आती है' 'बावा वाक्य प्रमाणम्' इत्यादि कह कर लकीर के फकीर होते हैं, गतानुगतिकता से एक इंच भी इधर उधर होने को तैयार नहीं होते। विचारक और समझदार पुत्र के द्वारा धार्मिक क्रिया या समाज की अमुक रूढ़ि या रीतिरिवाज के बारे में जिज्ञासापूर्वक कुछ भी पूछे जाने पर या दलील करने पर रूढ़िदास माता-पिता तुरत भडक उठते हैं और कहने लगते हैं—तू कल का नादान छोकरा क्या जाने इसमें? क्या हमारे बाप दादे मूर्ख थे जो उन्होंने यह प्रथा चलाई! तू अब अविनीत हो गया है, नास्तिक है, अधिक पढ लिख कर तर्क करना सीख गया है। कई पिता तो गुस्से में आकर गालियों की बौछार शुरू कर देते हैं या वयस्क पुत्र के थप्पड भी मार देते हैं। इस प्रकार वयस्क पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका भान न रहने से वे उसके मन को धुब्ब कर देते हैं। ऐसे कारणों से अपने बुजुर्गों के प्रति उसका हार्दिक आदरभाव या पूज्यभाव सूख जाता है, परस्पर असतोष बढ़ता है। कई पुत्र सभ्यतावश चुपचाप यह सह लेते हैं परन्तु मनमुटाव के सस्कार उसकी मानसभूमि में बढ़ते जाते हैं। इसी दौरान में कभी आवेश या उच्छृंखलता आ जाय तो वह असतोष कार्यरूप में भी परिणत होना संभव है।

परन्तु अगर माता-पिता उसके विचारों को सुनकर उनमें कहीं त्रुटि या दोष देखकर सुधारने का कहे तो समझदार पुत्र को सहनशील और उदार बन कर अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए और उनकी कोई बात गले न उतरती हो तो भक्ति और प्रेम से उन्हें सत्य समझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

३ सासु-बहू की अनवन—सासु बहू में अनवन भी मातापिता के प्रति पुत्र की अभक्ति का कारण बन जाती है। यह दो कारणों से पैदा होती है—कार्य और विचार में पारस्परिक असहिष्णुता और नोकझोंक तथा मामूली झूल होते ही टोकने का स्वभाव। समझदार स्त्री ऐसी

मामूली बातों को अधिक महत्त्व नहीं देती और अपनी सासु के साथ मुमेल साव लेती है, सेवा से उसका दिल जीत लेती है। कइ सासुओं में यह खूबी होती है कि वे अपनी जवान पुत्रवधुओं को प्रेम की गाँठ से बाँध कर मुराह पर चलाती रहती हैं। परन्तु अविवेकी और असहिष्णु सासुएँ बात-बात में कलह मचा देती हैं और पुरुषों को अपना हथियार बनाती हैं। इसके कारण पुत्र की भी माता के प्रति और साथ ही पिता के प्रति भक्ति कम हो जाती है। इस कारण का विस्तृत विवेचन इस खंड के चौथे प्रकरण में किया गया है।

पुत्र सहिष्णुता और उदारता रखें

असहिष्णु माता-पिता से कई भूलें समाज की परिस्थितिवश होती हैं। बहुत-से माता-पिता तो भोले और वेममर्क होने के कारण ऐसी भूलें कर बैठते हैं। उन्हें अपने पुराने जमाने का अनुभव होता है, उसी के सस्कारों की परतों उनके दिमाग में जमी होती हैं, उन्हें नये जमाने की हवा का अमर कम होना स्वाभाविक है। ऐसे माँके में सबसे अधिक जिम्मेवारी पुत्रों की हो जाती है। माता के अनन्त उपकार से वे दवे हुए हैं। माना कि उनमें जवानी की चुलबुलाहट है, शिक्षा और सस्कारों की शक्ति भी है, फिर भी ये सब माता-पिता से प्रायः प्राप्त हुए हैं। इसलिए वे अपने विचार और व्यवहार से भले ही कुरुडि और कुरीति का परिहार करें, पर जोश के साथ होश और सहिष्णुता को न खोएँ।

मातृ-पितृ-सेवा

जो युवक अपने माता-पिता की सेवा भी नहीं कर सकते, वे अपने कुटुम्ब, समाज, या राष्ट्र की सच्ची भक्ति करने के लायक नहीं हो सकते। क्योंकि सेवा का प्राथमिक क्षेत्र अपने पवित्र बुजुर्ग ही है। शास्त्रों में माता-पिता को जगमतीर्थ बताया है। धर्मजपुत्र और भक्त श्रवणकुमार ने अपने कंधों पर बहगी डालकर उसमें माता-पिता को बिठा कर पैदल घूमकर उनकी भावना पूर्ण की थी। जिसकी यशोगाथाएँ आज भी गूँज रही हैं।

सदा माता-पिता के निकट रहना और वे कहे वह सब ज्यो का स्यो सच मान लेना, उनकी प्रत्येक वृत्ति के अधीन होना या उनकी पगचपी करना इतने मे ही विनय या भक्ति की इतिसमाप्ति नही हो जाती। बुजुर्गों के वचनो मे, या वृत्ति मे भी भूल हो तो उसे सुधारना भी भक्ति है। जैनशास्त्र ठाणागसूत्र मे चार प्रकार के पुत्र उत्तम और धर्मयुक्त बताए है। उनमे भी सच्चा मातृ-पितृ-भक्त उसे ही बताया है जो स्वय सत्यमार्ग समझकर विवेक और भक्ति से अपने माता-पिता को उस मार्ग मे प्रेरित करता है। इससे फलित होता है कि नीति और धर्मयुक्त कार्य विवेकपूर्वक करके बुजुर्गों के हृदय को सन्तुष्ट करना ही उनकी सच्ची भक्ति है। ऐसी भक्ति की साधना मे काफी त्याग करना होता है, अपने अह को होमना होता है। परन्तु ऐसा करना सुपुत्रो का अनिवार्य कर्त्तव्य है। कई पुत्र तो समाज की शर्म से औपचारिक रूप से भक्ति बताया करते है। यह सच्ची भक्ति नही, अपितु भक्ति का नाटक है। कई सपूत ऐसे भी होते है जो जिन्दगी भर माता-पिता के सुख-दुःख की ओर देखते नही, बल्कि उन्हे हैरान करते रहते है, पर उनकी मृत्यु के बाद जोर-जोर से रुदन, खर्चीला मृतभोज, पितृश्राद्ध आदि क्रियाए किया करते है, यह भी सच्ची भक्ति नही है

सच्ची भक्ति हृदय से होती है, जिसमे जीवनपर्यन्त अग्लान भाव से माता-पिता की सेवा करना, वे वृद्ध हो तो उनके सिर से कार्य भार कम करके उन्हे निवृत्त करना, परमार्थकार्य मे उन्हे सुविधाएँ देना, उनकी योग्य सचियो का आदर करना, प्रत्येक व्यावहारिक कार्य मे उनसे परामर्श लेना, उनका विनय करना आदि सत्क्रियाए समाविष्ट है। ऐसी सच्ची भक्ति कुटुम्ब-आदर्श और समाज के लिए अनुकरणीय बनती है, माता-पिता के अन्त करण से आशीर्वाद पाकर वे दम्पति ऐहिक और पारलौकिक दोनो हित और सुख को प्राप्त करते है। अपने गृहस्थाश्रम को सुखद बनाते है।

सास-ससुर के कर्त्तव्य

माता-पिता, स्वजन और प्यारी जन्म-भूमि इन सबको छोड़कर जब परिणीत नववधू अपने श्वसुरगृह में प्रवेश करती है, तब मानो नया जन्म हुआ हो, इस प्रकार वह नवोढा किंकर्त्तव्यविमूढ-सी हो जाती है। कुछ दिनों तक तो उसे विलकुल चैन नहीं पडता। माता का वात्सल्य उसे रह-रह कर याद आता है, सहेलियों का स्नेह और मधुर विनोद के सस्मरण उसकी आंखों में सावन-भादों की तरह उमड़ आते हैं और भाभी के लाडभरे बोल उसे गद्गदित कर देते हैं। कितनी होती है यह विरह-वेदना !

ऐसी विरह-वेदना से पीडित युवती को ऐसे प्रसंग में पति के विशुद्ध प्रेम और सगी माता को भी भुला दे, ऐसी सास के मधुर आश्वासन की जरूरत होती है।

सासू के मनसूबे

पुत्र के जन्मकाल से लेकर आज तक यानी २०-२५ वर्ष तक उस पुत्र की माता ने इन्हीं विचारों को पाला-पोसा होता है—“कब पुत्र-वधू आए और कब मैं सामू वनूं। सासू वनूंगी तब मैं पट्टे पर बैठूँ-बैठी ‘यह करो, वह करो’ इस प्रकार के हुक्म छोड़ूंगी। वही सारे काम उठा लेगी और मेरी सेवा करेगी।” पुत्र-वधू के घर में पदार्पण के पहले ही मनसूबों का ढेर सास ने दिमाग में भर रखा होता है। भूखा घेर जैसे जानवर पर दूट पडता है, वैसे सासू वधू के आते ही उससे दवा-धमका कर काम लेने पर उतारूँ हो जाती है।

सासूशाही के संस्कार

पुत्रवधु से काम कराना और जहा उसकी भूल होती हो, वहा मा की तरह हित शिक्षा देना, कोई बुरा नही है, परन्तु ऐसी वात्सल्य हृदय वाली सासुएँ विरली ही होती है । अधिकांश तो बहू पर रौब गाँठ कर अपनी सासूशाही चलाती है । सास मे ऐसे सस्कार बहुधा पीढी-दर-पीढी से चले आते है । ऐसी परम्परा कब और कहाँ से चली ? इसका कोई निश्चित इतिहास नही मिलता है । परन्तु यह तो निर्विवाद है कि जब सासुओ ने इस सासूशाही का श्रीगणेश किया होगा, तब से स्त्रीजाति की अवनति का पाप अपने सिर पर ले लिया । सासूशाही के पजे मे फसी हुई अनेक अबलाओ के अन्त करण से यह पुकार आ रही है । कौशल्या जैसी कौन पतितपावनी सासू इस पुकार को सुनकर स्त्रीजाति के कलक को धोकर स्त्रीशक्ति की उद्बोधिका बनेगी ? पति का पदानुसरण करने के लिये वन-प्रस्थान करने वाली सीतादेवी को रोकती हुई माता कौशल्या का चल-चित्र सासू का आदर्श उपस्थित कर देता है । काश ! आज की सासुए उसे हृदयगम करती ।

बात-बात में रोक-टोक

आज ऐसी अनेक सासुए घर-घर मिलेगी, जिन्हे बात-बात मे अपनी बहुओ को फिडकने, रोकने और डाटने की आदत पड गई है । बहू जरा-सी जोर से बोलने लगी कि यह 'बहू है या ढोर । जरा भी बडो की मर्यादा नही, शर्म नही ।' किसी काम मे थोडी-सी देर हुई या भूल हुई तो गालियो की झडी बरसाने लगती है और तिल का ताड बनाकर सारे कुटुम्ब मे बेचारी बहू की मिट्टी पलीद कर देती है । इतना ही नही, अपने पुत्र के कान भर कर पति-पत्नी के बीच दरार पैदा कर देती है । कई वार तो कान के कच्चे या माता के पक्षपाती पतिराज बेचारी निरपराध अबला को इतना मारते-पीटते है कि वह अभिशाप बरसाती हुई परलोक की पथिक बन जाती है ।

वस, मासू-बहुओं के झगड़ों का मगलाचरण यही से होता है । अगर उस युवती का पति सच्चा प्रेमी और समझदार हो तो उसके मधुर आश्वासन से वह ऐसे समय सब कुछ सहन कर सकती है । और ऐसा मुदक्ष पति अपनी माना और पत्नी का मुमेल कराकर कार्य-कुशलता ब्रता सकता है । पर जहाँ पति ही अविवेकी दबू या भोंडू हो वहाँ तो ऐसी अबलाओं की बहुत दुर्दशा होती है और ऐसी निरावार अबलाएँ इस अमानुषिक यातना से छुटकारा पाने के लिए गले में फाँसी खाकर, कुएँ में पड़कर या अग्निस्नान करके अपना शरीर छोड़ती है ।

ऐसी घटनाओं में कुछ अगों में बहुओं का भी दोष जरूर होगा ; परन्तु उन दोषों को स्नेहपूर्वक हितगिखा द्वारा दूर करना भी तो मासू का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है, क्योंकि बहू की अपेक्षा मासू की जिम्मेवारी अधिक है ।

सासुओं का कर्त्तव्य

निम्नलिखित कर्त्तव्यों पर समझदार सासुएँ ध्यान दे तो काफी अशा तक इस प्रश्न को हल कर सकती हैं—

(१) पुत्रवधु पर पुत्रीभाव रखना—जैसे पुत्री की अनेक भूले होने पर भी वात्मन्यमयी माता की आँखों में रोष नहीं आता, वैसा ही वात्मन्य सासू कहलाने वाली स्त्री को अपनी पुत्रवधु पर रखना चाहिये, क्योंकि वात्मन्यविक पुत्री तो पुत्रवधु ही है, वही जिन्दगी भर साथ रह कर सेवा करनेवाली है । 'नववधु मेरी गुलाम नहीं, पर पुत्री है।' यह समझकर उसे प्रेमलपात्र बनाना चाहिये ।

(२) बहू को योग्य स्वतन्त्रता देना—मानवमात्र को स्वतन्त्रता प्रिय है और योग्यतानुसार वह इसका अधिकारी भी है । गलत तरीकों से उसका दमन करने और उस पर अत्याचार दहाने से वह उत्तेजित हो जाता है, उसके हृदय को चोट पहुँचती है और वह विद्रोही बन जाता है । बदाचिन् जब तक वह नशकन या प्रनीकार योग्य न हो तब तक

सब कुछ मूकभाव से सहता है, पर समय आने पर बदला लिये बिना नहीं रहता। वह भी कुटुम्ब का एक अंग है, और भविष्य में वही घर की मालकिन बनने वाली है, यो समझकर वह किसी पदार्थ का योग्य मार्ग में उपयोग करे तो उसका विरोध या रोकटोक न करना चाहिए। अगर उसे घर के छोटे-बड़े कामों या दाम्पत्यजीवन में छूट नहीं दी जायगी और पति-पत्नी सही तरीके से अपने मार्ग पर चले जा रहे हों उस समय किसी खास प्रसंग के बिना उनके व्यक्तिगत जीवन में रोकटोक की जायगी तो सास-ससुर दोनों को इसके भयकर कटुफल वृद्धावस्था में चखने पड़ेंगे। अतः जिससे उनकी स्वच्छन्दता का पोषण न हो, ऐसी छूट देनी अनिवार्य है।

(३) कार्य और विचार में सहिष्णुता रखना—घर में आई हुई नई बहू का पद-पद पर भूल कर बैठना स्वाभाविक है। उस समय हित-शिक्षा देने के बदले कई सासुएँ झिड़कती हैं, डाँट-डपट करती हैं या ताने मारती हैं, या माँ-बाप तक की गालियाँ और गलत आक्षेपों से कायल कर देती हैं, यह मानवजाति की भयकर क्रूर हिंसा है। अफसोस है कि अहिंसक सासुओं को इसका भान तक नहीं होता।

विचारों की असहिष्णुता का परिणाम भी बुरा आता है। कई सासुएँ अविश्वासी एवं बहमी स्वभाव की होती हैं। वे खानेपीने जैसी मामूली चीजों को ताले में बन्द रखती हैं। समयव्यस्क सखियों के साथ वह बात कर रही हो तो उन्हें ऐसी गंका होती है कि यह मेरे बारे में ही कुछ कह रही है, इस भय से वह अपनी प्रकृति सुधारने के बदले वह पर जोर अजमाती है, उसे घर की चहारदीवारी से बाहर नहीं निकलने देती, उसे अपने मँके भी नहीं जाने देती। यहाँ तक कि उसे अपने पति से मिलने का मौका भी कम आने देती है। एक आशाभरी निर्दोष युवती को अमानुषिक यातना देते समय वह सासू अपनी जवानी के दिन क्यों भूल जाती है? ऐसे मर्यान्तिक यातना से कोई भी कुटुम्ब

सुखी नहीं हो सकता । अतः ऐसी क्लेशकारणों को पैदा न होने देने के लिए समझदार मामू को प्रेम, क्षमा और धैर्य रखना चाहिए और किसी भी जिम्मेवारी का कार्य वह को अनजान रख कर नहीं करना चाहिए ।

भारतीय विधवाओं की कष्टकथा

पति की उपस्थिति में भी जिस युवती पर अत्याचार टहाया जा रहा हो, उसका वैयव्यजीवन कितना रोमाञ्चकारी होगा ! श्रीभागवद्गीतन विधवा पुत्रवधू के प्रति ऐसे समय में माम-गगुन के कर्तव्य बढ जाते हैं । उन्हें समझना चाहिए कि विधवा भी एक मनुष्य है, उसमें भी सुख-दुःख की भावनाएँ हैं । पति के गुजर जाने में उसके साथ उस विधवा की वृत्तियाँ नहीं चली जाती । उसके भी हृदय है । उम्र और वातावरण का प्रभाव उस पर भी पडता है । वह चेतनाग्रहित नहीं है । अतः मानवता के नाते महानुभूति व मदभावनापूर्वक उसके साथ व्यवहार करना चाहिए ।

कुटुम्ब की दृष्टि में सम्पूर्ण पगवीन स्त्री, कुटुम्ब पर भारभूत, कुटुम्ब में क्लेश का कारण और सम्बन्धियों की भयकर चिन्तापात्र । समाज की दृष्टि में अपगकुनवती तिरस्कृत स्त्री, सगे-सम्बन्धियों की मजूरिन, निरूपयोगी । यह है भारतीय विधवा बहन का जीताजागता चित्र । परन्तु नारीजाति की इस अपमानित दशा से समाज का कितना विकास सकता है ? समाज को कितना सहना पडता है ? इसमें शायद ही कोई अनजान होगा ।

जिस पिता के यहाँ बालविधवा पुत्री हैं और युवती पुत्रवधू है, उसे अपनी वृत्तियों पर सयम रखना चाहिए । जो साम-ससुर अपनी जवान पुत्रवधू के ब्रह्मचर्य पालन का अनुगमन करते हैं, विधवाबहन के प्रति वात्सल्य और सहिष्णुता का प्रवाह बहाते हैं, उसके हृदय में सद्-वाचन तथा सुसस्कार डालते हैं, वे अपनी त्यागमूर्ति विधवा पुत्रवधू के वैयव्यजीवन का दुःख भुलाकर उसे अमरता के पथ पर प्रेरित करते हैं और उसके हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ।

जो सास-ससुर अपना भविष्यकालीन जीवन सुखी देखना चाहते हों और जिन्हें अपने पुत्र तथा पुत्रवधू से हार्दिक सेवा की उत्कठा हो, उन्हें कम से कम अपने स्वार्थ के लिये भी पूर्वोक्त कर्तव्यमत्रो को जीवन में उतारना चाहिए ।

सास-ससुर के प्रति पुत्रवधू का कर्त्तव्य

प्राणिमात्र में स्नेह का प्रवाह जहाँ-तहाँ बहता और विकसित होता देखा जाता है। इस स्नेह में जितनी अविच्छिन्न होती है, उतने ही माँहार्द-सुख और स्थायित्व उसमें होते हैं।

पति और पत्नी का सहकारी जीवन भी उसी स्नेहस्रिता की नम्र कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र के नद में प्रवाहित होकर विश्वस्नेहसिन्धु में मिलने के लिए है। दोनों का स्नेह अपने वृजुर्गो व सन्तानों के क्षेत्र में विकसित पाने के लिए है। बाल्यकाल से ही दम्पती के माता पिता उनमें स्नेह सम्कार सींचते रहे हैं और अब भी सींचते रहते हैं। माथ ही उस स्नेहवारि में विकृति का विष न मिल जाय, इसकी सुरक्षा भी वे करते रहते हैं। वयस्क होने पर उनमें धर्मसन्तान पैदा करने की उत्कट इच्छा जागृत होने पर ही ब्रह्मचर्य या श्रमकाल पूरा होने के बाद सुयोग्यपात्र के साथ स्नेहवन्धन से जोड़ कर उनके मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करने की शक्ति और शिक्षणसभार भर देते हैं।

नववधू का व्यवहार

पितृगृह छोड़ कर जब से नवोढा युवती अपने पतिमन्दिर में पैर रखती है, तभी से उसे अपने मनमें सारे नये कुटुम्ब-निर्माण की कल्पना करनी चाहिये। और पतिस्नेह की मधुर आशा और अपने मन में सजोए हुए स्वप्नों को साकार रूप देने के लिए उसे इतना महान् त्याग करने की प्रेरणा मिली है। इसी प्रेरणावल से ही वह नये क्षेत्र के प्रति आकर्षित हुई है। इतना सोच लेने और अपने को गृहस्थयन्त्र में यथास्थान फिट कर लेने से विरहदुःख विस्मृत हो जायगा और भावीजीवन सुखमय

बनेगा। जो नववधू स्वसुरगृह को अपना नहीं बना सकती, उसका गृहस्थाश्रम दुःख और क्लेश के मूल से मलिन हो जाता है और उसके पति की भी दुर्दशा होती है।

स्वसुर को पिता, सास को माता, देवर को भाई, ननद को वहन, देवरानी जिठानी को स्नेही सहचरियाँ और पति को हार्दिक प्रेम का केन्द्रस्थान समझे और तदनुरूप भावना रग-रग में भर ले, इसी प्रकार का कुटुम्बभाव आने पर ही गृहस्थाश्रम सागोपाग स्वर्गसम मुखद बन जाता है। यद्यपि परिणीत नववधू की यह कठोर कसौटी है, परन्तु इसमें पास हुए बिना छुटकारा नहीं।

खेद है अपने माता पिता द्वारा कई लडकियों को सुसंस्कार न मिलने के कारण उनमें न तो गृहस्थाश्रम-प्रवेश के पहले ही गार्हस्थ्य-भार उठाने में कितने बल और विवेक की आवश्यकता है, इसका व्यावहारिक ज्ञान होता है, और न अपने पति, देवर, सास-ससुर, ननद, जेठानी आदि नये कुटुम्बियों के साथ व्यवहार करने का यथार्थ भान होता है। इस त्रुटि के कारण उसे स्वयं को बहुत ही सहना पड़ता है।

कई लडकियों को अपने माता-पिता से ऐसे कुछ संस्कार मिले होते हैं, और वे तादृश कुटुम्बभाव लाने का प्रयत्न भी करती हैं, मगर वैसे कुटुम्बभाव की अराधना के सक्रिय उपायों से अनभिज्ञ होने या मदप्रयत्न होने के कारण वे असफल रहती हैं। कई लक्ष्मीनदनो की पुत्रियाँ मूर्ख-सी होती हैं, उनमें अपने पिहर की सम्पत्ति का मिथ्यामद होता है जिससे स्वसुरगृह में स्नेहभाव के कारण वह सास ससुर, देवरानी, जिठानी ननद और पति को भी प्रेम में जीत नहीं सकती। पिता की कोटि मुद्रा उसके किस काम की? उसके लिए स्वसुरालय का स्नेहधन ही सर्वस्व है। पर इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण वह अपने मुखमय समार को विपाक्त बना देती है। यही नहीं इसका कटुफल भी उसे वाद में

भोगना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार उसके माता पिता हैं उन्हें अपनी पुत्री को मही बात समझानी चाहिये।

कई युवतियाँ योग्य या अयोग्य उपायो में अपने पतियों को न्युन रखने में ही अपने कर्तव्य की इति श्री माननी है, अन्य मन्वन्धियों के प्रति उपेक्षा रखती है। यद्यपि पति गृहस्थाश्रम का मुख्य पात्र है, उग्निए उसके प्रति हृदय में उच्चस्थान हो यह बुरा नहीं, किन्तु जो स्नेह दूसरे मन्वन्धियों के प्रति द्वेष, वैर, या क्लेश पैदा करे, वह अनिच्छनीय या मोहकवासना अथवा आमक्ति (राग) है। वह मच्चा स्नेह नहीं है। और ऐसी वामना में मास श्वगुर के प्रति पद पद पर मन-मुटाव के निमित्त आएंगे और गृहस्थाश्रम दुग्मय बन जायेगा।

कई जगह ऐसी भी फूहड औरतें होती हैं, जो सुद को अपने घर की स्वामिनी नहीं समझती, इसमें वे अपना श्वमुरधन किमी बहाने में अपने पीहर भेजने में खुश होती हैं। यद्यपि ऐसी कुटेव बहुत कम औरतों में पाई जाती है, परन्तु यह श्वमुर-कुटुम्ब के स्नेह में बड़ा विघ्न डालने वाली है।

नववधू के कर्तव्य

१ समझदार स्त्री विकारी या मोहान्ध स्नेह नहीं चाहती, क्योंकि वह समझती है कि वैसे स्नेह में पति या पत्नी किसी का उत्कर्ष नहीं है।

२ जवानी के नशे में पागल बनकर वह कर्तव्यभ्रष्ट नहीं बनती, क्योंकि कर्तव्यपालन ही तो जीवन की उच्चता है।

३ अपने जवान पति को मार्ग चूकने से सच्ची हितशिक्षा देकर रोकती है, क्योंकि वह समझती है कि धर्म्यसन्तान में सस्कारिता धर्ममार्ग पर चलने से ही आ सकती है।

४ समझदार स्त्री खानपान, वस्त्र आदि उपयोगी सामग्री पर सयम रखती है, क्योंकि असयम से बहुत-सी वार कुटुम्ब-कलह पैदा होते हैं और व्यसनों से धन बर्बाद होने पर मानववृत्ति अकार्य की ओर झुकती

है, जो सतीजीवन के लिए कलक है। अतः वह शील और सद्गुणों को अलंकार मानकर उनसे सुसज्ज होती है।

५. वह सास-ससुर की सेवा तथा गृहस्थाश्रम के प्रत्येक व्यावहारिक कार्य में दक्ष रहती है, क्योंकि इससे उसके पति पर मानसिक बोझ कम होजाता है और पति-भक्ति और पति-प्रेम में वृद्धि होती है।

बहूशाही के पजे में

उपर्युक्त कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह और यौवनमद से बेभान युवतियों की आज कमी नहीं है। उनके आश्रित (भरोसे) रहे हुए सास-ससुर की दशा सासूशाही के पजे में फसी हुई बहू के जैसी ही होती है।

ऐसी युवती अपने भोगविलास और ऐशोआराम में मशगूल रहती है और अपने वासनाग्रस्त पति को भी अपनी आत्मा बेच कर अपने शरीर को भोगसाधन बनाकर अपना गुलाम बनाने से नहीं चूकती फिर तो पूछना ही क्या। प्रतिदिन स्वच्छन्दता की मात्रा बढ़ती ही जाती है। खानपान, वस्त्राभूषण एवं आमोद-प्रमोद के साधनों के पीछे समय, शक्ति और धन तीनों स्वाहा कर देती है। अपने स्वच्छन्दी क्षेत्र में विघ्न डालने वाले सभी पात्रों को कटक मान कर वह उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करती है, परन्तु उसके सास-ससुर अब पक्की उम्र में, अशक्त होने से उसके चंगुल से छूट भी नहीं सकते। अतः लाचार हो-उन्हे बहूशाही के पजे का शिकार बनना पडता है। पुत्रवधू के स्वच्छन्दी जीवन से उन्हे अत्यन्त खेद होता है, पर वे करे क्या? उनकी हित-शिक्षा को ये मानने से रहे। उलटे, कई बार वे माता-पिता को अपमानित करके उनकी दुर्दशा भी कर डालते हैं। अतः ऐसे मौके पर दो आसू बहाने और चुपचाप पडे रहने के सिवाय कोई चारा नहीं।

कई बहुएँ तो ऐसा ताना भी मारती हैं—“हम अपने हाथों से कमाते हैं, आपने कभी कमाया भी है?” “मेरा पति कमाते-कमाते थक जाता है, तब कही जैसे-तैसे घर का खर्च चलता है, फिर आपको कहाँ से खिलाएँ?” पैसा एक भी कमाते-वमाते नहीं, खाने को पूरा चाहिए

काम करो तो खाने को मिलेगा ।” इस प्रकार वाक्यवारा वरगा वर अपने पवित्र नाम-समुर को शान्ति पहुँचाने के बदले घायल कर देती है, दुगुना कष्ट पहुँचानी है । उन पर तुरी यह कि वह युवक अपने माता-पिता पर कण्ठों का उतना पहाड़ टूटने देपकर भी अपनी पत्नी को कुछ न कह कर उन्हीं के गने दोष मढ़ता है । उन समय उन वृद्धों के अन्तर में गहरी आह निकलनी है कि—ऐसी जिन्दगी से तो मौत भर्नी ।” परन्तु कर्म का यह अटल नियम है कि जो वह अपने वृजुगों पर उनके जुलम गुजारती है, उनका भी वृद्धावस्था में ऐसा ही हाल होता है । इस न्याय को समझकर अपने नाम-समुर के प्रति स्नेहभाव रखना और उनकी सेवाशुश्रूपा करना प्रत्येक पुत्रवधू का कर्त्तव्य है ।

सच्ची सेवा

केवल सामू की पगचपी करने या नाम-समुर का पर्दा करने में ही सेवा की इतिथी नहीं हों जाती । परन्तु शुद्ध प्रेम और कर्त्तव्य-साधक मर्यादाएँ रखकर उनके चित्त को प्रसन्न रखने में ही सच्ची सेवा है । वृद्धावस्था में उनकी इन्द्रियाँ और मस्तिष्क-शक्ति क्षीण होने में प्रकृति का भी तेज होना संभव है, पर हिताकाक्षिणी बहुओं को प्रत्येक क्रिया में महिष्णुता और सेवाभावना को मर्दनजर रखते हुए उनकी वृत्ति को सतुष्ट करना चाहिए । सास-समुर की कटु हितशिक्षा भी अमृत मानकर पीनी चाहिए । जो स्त्रियाँ अपने सास-समुर की भक्तिभाव में सेवा करती हैं, उनकी बीमारी में शुश्रूपा करती हैं, वैद्या बनती हैं, प्रत्येक कार्य में उनका स्थान उच्च रखने की विनीतता दिखाती हैं, वे वधू का उत्तम आदर्श उपस्थित करती हैं ।

भारतीय इतिहास में प्रत्येक पृष्ठ पर पक्ति-पक्ति में ऐसे आदर्श अंकित हैं, उनमें में एक अजलि भर कर यदि आज की पुत्रवधू गृहस्थाश्रम में गति करेगी तो उसका गृहस्थाश्रम दिव्य बने बिना न रहेगा ।

माइयों का कर्त्तव्य

एक ही माता के उदर से पैदा हुए सहोदरो मे एक स्नेह का प्रवाह बहता है, या अव्यक्त तत्त्व का तार जुडा होता है, जिससे वे जीवन-भर एक दूसरे के सहायक और माता-पिता के पोषक बनते है। ऐसा अव्यक्त स्नेहाकर्षण माता के स्तनपान या सस्कारपोषण से पैदा होता होगा या एक पिता की पूर्णभावना से उद्भूत होता होगा, यह तो भगवान् जाने ! परन्तु यह पारस्परिक स्नेहधारा, एक भाई कम या अधिक कमाता हो या कमोवेश कार्य करता हो, फिर भी सभी स्थितियों मे समानरूप से बहा करती है। एक भाई दूसरे भाई के दु ख मे दु खित होता है, गिरते हुए का सहारा देता है, डूबते को बचाता है, हारे हुए को हिम्मत बधाता है और अलग-अलग क्षेत्र मे कार्य प्रसगवश रहते या बसते हुए भी दोनो प्रेमप्रवाह से एकमय रहते हैं। एक दूसरे के विकासमार्ग मे भी वे आधारभूत बनते है। सहोदर के बिना सभी सुख शून्यवत् लगते है। भ्रातृसेव्य रामचन्द्रजी ने सहोदर (लक्ष्मण और भरत) मीठी छाया का जो चित्र खीचा है, वह अद्वितीय, अप्रतिम और अनुभवपूर्ण है। सहोदर के स्नेह के सामने राज्यसुख या विपत्तियों के बादल भी तुच्छ और नगण्य मालूम होते होते है।

आधुनिक परिस्थिति

आज के बन्धुओ पर दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि उसके हृदय सरोवर मे स्नेह का सलिल सूख गया है। आज तो भाई-भाई के हृदय मे कलह के काटे गडे हुए है। आंखो मे ईर्ष्या की आग सुलग रही है। एक दूसरे के रास्ते अलग-अलग हो गए हैं। एक भाई करोडो की सम्पत्ति

का मालिक बन कर मोटरों में बैठकर मरमपाटे करता है तो दृग्ग फटे-हान्न बन कर दर-दर का भिकारी बना हुआ है। उसे दो जून खाने को अन्न नहीं मिलता, फिर भी उसे देय कर धनिक भाई का हृदय अनु-कम्पा या स्नेह में द्रवित नहीं होता। उन्हे, "उमके धवे ही ऐमे है, सीधी राह चलता ही नहीं, चने अपने किए का फल।" उम प्रकार पापाण्मम कठोर वचन उमके मुंह में अपने निधन भाई के लिए निबलते हैं। समानस्थिति वाले भाई भी परम्पर स्नेह रगते हों, ऐमा भी वचचिन् ही नजर आता है। लोकलज्जा में कभी मिलते जरूर हैं, साथ भी रह लेते हैं, परन्तु एक-दूसरे के प्रति हादिक प्रमन्नता और भावनाएं कुण्ठित हुईं नजर आती हैं।

इसका कारण और उपाय

एकाएक ऐमा हो जाने का कारण कलियुग या भाग्य आदि नहीं है, किन्तु है स्वार्थ की अतिमात्रा। विश्वविशाल प्रेम का आधार स्थल अन्त करण ज्यो-ज्यो सकुचित हो जाता है, त्यो-त्यो विकृति का जोर फैलता जाता है, और अन्त में वही प्रेमामृत राग या ममत्व के विष के रूप में परिणत हो जाता है। और अपने ही स्वार्थ में सीमित होने वाला अन्त करण, विकृत होकर क्रमशः देव, मानव, पशु की भूमिका से उतरता-उतरता पिशाच की भूमिका पर आरूढ़ हो जाता है। अपनी स्वार्थन्वता को पुष्ट करने के लिए मनुष्य अपनी आशाओं और इच्छाओं की तृप्ती की मृगमरीचिका के पीछे दौड़ता है, उम समय उसे अपने कर्तव्यक्षेत्र का भान ना रहना स्वाभाविक है। उम स्वार्थ की अतिमात्रा ही ने धर्म, नीति और कर्तव्य की जड़ पर कुठाराघात करके चेतन मानव को जड़-मा निष्ठुर बना दिया है। इसीने भारतीय सस्कृति को रसातल में पहुँचाया है।

इस स्वार्थमात्रा साथ विलासवृत्ति की तेज रफ्तार जबसे मिली है तबसे तो पाप की पराकाष्ठा हो रही है। सारे कुदुम्ब का थोड़े-से

खर्च से जहाँ काम चलता था, वहाँ आज एक व्यक्ति की सामान्य जरूरतों पर उतने खर्च से काम नहीं चलता, दूसरी ओर बेकारी का भूत भी लगा है। इन और ऐसे ही अन्य कारणों से भ्रातृस्नेह के स्रोत सूखने का श्रीगणेश हो गया है।

इसके निवारण का उपाय है सयमवृत्ति। सयमवृत्ति से ज्यो-ज्यों खर्च घटता जायेगा, त्यो-त्यो पाप भी घटेगा। और इसके साथ ही धार्मिकवृत्ति और कर्तव्यपरायणता भी बढ़ेगी। उसी समय माता-पिता की सेवा सहोदर के प्रति स्नेहधारा का प्रवाह फूट निकलेगा, कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र के प्रति प्रेम की बाढ़ भी आ जायेगी। तब और तभी प्राचीन इतिहास में अकित भारतीय गृहस्थाश्रम के आदर्श भावनामय चित्र घर-घर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होंगे।

भाई-बहन

बहन का भाई के प्रति कितना स्नेह होता है, यह तो उसकी प्रत्येक क्रिया से परिलक्षित होता है। बचपन से ही हृदय में भाई का स्थान जड़ जमा लेता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ उसका स्नेह गाढ़ होता जाता है और पितृगृह छोड़कर जब वह ससुराल चली जाती है, फिर भी उसका स्नेह पूर्ववत् अखण्ड रहता है। बहन अपने सहोदर का सदा और सतत हित चाहती है और प्रसंग आने पर वह अपने भाई की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। यह है भगिनी का भाई के प्रति प्रशस्त स्नेह।

बहन की तरह भाई का भी अपनी बहन के प्रति प्रेम होता ही है। पुरुष और स्त्री के स्वभाव और सद्गुणों की खासियत के कारण भले ही उनका कार्यक्षेत्र पृथक हो, बहन पर दुःख और आफत आ पड़ी हो, उस समय भाई उसे दूर करने के लिए तन-मन से तैयार रहता है। कई दफा माता-पिता अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हों, तब भाई माता-पिता के विरुद्ध सत्याग्रह, करके भी बहन का हित साधता है। बहन की गरीबी या तंग हालत में स्वयं उदारता करके उसे पूरा सहयोग भाई

देता है। उम प्रकार भाई-बहन के प्रेम का जीवन पर्यन्त विनिमय होता रहता है।

भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं, जहाँ बहनों ने भाइयों के लिए और भाइयों ने अपनी बहनों के लिए अपना सर्वस्व धन और मुख न्यौछावर न किया हो।

परन्तु आज भाई-बहन के बीच स्नेह प्रवाह सूखने लग गये हैं। कर्तव्य च्युत होने पर ऐसा होता स्वाभाविक है। मगर आदर्श गृहस्थाश्रम की वाटिका को हरीभरी रखने के लिए ऐसी मधुरस्नेह मरिचा की नितान्त आवश्यकता है।

भाभी और देवर

विधाता ने मातृहृदय की रचना करके हाथ धो टाले हैं। आदर्श भाभी का अन्तःकरण भी माता के वाद अद्वितीय है। मानव हृदय में माता का स्थान तो सर्वोपरि है ही, परन्तु उसके वाद मातृभाव वर्पण करने वाली एकमात्र भाभी है। बड़ी भाभी माता का ही प्रतीक है। वह मातृविरह को भूलाने वाली जननी है, देवर के प्रति अन्तःकरण में वात्मल्य-धारा बहाने वाली है। अनेक भाभियों ने अपने छोटे देवरो को उनकी माताओं के वियोग होने पर अपनी दुग्धमुवा पिलाकर जिलाए हैं, पाले हैं, पोसे हैं। उसका स्नेह वाणी से अगम्य है।

भाभी के प्रति

जैसे भाभी का हृदय मातृवात्मल्य से परिपूर्ण होता है, वैसे देवर के अन्तःकरण में भी अपनी भाभी के प्रति पूज्यभाव प्रबलतर होता है। कई मानों में तो अपने भाई की अपेक्षा भी उसे अपनी भाभी के प्रति विशेष प्रेम होता है। उसके वचन को भेजने और क्रियान्वित करने में वह अपनी कृतार्थता समझता है। भाभी की बीमारी या अन्य प्रसंगों पर सेवा करने की उसकी भावना अखण्ड रहती है। उसके अन्तर में यही व्वनि होती है कि “ मैं भाभी को क्या दूँ ? उसके उपकार का बदला

कैसे चुकाऊँ ?” वीर लक्ष्मण का अपने भाई व भाभी—श्रीराम और सीतादेवी की सेवा में—राजसुख और मातृसुख छोड़कर भी—उपस्थित रहना, इसका ज्वलत उदाहरण है ।

परन्तु आज तो भाभी और देवर के स्नेहस्रोत सूखे हुए नजर आते हैं । मातृसमा भाभी अपने छोटे देवर के प्रति निष्ठुर हो जाती है और चट से अपने पति को कह देती है—“वह कमाता कहा है ? उसका चोभ अपने सिर पर क्यों ?” इसी प्रकार देवर की भी अपनी भाभी के प्रति मातृप्रेम, भक्ति या सहानुभूति नहीं दिखाई देती । भाभी के वैधव्यजीवन में आनेवाले दुःख में देवर सहायक नहीं होता । इन सबका मूलकारण है—तुच्छ सकुचित स्वार्थवृत्ति, जो मनुष्य में कर्त्तव्यभ्रष्टता पैदा करती है ।

ननद-भाँजाई

एक बालिका का अपने भाई के प्रति जो प्रेम प्रवाह बहता है, उसमें भाभी भी पूरी हिस्सेदार है । भाई के घर में भाभी के आने के सुखद स्वप्न वह सजोती है । बचपन में वह भाभी के लाड-प्यार चाहती है, वयस्क होने के बाद भाभी की अमृतदृष्टि, क्योंकि उसके पितृगृह के स्नेह को सतत चालू रखने वाली सरिता भाभी ही है । वही भाई के घर की स्वामिनी है । भाभी की दृष्टि फिरते ही उसे पीहर में रहना कठिन हो जाय । ननद और भाभी दोनों भिन्न-भिन्न घर में जन्मी होने पर भी सगी बहनो का सा उनका स्नेह होता है । जैसे भाभी पराये घर से आई है, वैसे मुझे भी पराये घर जाना है, यो हमेशा सयानी ननद समझती है । वस, इन दोनों का सच्चा स्नेह टिके रहने का रहस्य इसी प्रकार की समान स्थिति है ।

वर्तमान परिस्थिति

परन्तु आज स्थिति इससे विपरीत है । भाभी यह समझती है कि ‘ननद थोड़े दिनों की महमान है आखिर तो इसे अपने श्वमुरालय में

जाना है', फिर भी वह उतने समय तक स्नेह नहीं रख सकती। अपने पति का अपनी ननद के प्रति स्नेह हो तो उसे वह सहन नहीं कर सकती। ननद को दी जाने वाली वस्तु मेरे घर में से कम हो जानी है, उस प्रकार की भाभी की स्वार्थवृत्ति इस स्नेह के मार्ग में काटे बिछानी है।

जिस प्रकार भाभी में कर्तव्यपरायणता की कमी है, उसी प्रकार ननन्द में भी होती है भाभी के विवाह करके घर में प्रवेश करने ही ननन्द बाई अपनी भाभी पर हुकम चलाने लग जाती है, नमस्कार ही तो कामकाज में ईर्ष्या भी करती है। भाई उसकी भाभी के प्रति अधिक स्नेहशील बने तो भी उसे सहन नहीं होता। उस प्रकार अपनी भाभी के साथ द्वेष, ईर्ष्या या वैरवृत्ति रखकर अपनी मा या भाई के मामले भाभी की चुगली खाती है, और ग्याह सफेद करके भाई और भाभी के तथा मासू और वहू के बीच कलह पैदा कर देती है। प्रसंगवश ताने भी कसती है। भाभी दुःखी हो तो वह प्रसन्न होती है। स्त्रीजाति की इस प्रकार की पारम्परिक ईर्ष्या ही उभयपात्र और गृहस्थजीवन के लिए दुःखरूप बनती है। ननन्द-भाभी का आपसी वैमनस्य भविष्य में उनके ही लिए मिरवर्द बन जाता है, इसका भान दोनों को इस समय नहीं होता।

ननन्द का कर्तव्य

ननन्द छोटी हो या बड़ी उसे समझ लेना चाहिए कि पीहर का घर उसके लिए ससार में मीठी छाया देने वाला वृक्ष है। भाभी और भाई उसी वृक्ष की डाली और फल है। उनका जितना अधिक स्नेह होगा, उतना ही अधिक लाभ उस वृक्ष की छाया का मिलेगा। यो सोच कर स्वयं बड़ी हो तो उसे अपनी नई भाभी की भूलें पीकर मधुर हित शिक्षा देकर सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी दोनों का प्रेम दिनोदिन पल्लवित-पुष्पित होगा। अगर ननन्द छोटी हो तो उसे भाभी के कार्य में सहायक बन कर उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे उपयोगी

शिक्षण लेना और उसके प्रति स्नेभाव रखना चाहिए। ननन्द और भाभी दोनों सगी बहनो की तरह रहे तो कुटुम्ब मे वे स्नेह और ऐक्य की सरिता बहा सकती है।

सारांश

सभी अगो को इन सब बातो मे अपने-अपने कर्तव्यो मे परायण रहना जरूरी है। इनमे से एक भी अग जब अपना कर्तव्य चूक कर स्वार्थ की ओर झुकता है, तब सामने वाला पात्र भी उतना या उससे भी अधिक स्वार्थी और अकर्मण्य बन जाता है। इसमे जो अग ज्यादा उम्र का हो उसकी जिम्मेदारी विशेष बढ जाती है। समग्र कुटुम्ब मे स्नेहभाव टिकाये रखने मे पद-पद पर गम खाने, सहनशीलता दिखाने व स्वार्थत्याग करने की सबसे ज्यादा और सर्वप्रथम आवश्यकता है।

देवरानी-जिठानी के कर्तव्य

जैसे कुटुम्ब के पोषण के लिए द्रव्यादि प्राप्त करने और गृह-व्यवहार चलाने में एक भाई को दूसरे भाई की आवश्यकता होती है, वैसे ही गृह-कार्य के आन्तरिक बोझ को वाटने के लिए जिठानी को भी देवरानी के सहयोग की आवश्यकता रहती है।

जैसे सासू के मन अपनी पुत्रवधू को लाने का मनोरथ होता है, वैसे ही, जिठानी के मन में अपने छोटे देवर को विवाहित करके देवरानी लाने का उत्साह होता है, साथ ही वह यह भी मोचनी है कि मेरी छोटी बहन के आजाने से मेरे कार्य में सरलता रहेगी।

वर्तमान परस्थिति

आज तो अनेक म्थलों से आपसी म्नेह विदाई ले चुका है, वल्कि जब दोनो मिलती है, या एकत्र रहती है तभी से दोनो के बीच महा-भारत शुरू हो जाता है। देवरानी कहती है—“सासू मुझसे इतना काम लेती है, जिठानी से क्यों नहीं ?” और जिठानी कहती है—“सासू का देवरानी के प्रति इतना प्रेम है, मुझ पर क्यों नहीं ? क्या वही अकेली लाडली है या ज्यादा दहेज लाई है ? खाने पीने में मुझे वह वस्तु नहीं मिली, उसे वह चीज क्यों मिली ?” आदि बातों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा होती रहती है। एक छोटी-सी चूडी से लेकर स्वर्ण तथा रत्न के आभूषणों तक तथा पोशाक में भी दोनो की तू-तू, मैं-मैं चलती रहती है। ‘मेरा पति अधिक कमाता है, ज्यादा मेहनत करता है, फिर जिठानी या देवरानी को एक सरीखे अलंकार क्यों मिले ?’ यो प्रत्येक छोटी-सी तुच्छ वात से

लेकर बड़ी बात तक मे ईर्ष्यालु प्रकृति के कारण वे अन्तर में जला करती है ।

नन्हे बालको को खिलौने या खाने-पीने की चीजो को देने पर एक-दूसरे की अहवृत्ति का प्रदर्शन होता है और किसी को कम या ज्यादा दे देने पर उसकी माता को मालूम पडते ही गुरानि लगती है । लडके खेलते-खेलते आपस मे लड पडें तो उनकी माताए भी उनका पक्ष लेकर आपस मे लड पडती है, यह भगडा यही तक सीमित नहीं रहता अपितु पुरुषो तक पहुँच जाता है, क्योकि दोनो प्रतिदिन अपने-अपने पति के पास नई-नई खबरें बढा-चढाकर सुनाती रहती है और इस सफाई के साथ, सिसकते हुए कि पति के दिमाग मे उनकी बात किसी दिन सच्ची ठस जाती है और भाग्यवश कोई प्रत्यक्ष निमित्त मिल जाय, फिर तो पूछना ही क्या ? दोनो सहोदरो के स्नेह को तुच्छ बातों मे जलाकर खाक बनाने मे ये दोनो स्त्रियाँ निमित्त बनती है ।

फलत भाई-भाई के बीच मारपीट, गालीगलौज और हाथापाई होती देखी जाती है, इससे आगे बढकर दोनो न्यायालयो के द्वार खट-खटाते है । इन सबका मूल कारण उन दोनो की पत्नियाँ होती है ।

जहाँ तक दोनो भाइयो का विवाह न हुआ हो, वहाँ तक दोनो का स्नेह गाढ होता है । एक भाभी आने के बाद कही-कही कुछ कम या पूर्ववत् स्नेह बना रहता है, किन्तु दोनो भाइयो के विवाहित हो जाने पर थोडे ही समय मे उन्हे अलग हुए बिना चलता नही । देवरानी-जिठानी के भगडे मे माता-पिता की अत्यन्त दुर्दशा हो जाती है । स्नेह सपत्ति और माता-पिता की सेवा, ये तीन उच्च वस्तुएँ जहाँ गृहस्थाश्रम मे अत्यन्त आवश्यक है, वहाँ ये गृहलक्ष्मियाँ इन्हे अपने हाथो उखाड़ फँक देती है, यह कितना दुर्भाग्य है ?

इस स्थिति का कारण और उपाय

इस भगडे के मूल कारण सासू की कार्यदक्षता मे कमी या बहुओं

मे असमानता है। अगर देवरानी-जिठानी दोनों परस्पर भगिनीभाव या सखीभाव से रहे और समझदारीपूर्वक ऐमे कटुप्रमर्गों को टालें, देवरानी जिठानी को, वह चाहे जैसी हो फिर भी, अपनी बटी बहन (जीजी) के समान मान कर उसके प्रति पूज्यभाव रखे, मविनय व्यवहार करे और जिठानी अपनी देवरानी के प्रति उदार और प्रेमल बने तो बहुत जल्दी मन समाधान हो सकता है और गृहस्थाश्रम सरल और सुखद बन सकता है। गहने, मम्पत्ति अथवा खाने-पीने की चीजें स्नेह के आगे बिल्कुल तुच्छ हैं, उस वस्तु को दोनों यथार्थरूप में समझ लें तो कुटुम्ब-कलह शीघ्र समाप्त हो सकता है। भाई-भाई के आपसी मनमुटाव के कारण अलग-अलग रसोई और घर के पीछे प्रत्येक कुटुम्ब को ४-५ गुना नुकसान आर्थिक दृष्टि से सहना पड़ता है। सारा कुटुम्ब एक साथ रहे तो आर्थिक दृष्टि से काफी लाभ होता ही है, साथ ही परस्पर के महकार से चाहे जितना बड़ा काम हो सहज साध्य और कम समय में निपट जाता है। और उस कुटुम्ब की शक्ति वृद्धिगत होकर अन्य कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र को उपयोगी हो सकती है।

अनवन के कारण अलग होने से जो आर्थिक हानि होती है, उसकी पूर्ति के लिए गरीब कुटुम्ब को बेकारी की चक्की में पिसना पड़ता है या अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं। फलतः, कौटुम्बिक, सामाजिक और धार्मिक सभी दृष्टियों से यह घाटे का सौदा है।

मित्रों के परस्पर कर्तव्य

बालक जब जन्म लेता है तब माता उसकी सहायक होती है। बाद में पिता, शिक्षक, स्त्री और फिर क्रमशः सहायक क्षेत्र बढ़ते-बढ़ते कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र और विश्व तक पहुँच जाता है। परन्तु मानव जीवन के विभिन्न कार्यों में विभिन्न सहायकों में से मित्र भी एक ऐसा सहायक अंग है जो बाल्यकाल से मृत्युपर्यन्त साथ रहता है। यद्यपि मित्रता का वह उम्मीदवार ठेठ तक एक-सरीखा ही रहता है या उसकी मित्रता एक पात्र में ही टिकी रहती है, यह कोई निश्चित नहीं है। परन्तु एक बात तो साफ है कि छोटे-से लेकर बड़े तक सभी मित्र चाहते हैं और मित्र की जीवन में अनिवार्य जरूरत भी महसूस करते हैं।

गृहस्थ का जो बोझ उसके सगे-सम्बन्धी, स्त्री या पुत्र उतार नहीं सकते, उसे एक मित्र उतार सकता है। चिन्ता और दुःख में मित्र एक प्रबल आश्वासन का स्थान है। तथैव सुख और शांति के स्थल में भी मित्र की सहायता की आवश्यकता रहती है। आनन्द व्यक्त करने के लिये भी मित्र का अभाव खटकता है। विशेषतः विचारों के आदान-प्रदान करने के लिए तो प्रत्येक मनुष्य को एक सच्चे मित्र की आवश्यकता रहती है। जिसके ऐसा मित्र नहीं होता, उसे अन्य सुख भी फीके लगते हैं। विचार-विनिमय होने से मनुष्य को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, उसका ध्येय सुरक्षित रहता है।

मित्रता का मूल

किसी से मैत्री होने का मूल कारण समानता है। वचन में उन्नत की समानता से मित्रता होती है। जरा बड़े होने के बाद साथ-साथ

खेलने-कूदने और समान आदतों से वह मित्रता टिकती है, बाद में मह-शिक्षण से वह फनती-फूलती है और समान विचारों में वह बढ़ती रहती है ।

मित्र पद की जिम्मेवारी

‘जैसा मग वैसा रग’ इस वाक्य में गहरा रहस्य है । सचमुच जिमके समर्ग में या जिम वातावरण में मनुष्य रहता है, धीरे-धीरे वह वैसा ही बनता जाता है । माता-पिता द्वारा उच्चसंस्कारों में पोषित बालक भी कुसंग के कारण हल्की खामियत का बन जाता है । अतः अपरिपक्व-बुद्धिवाले बालक को माता-पिता उच्च भावनावाले बालकों के समर्ग में रखें । बाद में परिपक्व हो जाने पर तो वह स्वयं गुण दोष की कमीटी करके मित्र पद के योग्य व्यक्ति को ढूँढ सकता है । परन्तु जब तक खुद का उतना विकास न हुआ हो या मित्र ढूँढने की योग्यता न हुई हो, या जब तक वैसा मित्र न मिले तब तक बिना मित्र के रहना अच्छा, किन्तु दुर्गुणी मित्र बनाना कदापि ठीक नहीं ।

मित्र के सद्गुण

मित्र बनाने से पहले उसमें नीचे लिखे गुणों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए — १ उसमें उच्चसंस्कारिता और सद्विचार हो । क्योंकि इन दोनों गुणों वाला मित्र बुरी आदतों और हल्की खामियतों से बचा सकता है तथा नीति-भंग या आत्मपतन होने के मौके पर सद्विचारों द्वारा मोड़ सकता है । २ वह दृढ़ निश्चयी हो । दृढ़ निश्चयी मित्र विपत्ति, सम्पत्ति, सुख-दुःख या अच्छी-बुरी परिस्थिति में भी मित्रता को निभा सकता है । ३ वह निस्वार्थी हो । निस्वार्थी मित्र धन या अन्य किसी स्वार्थवश मैत्री नहीं करता, जिससे उसकी निस्वार्थ मैत्री चिरस्थायी रहती है और फलप्रद भी होती है । ४ वह उदार हो । वह चाहे भिन्न जाति या भिन्न धर्म-सम्प्रदाय का हो, परन्तु

उदार प्रकृति का होगा तो स्वयं कष्ट सहकर भी मित्र के अन्तःकरण को सन्तुष्ट कर सकेगा। इन चार गुणों से अलंकृत हो, वही सच्चा मित्र और मित्रता का सच्चा पात्र होने योग्य है।

ऐसे सच्चे मित्रों के उदाहरण कम नहीं हैं, जिन्होंने अपने मित्र के लिए अपनी सर्वस्व संपत्ति होम दी हो, अपने मित्र का दुःख अपने सिर पर ले लिया हो या अपने मित्र के लिए मृत्यु का आर्लिगन करने को तैयार रहे हो, चापराज हाडा और पहाडसिंह की मित्रता इसका ज्वलंत उदाहरण है।

मित्रता के दूषण

१. दुर्व्यसन—महाव्यसन सात प्रकार के हैं—जुआ, शराब, ताडी, और चाय-बीडी, मासभोजित्व, व्यभिचार, अतिविलास, चोरी, और पाप युक्त कमाई। ये सातों या इनमें से कोई दुर्व्यसन जिस मित्र में होते हैं, वह मित्र स्वयं भी डूबता है और अपने मित्र को भी डूबोता है।

२. अनिश्चितता—जिस मित्र के विचार निश्चित नहीं हैं, या जो जवान का पक्का नहीं है, या जो अवसरवादी है, 'क्षरौ रष्ट्र क्षरौ तुष्ट्र' की वृत्ति वाला है, वह दुर्बल मन का मित्र अपने मित्र की दुःखी स्थिति में टिक नहीं सकता।

३. अविश्वस्त—मित्र का चरित्र इतना विश्वस्त व उच्च होना चाहिए कि जिसके सामने मित्र अपना दिल खोल सके, अपनी गूढ बातों का समाधान पा सके और उसकी कहीं त्रुटि हो तो सुधार सके।

आज की मित्रता म्बार्थ, कुटेव और स्वच्छन्दता के दुःगुणों में से प्रगट होती अनेक जगह दिखाई देती है। सच्ची मित्रभावना तो सारे विश्व को वश में कर सकती है। मित्रता के दूषण से रहित और सद्गुणों से युक्त सन्मित्र ससार की सबसे बड़ी उपयोगी वस्तु है। ऐसी निःस्वार्थी और विशुद्ध मित्रता के विकास की आज अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि यही एक गृहस्थाश्रमी को मुक्ति के उच्च शिखर पर चढा सकती है।

बुजुर्ग और जवान

इस प्रकरण में बुजुर्गों और जवानों के बीच पारस्परिक कर्त्तव्य विचारणीय है। बुजुर्गों में पुरुष वर्ग में जवानों के मामा, काका, दादा और दादा ये और स्त्री वर्ग में काकी, मामी, बड़ी माँ, और दादी आदि का समावेश होता है। जैसे माना-पिता, भाई आदि के प्रति कर्त्तव्य पालन करना होता है, अन्यथा उनमें रही हुई वृद्धियाँ गृहस्थाश्रम की मधुरशान्ति में विक्षेप पैदा करती हैं, वैसे ही बुजुर्गों और जवानों के पारस्परिक कर्त्तव्यों के बारे में भी समझना चाहिए।

मामा का कुटुम्ब

मामा का घर ननिहाल कहलाता है। मामा और मामी का भानजे के प्रति वात्सल्य भी पुत्रवत् होता है। भानजे का भी अपने ननिहाल का खूब आकर्षण होता है। जब जब वह अपने ननिहाल जाता है, तब तब उसे देखते ही नाना-नानी खूब हर्षित होते हैं, लाडप्यार करते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं। ननिहाल का सारा गाँव उसे भानजा कह कर पुकारता है और स्नेह रखता है। बाल्यकाल में जिस ननिहाल का भानजे पर अतिप्रेम और उपकार रहा, उस ऋण को चुकाने के लिए जवानी में तैयार रहना भानजे का कर्त्तव्य है। स्वयं सुखी हो तो अपने ननिहाल के कुटुम्ब को आर्थिक मदद और वैचारिक सहयोग देना भी उसका अनिवार्य कर्त्तव्य है।

काका-काकी

पिता के भाई काका या चाचा कहलाते हैं, उनका भी अपने भतीजों पर सतान-सा प्रेम होता है। स्वयं के सतान न हो वहाँ तक तो अपने

भाई के पुत्रों पर प्रेम रहता ही है, परन्तु बाद में यह प्रेम कम होता जाता है। यद्यपि काका-काकी का स्वल्प प्रेम भतीजे को सहाय विहीन नहीं बनाता, क्योंकि उस अपूर्णता की पूर्ति उसके वात्सल्य भंडार माता-पिता कर सकते हैं। परन्तु अगर काका-काकी का यह अल्पस्नेह अपने और अपने भाई के लडको के बीच असमानता का रूप ले ले, तब तो वह भाई-भाई और देवरानी-जिठानी के बीच कलह का निमित्त बन जाता है। इस दु स्थिति से बचने के लिए उन्हें अपने भतीजे के प्रति भी सदा पुत्रभाव रखना चाहिए, जिससे उनकी वृद्धावस्था में वह स्नेह उनके प्रति भक्तिवर्द्धक बने और वह जवान भी प्रसंग आने पर काका-काकी की माता-पिता-तुल्य सेवा कर सके। इस सम्बन्ध में काका और मामा की अपेक्षा काकी और मामी का विशेष कर्तव्य है कि वे बाल्यकाल से ही इन बालको पर वात्सल्य बहाती रहे।

मासी और फूफी

माता की बहन मासी या मौसी कहलाती है। अपनी बहन की सतान पर स्वाभाविक स्नेह होता ही है। वह अपनी ससुराल जाने पर भी इस भांगनी स्नेह परंपरा को बनाए रखती है। इतना ही नहीं अपने पति को भी अपनी बहन के कुटुम्ब के प्रति स्नेहयुक्त बनाती है। मासी के बालक भी परस्पर भाई-बहन का नाता रखते हैं।

फूफी का स्नेह अपने भाई के पुत्रों पर अधिक ही होता है। भतीजे के जन्म होते ही वह सहर्ष दौड़ आती है। भतीजे का नाम भी फूफी की सम्मति से रखा जाता है। फूफी के बालको का स्नेह भी उनके ननिहाल के नाते अपने भ्रातृपुत्रों के साथ खूब गाढ होता है।

परन्तु इन सबका मिलन क्वचित् ही होता है। मासी तो ननिहाल में किसी विशेष प्रसंग पर मिलती है, पर फूफी और उसका कुटुम्ब तो कई बार मिलते हैं। जिस प्रकार फूफी और मौसी का प्रेम अपने भतीजे

व भानजे पर होता है, वैसे ही उनके कुटुम्ब पर भतीजा व भानजा कहलाने वाले को प्रेम-व्यवहार रखना चाहिए ।

नाना-नानी और दादा-दादी

नाना और नानी ननिहाल के तथा दादा और दादी अपने घर के मुख्य पात्र होते हैं । वृद्धों का स्नेह बालकों पर अत्यन्त होना है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अपने पुत्री-पुत्रों की अपेक्षा अपने पौत्र-पौत्रियों व दौहित्र-दौहित्रीओं के प्रति स्वाभाविक ही विशेष आकर्षण होता है । यह आकर्षण कभी-कभी इसलिए भी होता है कि उनके खुद के पुत्र उनकी बात न मानते हों या उनकी अपेक्षा करते हों । कुछ भी हो उनके दिल में नन्हें बालकों के प्रति विशेष स्नेह होता ही है । अतः उन्हें अपने कर्त्तव्य समझाने की अपेक्षा, उनके प्रति बालकों का कर्त्तव्य नुझाना जरूरी है । बयोवृद्धों की सेवा करना यह तो उनका प्रथम कर्त्तव्य है ही । अपने माता-पिता, दादा-दादी के प्रति अदा किए जाने वाले कर्त्तव्यों से कदाचित् चूकते हों तो युवक और उसकी पत्नी को विनयपूर्वक अपने माता-पिता को समझाना चाहिए और यथाशक्ति तन, मन और धन से उन्हें सहयोग देना चाहिए ।

माराश यह है कि काका-काकी, मामा-मामी, मासी-फूफी, नाना-नानी, दादा-दादी और अन्य वृजुर्गों के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार करना प्रत्येक दम्पती का पवित्र कर्त्तव्य है ।

वृजुर्गों और युवकों में मतभेद के कारण और निवारण

भारत में आज नया युग आया है । इसके साथ-साथ दुनिया विज्ञान के सहयोग में अत्यन्त नजदीक आ गई है, इस कारण एक राष्ट्र की घटनाओं और विचारों का प्रभाव दूसरे राष्ट्र पर पड़े बिना नहीं रहता । युवक नये जमाने की हवा में पला पुसा हैं, इसलिए उसके दिमाग में समाज, धर्म और राष्ट्र के नाम से दभ, दकियानूसी, पिछड़ापन और

अन्धविश्वासो को एक झटके में उखाड़ फेंकने के तूफानी विचार हैं, धर्मतत्त्व को वह वास्तव जीवन में सक्रिय देखना चाहता है। समाज में चलने वाली कुरूपियों, राष्ट्रीय अज्ञानता और धर्म कानून से जकड़े हुए वह वृद्धो को देखता है, तब उसे ग्लानि होती है, वह उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है, पर बूढ़े उसे नास्तिक कह कर सजीदगी से उसके साथ पेश नहीं आते, उसकी बात को ठुकरा देते हैं। बस, यही असतोष युवको के मतभेद का कारण है। ये विचारो के द्वन्द्व ही आगे जाकर व्यवहार और कार्य के मैदान में आ धमकते हैं, और घर-घर में धमाचीकड़ी शुरू होती है। दोनों के बीच चलने वाला यह तीव्र असतोष ही दोनों को कई बार कर्तव्यच्युत कर देता है। इस मौके पर प्रेम, उदारता, क्षमा और सयम से काम लेकर पुराने रूढ़ विचारो वालो में नए विचार और भाव धीरे-धीरे प्रविष्ट करने चाहिए।

बुजुर्गों को विचार सहिष्णुता तो रखनी ही चाहिए, बल्कि जहाँ-जहाँ युवक भूल करते हो, वहाँ स्नेहभाव से सच्चे विचार समझा कर उसे सुधारनी चाहिए। तथा अपनी पकड़ी हुई कुरूपि या परम्परागत सस्कारो को कठिनाई सह कर भी दूर करने चाहिए। युवको को चाहिए कि वे अपने विचार प्रगट करते समय धैर्य और उत्साह कायम रखें। बुजुर्ग अगर न मानें तो सविनय मीठे सत्याग्रह से उनके गले वह बात उतारें। वे अगर उनकी बात समझ न सकते हो तो धीरे-धीरे स्नेह और धैर्य के साथ उन्हें समझाने का प्रयत्न करें। जो कार्य धैर्य, सतोष, स्नेह और विनय से साध्य है, वह दूसरे गुणो से साध्य नहीं। प्रत्येक क्रिया में विवेक अति उत्तम व उपयोगी वस्तु है, उसका हर काम में रचनात्मक उपयोग होना चाहिए। प्राचीन वस्तुएँ खराब नहीं हैं, धर्म भी बुरा नहीं, परन्तु उसके रक्षको में दोष आ गए हैं, अतः उनका दोषारोपण दूसरी वस्तु पर नहीं डालना चाहिए। बुजुर्गों के सहयोग के बिना सागोपाग कार्यसिद्धि नहीं हो सकती। बुजुर्ग भूल करते हो तो उसमें समाज के प्राचीन सस्कारो का ही विशेष दोष है। वे बेचारे प्रायः,

अशिक्षित और अनजान होने से उस बात को समझ नहीं सकते । अतः ऐसी दशा में युवको का फर्ज उनके ब्रजाय अधिक बढ जाता है । ब्रजुर्गो का तिरस्कार करके स्वच्छन्दीप्रवाह में वह जाना अत्यन्त हानिकारक है । स्वच्छन्दी वृत्ति से तो राष्ट्र और आत्मा का पतन है । कोरी शिक्षा से स्वच्छन्दता नहीं सकती । उसके साथ-साथ गृहद मस्कार और परिपक्व अनुभव की आवश्यकता है । उपयुक्त बातों को युवक लक्ष्य में रखें और ब्रजुर्ग युग को पहिचान कर उनमें कार्य लेना सीखें तो गृहस्थाश्रम से सम्बन्धित अनेक अटपटे प्रश्न मिनटों में हल हो सकते हैं । अन्यथा, दोनों का व्यक्तिगत कलह अपनी सीमा को लाघ कर समाज और राष्ट्र को भी उन्नति के अवसरों से वंचित कर देता है ।

दामाद और सास-सुसर

अपनी पुत्री पर जितना माता-पिता का प्रेम होता है उममें भी अधिक अपने दामाद पर सास-ससुर का होता है, क्योंकि अपनी पुत्री का वह अर्धांग है, स्वामी है, अद्वितीय प्रेमपात्र है, सुख का स्थान है, सौभाग्य कारण है । अतः अपना दामाद स्वस्थ और सुखी रहे ऐसी शुभाकांक्षा उसके प्रति उनकी होनी है । कई बार तो पुत्र की अपेक्षा भी दामाद को वे अधिक चाहते हैं । उसके प्रति उनकी उदारभावना जागती है कि कुछ न कुछ इसे घर में से दे दे । दामाद की अच्छी स्थिति देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो जाता है । यह प्रेम पति-पत्नी के प्रेम में सहायक और वृद्धिकर होता है ।

इस प्रेम को प्रशस्तरूप से चालू रखना सास-ससुर का कर्त्तव्य है । परन्तु कई बार अपनी पुत्री के प्रति ममत्व या स्वार्थ से सास-ससुर का अतिस्नेह दामाद को स्नेहान्ध बना देता है । श्वसुरगृहासक्त युवक अपने कुटुम्ब के प्रति अदा किए जाने वाले कर्त्तव्यों से कई बार भ्रष्ट हो जाता है । कई सास-ससुर अपने यहाँ घर जमाई रखकर या दामाद को निस्प्रयोजन बहुत-सा धन देकर आलसी, अपठ और विलासी बना देते

है। अतः सास-ससुर को इन सब बातों में खूब सावधान रहना चाहिए। वे अपने दामाद के माता-पिता तुल्य हैं, इसलिए कर्त्तव्य भ्रष्ट होते हुए दामाद को कर्त्तव्य भान कराना उनका परमकर्त्तव्य है।

कई बार श्वसुरकुटुम्ब पर कई दामादों को पहले से ही घृणा होती है, वह भी इतनी हृद तक कि वे अपनी पत्नी को भी उसके माँके भेजने से इकार कर देते हैं। यह दामादों का महादूषण है। उन्हें श्वसुरकुटुम्ब के साथ मीठा और सच्चा स्नेह रखना चाहिए।

समधियों के पारस्परिक कर्त्तव्य

इस सम्बन्ध में समधियों को भी पारस्परिक कर्त्तव्य बजाना चाहिए। उन्हें अपने-अपने पुत्र-पुत्री को यथायोग्य हितशिक्षा देकर अपने कर्त्तव्य-धर्म में दृढ करना चाहिए। पारस्परिक स्नेह सम्बन्धवत् मधुर बनाए रखने के लिए अत्यन्त लेन-देनके भ्रमेले में नहीं पडना चाहिए। और पारस्परिक हित सोचकर एक दूसरे पर आर्थिक सकट आ पडने पर आर्थिक सहायता व एक दूसरे के अच्छे-बुरे प्रसंगों पर परस्पर सहानुभूति पूर्वक सेवा करनी चाहिए।

समधियों के कर्त्तव्य

समधि-समधियों के बीच कई बार विवाहादि प्रसंगों पर कम ज्यादा लेने देने पर परस्पर क्लेश खड़े हो जाते हैं, उनमें मूल कारण समधिनें होती है। “विवाह के समय बस, इतने ही लड्डू भेजे। उसके दामाद को पगडी भी दी, समधिन के घर गए पर कुछ पूछा तक नहीं।” ऐसी तुच्छ बातों को स्त्रियाँ पहाड का रूप दे देती हैं। और घर में बहू को ताने मारकर उसकी सासू उस वैर का बदला लेती हैं। और कन्या-पक्ष की समधिन अपने घर पर दामाद के आने पर उसकी मा के दोषों के गीत गाती हैं। “तुझ में ही राम नहीं है! तेरी तो घर में कुछ चलती नहीं” इस प्रकार अपनी लडकी को उत्तेजित करके सामु-बहू में फूट डाल देती हैं।

समभ्रदार समधिनो को अपनी सतान के हित के लिए ऐसी

कुटेवे छोड़ देनी चाहिए। वस्तु की अपेक्षा स्नेह ही सर्वोपरि धन है यह सोचकर परस्पर बहनों के समान स्नेह रखना चाहिए। अपनी गताने कही भूल करती हो तो उन्हें हितयिक्षा देकर उनके गृहस्थाश्रम को सुखी बनाना चाहिए।

साला-बहनोई

साला-बहनोई को आस के आन्तरिक जीवन में न पड़कर व्यवहार-पूर्ति जितना ही कार्य रखना उचित है, जगमें उनका स्नेह न्यायी रह सके। कई बहनोइयों को अपने सालों की अत्यन्त मजाक करने की आदत पड़ जाती है, जो एक बड़ा दूषण है। माने के प्रति अपने छोटे भाई का-सा व्यवहार रखकर एक दूसरे के महायक बनने का प्रयत्न करना चाहिए।

साला या बहनोई दोनों जब तक कम उम्र के होते हैं, तब तक तो व्यावहारिक बोझ उनके माना-पिता मभाल ही लेते हैं। बड़ी उम्र में उन पर वह बोझ आता है, उम्र समय साले का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बहन के हित को लक्ष्य में रखकर पूर्वस्नेह सुरक्षित रखने के लिए उसके दुःख में यथा-शक्ति भाग ले। और बहनोई का भी कर्त्तव्य है कि साला या उसका कुटुम्ब दुःखी हो तो उसे मदद दे।

सादु-सादु

दो सगी बहनो के भिन्न-भिन्न पतियों के सम्बन्ध को 'सादु' कहा जाता है। यह सम्बन्ध भी वात्सल्यपूर्ण होता है और यह दो बहनो के प्रेम से उद्भूत हुआ है। अतः उन दो बहनो में जितना अधिक स्नेह होगा, उतना ही अधिक यह सम्बन्ध टिकाऊ और कार्य साधक होगा। बहुत से सादुओं में भाई-भाई की तरह का सुन्दर स्नेह होता है और वह जीवन-पर्यन्त टिकता है।

गृहस्थाश्रम की सर्वांग पूर्णता

उपर्युक्त सभी स्वजन कहलाते हैं, पति और पत्नी के वैवाहिक

जीवन से ये सब स्नेह सम्बन्ध पैदा होते हैं और ये गृहस्थाश्रम के गहन पथ में विश्राम के समान सुखद और सफल बनते हैं ।

माता, पिता, भाई, बहन, काका, काकी, दादा-दादी आदि कुटुम्बी कहलाते हैं, मासी, मामा-मामी, नाना-नानी, फूफी आदि के कुटुम्ब सगे-सम्बन्धी कहलाते हैं । मित्र, स्नेही या अन्य सम्बन्धी वर्ग स्नेही कहलाते हैं । इस तरह स्वजन, कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी और स्नेही मिलकर गृहस्थाश्रम सर्वांगी बनता है । और पूर्णता तो तभी आती है, जब पति और पत्नी के गृहस्थाश्रम से बीज उगकर स्कन्ध का वृक्ष बनेगे और उसकी डालियो, पत्तो, फूलो और फूलो के समान इन विविध सम्बन्धियो में जितनी पूर्वोक्त कर्त्तव्य विवेचन के अनुसार स्व-स्व क्षेत्र में कर्त्तव्य परायणता आएगी, तथा आदर्शों के प्रति दृढता और व्यवहारों में सरलता होगी । तभी गृहस्थाश्रम सर्वांगपूर्ण होगा और उसका सुन्दर रस चखा जा सकेगा ।

कुटुम्ब-धर्म

हम यह स्पष्ट अनुभव करते हैं कि चाहे जितना माधन-सम्पन्न गृहस्थाश्रमी हो, लेकिन यदि उमका कुटुम्ब सुखमय न हो, सुख के अपार माधन हस्तगत होते हुए भी क्लेश से तप्त रहा करता हो, या स्नेहशील और परस्पर वफादार न हो, या कुटुम्ब में एक दूसरे को सहयोगजन्य सुख न मिलता हो तो सुख के सभी माधन व्यर्थ हैं । उमका इलाज क्या है ?

कौटुम्बिक सुख कैसे पैदा हो और बढ़े ?

केवल धन इकट्ठा कर लेने से कौटुम्बिक सुख सम्भव नहीं है । आज का भुलकड मानव इस बात को जानते हुए भी धनार्जन के पीछे जितना समय और शक्ति लगाता है, उतना कुटुम्ब के निर्माण और सहकारिता के पीछे शायद ही लगाता हो । जो लोग धन की कमी को कौटुम्बिक कलह या दुःख का कारण मानते हैं, उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया होगा कि धन की अपार वृद्धि होने पर भी प्रायः कौटुम्बिक कलह या दुःख में कमी के वजाय अधिकता ही बढ़ती है । अगर वे इस दुःख का मूलकारण सोचें तो कुटुम्ब-निर्माण और सस्कारिता की त्रुटि ही उन्हें नजर आएगी ।

कुटुम्ब निर्माण और सस्कारिता की त्रुटि को दूर करने के लिए कुटुम्ब-धर्म को द्रुवतारे की तरह दृष्टिसमक्ष रखना होगा । अगर मनुष्य प्रारब्ध के चक्कर में पड़कर यह सोचने लगे कि प्रारब्धयोग से ही माता-पिता, भाई-बहिन आदि कुटुम्ब का मिलन हुआ है, मैं इस कुटुम्ब को अच्छा या बुरा कैसे बना सकता हूँ । जो होना होगा

सो हो जायगा या ईश्वरकृत्ृत्वादी हुआ तो ईश्वर के हाथ मे है, इस प्रकार कह कर कुटुम्बधर्म या कुटुम्बनिर्माण के कार्य निरुत्साही या अकर्मण्य बन जाता है, तो नि सदेह उसका और कुटुम्ब का पतन है । इसी प्रकार एकान्त पुरुषार्थ को पकड कर असत्पुरुषार्थ करने लगे या मैं ही सब कुछ करता हूँ , मैं न होऊ तो कुटुम्ब का क्या हो ? इस प्रकार का अभिमान करने लगे, अथवा मैं स्वतत्र रहकर पुरुषार्थ कर सकता हूँ । मुझे कौटुम्बिक बन्धन या कौटुम्बिक कर्तव्यो के चक्कर मे क्यो फसना चाहिए ? यह तो पराधीनता है या मोह है, मुझे अपना ही विकास या कल्याण करना चाहिए आदि कहे तो यह भी उसका और कुटुम्ब का पतन है । क्योकि प्रारब्ध पूर्वकृत शुभ या अशुभ पुरुषार्थ का ही नाम है । विभिन्न म्थलो मे रहे हुए जीवात्माओ को कुटुम्बरूप मे एकत्रित कर देने मे ऐसा प्रारब्ध—पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म—अवश्य कारणभूत है, मगर उस एकत्रित कुटुम्ब को मुन्दर या असुन्दर बनाना तो पुरुषार्थ के ही हाथ मे है । अत निरहकारपूर्वक क्षुद्रस्वार्थ व आसक्ति से रहित होकर कुटुम्ब धर्म मे पुरुषार्थ करना ही इसका सही उपाय है ।

कुटुम्बधर्म का पालन करने के लिए तीन वाते आवश्यक हैं—
कुटुम्ब का सगठन, निर्माण और सस्कारिता । कोई व्यक्ति अकेला हो, अलग-अलग रहता हो तो उससे कोई भी उच्च कार्य सिद्ध नही हो सकता । कुटुम्ब का सगठन हो तो उससे अशक्य और असाध्य कार्य भी सुशक्य और सुसाध्य हो जाता है । सगठन तभी चिरस्थायी होता है, जब उसका प्रत्येक सदस्य उसके प्रति वफादार हो । पारस्परिक कर्तव्यो का यथार्थ पालन करता हो और तू-मैं या 'मेरे-तेरे' की क्षुद्र स्वार्थवृत्ति से दूर रहकर एक दूसरे के प्रति प्रेमल और सहिष्णु रहता हो । सगठन मे एक दूसरे के लिए अपने को घिसाने, सहने और त्याग करने के मौके आते है, इससे कुटुम्बगत व्यक्तियो का निर्माण होता है, सुनस्कारो की प्रेरणा मिलती है, व्यवहार-दक्षता बढती है । व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा समग्र कुटुम्ब के सुख का विचार पैदा होता है ।

साथ ही एक घर के सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी कुटुम्बधर्म के सकारो को परिपुष्ट करने के लिए सामूहिक प्रार्थना करें (प्रार्थना, उदात्त, भावप्रद व प्रेरक हो, हो सके तो सर्व धर्म-गमन्वधात्मक हो) । प्रार्थना के बाद भजन, ध्यान और मंगला-मंत्रोच्चारण हो, उसके बाद सभी मौन रहकर १ गिनट तक अपने-अपने गृहजनों के प्रति स्नेह और वात्मन्यपूर्ण दृष्टि डालें । तत्पश्चात् अन्तर्निरीक्षण करके किसी के साथ अपनी कोई भूल या गटक हो तो उमका प्रेम से परस्पर समाधान करें ।

इस प्रकार धीरे-धीरे कुटुम्ब निर्माण होगा ही, पर उममें भी तीन तत्त्वों की आवश्यकता है । वे हैं—पूरक, प्रेरक और मार्गदर्शक ।

कुटुम्ब में स्त्री और पुरुष परस्पर पूरक हैं । अगर स्त्री भूल करती हो तो पुरुष को उसे प्रेम में सावधान करना चाहिए और पुरुष भूल करता हो तो स्त्री को उमें प्रेम से समझाना चाहिए । परन्तु दोनों ही भूल करते हो, वहाँ प्रेरक तत्त्व की जरूरत पड़ती है । कुटुम्ब में ऐसे माता-पिता आदि गुरुजन (बुजुर्ग) हैं । इसीलिए भारतीय सस्कृति के ये अमर सूत्र हैं—‘मातृदेवो भव,’ ‘पितृदेवो भव’ । कदाचित् माता-पिता आदि भी मोह, स्वार्थ, रुढिचुस्तता, अन्धविश्वास आदि के कारण कही चूकते हो तो उन्हें चेताने वाला कौन ? मतलब यह कि जैसे कैंकेयी माता चूक गई थी, दशरथ पिता भी राम को १४ वर्ष तक वनवास की कृत प्रतिज्ञा के बाद वापिस लाने की भूल कर बैठे थे, तब उन्हें सावधान करने वाला तत्त्व है—आचार्य—मार्गदर्शक । इसीलिए चातुर्वर्ण्य गुरु के प्रति सन्मान प्रदर्शित करने वाला ‘आचार्य देवो भव’ यह सुन्दर सूत्र आया । कदाचित् वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे मार्गदर्शक भी भूल कर बैठे तो ? तब तो अन्तिम मार्गदर्शक सर्व-समष्टि में व्यापकरूप से निहित धर्मतत्त्व (सत्य) ही बन सकेगा ।

इन तीन बलों के सहारे कुटुम्बनिर्माण करने में सकारिता तो आएगी ही । फिर भी समग्रकुटुम्ब में सुसकारिता लाने के लिए

माताओ को विशेष प्रयत्न करना पडेगा, क्योकि घर मे सस्कृति की रक्षिका वे ही है । वे ही नागरिको की जनयित्री है, राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे नरवीरो का निर्माण करने वाली है । महर्षि मनु ने नारी के प्रत्येक अंग को पूजनीय बताया है । और उसकी पूजनीयता तभी सार्थक होगी, जब वह समग्र कुटुम्ब मे सुसस्कार डालने के लिए स्वयं सुसस्कृत होगी, उदार, सहिष्णु और सयमी बनेगी ।

और तब कुटुम्ब कैसा होगा ?

ऐसा कुटुम्बधर्म से युक्त कुटुम्ब जहाँ भी दूर-मुदूर उसके कुनवे या कुल का कोई भी व्यक्ति दुःख मे होगा तो वहाँ उसके दुःख मे परस्पर सहभागी बनेगा, सुख मे सुखवृद्धि करेगा, सेवा और सौजन्य द्वारा शारीरिक-मानसिक श्रम निवारण करके शान्ति और आश्वासन की आरामशय्या मे सुलाएगा । और ऐसा विशाल व सुसगठित कुटुम्ब समाज, राष्ट्र और धर्म की सुन्दर सेवा करके जन-जन के हृदय मे अपना स्थान बना लेगा ।

पड़ोसी-धर्म

आदर्श गृहस्थाश्रम में कुटुम्ब के दायरे में आगे बढ़ते ही पड़ोसी का दायरा आता है ।

कुटुम्ब के साथ रक्त सम्बन्ध होने में वह उसे तो अपना ही मानता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ उन वर्तव्य के प्रति वह मत्त जागरूक रहता है । परन्तु वह स्नेह अपने माने हुए कुटुम्ब जितने सकुचित घेरे में ही बन्द हो जाय तो उसमें विकृति आने की सम्भावना है, ममता के बवनों में उसके जकड़ जाने का अदेशा है । इनीलिए समाजशास्त्रियों ने स्नेह के क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न स्थान निश्चित किए हैं, उसमें पहला स्थान पड़ोसीधर्म का है

पड़ोसीधर्म का पालन करने और उसे अमली रूप देने की इच्छा मनुष्य के गूढ अन्तरतम में मत्त रहा करती है । परन्तु पड़ोसी और पड़ोसीधर्म किसे कहें ? यही सर्व प्रथम विचारणीय बन्तु है ।

पड़ोसी धर्म की व्याख्या

अगर 'पास में रहने वाला' इतना ही सकुचित अर्थ पड़ोसी का किया जाय तो अपने पाम में रहने वाले पति को पत्नी, एव पुत्र को माता पड़ोसी ही समझेगी । और इससे आगे बढ़कर अपनी जाति या धर्म को पड़ोसी मानें तो भी वह अर्थ सकुचित होगा । अपनी जाति के प्रति तो जानवर भी वफादार और सहायक होते हैं । अधिक मानसिक विकास होने के कारण मनुष्य की जिम्मेवारी अधिक है । अतः उसका कर्तव्य क्षेत्र तो क्रमशः विशाल होना चाहिए । यही कारण है कि मनुष्य अपने जन्म-ग्राम को ही जन्मभूमि न मानकर सारे राष्ट्र को

जन्मभूमि मानता है और अपने पुरुषार्थ का उपयोग सारे देश के शुद्ध हित में करता है ।

इस दृष्टि से उच्च स्तर से पडौसीधर्म का विचार करे तो हमारा सारा देश गृहरूप और देश की सारी जनता हमारी कुटुम्ब रूप बनजाती है । जैसे कुटुम्ब के विभिन्न अंग अलग-अलग उपयोगी कार्य करते हुए परस्पर अभिन्नता रखते हैं, वैसे ही सारे देश की सभी समाजे और जातियाँ परस्पर अभेदभाव से बर्ताव करे । इस तरह राष्ट्रगत कुटुम्ब-भाव व्यापक होने के साथ ही दूसरे राष्ट्रों के प्रति पडौसीधर्म जागृत हो और उसका ज्यो-ज्यो विक्रम होता जाय त्यों-त्यों सारा विश्व मैत्रीभाव से ओतप्रोत हो जाय ।

यद्यपि ऐसी स्थिति होने पर मानव की स्वार्थवृत्ति सर्वथा नष्ट तो नहीं हो जायगी, फिर भी आज जैसी अधम दशा, या भूखमरी वेकारी और दुःस्वार्थ वृत्ति जैसे दुःख तो नहीं होंगे । मतलब यह कि वह स्वार्थ होगा भी तो उच्चकक्षा का होगा । आज पडौसी धर्म का विस्तृत स्वरूप कल्पनामय लगता है, मगर ऐसी व्यापकता असंभव तो नहीं है ।

आज पडौसी की प्रचलित व्याख्या है—घर के पास रहने वाला, एक गाँव में रहने वाला या घर के कार्य में सहयोग देने वाला अन्य कुटुम्ब का व्यक्ति पास में आकर याचना करने वाला याचक अथवा अकस्मात् घर में आने वाला अतिथि । इनके प्रति पालन किया जाने वाला धर्म पडौसीधर्म है ।

इस प्रचलित व्याख्यानुसार भी पडौसीधर्म का पालन किया जाय तो बुरा नहीं है, क्योंकि यह भी विशाल व उच्च पडौसीधर्म का एक छोटा महत्वपूर्ण अंग ही है ।

पडौसी-धर्म के पालन के लिए

पडौसी-धर्म-पालन में तीन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए —

(१) वह चाहे जिम धर्म, सम्प्रदाय, देश, वेप, कौम, जाति या समाज का हो, उभक्त साथ महानुभृति और महिष्णुता का वर्ताव करना चाहिए। मनुष्य की भिन्न-भिन्न विचार धाराएँ या दृष्टियाँ हो सकती हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर किसी को यह लगता हो कि वह विचारों में पिछड़ा है, जाति या कौम में हल्का है, अमस्कारी है, फिर भी उमका तिरस्कार करने में तो उमके विचारों या व्यवहारों को सुधारना अशक्य है, प्रत्युत उमके साथ स्नेह और महिष्णुता रखने में धीरे-धीरे उम अपने नजदीक लाया जा सकता है।

(२) मन, वचन और कर्म से इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिससे उमका दिल जग भी न दुखे। इसमें व्यवहार की एक सूक्ष्म बात में लेकर धार्मिक क्रिया तक की बातों का समावेश हो जाता है। यद्यपि विचारों या वाणी में कार्य जितना सरल है उतना ही आचरण में कठिन है। इसे स्पष्ट समझने के लिए दृष्टान्त लीजिए —

मान लीजिए, आप कहीं बैठे हैं या मुसाफिरी कर रहे हैं। आपको बीड़ी पीने की आदत है। यह आपके पास बैठे हुए पडौसी को पसंद नहीं। ऐसी दशा में आप उसके पास बैठ कर बीड़ी फूक रहे हैं तो समझिए कि आप पडौसीधर्म से चूक रहे हैं। इसी प्रकार ऐसे खाल पदार्थ जो आपके पडौस में बैठे हुए यात्री या व्यक्ति को अभीष्ट नहीं है, फिर भी आप उमके सामने बैठ कर खाते हैं तो आप पडौसीधर्म से भ्रष्ट होते हैं। अपने घर में कूड़ा निकाल कर अपने पडौसी के घर के आगे या पास में डाल दिया तो आप पडौसीधर्म में च्युत हुए, समझिए।

युरोप आदि पाश्चात्य देशों में तो इसे सभ्यता का एक अंग माना जाता है, और उसका वहाँ स्वाभाविक रूप में पालन किया जाता है, जबकि सभ्यता और सस्कृति के केन्द्र माने जाने वाले भारत की जनता को यह बात सिखानी पडती है, यह साश्चर्य दुखद वस्तु है।

धर्म और जाति के भेदो ने ऐसी सामान्य सभ्यता भी खो दी है । सचमुच भारत के लिए यह असह्य है । एक मस्जिद के पास से गुजरती हुई भजन मडली शायद ही सोचती है कि हमारे शोरगुल से मुस्लिम भाई की बदगी मे बाधा पहुँचेगी । इसी तरह हिन्दुओ के मन्दिर के पास से निकलने वाले मुस्लिम भाई को भी अपने पडौसी का दिल न दुखे । इसका शायद ही भान रहता हो ।

पडौसी की सहायता करनी चाहिए । कोई यह कहे कि पडौसी भिन्न जाति, कौम, धर्म, सम्प्रदाय या वेष का हो तो उसे कैसे सहायता दी जाय, यह सरासर गलत मान्यता है । किसी को सहयोग देने या कष्ट मे सहायता पहुँचाने मे धर्म नष्ट नहीं होता, वल्कि धर्म का पालन है । जहाँ धर्म के नाम से धर्मान्तर कराया जाता हो, मानव जाति का तिरस्कार किया जाता हो, परस्पर भगडा मचाया जाता हो या छोटे-बडे जीवजन्तु को हानि पहुँचाई जाती हो, वह धर्म नहीं, धर्म की विकृति है, धर्मभ्रम है । अमुक प्रकार का वेप, चिन्ह, तिलक, धारण करने वाले या अमुक प्रकार की पूजा करने वाले को ही किसी भी धर्मशास्त्र मे भक्त या उपासक नहीं माना है, अपितु जो परदुख मे दुखी होता है, दुख दूर करने और सुख पहुँचाने का प्रयत्न करता है, अहिंसा, सत्य, नीति-न्यायादि धर्म का पालन करता है, वही सच्चा भक्त या उपासक है । फिर आज तो मानवमात्र के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए । जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भाषा-प्रान्तवाद आदि के अभेद्य दुर्ग आज तो ढह रहे हैं । आन्तरजातीय, आन्तरप्रान्तीय, आन्तरराष्ट्रीय, आन्तरधार्मिक रोटी-बेटी व्यवहार के द्वार तेजी से खुलने लगे हैं । अन 'आचार प्रथमो धर्म' इस सूत्र को सामने रखकर सबको यथायोग्य सहयोग देना चाहिए ।

यदि मनुष्य उपर्युक्त तीन कर्तव्या का पालन अपने निकट के मनुष्यो के प्रति करे तो उसने पडौसीधर्म का पालन किया समझा जायगा । पडौसी धर्म का पालन अतिथि, याचक, दुखीया घर के

नीकर-नीकरानी या अपने व्यवसाय के कार्य में मदद करने वालों के प्रति भी होना चाहिए । घर में कार्य करने वाले को हीन न समझ कर शास्त्र में उसे 'कौटुम्बिक पुरुष' माना गया है । गुजरात में आज भी कृषि कार्य महयोगी को 'माथी' कहते हैं । ज्यों-ज्यों उस पडौमीधर्म का विकास होता जायगा त्यों-त्यों मानवस्नेह का भी विकास होता जायगा । पहले कुटुम्ब, फिर आस-पास रहने वाले व्यक्ति, ग्राम, नगर, प्रान्त, देश, समाज और विश्व मनुष्यों ने क्रमशः आगे बढ़ कर सूक्ष्माति-सूक्ष्म प्राणियों के प्रति पडौमीधर्म का आचरण किया जाय तो क्रमशः उसका क्षेत्र भी व्यापक होता जायगा । तब वह पडौमीधर्म मिटकर आध्यात्मिक क्षेत्र पर पहुँच कर आत्मा का अविचल, अखण्ड धर्म बन जायगा ।

भावना

पडौमीधर्म का पालन करने वाला यों न समझे कि मैं यह परोपकार कर रहा हूँ । क्योंकि यह तो प्राणिमात्र का कर्तव्य है और गहराई में देखे तो अपने ही लिए ईष्टकर्ता है क्योंकि समार में प्राणिमात्र को विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता रहती है । दूसरों को सहायता करने में स्वयं को आत्मसतोष भी प्राप्त होता है सहाय्यभावना के आन्दोलन देर-सदेर से वातावरण पर और वातावरण का असर उस व्यक्ति पर पड़ता है, जिसमें प्रेरित होकर वह या अन्य व्यक्ति भी आफत में उसकी मदद करता है । इस प्रकार पडौमीधर्म आदर्शगृहस्थ के लिए अनिवार्य है ।

व्यावसायिक-धर्म

जिस समाज में सहज सेवावृत्ति का जितना विकास होगा, वह समाज उतना ही समृद्ध और सुसंस्कृत होगा। भारतवर्ष में सहज सेवावृत्ति ब्रह्मचर्याश्रम से लेकर सन्यासाश्रम तक और ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक चारों आश्रमों और वर्णों में प्रत्येक व्यक्ति में ताने-बाने की तरह ओत-प्रोत हो गई थी। इसी में से 'तेन त्यक्तेन भुजीथा' सूत्र पैदा हुआ था। परन्तु धीरे-धीरे सहज सेवा की वृत्ति लुप्त होती गई और उसके स्थान में स्वार्थ और विलास पनपने लगे। जहाँ तक वर्ण-व्यवस्था अपने असली रूप में थी, वहाँ तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों परस्पर एक दूसरे की सेवा करने वाले थे। एक वर्ण एक प्रकार की सेवा करता तो बदले में दूसरा वर्ण दूसरे प्रकार की करता। इसमें सेव्य-सेवक का भेद ही न था। वास्तव में देखा जाय तो सेवा एक प्रकार का विनिमय ही है। पूर्वकाल में सारा मानव-समाज एक कुटुम्ब रूप में ही था। जैसे एक छोटे कुटुम्ब में सरलता से व्यवहार चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की उसके शारीरिक और मानसिक विकास तथा कार्य-क्षमता के अनुसार, विभिन्न कार्यों में नियुक्ति की जाती है, वैसे ही इस मानवसमाज में भी उपर्युक्त दृष्टि-बिन्दु से सुव्यवस्था के लिए कार्यों का विभाजन हुआ था। समुह रूप से यह व्यवस्था चार विभागों में बँटी हुई थी। और उन चार विभागों में सारी मानवजाति के लिए उपयोगी सभी साधनों व आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। वे उपर्युक्त चार वर्ण थे।

मनुष्य समाज को सुशिक्षण, समय और सकारों से ओत-प्रोत करने व समाज की नैतिक चौकी का कार्य निःस्पृह और निर्लोभी रहकर कर

सके, उस वर्ग को ब्राह्मण कहा गया। एक वर्ग ने कृषि जीवन, व्यापार, हुन्नर, गो-मेवा और विभिन्न जरीरोपयोगी मेवा करने का कार्य स्वीकार किया, वह वैश्य कहालाया। जनता को मरुट में बचाकर न्याय और सुरक्षा का कार्य जिम्मे उठाया, वह वर्ग क्षत्रिय कहलाया और एक वर्ग ऐसा भी हुआ जिम्मे तीनो वर्गों में अवशिष्ट समाज सेवाकार्य उठा लिया, वह शूद्र कहलाया। उस प्रकार ये सब परस्पर के कार्य पारस्परिक सेवा ही है और वह सेवा भी विनिमयरूप ही तो है।

भेदभाव था ही नहीं !

एक बौद्धिक सेवा करना है, एक व्यावहारिक सेवा करना है और एक शारीरिक सेवा करना है, ये सब सेवा ही तो हैं। इनमें स्वामी कौन है, कुछ समझ में नहीं आता। यदि कोई कहे कि हम बौद्धिक सेवा करते हैं, इसलिए स्वामी है, तो यह बात गलत ठहरनी है, क्योंकि अकेली बौद्धिक, व्यावहारिक या शारीरिक सेवा में जीवन-व्यवहार कदापि नहीं चल सकता। शरीर में मस्तिष्क स्वयं को स्वामी मानने का माहम करे और पेट काम करना बन्द करे तो थोड़ी देर में उसको पेट ठीक करने के लिए दिमागी सेवा करनी पड़ती है। इसी प्रकार पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के सभी अंगोपांग परस्पर सहयोगी हैं। एक भी अंग निकम्मा या ऊँच-नीच भी नहीं है। इसी प्रकार मानवसमाज एक दूसरे वर्ग का परस्पर सहयोगी है, इसमें कोई ऊँचा या नीचा नहीं, कोई अद्वैत या द्वैत नहीं, कोई स्वामी या सेवक नहीं।

एक बालक वयस्क होने तक अपने माता-पिता, कुटुम्ब आदि की सेवा लेकर जीता है, विकास करता है, किन्तु वह उन्हें स्वामी नहीं समझता, अपितु उपकारी समझता है और वयस्क होते ही उनकी सेवा बजाना अपना धर्म मानता है। इसमें विनिमय या कर्त्तव्य की भावना जरूर है, और कुटुम्ब, राष्ट्र या समाज में कर्त्तव्य भावना आती है, तब वहाँ किसी अंग को ऊँचा या नीचा नहीं समझा जा सकता।

परन्तु जबसे स्वामी-सेवक, मालिक-गुलाम, सेठ-नौकर, अधिकारी और तदाश्रित कर्मचारी इस प्रकार के भेद समाज में—धधे की दुनिया में—पडे हैं, तब से स्वार्थवृत्ति, शोषण, अहकार, सत्तामद, भोगविलासो का आधिक्य आदि दुर्गुण समाज में घुसे है और समाज में नियत वर्ण-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है ।

आर्थिक प्रवृत्ति और धर्म

गृहस्थाश्रमी मनुष्य को कोई न कोई आर्थिक प्रवृत्ति जिंदगी टिकाने के लिए करनी ही पडती है । अगर वह नहीं करता है तो उसका बोभ कुटुम्ब के अन्य लोगो पर पडता है, उसके माता-पिता, भाई या कुटुम्ब के अन्य लोगो को अर्थोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करना पडता है । ऐसी दशा में गृहस्थ जीवन सुखी होने के बदले दु खरूप हो जाता है । इसलिए गृहस्थ जीवन में पैर रखने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अर्थोपार्जन करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

कई लोगो की धारणा है कि आर्थिक प्रवृत्ति पापरूप है, पर यह भ्रान्तिमूलक है । आर्थिक प्रवृत्ति कर्त्तव्य विनिमय या सेवा समझकर की जाय तो उसमें पाप नहीं है । इसीलिए “धमार्थमर्थमर्जयेत्” (धर्म-पालन के लिए अर्थोपार्जन करे), यह सूत्र प्रचलित हुआ । जब एक व्यक्ति दूसरे की उत्पन्न की हुई वस्तुएँ लेता है और बदले में समाज को कुछ भी नहीं देता, किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करता, तो वह समाजधर्म की दृष्टि से चोर ठहरता है । चारों ही वर्ण के लोग अगर यह ठान लें कि हम तो कुछ भी अर्थप्रवृत्ति नहीं करेगे, तो यह समाज टिक नहीं सकता । इसीलिए आर्थिक प्रवृत्ति के लिए मनुष्य किसी भी चीज का व्यापार कोई उद्योग-धधा, खेती, पशुपालन, कोई पेगा (डॉक्टर, वैद्यक, नकालत, अध्यापन आदि, या कोई नौकरी अथवा मजदूरी आदि करता है । आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आर्थिक-सग्राम मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है । इसके तीन कारण मुख्य हैं —जनसंख्या

वृद्धि, आवश्यकताओं में वृद्धि, यशोद्योग एव पू जीवादी अर्थव्यवस्था के कारण बेकारी । आज तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि नारे दिन भर तनतांड मेहनत करने पर भी जम्में पूरी नहीं होती । परन्तु अर्थोपार्जन के पीछे जो जीवन विक्राम और धर्मपालन का हेतु था, वह लगभग भुना दिया गया है । आज तो लोगो ने यह मान लिया है कि पैसे होंगे तो नुय दौडता आएगा । परन्तु मुय पैसे में नहीं, मनुष्य की मानमिव समता में है अगर मनुष्य यह निश्चय करने कि जिस आर्थिक प्रवृत्ति ने मेरा जीवन-विक्राम नहीं सधता, वह मेरे लिए त्याज्य है, तो अपने आप उमकी प्रवृत्तियों में समय और म्वस्थता आगगी ।

व्यवसायो के पीछे समाज हितदृष्टि हो

वर्णव्यवस्था के अनुसार जाति और उपजातियों के अलग-अलग कार्यों-धर्मों-कर्मों का विभाग मध्ययुग में हुआ था, परन्तु उममें उच्च-नीचता, घृणा, द्वेष, स्वायन्धिता, आदि दुर्गुणों के घुस जाने के कारण वह व्यवस्था भी समाज के लिए निरुपयोगी साबित हुई । और अब तो यह स्थिति है कि आजीविका के लिए जिसे जो कार्य म्चा, जिसमें अर्थो-पार्जन अधिक होने की सभावना दीखी, भले ही उसमें समाज का हित हो या न हो, अपनाया । इममें व्यक्ति का भी जीवन-विकास रुका, धर्मवृद्धि छूटी और समाज रचना भी धर्मप्रधान होने के बदले अर्थ-काम-प्रधान बनी ।

अत मनुष्य को आजीविका का कोई भी कर्म—(वधा, व्यवसाय, पेशा नौकरी, मजदूरी, उद्योग या किसी भी प्रकार का श्रम) पसंद करने से पहले धर्ममय समाज निर्माण की दृष्टि से समाजोपयोगी श्रम को उत्तम, ऐसे सर्जन में सहयोग देने वाली व्यवस्था को मध्यम और केवल पू जी को कनिष्ठ ममभूता चाहिए । इम दृष्टिकोण से निम्नलिखित बातें लक्ष्य में रखनी जहनी हैं—(१) मेरा श्रम समाज से लिए उपयोगी है या नहीं ? वह किस प्रकार है ? मेरा श्रम समाज को विलास, असमानता

या व्यसन की ओर तो नहीं घसीट ले जाता ? इस प्रकार विचार करे तो मनुष्य अनाज, कपड़े, मकान आदि उत्पादन, जो जीवन की अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं, उन कामों में ही जुटेगा । (२) इस श्रम करने वाले वर्ग में अगर सस्कार पूर्ति न की जाय तो उस श्रम के द्वारा जो जीवन-विकास सिद्ध होना चाहिए, वह नहीं हो सकता । अतः सस्कृति-रक्षण, नीति-प्रेरक और शिक्षण-सस्कार प्रदान द्वारा विकास के कार्य में लगे हुए जन-सेवकों की आवश्यकता रहेगी, जो समाज से कम से कम लेकर अधिक से अधिक देने का प्रयत्न करेंगे ।

(३) समाज-व्यवस्था के लिए उत्पन्न साधनों—वस्तुओं का विनिमय करने वाले वर्गों की भी जरूरत पड़ेगी । क्योंकि न्याय नीति पूर्वक यथायोग्य विनिमय होने पर ही समाज में से अव्यवस्था, असमानता या सघर्ष दूर हो सकते हैं । विनिमयकार खुद को अधिक मुनाफा किस वस्तु में मिलता है, यह दृष्टि न रखकर समाज को किस चीज की पहले और अधिक जरूरत है, उसे व्यवस्थितरूप से सबसे बाँटने की दृष्टि रखे, तो उससे उसका जीवन विकास, धर्मपालन व सुख तीनों प्राप्त होंगे, समाज को भी लाभ होगा ।

(४) हमने सिर्फ पूँजी को तीसरा स्थान दिया है । उसका अर्थ यह नहीं है कि पूँजी हल्की चीज है । केवल पैसा ही पूँजी नहीं है । मनुष्य के पास जो बुद्धि शक्ति, कार्य-क्षमता, कला, जमीन, उत्पादन के साधन, चारित्र्य, विद्या आदि हैं वह भी पूँजी है । परन्तु इन सब के पीछे भारतीय सस्कृति, नीति और सदाचार तथा हितबुद्धि जितनी अधिक होगी, उतना ही व्यक्ति का जीवन विकास अधिक होगा और समाज प्रगतिशील बनेगा ।

इसलिए उत्पादन, विनिमय, कला, विद्या, साहित्य, सशोधन, शिक्षण आदि सब समाज जीवन के उपयोगी अंग हैं, इनमें से मनुष्य चाहे जो व्यवसाय सच्ची सार्वजनिक हितदृष्टि रखकर करे, उसे उसका पर्याप्त पारिश्रमिक और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए ।

इस दृष्टि से व्यसनपोषक व्यवसाय—तमाखू, बीड़ी, मिगरेट, शराब अफीम, गाजा, भाँग की दूकाने मट्टे, जुए के अड्डे तथा स्वास्थ्यनाशक होटल वन्द हाने चाहिए। इसी तरह अनुत्पादक धवे—रेस (घुडदौड), लॉट्री, फीचर, सट्टा, ऊँचा व्याज, बट्टा, गिरवी, दलानी, जमींदारी आदि भी त्याज्य समझने चाहिए। स्वास्थ्यनाशक खाद्यपेय वस्तुओं का व्यवसाय (जैसे आइसक्रीम, बेजीटेबिल घी, कुल्फी आदि) तथा विलाम व फँसन बढ़ाने वाले विकारोत्तेजक व्यवसाय—मिनेमा, अमलील चित्रकला, नाटक, संगीत, नाट्यकलव आदि भी बन्द होने चाहिए। समाज में नरकागार के ममान वैभ्यावृत्तिपोषक अड्डे, शराबघर, कसाईखाने और शिकारवाजी आदि कर्म पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिए।

लघुउद्योगों का देश में विकास हो तो लोग घर बैठे काम कर सकते हैं। स्त्रियाँ, बालक, बूढ़े सभी कम खर्च में, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए ऐसे हल्के फुल्के काम करें तो देश का उत्पादन बढ़ सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था विकेंद्रित होने में शोषणवृत्ति, सग्रहखोरी और मुनाफाखोरी व बेकारी घटेगी, सहकारी वृत्ति, प्रामाणिकता और धर्म दृष्टि बढ़ेगी।

परन्तु मनुष्य अपनी एक ही विशिष्ट शक्ति या कार्यक्षमता को सर्वस्व मानकर चले व अभिमान करे तो उसमें से सेवा वृत्ति व धर्म-दृष्टि लुप्त होकर स्वार्थवृत्ति, अहंकार, सत्ता मद आदि अनिष्ट डेरा जमा लेते हैं। जैसे सत्तावाद के जमाने में पूजा और बुद्धि शक्ति का तिरस्कार हुआ, पूजावाद के जमाने में बुद्धि-शक्ति का और बुद्धिवाद के जमाने में सत्ताक्षमता और बुद्धिशक्ति का। यह विपचक्र सत्ताक्षमता के चलना है उसका कारण उपर्युक्त ही है। मनुष्य अपनी कार्यक्षमता वाला कर्म सद्वुद्धि व हित दृष्टिपूर्वक करता हुआ सेवा दे और बदले में दूसरी कार्यक्षमता वाले व्यक्ति से सेवा ले, यह विनिमय-धर्म ही गृहस्थाश्रम की, समाज को सुखी व उन्नत बना सकता है। इस दृष्टि से क्रमशः विभिन्न व्यवसायकारों का धर्म संक्षेप में दे रहे हैं।

कृषिकार और उसका धर्म

अन्न और वस्त्र मानवजीवन की सर्वप्रथम आवश्यकताएँ हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए कृषक ने वृष्टि और पृथ्वी इन दोनों के आश्रय से अपने शरीर-श्रम द्वारा अन्न-कपास आदि उत्पन्न करने का व्यवसाय (या वृत्ति) अपनाया है वह मानव समाज के लिए ही नहीं इतर प्राणिजगत के लिए भी हितावह और उत्तम और उपकारी है। कृषक ने इस वृत्ति को स्वीकार करके, पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए करोड़ों निरपराध पशुओं की अनिच्छा से की जाने वाली हिंसा को अन्नोत्पादन करके रोका है। इतना होने पर भी आज केवल अन्नाभाव के कारण नहीं, अपितु अधिकांश पशुहिंसा रूढ़ि से, अज्ञानता से, स्वाद-लोलुप्ता से या शौक के खातिर होती है। उसके लिए कृषक जिम्मेवार नहीं, किन्तु कृषक को न्याय, प्रोत्साहन, सुविधाएँ न देने वाले, कृषक द्वारा उत्पादित माल का यथायोग्य विनिमय न करने वाले, कृषक के श्रम को हीन मानकर उससे घृणा करनेवाले, उसका उपकार मानने के बदले या उसे कृपियोग्य अद्यतन साधन मुहैया करने के बदले उससे व्याज, अधिक मुनाफा, ठगवाई, धोखेबाजी, शोषण आदि करके उसके कुटुम्ब को अधभूखे व फटेहाल रखने वाले, उसे अद्यतन कृषि विज्ञान से वञ्चित रखने वाले ही अधिक जिम्मेवार हैं।

आज कृषक का जीवन काफी दयनीय है। अधिकांश किसानों के पास टूटे हुए हल और बूढ़े-थके बैलों की जोड़ी व टूटी हुई बैलगाड़ी के सिवाय कुछ भी नहीं होता। वे बेचारे बारहों महिने शर्दों, गर्मी और वरमात की परवाह किये बिना सतत मेहनत करते हैं, फिर भी अधभूखे व फटेहाल बने रहते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपात, टिड्डीदल-उत्पात आदि प्राकृतिक प्रकोपों को सहते-सहते और आकाशीवृत्ति पर रहते वह अब ऊबने लगा है। यही कारण है कि बहुत से किसान उत्तम-खेती का धधाछोड़कर शहर के यत्रो या अन्य श्रम का आश्रय ले चुके, जिससे उन्हें शहरी जीवन के विलास और व्यसनो का चेप भी लगा,

जो उनके पवित्र, सादे व धर्ममय जीवन को कलुषित करने लगा । दूसरी ओर कृषको को व्यापारी व्याजवट्टे आदि से चूमते हैं, खेत में कुछ भी पैदा न हुआ हो फिर भी सरकारी कर्मचारी महमूल वसूल करने के लिए उनके पीछे पडे रहते हैं, पुलिमवाले उमे नाहक हैरान करते हैं, जमीदार और कभी-कभी राज्य सरकार भी प्रायः उन पर अन्याय करने को तुल जाते हैं । इस प्रकार आए दिन कोई न कोई सकट उसके सिर पर सवार रहता है । इस कारण से वह बेचारा चैन से बैठ नहीं सकता, कई वार तो इसी दयनीय दशा के कारण वह अपने धर्म को चूक जाता है और विद्रोही बन जाता है, अनैतिक वृत्ति अपना लेता है । इनके मही उपाय ये हैं—(१) कृषिकार को खेती का सम्पूर्ण अद्यतन ज्ञान मिलना चाहिए । वह चाहे पाठशाला द्वारा मिले या उपदेश द्वारा, पर वह कृषिशिक्षा व्यावहारिक होनी चाहिए । (२) कृषिकारों के स्वतंत्र मंडल होने चाहिए जो उन्हें इन सब चिन्ताओं और आफतों से उबार कर उसका नैतिक पथ प्रशस्त कर सकें, उनमें नैतिक हिम्मत पैदा कर सकें, जागृति ला सकें । (३) उन्हें कृषिकार्य के प्रति उत्साही और सतत उद्यमी बनाने चाहिए तथा साधनसम्पन्न लोगों को उन्हें साधन और प्रतिष्ठा देकर सहयोग देना चाहिए । (४) अवकाश के समय में उन्हें अन्य गृह-ग्रामोद्योगों की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए ।

किसान के धर्म ये हैं—(१) उसे मानवजगत् के पिता की उपमा दी गई है, इसलिए जगत् के मानवों को अपनी सतान की तरह हितकारी मात्त्विक पोषण देने के लिए उसे सतत लक्ष्यपरायण रहना चाहिए । (२) उसे सतत उद्योगी और कार्यपरायण रहना चाहिए । आलस्य, व्यसन, कलह, गपगप, मौजशौक आदि में समय बर्बाद न करके विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न फसलें पैदा करने के लिए विवेक और श्रम करना चाहिए । कृषिकार्य से निवृत्त होते ही अन्य उद्योगों में प्रवृत्त होकर दूसरी जरूरतों में स्वावलम्बी बनना चाहिए । (३) कृषको को नैतिक बुनियाद पर रचित सगठन जो राजनैतिक पक्ष न हो प्रविष्ट होना चाहिए और

अन्य कृषको के साथ उसका सहकार होना चाहिए । कोई निर्बल या या दु खी किसान हो तो उसके लिए स्वयं का कुछ न कुछ त्याग और सहयोग करना चाहिए । (४) कृषक की दृष्टि धर्ममय समाज रचना की होने से वह अधिक पैसा कमाने के लोभ में आकर जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अहितकर चीज का उत्पादन नहीं करेगा । द्वितीय नम्बर की आवश्यकता की पूर्तिवाली चीज के उत्पादन को अन्नादि उत्पादन की तरह प्राथमिकता न देगा । (५) वह अपने कृषि कार्य में सहायक खेत मजदूरों, साथियों व वैलों आदि की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखेगा, उनके साथ सहानुभूति रखेगा, उनसे उनके बलबूते से अधिक काम न लेगा । साथ ही सुथार, लुहार, मोची, दर्जी, तेनी आदि को भी उनका यथोचित पारिश्रमिक देगा । (६) कृषि कार्य करते समय, हल वगैरह चलाते समय जीव-जन्तुओं को बचाने का यथाशक्ति विवेक रखेगा । फसल को नुकसान पहुँचाने वाले पशु-पक्षियों या कीड़ों आदि को हों सके वहाँ तक मारे बिना ही भगा देगा या उडा देगा । (७) वह गाँव में भगडे-फिसाद नहीं करेगा, भगडे पैदा करने वालों को सहयोग न देगा, उनका हत्या न बनेगा, भगडे आपस में बैठकर मध्यस्थ प्रथा से निपटा लेगा, अन्याय आदि हुआ तो सगठन द्वारा अहिंसक प्रतीकार द्वारा हल करने का प्रयत्न करेगा । (८) अपनी सतान को वह अशिक्षित अज्ञानी, असस्कारी और रूढ़िपरायण नहीं रखेगा । अन्यथा उसकी सतान ठगी और शोषण का शिकार बन जायेगी । (९) वह वैवाहिक या मरणोत्तर आदि कुरूटियों में फसकर फिजूल खर्च नहीं करेगा और ऊँचा ब्याज भर कर कर्ज नहीं लेगा । (१०) तात्कालिक स्वार्थ दृष्टि न रखकर दूरगामी व्यापक दृष्टि रखना । चाहे जिस जाति का व्यक्ति खेती कर सकता है सिर्फ उसमें कृषिकारित्व और उपर्युक्त धर्म होने चाहिए ।

पशुपालक और उसका धर्म

यो तो पशुपालन का खेती के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु जो

स्वयं खेती नहीं करते, वे अपने यहाँ पशु रखते हैं या जो पशु न रखते हुए भी दूध-घी, ऊत आदि चाहते हैं, उनकी चराने आदि तथा अन्य माधना की आवश्यकता पूर्ति के लिए पशुपालक वर्ग नियुक्त हुआ, जिसे भाग्न में गोपाल, ग्वाला, रैवारी, भरवाट, चारण, रायका, अहीन, गडरिया आदि नामों से पुकारते हैं। वह गायों, भैंसों, भेड़-बकरियों, ऊटों आदि को दिन भर चराता है, पानी पिलाता है, घामचारा डालता है, उनकी निगरानी रखता है कि वे किसी के लहलहाने खेत में घुस कर मुह न मार दें, नुकसान न कर दें और शाम को घेर कर घर ले आता है। कभी-कभी रात दिन जंगल में भी उन्हीं के साथ रहता है। शर्दी, गर्मी, बरसात, भूख-प्यास के कष्टों को सहन कर के सचमुच पशुपालक तपस्वी जीवन बीताता है।

परन्तु आज पशुपालकों के मामले कई कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं। एक तो आवादी अधिक बढ़ जाने में तथा मकानों के बढ़ जाने से चरागाह बहुत ही कम होते जा रहे हैं। वन्य-सम्पत्ति भी जंगलों के सफाया किए जाने में नष्ट होती जा रही है। इसलिए आज पशुवन घीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है, जो रहा-सहा है, वह भी पोषण पर्याप्त खाद्यन मिलने के कारण दुर्बल और कमजोर नस्ल का हो रहा है। घामचारा कुदरती प्रकोप के कारण कम होता है, और काफी महंगा भी है। इसलिए कई पशुपालक तो इस परेशानी से ऊत्र कर शहरों के कल-कारखानों में काम करने लग गये या थोड़े-से पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी में लग गये। शहरों के सम्पर्क के कारण पशुपालकों में व्यसन और विलास भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सबका इलाज यह है कि सरकार स्वयं इस ओर अधिक ध्यान दे। वनसम्पन्न जनता पशुवन को उन्नत बनाने के लिए पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन विज्ञान, नस्ल सुधारने का प्रशिक्षण, तथा अन्य पशुजन्य वस्तुओं का अच्छा उपयोग करने का शिक्षण दिलाने की व्यवस्था करे, पशुपालन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। उनके कार्य को हल्की नजर से न देखें।

पशुपालको को भी इन मुख्य धर्मों का पालन करना चाहिए—(१) पशुपालको के नैतिक मडल स्थापित किये जाय और उनमें प्रत्येक पशुपालक प्रविष्ट हो, ताकि मडल उनकी दिक्कतों को दूर कर सके और उनका नैतिक पथ प्रशस्त कर सके । (२) वे पशुओं के साथ आत्मीयता रखे, कौटम्बिकभाव रखे, उनके खानपान या उनकी सेवा-शुश्रूषा का पूरा ध्यान रखें, बूढ़े या अपाहिज हो जाने पर उन्हें कसाइयों के हाथ न सौंपे या न बेचे या तो स्वयं पालन करे, या कुछ खर्च भरकर आस पास की पिंजरापोल में इन्हें भरती करवा दें । (३) पशुओं के गोबर, मूत्र या अन्य पदार्थों का अच्छा उपयोग करें, उन्हें व्यर्थ न जाने दे या बर्बाद न करे । (४) दूध घी आदि में मिलावट करने या तैल में कम देने या किसी के हरे-भरे खेत में पशु को चराने आदि की अनैतिकता न करे । (५) शहरों के सम्पर्क से अपने व्यसनो एव फैशन का चेप न लगाए । (६) बाल विवाह, अनमेल विवाह, शादी-मृतभोज आदि में फिजुल खर्च, मृतक के पीछे रोने-धोने, कन्या-विक्रय, वरविक्रय आदि कुरुडियों से मुक्त हो । (७) एक जगह ही फिरने से पशुपालक की दृष्टि सकुचित और रूढ़िग्रस्त बन गई है, जिससे वह अपनी सतान को पढाता-लिखाता नहीं अज्ञानी रखता है, रूढ़ियों से जकड़ा रहता है अतः बालको को सुशिक्षित व सस्कारी बनाने चाहिए । (८) झगडे-फिसाद, बात-वात में लट्ट वाजी आदि से दूर रह कर शान्ति से भगडा निपटाना चाहिए ।

इस प्रकार पशुपालक-वर्ग अपना धर्म-पालन करेगा तो उसका और समाज का विकास निश्चित है ।

व्यापारी और उसका धर्म

व्यापारी समाज का मेरुदण्ड है । प्राचीनकाल में व्यापारी समाज के सच्चे सेवक होते थे । वे अपना पैसा, बुद्धि और सब कुछ समाज की सेवा में लगाते थे । इमीलिए उन्हें महाजन कहा गया है । लेकिन जब से खेती और गोरक्षा का धर्म वे छोड़ते गए तब से उनका तेज घटने लगा । जिन लोगों ने यह कर्म उठाए, उन लोगों को व्यापारी हीन

समझने लगे, उनसे रोटी-बेटी का परहेज रखने लगे । उनके साथ प्रेम-भाव टूट गया । नतीजा यह हुआ कि अग्रेजो ने यह परिस्थिति भाप ली और प्रायः बहुत-सा व्यापार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया । आगे का हाल तो आप जानते ही हैं ।

व्यापारी का धर्म यह है कि समाज-सेवा की दृष्टि से जीवन की अनिवार्य वस्तुओं में से जहाँ जो चीज पैदा होती हो, वहाँ वितरण के वाद अवशिष्ट वस्तु को जहाँ उसकी जरूरत हो वहाँ पहुँचाए । सिक्के के रूप में धन संग्रह की अपेक्षा वस्तुओं का विनिमय करने में ही जो माल उसके पास बच रहता, वही उसका धन था । उसकी सेवा का मेहनताना था । इस प्रकार न्यायवृत्ति से वह इसे प्राप्त करता था । पुराने जमाने में सामुद्रिक यात्रा द्वारा व्यापार करने वाले एव स्थलमार्ग से यात्रा करके वस्तु विनिमय करने वाले व्यापारियों और सत्थवाहो (वनजारो) के अनेक उदाहरण मिलते हैं । आठ घण्टे मजदूरी करके मजदूर दो रुपये पाए और व्यापारी दो हजार, यह धर्म नहीं है । धर्मयुक्त व्यापार में न मुनाफा हो, न घाटा । तराजू के दोनो पलडो की तरह दोनो बाजू समान होनी चाहिए । आज तो व्यापारी के जीवन में सच्यवृत्ति ने घर कर लिया है । पदार्थ सच्य के साथ-साथ सिक्को के सच्य की भी लालमा बढ गई है । फलतः व्यापारी यत्रवाद के कारण अपने धर्म को भूलाकर आज दलाल बन रहा है । यहाँ के कच्चे माल को दूर-मुदूर विदेशो को भेजकर वहाँ उसके रूपान्तर से बने पक्के माल के सौ गुने दाम भरकर वापिस यहा की जनता को वह माल मुहैया करता है, इसमें देश की पैमाली होती है, भारतीय जनता की समृद्धि कम होती है, व्यापारी को अधिक दलाली मिलती है । इसी दलाली के लोभ से व्यापारी विलास, फ़ैशन और व्यसन का पोषण करने वाली अनावश्यक चीजो की भरती देश में करता है और आवश्यक चीजो को दूर भेज देता है । यह देशहित या समाजहित की दृष्टि नहीं, क्षुद्रस्वार्थ दृष्टि है । इसके अतिरिक्त विना पुरुषार्थ के केवल चिन्ता पैदा करने वाले सट्टे और व्याज-

वृत्ति ने व्यापारी को कर्त्तव्यच्युत कर दिया है। इन्हे व्यापार कहा ही नहीं जा सकता। इन दोनों में जनता का शोषण और उत्पीडन ही अधिक होता है।

व्यापारी को निम्नलिखित धर्म का पालन करना चाहिए —

(१) वह न्यायनीति से अर्थोपार्जन करे, (२) व्याजखोरी, सट्टा आदि से दूर रहे, (३) राष्ट्रघातक व्यसन-पोषक व विकारोत्तेजक, स्वास्थ्यनाशक वस्तुओं का व्यापार न करे (४) वस्तुओं का अति सग्रह करके भाववृद्धि या मूल्यवृद्धि करने की वृत्ति से दूर रहे, (५) सरकार के कर जकात, महसूल, चुगी आदि की चोरी न करे, अपना हिसाब-किताब साफ रखे, बेईमानी न करे, (६) माल में मिलावट न करे, बढिया माल दिखाकर घटिया न दे, तस्कर व्यापार न करे, एकदाम एक भाव कहे उचित मुनाफा ले नापतौल में पूरा दे, यह व्यापारी की साख बढाने के सूत्र है, (७) गाँव का व्यापारी नैतिक ग्राम-सगठन में प्रविष्ट हो जाय और नगर का व्यापारी मडल में प्रविष्ट हो जाय, ताकि उसकी कठिनताएँ दूर हो और वह नैतिकता के मार्ग पर आसानी से चल सके।

व्यापारी-वर्ग की नैतिकता का प्रभाव उसके कुटुम्ब व देश पर भी पडेगा।

यो तो कृषिकार, पशुपालक और व्यापारी तीनों वैश्यवर्ण में आ जाते हैं, अतः तीनों के धर्म प्रायः समान हैं।

श्रमजीवी-वर्ग और उसका धर्म

इस वर्ग में लुहार, मुनार, राज, कुम्हार, नाई, तेली, धोबी, बुनकर, दर्जी, रगारा, पिजारा, मुनार, मोची, कदोई, मजदूर आदि रूपान्तरकार जातियाँ आ जाती हैं। यह सब जातियाँ अपने-अपने धन्वों द्वारा अपनी आजीविका चलाकर जन-ममाज के जरूरत की वस्तुएँ बनाकर या रूपान्तर करके उसकी सेवा कर सके, इसके लिए थीं। परन्तु

आज यन्त्रोद्योगो के प्रचुर-प्रसार के कारण बहुत-से लोग, सासकर गाँवों के श्रमजीवी प्राय वेकार हो गए हैं और अधिकांश तो गाँव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले आए हैं, या बस गए हैं ।

श्रमजीवी-वर्ग के सामान्य धर्म ये हैं—[१] अपने कार्य में चोरी न करें, रूपान्तर के लिए ग्राहक ने जो चीज दी उसमें से चुराएँ नहीं, उसे बदलें नहीं, बिगाड़े नहीं । ग्राहक के साथ धोखेवाजी न करें । [२] उचित मेहनताना ले, काम अच्छा करें, [३] परस्पर प्रेमभाव से एक से रहे, एक भाव और एक दाम रखें, [४] अपने हुन्नर में दक्षता प्राप्त करें, उसका विज्ञान समझे, तथा अपनी सतान को उसमें प्रशिक्षित करें । [५] सामाजिक कुहड़ियों में न फसे, फालतू कार्यों, व्यसनो या कुहड़ियों में पैसे बर्बाद न करें । [६] नैतिक श्रम-जीवी मडल बनाकर उसमें प्रविष्ट हो, जिससे अपनी वास्तविक व्यावसायिक कठिनाइयाँ दूर कर सकें और नैतिक जीवन जी सकें ।

वैश्य और शूद्र दोनों वर्णों में से ये विभिन्न श्रमजीवी-वर्ग पैदा हुए हैं ।

कलाकार और वैज्ञानिक

ये दोनों वर्ग जनता को सस्कारी और प्रगतिप्रेरणा देने के लिए हैं । कला और विज्ञान का विकास होना चाहिए, वशर्तें कि वह कला या विज्ञान मानवजाति के विकास के लिए उपयोगी हो, जनता में सुसस्कार सिञ्चन में मददगार हो । आज अधिकांश कलाएँ जनता को विलास-विकार और भौजशौक की ओर ले जाने वाली हैं, विज्ञान भी मानव-मानव के बीच युद्ध, सघर्ष, असमानता और वेकारी बढ़ाने में सहायक बन रहा है, अतः कला या विज्ञान पर कलाकार या वैज्ञानिक को नैतिक अकुश रखना चाहिए । नहीं तो, वे अपने धर्म से च्युत होते हैं । अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपनी कला या अपने विज्ञान को राजनीतिज्ञों । पूजीपतियों या धर्म भ्रूणियों के हाथों बेचना नहीं चाहिए । जनता के नैतिक जीवन को ही पढ़ाने वाला कलाकार या वैज्ञानिक समाज

और राष्ट्र का गुणहगार है। अतः कलाकार और वैज्ञानिक दोनों जनता की सेवा व जनहित की दृष्टि रखते हुए चले तो अपना धर्म भी पालन कर सकेंगे।

साहित्यकार और पत्रकार

जनता के जीवन को उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाला, नस्त्वचिन्तन द्वारा जीवन विकास की ओर मोड़ने वाला, मनोरञ्जन के साथ दिव्य और भव्य सस्कृति का शिक्षण देने वाला, मानव की सद्भावनाओं और सुविचारों को माजकर सत्क्रिया की ओर प्रोत्साहित करनेवाला उपन्यास, कथा, नाटक, गद्य या पद्य के रूप में लिखा गया साहित्य वास्तव में समाज के लिए हितकर है और ऐसा साहित्यकार समाज की सेवा करके अपना धर्म अदा करता है। उसका साहित्य सुलभ, सस्ता और लोक योग्य होना चाहिए।

दुनियाँ और देश के विभिन्न भागों में बसी हुई जनता के विचारों, कार्यों, घटनाओं, प्रगति विवरणों आदि द्वारा जनता को ज्ञान कराना पत्रकार का धर्म है। जिसे वह अपने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्र द्वारा लिपिबद्ध करके जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। परन्तु पत्रकार में निम्नलिखित योग्यता हो तभी वह अपने धर्म की वफादारी के साथ पालन कर सकता है—(१) सच्चे समाचार, वजनदार बातों, सुमार्गप्रेरक सुविचारों को ही अपने पत्र में स्थान दे। (२) वह स्वावलम्बी, उत्साही, धीर, विवेकी, निस्वार्थी, निडर और राष्ट्र-भक्त हो। साम्प्रदायिकता, जातीयता या प्रान्तीयता में परे हो, तथा किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का दुश्मन न हो, वक्तिक मित्र हो। (३) जिस लेख में जनता की भावनाएँ क्षुब्ध हों, जनता कुमार्ग पर प्रेरित हो, उसे अपने पत्र में स्थान न दे। (४) जिन विचारों को पत्र में स्थान दिया जाय, वे प्रौढ, उदार, स्पष्ट और कार्यक्षम होने चाहिए।

घासलेटी साहित्य, उन्मार्गप्रेरक उपन्यास, कथा, नाटक या चलचित्र की नायक-नायिकाओं का, नटनटियों का प्रदर्शन करने वाला साहित्य या पत्र अविलम्ब वन्द होना चाहिए ।

कवि और लेखक

कवि केवल हवाई उड़ान भरने वाली गगनविहारी कविताओं की रचना न करे, अपितु लोक मानस की उद्बोधक, प्रभावित करने वाली, आन्दोलित करने वाली कविताएँ रचे । उमकी कविताएँ जनता को रसमग्न करके आदर्श की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए । यह तभी हो सकता है जब कवि का खुद का जीवन प्रकृतिप्रेमी, सादा, चरित्रशील और सस्कृति परिपूर्ण होगा ।

लेखक नि स्वार्थी, विचारक और लक्ष्यवान होना चाहिए । उमके लेख केवल उत्तेजनात्मक, छीछरे या नीरस न हो, अपितु भाववाही और आदर्श-प्रेरक हो । लेख की भाषा सरल, मधुर और प्रसादगुणयुक्त हो ।

उपदेशक

उपदेशक चरित्रशील और ज्ञानवान होना चाहिए । जिस विषय पर उपदेश देना है, उसके बारे में उसका विशाल अध्ययन, गहरा चिंतन और अनुभव होना चाहिए, तभी उसका उपदेश लोकोपयोगी प्रेरक और आश्वासनदायक हो सकता है । कथाकार आदि का समावेश भी इसी में हो जाता है ।

इस प्रकार साहित्यकार, पत्रकार, कवि, लेखक और उपदेशक तभी समाज और राष्ट्र की उत्तम सेवा कर सकते हैं, जब कि उनके सामने ध्येय, कार्यदिशा स्पष्ट और उपयोगी हो ।

वैद्य, चिकित्सक और डाक्टर का धर्म

वैद्य, चिकित्सक या ऐलोपैथ, होमियोपैथ या नैचरोपैथ डाक्टर, सर्जन, यूनानी हकीम आदि मानवशरीर को स्वस्थ और व्यवस्थित रख कर तथा रोगी को राहत एवं शान्ति पहुँचा कर मानवजाति की अमूल्य सेवा करते हैं । किन्तु भौतिकता की चकाचौंध से ये भी प्रभावित

होकर पैसा बटोरने और गैरजिम्मेवारी पूर्वक व्यवहार करने लगे है । सेवा के बदले अर्थोपार्जन का उद्देश्य बन गया है । अर्थोपार्जन के पीछे कई डाक्टर तो इतने पागल हो जाते हैं कि रोगी मरे या जीए, या उसे दूसरे रोग हो इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं । रोगी गरीब हो, अभाव-पीडित हो, मृत्युशय्या पर हो फिर भी वे उससे फीस वसूल करने से नहीं चूकते । सामान्य मानवता का भी उल्लंघन कर देते हैं ।

नीचे वैद्य-डाक्टरों के सामान्य धर्म के बारे में कुछ निर्देश किया जा रहा है —

(१) स्वयं मानवजाति का सेवक है, इसलिए व्याधिग्रस्त दुःखी मानव को सान्त्वना और शान्ति पहुँचाए, उसकी चिकित्सा मन लगा कर करे । (२) अतिस्वार्थी न बने । इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी सेवा के बदले में जनता से योग्य पारिश्रमिक न मिले, वह तो मिलना ही चाहिए । परन्तु गरीब या असहाय जनता पर उसका जीवन बोभ्ररूप व क्षुद्रस्वार्थमय न होना चाहिए । (३) रोग होने के बाद उसे मिटाना ही चिकित्सक का काम नहीं है, बल्कि रोग पैदा ही न हो, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना भी उसका कर्तव्य है । रोगी को रोग न होने के कारण, पथ्य, खानपान के दोष, रहनसहन की भूलें आदि बताकर रोग के बारे में सावधान करना चिकित्सक का धर्म है ।

वकील और न्यायाधीश का धर्म

जहाँ जनता के पारस्परिक विनिमय या व्यवहार में गड़बड़ी, सघर्ष या अव्यवस्था पैदा हो, वहाँ उसे रोकने के लिए तथा स्वार्थवृत्ति की ओर भुक्त कर भूल करते हुए मानव को वचाने के लिए 'न्यायतत्त्व' की आवश्यकता रहती है । दोनों पक्षों में जब विवाद पैदा होता है, तब कानून की धाराओं द्वारा सत्यासत्य का विश्लेषण करने वाला वकील कहलाता है । जो अपने मवक्किल की ओर से प्रतिवादी के वकील से जिरह बहस करता है । इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अन्तिम निर्णय देने वाला 'न्यायाधीश' कहलाता है ।

परन्तु आज 'न्याय' कानून की पोथियो और दलीलो मे वन्द है नीति और धर्म पर प्राय अवलम्बित नही रहा । इसी कारण दोषी माफ वरी हो जाते है और निर्दोष मारे जाते है । चाहे जैसी उटपटाग दलीले करके एव सच्चे-भूठे गवाह खडे करके वकील अपने मवक्किल को जिताने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने पैसे पकाने की ओर है, सच्चाई पर नही । न्यायाधीश भी उनकी जेव गर्म करने के पक्ष मे फ़ैमला देने से नही चूकते । यह अनिष्ट 'न्यायमस्था' के प्रति समाज की रही-मही श्रद्धा को भी मटियामेट कर रहा है । इमलिए न्याय देने की इस पद्धति और पात्रो को बदलने की सख्त जरूरत है । नीचे लिखी वातो पर ध्यान देना जरूरी है —

- (१) न्याय की शोध तकों पर निर्भर न होकर वास्तविकता पर निर्भर हो ।
- (२) वकील भूठे मुकदमे न ले और न अपने मवक्किलो के ही भरोसे रहे, किन्तु स्वय वास्तविकता की छानवीन करे । अदालत मे सत्य वस्तु का ही प्रतिपादन करे ।
- (३) न्यायाधीश वास्तविकता को ढूँढ सकने वाले विचारक, प्रौढ सत्यपरायण होने चाहिए ।
- (४) प्रत्येक अपराध की सजा, नए अपराध को पैदा करनेवाली न बन जाय, अपितु अपराध को निर्मूल कर सकने वाली हो ।
- (५) मामूली सघर्षों का निपटारा मध्यस्थ प्रथा द्वारा, पचायतो द्वारा ही होजाय तो न्यायालयो मे बडे मुकदमो पर अधिक ध्यान दिया जासके ।
- (६) वकील और न्यायाधीश दोनो समाज सेवक है, यह सोचकर समाज का अहित होता है, ऐसा कार्य न करें ।

ब्राह्मण धर्म

समाज मे शिक्षण और सस्कार की दूसरी सब वातो की अपेक्षा अधिक और अनिवार्य आवश्यकता है । इन दोनो तत्त्वो को जनता के

जीवन में उतारने और नैतिक चौकी रखने के लिए ब्राह्मणवर्ण की नियुक्ति हुई। जब तक ब्राह्मण कर्त्तव्यपरायण और धर्मदृढ रहे तब तक तीनों वर्णों के व्यावहारिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में पूज्य मान कर उनका सन्मान किया जाता, जन्म, विवाह से लेकर ठेठ मृत्युकाल तक के अच्छे-बुरे सभी प्रसंगों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती और जनता की ओर से सत्यकारस्वरूप योग्य द्रव्यादि भी उन्हें दिया जाता।

परन्तु जब से वे लोभी बने, निस्पृहता और सात्त्विकता से हटने लगे, त्यागतपस्या की वृत्ति कम होगई, नैतिक चौकी के प्रति लापरवाह हुए, अपने अधिकारों का ढिंढोरा पीटने लगे, और अपनी उत्तमता की डींग हाकने लगे, तब से उनकी प्रतिष्ठा घटने लगी। फलतः अपनी दूकानदारी जमाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने ज्योतिषविद्या, तीर्थस्थानों पर यात्रियों से वसूली, मंदिरों के पूजापे का विक्रय, ग्रहगोचर आदि के अडगें लगाकर पूजापाठ द्वारा धनार्जन आदि धर्म निर्विद्ध कार्य हाथ में लिए। शिक्षा से प्रायः दूर भागने लगे, और सस्कृति के नाम पर छूआ-छूत का दम्भ और जातिवाद का अनर्थ फैलाने लगे। फलतः आज बहुत से ब्राह्मण अज्ञानी, स्वार्थलिप्सु, आलमी और अकर्मण्य बन रहे हैं। उन्हें अपने ब्राह्मणधर्म के पालन के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना चाहिए —

(१) जनता में सस्कृति सुधार का सतत पुरुषार्थ करे। भारतीय सस्कृति के टोस अव्ययनपूर्वक उसकी रक्षा का कार्य करे।

(२) एक ही ब्राह्मणजाति के अलग-अलग समूह जितने अंश में मिल सकें, मिले और अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए सामूहिक कार्यक्रम बनाएँ।

(३) नई पीढ़ी में सच्चा ब्राह्मणत्व पैदा करने वाली नई सस्थाएँ खड़ी हों, वर्तमान सस्थाओं की अपेक्षा उनकी शिक्षणप्रणाली नई व सस्कारितालक्षी हो।

(४) तीर्थयात्रास्थलो मे प्राप्त धन का तीर्थों द्वारा सांस्कृतिकप्रेरणा मिल सकनेवाले कार्य, या जनता के शिक्षणकार्य मे सदुपयोग करने की योजना बनाई जाय । पडो द्वारा होने वाला दुरुपयोग बन्द हो ।

(५) गरीब और साधनहीन ब्राह्मणों को आजीविका मे स्वावलम्बी बनाने की औद्योगिक योजना बनाई जाय ।

(१) ब्राह्मणों मे इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह, तपश्चर्या, पवित्रता, सहिष्णुता, कोमलता, ज्ञान, कर्मयुक्त अनुभवज्ञान, श्रद्धा आदि उच्च गुण पैदा हो ।

क्षत्रिय और उसका धर्म

जनता को दुःख और आफत मे से बचाए, दुर्बल पर अत्याचार होता हो तो उमकी रक्षा करे और न्याय दिलाए, उसे भारतीय सस्कृति मे क्षत्रिय कहा है । शौर्य, तेजस्विता, धैर्य, चातुर्य, निर्भयता, दानवृत्ति और ऐश्वर्य (जनता को व्यवस्थितरूप से अनुशासन मे रख कर उनसे कार्य लेने की क्षमता), ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण बतलाए गए हैं । प्राचीन काल मे राजतंत्र के युग मे चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था और राष्ट्र मे शान्ति बनाए रखने के लिए क्षत्रिय वर्ग की स्थापना हुई थी । उसमे विशेष योग्यता और कार्यक्षमता वाले या उनके वशपरपरागत व्यक्ति नृप, भूपति या राजा कहलाते थे । बाद मे उन्हें उक्त व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए सेना सौंपी गई, अमुक जमीन व अधिकार सौंपे गए, तथा कृषिभाग एव कर दिया जाने लगा । तब से क्षत्रिय में सेवावृत्ति कम होने लगी, स्वामीवृत्ति बढ़ने लगी । फलत उनमे प्रजा का शोषण, सत्तामद और विलासिता बढ़ती गई और वे अपने धर्म को भूलकर अन्याय-अत्याचार का दौर चलाने लगे । और जनता मे उसकी भयकर प्रतिक्रिया जागी एव राजतंत्र या एकतंत्र का वोरियाविस्तर लद गया । सारे राष्ट्र मे लोकतंत्रीय राज्य हुआ, जिसके वारे मे राष्ट्र-धर्म प्रकरण मे हम कहेंगे ।

आज क्षत्रिय (गुण-कर्म से) हम उन्हें ही कहेंगे, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियुक्त हो, उनमें सैनिक, योद्धा, पुलिस (आरक्षक), गुप्तचर, सरकारी कर्मचारी आदि का समावेश होगा। उनके धर्म मुख्यतः यह होंगे —

(१) वे स्वयं को जनता के सेवक समझें, (२) किसी के प्रति पक्षपात, अन्याय या अत्याचार न करें, (३) प्राप्त वेतन में सतोष रखें, जनता से किसी भी रूप में रिश्वत न लें, (४) सदाचारी और निर्व्यसनी रहें, (५) जनता को नाहक हैरान करने, कार्य में विलम्ब करने, फिजूलखर्च में डालने का प्रयत्न न करें। (६) जहाँ तक हो सके आपसी समझौते से, पंच प्रथा द्वारा या निःशस्त्र उपायो से मामला शान्त करने का प्रयत्न करें।

मिलमालिक-मजदूर, सेठ-नौकर, स्वामी-सेवक

आज ये भेद समाज और राष्ट्र की शान्ति में भयकर बाधक बन गए हैं। अधिकांश स्थलों में इन दोनों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। एक अपने अधीनस्थ से कस कर काम लेना और बदले में कम से कम मेहनताना देना चाहता है और दूसरा कम से कम काम करना और अधिक दाम लेना चाहता है। इस परिस्थिति का अन्त लाने के लिए दोनों पक्षों को अपना-अपना धर्म समझना चाहिए। दोनों के धर्म के बारे में कुछ सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं —

(१) स्वामी यह समझे कि मैं नौकर, सेवक या मजदूर के कार्य का ही मालिक हूँ। उसके मन, शरीर या आत्मा का नहीं।

(२) अपने अधीनस्थ व्यक्ति में भी दिव्यतत्त्व विराजमान हैं, उसकी अवगणना करना अपने लिए हानिकारक है, क्योंकि स्वामित्व या सत्ता स्थायी रहने वाले नहीं हैं।

(३) अपने कार्य के प्रति सेवक को वफादार रहना चाहिए। अपने कार्य के प्रति लापरवाही रखना, आलसी बन कर बैठे रहना या इरादे-

पूर्वक मालिक का नुकसान करना सेवक के दूषण है ।

(४) मालिक के क्षणिक लाभ के लिए अनैतिक या मानवताहीन कार्य न करना ।

(५) किसी में वृद्धि, किसी में हृदय और किसी में शरीर की कार्यक्षमता अधिक या कम होती है, रहेगी भी, इसलिए दोनों को परस्पर सहयोग से कार्य करना चाहिए ।

इस प्रकार विभिन्न व्यवसाय (घड़े, पेड़े, रोजगार, विनियम सेवा या श्रम) द्वारा आजीविका के साथ प्रत्येक गृहस्थाश्रमी अपने-अपने धर्मपालन का लक्ष्य रखे तो उसका और मानवजाति का विकास अवश्यभावी है ।

समाज धर्म

एक गृहस्थ सात्त्विक उपायो से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन-निर्वाह करे और अपने कुटुम्ब के प्रति कर्तव्यो का पालन करता रहे, इतने मे ही गृहस्थाश्रम की सर्वांगपूर्णता नही होती। गृहस्थ के लिए तो विश्वविशाल क्षेत्र है, जिसमे गृहस्थजीवन के साथ अनेक कार्य, फर्ज, और धर्म जुडे हुए हैं। अतः गृहस्थ के कर्तव्य का दायरा कुटुम्ब से आगे बढ़ते ही सर्वप्रथम समाजकर्तव्य की ओर मुडता है।

समाज और उसकी उपयोगिता

समाज कोई आकाश से उतरी हुई जादुई चीज नही है, अपितु समविचारक, समान सस्कृति वाले व्यक्तियो का समूह है परन्तु समाज मे अद्वितीय शक्ति तभी पैदा हो सकती है, जब भिन्न-भिन्न व्यक्ति एक सूत्र मे ग्रथित होकर तैयार हो। विभिन्न फूल जब तक एक माला के रूप मे पिरोए न जाएँ, तब तक वे गले मे धारण नही किये जा सकते, सुन्दर भी नही दिखते और अन्त मे वे फूल बिखरे रहकर मुर्झा जाते हैं। इसी प्रकार विविध परमाणु बिखरे हुए हो तब तक वे न तो स्पष्ट दिखते हैं और न ही कार्यकारी सिद्ध हो सकते हैं। यही हाल विभिन्न बिखरे हुए व्यक्तियो का होता है। इसीलिए समाज मानवजाति के लिए अत्यन्त आवश्यक है, वह व्यक्ति के जीवन विकास मे सहायक बन सकता है, अवलम्बन से व्यक्ति विकास के क्षेत्र मे सरलता से प्रगति कर सकता है। व्यक्ति और विश्व का अनुबन्ध और राष्ट्रों का भव्य निर्माण समाज द्वारा ही हो सकता है। इसलिए समाज को हम एकत्रित चैतन्यशक्ति कह सकते हैं।

समाज की वर्तमान दशा

समाज शब्द ही वैसे तो मगठन और प्रगति का सूचक है। प्राचीन-काल में समाज की संख्या अल्प थी, किन्तु उम अल्पमस्या का मगठन काफी व्यवस्थित था। आज समाज अनेक संख्याओं में विभक्त हो गए हैं और उनके बीच जाति, कौम, धर्म, सम्प्रदाय आदि भेद की बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी हो गई हैं, जो एक नगण्य-में प्रश्न को हल करने में रोडे अटकाती हैं। भारतीय समाज को यह प्रश्न बात-बात में परेशानी में डालता है। किसी भी विषय पर सार्वजनिक हित की दृष्टि से सोचते समय भी ये भेद आगे खड़े रहते हैं। समाज की काया पर यह सबसे बड़ा कुठारघात है, जिसने समाज को जर्जरित और खोखला बना दिया है।

आज समाज दो भेदों में बटा हुआ है—जातिरूप में और धर्म-सम्प्रदाय रूप में। बनिया, लुहार सुथार आदि मज्ञाएँ जाति-सूचक हैं और वैष्णव, शैव, मुस्लिम, पारसी, जैन, ईसाई आदि मज्ञाएँ धर्म-सम्प्रदाय सूचक हैं। एकसाथ ये सब नाम भेद मिटने सम्भव नहीं हैं, तब तक ये अलग-अलग नामभेद विविध धन्वों या धर्मों की दृष्टि से पहचान के लिए भले ही रहे, परन्तु सार्वजनिक हित के कार्य में अपने मनोभेद या मतभेद को छोड़कर एक होकर रहे। मतलब यह कि धर्म-सम्प्रदायों की विभिन्न मान्यताओं तथा जाति-कौमों के विविध संस्कारों के कारण धार्मिक क्रियाकाण्ड एवं रीतिरिवाज, रहन-सहन, भाषा, और पौशाक आदि भले ही भिन्न-भिन्न रहे, परन्तु मानवजीवन विशेषतः गृहस्थजीवन को विकसित करने, नैतिकता की यथार्थरूप से रक्षा करने एवं किसी भी समाज को हानि न पहुँचाने वाले नियम तो प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पालन करने चाहिए। और समाज का धर्म (सत्य-अहिंसा न्याय आदि) दृष्टि से नवनिर्माण तभी होगा, जब उद्देश्य और तात्त्विक बातों में समानता होने से प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय, जाति-कौम आदि के लोग योग्यतानुसार संस्थाबद्ध

होकर रहेगे और अपने हिस्से में आए हुए समाजधर्म, राष्ट्रधर्म और मानवधर्म का पालन एकसूत्रग्रथित होकर करेगे ।

समाज का नवनिर्माण

समाज का नवनिर्माण सस्थाओं के बिना नहीं हो सकता । हमें इसकी नींव मुख्यतः दो सस्थाओं पर टिकानी होगी । एक सामाजिक सस्था (जनता का नीतिलक्षी सगठन) होगी, जो गृहस्थजीवन के सभी क्षेत्रों के व्यावहारिक प्रश्नों को प्रेरक सस्था की प्रेरणा से और मार्गदर्शक क्रान्तिप्रिय-साधुवर्ग के मार्गदर्शन से नीति धर्म की दृष्टि से हल करेगी । दूसरी होगी अध्यात्मलक्षी नैतिक सस्था (जनसेवकों का सगठन), जो अपनी पूरक सामाजिक सस्था व राज्य सस्था को प्रेरणा देगी, स्वयं आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्रान्तिप्रिय साधुवर्ग से प्रेरणा लेगी और स्वयं नीति, धर्म, सस्कारिता आदि तत्त्वों से प्रणवद्ध होकर उनका प्रचार करेगी । साधुवर्ग का समाज के साथ अनुबन्ध अवश्य रहेगा, पर वह समाज और सामाजिक कर्तव्यों से उपर उठा हुआ होगा । ये दोनों सस्थाएँ अपनी जिम्मेदारी और कार्य दिशा भिन्न होते हुए भी, एक लक्ष्य से आवद्ध होने से परस्पर अनुबद्ध और एक दूसरे की अगभूत होकर रहेगी ।

दोनों सस्थाओं के ध्येय और कार्य

सामाजिक सस्था लोक सस्था होने से उसका क्रियात्मक ध्येय गृहस्थजीवन को नैतिक उपायों से रसमय और सुखमय बनाना होगा । उसके मुख्य कार्य ये होंगे—सामाजिक दिशा में—(१) विवाह-व्यवस्था का सशोधन और सरक्षण (२) सामाजिक कुस्त्रियों का परिहार, (३) गृहस्थों के वैयक्तिक जीवन की कमियाँ दूर करना, आर्थिक दिशा में—(४) पारम्परिक सहकारिता और ट्रस्टीशिप-पद्धति द्वारा रोजी-रोटी की समस्या हल करना, (५) महकागे प्रवृत्तियों में अनिवार्य वचन, (६) सरकार-संचालित सामाजिक-आर्थिक

आदि प्रवृत्तियों में सस्था का नैतिक प्रतिनिधित्व, (७) मध्यस्थ प्रथा द्वारा न्याय ।

अध्यात्मलक्षी नैतिक सस्था सर्वांगी दृष्टि वाले जनसेवकों की सस्था होने से उसका व्यय स्वयं ब्रतवद्ध होकर सभी क्षेत्रों में धर्मदृष्टि से समाज रचना का प्रयत्न करना होगा । अतः इसके मुख्य कार्य ये होंगे — (१) सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र पूर्वोक्त जनसंख्या के हस्तगत कराना, (२) जगह-जगह ऐसे जन सगठन खड़े करके उनका मंचालन करना, प्रेरणा देना । (३) शैक्षणिक-सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ अपने अधीन रखकर चलाना, (४) राजनैतिक क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति स्वयं सहानुभूति रखते हुए उसका जनसंस्था के साथ राजकीय मातृत्व सम्बन्ध जोड़ना, (५) छोटे-बड़े अन्याय, अत्याचार तथा अपराध करने वाले व्यक्ति या वर्ग के विरुद्ध सामूहिक रूप से अहिंसक प्रतीकार द्वारा नैतिक-सामाजिक दबाव लाकर उमकी शुद्धि करना, (६) समाज की नैतिक सुरक्षा रखना ।

सामाजिक सस्था के कार्यों का विश्लेषण

(१) विवाह व्यवस्था में सशोधन और सरक्षण करना—इसकी विशेष चर्चा तो हम विवाह विचारणा नामक प्रकरण में कर आए हैं । वर्तमान में होने वाले अन्तर्जातीय विवाह, प्रेमविवाह या मुक्त सहचार चुनौती दे रहे हैं कि विवाह व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए । साथ ही सामाजिक सस्था की जिम्मेवारी है कि जितने भी विवाह हों, वे इस सस्था की देखरेख में हों, ताकि विवाह सूत्र में आवद्ध होने वाले दम्पती वय, प्रकृति और शरीर की दृष्टि में योग्य न हों, कहीं स्वार्थ या अविवेक से बर-कन्या की सौदेबाजी हो रही हो, कहीं दोनों का अनमेल विवाह हो रहा हो, या विवाह होने के बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई स्वेच्छाचारपूर्वक कलुपित जीवन या कलहमय जीवन जी रहे हों तो इसकी पूरी जाच पड़ताल करके यह सख्या उन्हें यथा-योग्य कह सके और उन पर सामाजिक दबाव ला सके, क्योंकि गृहस्था-

श्रमी के उत्तम दाम्पत्यजीवन पर ही सारे समाज की सुदृढता और सस्कारिता निर्भर है ।

(२) सामाजिक कुरुडियो का परिहार करना—यद्यपि व्यक्तिगत कुरुडियो का असर भी धीरे-धीरे समाज पर होता है और इसके लिए मुख्य जिम्मेवार या दोषी व्यक्ति को ठहराया जाता है, किन्तु इन कुरुडियो को जो समाज आँखे मूद कर चलने देता है, वह भी कम जिम्मेवार नहीं है । एक ओर से यह सस्था कुरुडियो को व्यापक न बनने दे और दूसरी ओर समाज में जड जमाई हुई कुरुडियो को उखाड़े । इन दोनों कार्यों में प्रथम आन्दोलन द्वारा और तदनन्तर अहिंसक प्रतीकार द्वारा सम्पन्न किया जाय । असल में, परिस्थिति, बलाबल या हिताहित का विचार किए बिना जडाग्रहबुद्धिपूर्वक अन्धानुकरण करते हुए कोई क्रिया की जाय, उसी का नाम कुरुडि है । ऐसी कुरुडियाँ वैयक्तिक, सामाजिक, और आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों में होती हैं । सामाजिक कुरुडियो में उनकी गणना होती है, जो कुटुम्ब, कौम, जाति या समाज से सम्बन्धित हो । जैसे वैवाहिक, या मरणोत्तर कुरुडियाँ, पर्दाप्रथा, खानपान, पोशाक और रहनसहन आदि में प्रचलित विभिन्न कुरुडियाँ अतिथिसत्कार में व्यसनपोषण व फिजूलखर्ची की कुरुडि तथा हाथ से श्रम करने में हीनता समझने की कुरुडि, ये और ऐसी ही अन्य कुरुडियाँ समाज के विकास को रोकती हैं । उन्हें दूर करने का जोरशोर से प्रयत्न होना चाहिए । जिन रूडियो से परावलम्बिता बढ़ती हो, फिजूलखर्ची होती हो, समाज के किसी अंग को हीन या नीचा समझ कर उसका विकास रोका जाता हो, जिसके पालन से असम्यता और जगलीपन प्रगट होता हो, जो दम्भवर्द्धक हो, परम्परापालन के सिवाय, जिससे समाज का किसी भी प्रकार का हित न होता हो, ऐसी समाज हानिकर कुरुडि का शीघ्रातिशीघ्र निवारण करना चाहिए । जो क्रिया समाज के लिए उपयोगी, कम खर्चीली, आवश्यक सिद्धान्तानुकूल और लाभदायक हो, वही प्रचलित करनी चाहिए

या देशकालानुरूप समाजहित कर, नई प्रथा चलानी चाहिए ।

(३) गृहस्थ के वैयक्तिक जीवन की कमियाँ दूर करना—व्यक्तिगत कमियाँ दो प्रकार की होती हैं—मस्कारिता की और साधनों की । कोई गृहस्थ व्यक्ति बुरे या उल्टे मार्ग पर चल रहा हो, किसी दम्पती का मुमेल न हो, किसी कुटुम्ब में मतत बलेश रहता हो, किसी पर कोई अन्याय, अत्याचार या प्रहार करता हो, कहीं लडाई-भगडे या दगे फूट निकले हो, गुडो, जवरदस्तो या चोर-डाकुओ का उत्पात हो, समाज का कोई व्यक्ति अन्याय, अनीति, शोषण, छत्रप्रपच, वेईमानी भ्रष्टाचार और असत्य द्वारा व्यापार बन्वा या आजीविका कार्य चला कर समाज की प्रतिष्ठा में बट्टा लगाता हो, स्वभावगत दुर्गुणो (काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह लोभ आदि) को जीवन की स्थूल क्रियाओं में परिणत करके समाज या राष्ट्र को हानि पहुँचाता हो या समाज के नियमों या मर्यादाओं का उल्लघन करता हो तो ये सब सस्कारिता की कमियाँ इस सामाजिक (जन) सस्था द्वारा दूर की जानी चाहिए । इन कमियों को दूर करने या इन दोषों को मिटाने के लिए तीन उपाय हैं — (१) इस प्रकार की हितशिक्षा-मस्कारो को व्यापक प्रचार द्वारा सस्कारिता का वातावरण तैयार करके, (२) सस्था के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उसे समझा-बुझाकर सामाजिक-आध्यात्मिक दबाव डालकर या कोई आर्थिक प्रश्न हो तो पचप्रथा द्वारा आपस में निपटारा करके, (३) इस पर भी दोषित व्यक्ति न मानता हो तो नैतिक प्रेरक सस्था द्वारा सामूहिक रूप से शुद्धि प्रयोग (अहिंसक सत्याग्रह) द्वारा गुनहगार पर नैतिक-सामाजिक दबाव लाकर उसे प्रेम से अपनी भूले मुधारने और जाहिर में स्वीकार करने को बाध्य करके या नियुक्त पचप्रदत्त सामाजिक प्रायश्चित्त स्वीकार कराके ।

सामाजिक सस्था जब इस प्रकार के अहिंसक उपायों के सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों को हल करने लगेगी तो सरकार का बोझ बहुत ही कम हो जायेगा और शासन-सस्था को केवल राजनैतिक क्षेत्र या राष्ट्र की

आन्तरिक व बाह्य आक्रमण मे सुरक्षा के प्रश्नो पर एकाग्र होकर काम करने मे शक्ति मिलेगी ।

साधन दो प्रकार के होते है—प्राकृतिक और पुरुषार्थसाध्य । प्राकृतिक साधनो मे मनुष्य को प्राप्त हुए अग, उपाग, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और शक्ति आदि का समावेश होता है । इन प्राकृतिक साधनो की पूर्ति करना दु शक्य है । फिर भी आज वैज्ञानिक युग मे इस प्रकार की शोध हो रही है और कुछ अशो मे उसमे सफलता भी मिली है कि एक अग विकृत हो जाय तो उसकी जगह दूसरा कृत्रिम अग, जो उसी तरह का काम दे सके, बिठा दिया जाता है । पर ये तरीके खर्चिले और कृत्रिम है । तथापि सामाजिक सस्था द्वारा इस त्रुटि की पूर्ति यथाशक्य की जानी चाहिए । दूसरे साधन पुरुषार्थसाध्य होते है । उनमे अन्न, वस्त्र मकान, शिक्षणसस्कार, आरोग्य, न्याय और जीवनोपयोगी साधनो का समावेश होता है । इन सप्तसाधनो की ग्रामो और नगरो के समाज मे जहाँ-जहाँ कमी हो , जहाँ इन सप्तसाधनो मे स्वावलम्बन सिद्ध न हुआ हो, वहाँ शिक्षण-सस्कार, न्याय आदि के कार्य आव्यत्मलक्षी नैतिक (जनसेवक) सस्था द्वारा और वाकी के कार्यों की पूर्ति इम सामाजिक (जन) सस्था द्वारा की जानी चाहिए ।

काम करने मे विलकुल अशक्तवर्ग, विकलाग, वृद्ध आदि के निर्वाह के लिए उपयोगी साधनो की पूर्ति तथा उपर्युक्त वर्ग के लोगो को मानसिक आनन्द प्राप्त कराने वाले वाचनश्रवण की एव उनकी सेवाशुध्रूपा व्यवस्था और उनमे से योग्य व्यक्तियो के अनुभवो और शिक्षण-सस्कारो का लाभ जनता को प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था करना इम जनसस्था का कर्तव्य है ।

(*) परस्पर सहकारिता और दृष्टीशिव पद्धति द्वारा रोजी रोटी की समस्या हल करना—समाज मे जगह-जगह बेकारी, बेरोजगारी और आर्थिक विपमता के दर्शन होते है । साथ ही मध्यवर्ग, निराधार विधवाएँ, अनाथ, असहाय कुटुम्ब तथा प्राथमिक तथा शिक्षक प्रायः

आर्थिक सक्टो से घिरे हुए है। इस समस्या को हल करने का पहला उपाय गाँवों में कृषकों, पशुपालकों और श्रमजीवियों के तथा शहरों में कल-कारखानों के मजदूरों, श्रमजीवियों, मध्यमवर्गीय लोगों एवं माताओं के अलग-अलग सगठन (नीतिधर्मलक्षी) बनाकर उन्हें अलग-अलग आर्थिक प्रवृत्तियाँ मँपना है। ग्रामों और नगरों के इन विभिन्न जन-सगठनों की सहकारी मडलियाँ भी चले, जिससे सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके, सहकार भाव बढ़ सके, विकेन्द्रीकरण अर्थ क्षेत्र में लाया जा सके, शोषण नष्ट हो सके, बेकारी कम हो सके, फिजूल-खर्ची पर नियंत्रण आए और विविध वस्तुओं के उत्पादन और गृहोप-योगी वस्तुओं के सहकारी भंडारों द्वारा शुद्ध वस्तु भी मिल सके। गाँवों के मडल अपने मुख्य कार्य से अतिरिक्त समय में खादी, ग्रामोद्योग, गृहोद्योग आदि श्रम-कार्य अपनी-अपनी उपसस्थाओं के जरिये हाथ में ले सकते हैं। साथ ही ग्राम्य मडलों में १० प्रतिशत व्यापारी और बुद्धिजीवियों को भी लिया जाय, ताकि उनकी योजनाशक्ति और कार्य-क्षमता आदि का उपयोग सहकारी प्रवृत्तियों के चलाने, बेकारी-निवारणार्थ योग्य आयोजन करने तथा सस्थाओं के हिसाबी कामों में किया जा सके। नगरों में भी मजदूर-मध्यमवर्गीय-मातृसमाज-सगठनों के हिसाबी कामों में उनका उपयोग किया जा सकता है।

मजदूर-सगठनों का कार्य केवल आर्थिक लाभ दिलाना नहीं, किन्तु मजदूरों की हर क्षेत्र की समस्याओं को नैतिक दृष्टि से हल करना है, जिसमें वे सुसंस्कारी, नीतिमान, धर्मजीवन वाले, चारित्र्यशील नागरिक बन सकें, उनमें आए हुए दुर्व्यसन, तोडफोड के कुसंस्कार तथा अन्य बुराइयाँ दूर हो सकें।

मध्यमवर्गीय सगठनों के अन्तर्गत शहरों में बेकारी-निवारण के लिए उद्योगशालाएँ भी स्थापित की जा सकती हैं, जिनमें हर कौम के बेकार, बेरोजगार, निराधार या गरीब व्यक्ति को स्वाभिमान पूर्वक रोजी मिले। परन्तु उनका संचालन उक्त सामाजिक सस्था के हाथ में

होना चाहिए जिससे नीतिमत्ता कायम रह सके ।

समाज की विधवाएँ, निर्धन या मध्यमवर्गीय बहनें स्वाभिमान पूर्वक जी सके, स्वावलम्बी बन सकें, अनेक प्रकार के हस्तोद्योगों द्वारा बहने रोजी कमा सकें, साथ ही उनमें नैतिक जागृति आ सके, उनके कौटुम्बिक-सामाजिक प्रश्न अहिंसक ढंग से हल किए जा सकें, उन पर होने वाले अन्वयो, अत्याचारों, जुल्मों आदि का अहिंसक शुद्धिप्रयोग द्वारा निवारण किया जा सके तथा सम्पन्न घराने की शिक्षित या धर्माचरणपिपासु विधवा, सधवा या ब्रह्मचारिणी बहनों को नारी जाति की सेवा एव उनमें सस्कार प्रदान के कार्य का आनन्द मिल सके, शिशु-गृहों या बालमन्दिरों द्वारा बालकों को शिक्षण के साथ भारतीय सस्कृति के अनुरूप सस्कार दिये जा सकें, इस दृष्टि से शहरों में जगह-जगह मातृसमाज स्थापित होने चाहिए । धर्ममय समाज-रचना में सभी दृष्टियों से मातृसमाज लाभदायक जनसंख्या सिद्ध होगी ।

आर्थिक सकट मिटाने एव उपकुटुम्बिता लाने का दूसरा मार्ग है—ट्रस्टीशिप पद्धति । म० गांधीजी ने भारत के अनुरूप आर्थिक क्रान्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है । गांधी जी के समय में श्री जमनालालजी बजाज ने इसका सुन्दर नमूना पेश किया है । पूर्वकाल में समाज और राष्ट्र पर जब-जब दुःख, बाढ़, भूकम्प, महामारी, वेकारी या अन्य आर्थिक सकट आए हैं, तब-तब खीमाशाह देवराणी, चापाशाह भगद्दशाह, भामाशाह, भीमाशाह आदि वैश्यों ने समाज के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया है । स्वयं को वे समाज का ट्रस्टी मानकर चले हैं । उनका जीवन-सूत्र यही था कि हमने जो कुछ कमाया है, वह समाज से ही कमाया है, समाज का ही यह धन है, मैं तो इसका सरक्षक और जरूरत के अनुसार उपयोग करने वाला हूँ । अतः समाज की इस धरोहर को 'समाज पर सकट के प्रसंग में अर्पण करना हमारा

कर्तव्य है ।' इमी भावना को ईशोपनिषद् की भाषा में पढ़िए—

‘इंशावास्यामद सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, मा गृध्र कस्यश्चिद्धनम् ॥’

‘यह सारा चराचर जगत् ईश्वर (व्यापक विश्वात्मा) में व्याप्त है, अतः त्याग करके उपभोग करो, प्राप्त साधनों पर मूर्च्छा न करो, यह धन किसका है ? अथवा किसी के धन की इच्छा न करो ।’

इमं श्लोक का रहस्यार्थ तो यह है कि तुम्हारी वृद्धि या प्रयत्नों में जो कुछ तुम प्राप्त करते हो, आग्निर तो वह विश्व-समाज का है । अगर उस पर स्वामित्वहक की आमक्ति रखी तो, समझलो, विश्वसमाज के प्रति तुम द्रोह कर रहे हो । अगर दूसरा कोई आमक्ति रखता है तो उसके धन की भी इच्छा मत करो । सही अनामक्ति का प्रभाव ही ऐसा पड़ेगा कि या तो वह अनामक्तियुक्त ट्रस्टीशिप को स्वीकार कर लेगा, या फिर व्यापक-समाज के लिए उसे छोड़कर उत्कृष्ट योग का नमूना पेश करेगा । जैनमूत्र में सद्गृहस्थ के लिए बताया गए वारहवें व्रत का एक नाम ‘यथा सविभागव्रत’ रखा गया है, उसका फलितार्थ भी यह है कि परिग्रह की मर्यादा करने पर भी मर्यादीकृत परिग्रह भी आसक्तिमय स्वामित्व न रखकर, उसका ट्रस्टी बन कर रहे और जब-जब समाज और राष्ट्र पर सकट आए तब-तब अपने तन-मन-धन-साधन आदि का अर्पण करे । महकारिता की भावना तो इस वेदमंत्र में कूट-कूट कर भरी है —

‘ओ सह नी भुनक्तु, सहनाववतु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषाव है ।’ इस प्रकार सहकारी प्रवृत्ति और ट्रस्टी-शिप पद्धति से सारे समाज में परस्पर विश्वास पैदा होगा, अनीति और वैईमानी में धन कमाने की वृत्ति दूर होगी, सबको स्वाभिमान-पूर्वक रोजी-रोटी मिलने की निश्चितता होगी, धन सम्पन्न व्यक्तियों को अपने धन को व्यर्थ के आडम्बरो और कुरुडिपोषण में खर्च करने के बजाय यथायोग्य क्षेत्र और पात्र में खर्च करने का आनन्द मिलेगा किसान, पशुपालक, श्रमजीवी, मजदूर, मध्यमवर्ग और मातृजाति आदि

सबको अपने अनुरूप काम मिल सकेगा, सबकी शक्तियों का यथायोग्य विकास हो सकेगा, सबको अपने-अपने कार्यों को विकसित करने और दिलचस्पीपूर्वक करने का मौका मिलेगा, जिनकी अनिवार्य जरूरत अधिक है, उन्हें अधिक और जिनकी कम है, उन्हें कम मिलेगा और कुल मिलाकर समाज में कुटुम्बभाव बढ़ेगा। इससे आर्थिक संकट रहेगा ही नहीं, पैदा हुआ तो भी दूर हो जायगा।

सिर्फ जरूरत है उक्त जन-संस्थान्तर्गत इन सब उपसंस्थाओं को जाति-धर्म-सम्प्रदाय, व्यक्ति, रंग, प्रान्त और भाषा के भेदों से ऊपर उठकर नैतिक दृष्टि से संचालन करने की और हर व्यक्ति को उनमें यथायोग्य काम देने व विकास का मौका देने की।

(५) सहकारी प्रवृत्तियों में अनिवार्य बचत-योजना चलाना—यह कार्य सहकारी-प्रवृत्ति से सम्बन्धित है और हर दृष्टि से उपयोगी भी, क्योंकि समाज में कितने ही ऐसे कुटुम्ब हैं, जो खुल्ले हाथों पैसा मिलने पर विवाह, घृतक भोज, फिजूल खर्ची या अन्य व्यसनो में उमे उड़ाने से नहीं चूकते और आखिर कर्जदार होकर सारी उम्र कर्ज की चक्की में पिसते रहते हैं। इससे मुक्ति का उपाय है—अनिवार्य बचत। इससे संकट और आफत के समय काफी राहत मिल सकती है। यह सामाजिक बैंक का एक तरह का सुरक्षा-आश्वासन है। इससे समाज की आर्थिक क्षमता बढ़ जाने व अभाव दूर हो जाने से समाज का हर व्यक्ति ईमानदारी, नीति और धर्म का पालन आसानी से कर सकेगा।

(६) सरकार संचालित सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक आदि प्रवृत्तियों में इस संस्था का नैतिक प्रतिनिधि नियुक्त कराना—आज सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों की प्रायः सभी प्रवृत्तियों पर सरकार का पजा पड़ा हुआ है। कहने को तो लोकतंत्री सरकार है, किन्तु लोकनीति, लोकशक्ति एवं जनता की स्वयं स्फुरित प्रतिभा का विकास होने योग्य उक्त क्षेत्रों पर शासनमंस्था का गाढ़ आवरण पड़ा रहता है, जिससे उक्त विकास नहीं होता, लोगों की आवाज मुख्य नहीं रहती, जनता में अपनी व्यवस्था स्वयं सम्भालने

की क्षमता नहीं आती। सरकार या कांग्रेस जब सहकारी प्रवृत्ति या पचायत का चुनाव होता है, तब अपने पक्ष की ओर से किसी व्यक्ति को वह चाहे योग्य हो या अयोग्य—खड़ा कर सकती है, या उसके लिए सिफारिश करती है, सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिकादि क्षेत्रों के चुनाव में कांग्रेस की ओर से किसी उम्मीदवार को खड़ा न करने की कांग्रेस के उच्च स्तर से आज्ञा होने पर भी प्रादेशिक या स्थानीय कांग्रेसियों में से एकहत्थी सत्ता टिकाए रखना चाहने वाले, लोगों को आर्थिक-प्रलोभन से खींचकर मत प्राप्त करने के लोभ से प्रायः उक्त आज्ञा को ठुकरा देते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि जनता में से अच्छे व्यक्तियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता, अगर कोई साहस करके आ भी जाता है तो उसे टिकने नहीं दिया जाता। फलतः इन सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों में भ्रष्टाचार, पक्षपात, रिश्तखोरी और गडबड-घोटाले चलते रहते हैं, उनपर रोक-टोक करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अगर उक्त जन-संस्था कम-से-कम अपना एक प्रतिनिधि हर सहकारी मंडली और पचायत संस्था में नियुक्त कर दे तो वह इस पोलपट्टी को नहीं चलने देगा, कार्य भी शुद्ध व जनतालक्षी होगा और लोकतंत्र सही माने में सार्थक होगा।

(७) मध्यस्थ प्रथा द्वारा न्याय दिलाना—गृहस्थाश्रमी लोगों में कई बार छोटी-सी बात पर कहासुनी हो जाती है, पैसे के मामले में नोक-झोंक भी हो जाती है, कई दफा किसी अन्याय, अनाचार, शोषण, बेईमानी, अधिकारहरण आदि के मामलों में हाथापाई, मारपीट और गालीगलौज भी हो जाते हैं। आए दिन अखबारों में कत्ल, दंगे, मारपीट आदि की घटनाएँ पढ़ते हैं। ऐसे मौकों पर एक पक्ष लड़ता है तो दूसरा पक्ष भी मरने-मारने को उतारू हो जाता है, इस प्रकार या तो दोनों पक्ष शैतानी धारण करके कानून हाथ में ले लेते हैं, या एक पक्ष दबकर चुपचाप बैठ जाता है, अन्याय सहन करता है, अथवा दूसरे पक्ष पर मुकद्दमा दायर करता है। मुकद्दमेवाजी में प्रायः वही जीतता है, जिसके

पास पैसा हो, सिफारिश हो या सत्ताधारियों का आश्रय हो । गरीब या मध्यमवर्गीय लोगों को प्रायः शुद्ध न्याय मिलने की आशा नहीं रहती । साथ ही समय, शक्ति और धन तीनों बर्बाद होते हैं और दोनों पक्षों में से एक के जीत जाने पर भी उभयपक्ष में प्रेम-भंग होता है सो अलग । इसकी अपेक्षा एक मध्यस्थ व्यक्ति उक्त जन-संस्था की ओर से तथा दोनों पक्ष के समझदार विश्वस्त एवं ईमानदार दो-दो सज्जन नियुक्त करके उस मामले को निपटाया जाय तो इस मध्यस्थ (न्यायी पक्ष) प्रथा द्वारा सस्ते में, थोड़े समय में और दोनों पक्षों में प्रेम सलामत रहते हुए किसी भी प्रश्न में शुद्ध न्याय मिल सकता है । और यह काम जन-संस्था ही ठीक तौर से कर सकती है ।

आध्यात्मलक्षी नैतिक संस्था के कार्यों का विश्लेषण

उपर्युक्त जन-संस्था के बताए गए कार्यों में प्रेरणा देने और उसकी पूर्णतया नैतिक चौकी रखने के लिए इस जन-सेवक-संस्था की अनिवार्य आवश्यकता रहेगी । समाज के नवद्वेषा और क्रान्ति के सही मार्ग पर चलने के आकांक्षी व्यक्तियों को इस रचनात्मक पुण्य कार्य में जुट जाना पड़ेगा । यह सब कार्य उन्हें सगठनों के जरिये सम्पन्न करने हैं । पुरजोश से आ रही बाढ़ से बचने के लिए जैसे मनुष्य जो और जितने भी साधन मिलते हैं, उन्हें लेकर प्रयत्न करता है, वैसे ही समग्र समाज में आ रही अनिष्टों, पापों, विकारों, विलासी एवं पाश्चान्त्य भौतिक-सस्कारों एवं स्वच्छन्दता की बाढ़ को रोकने और समाज को उमसे बचाने के लिए अथवा समाज उममें फँस रहा हो तो निकालने और शुद्ध करने के लिए जो और जितने भी अच्छे साधन मिलें, उन्हें लेकर काम में जुट पड़ना है । आध्यात्मलक्षी सर्वांगीदृष्टि रखकर माने समाज को नीति-धर्म की ओर मोड़ना है । इसमें उन जन-सेवकों (रचनात्मक कार्य-करों) का स्वयं का भी विकास है, समाज का भी । उनके भरणपोषण (जीवन निर्वाह) की चिन्ता समाज या संस्था को करनी होगी । ऐसे व्यक्ति या तो वानप्रस्थी [पति-पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य-पूर्वक] होंगे, या

ब्रह्मचारी भाई-बहन होंगे या फिर वे उच्च कक्षा के गृहस्थाश्रमी होंगे, वे निर्वाह-कम लेकर अपना जीवन-सर्वस्व समाज-सेवा में लगाएंगे। उनके कार्यों का क्रमशः विश्लेषण इस प्रकार है —

(१) सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र पूर्वोक्त जन-संस्था के हस्तगत कराना—

जन-संस्थाओं का सुन्दर ढंग से निर्माण करके उन्हें इतनी शक्ति-शाली बनाना कि उनका दबाव राज्यसंस्था [सरकार] पर पड़े और राज्यसंस्था अपने ऋज्जे में रहे हुए उक्त दोनों क्षेत्र जन-संस्थाओं को सौंप दे। तब समग्र राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक-नीति जन-संस्थाएँ निर्धारित करेगी। आज एक तो जन-संस्थाएँ ही थोड़ी हैं, दूसरे जो हैं उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुँच पाती, इस कारण शहरी और वृद्धिजीवी अच्छा बोलने वाले जो थोड़े-से लोग सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र की नीति निर्धारित करते हैं, वही ८५ प्रतिशत ग्राम्य आमजनता को माननी पड़ती हैं, इससे सरकार न तो उस जनता का ही हित कर पाती है और न वृद्धिजीवियों का। ये दोनों क्षेत्र जन-संस्था के हाथ में रहने क्यो आवश्यक हैं, इसका कारण हम पहले बता चुके हैं।

(२) जगह-जगह ऐसे जन-संगठन खड़े करके उनका संचालन करना, प्रेरणा देना—इसका आशय स्पष्ट है। जब तक नैतिक और आध्यात्मिक परिवल का सहयोग जनसंस्था को नहीं मिलता, तब तक जनता की शक्ति अपर्याप्त रहती है, वह समग्र समाज के सभी प्रश्नों को पूर्ण-तया हल नहीं कर सकती। और जनसेवक-संस्था या क्रान्तिप्रिय साधु वर्ग को जब तब जनसंस्था का विपुल सामाजिक बल नहीं मिलता, तब तक ये दोनों राज्यसंस्था या समाज के निहित स्वार्थी एवं शोषकवर्ग से अहिंसकरूप से टक्कर लेने में अक्षम हैं। अतः जनसंस्थाओं की नितान्त आवश्यकता है। उनके बिना समाज में पारस्परिक क्लेश, स्वच्छन्दता, अराजकता, समाज के तथाकथित अगुओं की लापरवाही, अघाघुन्धी और धनिकों की सत्ताशाही आदि दोष दूर नहीं किए जा सकते। साथ ही जनसंस्थाओं की सुदृढता के लिए उनके संचालकों (जनसेवकों)

का ध्यान नीति और चारित्र्य की ओर रहना चाहिए तथा उपर्युक्त दोषों के प्रविष्ट होने से पहले ही या होते ही, उन्हें फौरन अहिंसक उपायों से दूर करने चाहिए, अन्यथा इन दोषों के अति मात्रा में बढ़ जाने पर फिर रोकना अति कठिन होगा। जनसंस्था के संचालकों को स्वयं नम्रातिनम्र सेवक बनकर कठोरतापूर्वक नियमों का पालन करते हुए समय-समय पर संस्था के नियमों में समस्त सदस्यों की राय से या सहमति से सशोधन-परिवर्द्धन करते रहना चाहिए, तभी वे समाज में नये मूल्य स्थापित कर सकेंगे और समाज-शुद्धि व क्रान्ति का काम जन-संस्थाओं के जरिये कर सकेंगे।

(३) शैक्षणिक-सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ अपने अधीन रखकर चलाना—शिक्षा और संस्कृति-संस्कार के कार्य उन्हीं लोगों की संस्था के हाथ में रहने चाहिए, जो निस्पृह हों, समाज से कम-से-कम लेकर बदले में अधिक देते हों, जिन्हें शिक्षा और संस्कृति में दोष पैदा होने के कारणों की पूरी जानकारी हो, जो रात-दिन समाज को सुसंस्कृत, उन्नत और विकसित बनाने और उसका धर्मदृष्टि से निर्माण करने का चिन्तन करते हों। सरकार के हाथ में इन दोनों क्षेत्रों के रहने से उनमें यान्त्रिकता आएगी, भारतीय-संस्कृति का विचार कम होगा, सर्वांगी दृष्टि न होने से समाज को योग्य शिक्षण-संस्कार नहीं मिलेंगे। आज ये दोनों क्षेत्र सरकार की मुठ्ठी में हैं। भले ही शिक्षण-संस्थाएँ जनसेवक चलाते हों, किन्तु उनमें सरकारी हस्तक्षेप होता रहता है। अतः अब जनसेवक-संस्था को ये दोनों क्षेत्र सरकार के हाथ से अपने हाथ में लेकर उनकी विविध प्रवृत्तियाँ भारतीय-संस्कृति के अनुरूप चलानी चाहिए।

शिक्षण कार्य में केवल अक्षरीय ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं है, अपितु लोक-शिक्षण का कार्य काफी विशाल है। लोकशिक्षण में जनता के रहन-सहन, प्रवृत्ति, पोशाक, रीति-रिवाज, स्वच्छता, आरोग्य, न्याय आदि सभी प्रकार की तालीम आ जाती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक

क्षेत्र में केवल नृत्य, गीत, नाट्य ही नहीं अपितु शील, सदाचार, प्रामाणिकता, अनाक्रमण, सत्य, अन्याय का अहिंसक प्रतीकार, वैश्यामुधार; पतित और तिरस्कृतवर्ग, पिछड़ी जातियाँ तथा महिला जाति का उत्थान आदि कार्य भी समाविष्ट हैं।

(४) राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति स्वयं महानुभूति रखते हुए जनसंस्थाओं के साथ उमका राजकीय मातृत्व सम्बन्ध जोड़ना—जब तक सारा मानव समाज इतनी उच्च भूमिका पर न उठ जाय कि वह स्वयं ही सहजभाव से नियमों का पालन कर ले, उसे कानूनों की जरूरत न रहे, तब तक सरकार की जरूरत रहेगी। और सरकार की जरूरत रहेगी, इसलिए यह सोचना होगा कि सबसे अच्छी सरकार कौन-सी है। आज तो लोकतंत्रीय सरकार ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उममें भी भारत में लोकतंत्र का विकास अपने निराले ढंग से हो रहा है। ऐसी दशा में जो राजनीतिक संस्था वर्षों से म०गाधीजी द्वारा धर्मनीति के मस्कारों से पुष्ट हो, भारतीय-संस्कृतिकी बुनियाद पर आधारित हो, सत्य-अहिंसा के प्रयोग के अनुभव वाली हो, उस राष्ट्रीय महामभा (कांग्रेस)के प्रति (भले ही आज उसके सदस्यों में विकृति आ गई हो) आकर्षण होना स्वाभाविक है। दूसरी बात—उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद आदि के खिलाफ वह वर्षों से लड़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पचशील का झण्डा लेकर राजनीतिक क्षेत्र में उसने शुद्ध वातावरण फैलाने का काफी काम कर दिखाया है। आज उसने सभी क्षेत्र अपने हस्तगत कर लिए हैं, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पूर्णतः काम नहीं कर सकती और राष्ट्र में राजनीतिक क्षेत्र के अलावा किसी क्षेत्र में क्रान्ति नहीं कर पाती। इसलिए उसके हाथ में सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र हो तो उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीति को शुद्ध किया जा सकता है। और यह तभी हो सकता है, जब उसे मतों की ओर से निश्चित बना दी जाय। उसके साथ जनसंस्थाओं का राजनीतिक मातृत्व-सम्बन्ध जोड़ने के पीछे यही आशय है कि उसे मतों की ओर से तसल्ली हो जाय और अन्य उक्त चारों क्षेत्रों को वह

तद्योग्य सस्थाओं को सौंप दे । और जनता भी प्रतिदिन की राजनीतिक घटनाओं से तालीम पा सके और तद्रूप निर्माण कर सके । राजनीति से जनता को दूर भगाने या स्वयं दूर भागने से काम नहीं चलेगा । हाँ, जनसंस्था व जनसेवकसंस्था को राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, और न किसी जनसेवक को व्यक्तिगतरूप से राजनीतिक (सरकारी) पद स्वीकार करना चाहिए ।

(५) छोटे-बड़े अन्याय, अत्याचार तथा अपराध करने वाले व्यक्ति या वर्ग के विरुद्ध सामूहिक रूप से अहिंसक प्रतिकार द्वारा नैतिक-सामाजिक दबाव लाकर उसकी शुद्धि करना—कोई व्यक्ति, वर्ग या राज्य किसी व्यक्ति या वर्ग पर कहीं और किसी भी मानव-जीवन क्षेत्र में अन्याय-अत्याचार कर रहा हो, कोई व्यक्ति या वर्ग समाज में अशान्ति पैदा कर रहा हो, किसी बहन-बेटी के शील पर आक्रमण करने का प्रयत्न करता हो, वैश्यानी, शोषण, ठगई या कत्ल करता हो, तब यदि वह व्यक्ति या वर्ग जबरदस्त हुआ तो कोई उसके सामने चूँ भी नहीं कर पाता, कोई उसका सामना भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि धर्मगुरु भी बहुत-सी दफा उसे कुछ नहीं कह पाते । ऐसी दशा में समाज मूक और लाचार होकर चुपचाप उसकी बुराई को सह लेता है, जिससे बुराईयाँ दिन-ब-दिन बढ़ती जाती हैं । कानून, पुलिस या न्यायालय का आश्रय भी हर व्यक्ति के लिए अनुकूल प्रतिफल नहीं लाता । बल्कि प्रायः उलटा ही परिणाम आता है । ऐसी दशा में सगठित जनसंस्था द्वारा इस जनसेवक-संस्था के संचालन से सामूहिक तपत्यागात्मक प्रक्रिया-वाला अहिंसक शुद्धिप्रयोग गुनहगार व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ किया जाय तो उसका परिणाम बहुत ही अनुकूल आता है । गुनहगार व्यक्ति या वर्ग उस पर आए हुए जनसंस्था के सामाजिक एवं जनसेवक संस्था के नैतिक दबाव के कारण अपनी भूल स्वीकार करने को तैयार होता है, समाजनिष्ठ पक्ष जो फैमला या सजा दे, उसे मानने और पालने को बाध्य हो जाता है । इस प्रक्रिया द्वारा अपराधी व्यक्ति या

वर्ग की शुद्धि तो होती ही है, मगर समाज में भी शुद्धि का वातावरण तैयार होता है, शुद्धि की तालीम मिलती है। परन्तु यह शुद्धि प्रयोग विधि, क्रम, सावधानी, अनुबन्ध आदि का पूरा अध्ययन करने के बाद ही करना चाहिए।

इसके कारण किसी की छोटी-सी भूल होते ही उसे समाज से वहिष्कृत कर देने और अधर्मपथ पर चढ़ने को बाध्य कर देने की परम्पराएँ समाज में से दूर होगी। क्योंकि कोई बड़े-से-बड़े अपराध का कर्ता भी यदि जनसेवकसंस्था के समाज सेवक के पाम आकर अपनी भूल प्रगट करता है, जाहिर में भी घोषित करने को तैयार हो जाता है तथा समाज-नियुक्त पंच उसे शारीरिक दण्ड के सिवाय जो कुछ दण्ड दे, उसका पालन करने को उद्यत हो जाता है कि तुरन्त उसकी शुद्धि हो सकती है। समाज भी इतना उदार है कि ऐसे शुद्धिप्रिय व्यक्ति को शीघ्र माफी दे देता है। इस प्रकार समाज-सेवक बहुत-से व्यक्तियों को सही राह पर चढ़ा सकते हैं।

कई लोगों को बेकारी या आर्थिक तंगी के कारण नीतिभ्रष्ट होना पड़ता है, समाज के द्वारा वहिष्कार (उसे सुधरने का मौका दिये बिना, उतावली से) कर दिये जाने के कारण कई लोग तंग आकर दूसरे धर्म-सम्प्रदाय या जाति-कौम को अंगीकार कर लेते हैं, यही नहीं वे वहिष्कृत व्यक्ति कई बार समाज-द्रोही या राष्ट्र-द्रोही तक बन जाते हैं। अतः ऐसे दुर्भविष्य से बचने के लिए समाज के नियमों से विचलित होने, मार्गभ्रष्ट या पतित होने वाले व्यक्तियों को समझा-बूझा कर शीघ्र उनकी शुद्धि करके अपनाते चाहिए। कदाचित् इस कार्य को सम्पन्न करते समय भूत-भविष्य के परिणामों से अनभिज्ञ हृदिचुस्तवर्ग कदाचित् धुब्ध हो, परन्तु अगर लोकप्रतिष्ठित जनसेवक संस्था इस कार्य को हाथ में लेगी तो उसकी धुब्धता इतनी गलत प्रतिक्रिया नहीं पैदा कर सकेगी। इसके विपरीत, ज्यो-ज्यो शुद्धि कार्य का सुन्दर परिणाम नजर आता जायगा, त्यो-त्यो विरोध भी शान्त होता जायगा और संस्थाकीय प्रभाव

भी व्यापक होता जायगा ।

ज्ञातिच्युत और धर्मच्युत वर्ग के अलावा अन्त्यज (पिछड़े हुए) वर्ग में भी शुद्धि—आचार-विचार की उच्च सस्कृति—का कार्य इसी कार्य के साथ-साथ इस सस्था को हाथ में लेना पड़ेगा । जहाँ तक उच्चजाति के साथ पिछड़ी जातियों के आचार-विचार में समानता न आए, वहाँ तक कम से कम उन्हें धार्मिक सस्कारों, सामान्य अधिकारों तथा हवा, प्रकाश, पानी, अन्न, शिक्षण और प्रभुभक्ति आदि के साधनों से वञ्चित तो नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें सहयोग देना चाहिए, इसी में धर्म और समाज दोनों की सुरक्षा है ।

(६) समाज की नैतिक सुरक्षा रखना—इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम नीतिमय जीवन वाले व्यक्तियों को अलग छाटना होगा, उन्हें जनसस्था में लेना होगा । साथ ही ऐसे नीति-जीवनजीवियों को सार्वजनिक प्रतिष्ठा मिले और उन्हें आर्थिक तंगी न भोगनी पड़े, ऐसा वातावरण समाजसेवकों को तैयार करना होगा । दूसरी ओर से बेकारी, कर्जदारी तथा विविध कुरूपियों का पालन समाज में नैतिक दुर्बलता पैदा करने के कारण है इन्हें दूर करने का योजनाबद्ध प्रयास भी उन्हें करना होगा । कई बार न चाहते हुए भी कई लोगों को विवश होकर अनैतिक जीवन बिताना पड़ता है । मानसिक निर्बलता भी नैतिक-पतन का एक कारण है । मानसिक दौर्बल्य के कारण है—माता-पिता द्वारा उत्तराधिकार में मिले हुए सस्कार, और समाज का अनिच्छनीय वातावरण । इसके कारण मनुष्य तथाकथित समाज से डर-डर कर विचार और कार्य की चोरी करता है । इसे दूर करने के लिए ऐसे लोगों में नैतिक हिम्मत पैदा करनी होगी । कई दफा कानून अमुक वर्ग के हित और हक में होते हुए भी राष्ट्रविरोधी, निहितस्वार्थी, प्रतिक्रियावादी तत्त्व, रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारीगण या धर्मान्धताविष्ट लोग उसकी पराधीनता और नैतिक साहमहीनता का गैर फायदा उठाकर उसे मच्चा लाभ नहीं लेने देते । ऐसे मौके में उस पिछड़े और पस्तहिम्मतवर्ग में सगठित अहिंसक

आन्दोलन द्वारा नैतिक शक्ति और जागृति पैदा करने का कार्य करना होगा। साथ ही यह भी सावधानी रखनी होगी कि वह सगठित जन-शक्ति, जिसमें वे नैतिक जागृति ला रहे हैं, कहीं तोड़फोड़, कानून-भंग या हिंसा के रास्ते पर तो नहीं चढ़ रही है या उममें दगाखोर या हिंसकतत्त्व तो नहीं घुस रहे हैं। प्रायः ऐसे नैतिक आन्दोलन क्रान्तिप्रिय साधुवर्ग के मार्गदर्शन से चलाने चाहिए।

समाज की नैतिक सुरक्षा के लिए समाज में होने वाली प्रत्येक छोटी-से-छोटी घटना का सूक्ष्म निरीक्षण जनसेवकसंस्था को नैतिक प्रहरी बनकर करना होगा, अपने उन्नत चारित्र्य-प्रभाव द्वारा नैतिक क्षति को दूर करने का प्रयत्न करना होगा, नैतिक जीवन के बोधपाठ और आदर्श उपस्थित करने होंगे, किसी प्रसंग पर स्वयं सहन भी करना पड़ेगा और नैतिक सुरक्षा में ऊपर बताया गए बाधक कारणों को भी दूर करना पड़ेगा। तभी समाज में नैतिक सुरक्षा का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा।

समग्र समाज का ध्यान

इन विधेयात्मक और सधर्पात्मक द्विविध रचनात्मक कार्यों को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिए समाज के अनेक वर्गों को हाथ और हृदय—दोनों से जुट पड़ना होगा। क्या आत्मवलिदान, आत्मभोग या त्याग के विना कहीं समाजोद्धार, समाज-सुधार या समाजशुद्धि का कोई भी काम हुआ है? 'हमें समाज से क्या सरोकार?' 'हम अपना उद्धार या सुधार स्वयमेव कर लेंगे', यह मान्यता एकांगी, क्षुद्रस्वार्थी एव गलत है। यह तो अपने घर की गन्दगी को आगन में फेंक देने की सी मूर्खता होगी। क्योंकि व्यक्ति का सौन्दर्य समाज के सौन्दर्य पर निर्भर है। समाज का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। हर व्यक्ति, उसकी सतान या उसके कुटुम्ब आदि सभी को समाज के वातावरण में ही जीना और रहना है। इसलिए समाजोन्नति की ओर हर व्यक्ति को स्वेच्छा-पूर्वक दत्तचित्त रहना चाहिए। अन्यथा, समाज में गन्दगी और गन्दे

तत्त्व प्रविष्ट हो जाने पर जवरदस्तो का वर्चस्व बढ जायगा और तब उसे रोकने मे बहुत अधिक जोर लगाना पडेगा, काफ़ी त्याग-बलिदान देना होगा । और वह सौदा महंगा होगा । किनारे खडे रहकर तमाशा देखते रहने वाले या 'समाज तो सड गया है, 'पतित हो गया है, 'इस जर्जर समाज को नष्ट हो जाने दो' 'इसे एक धक्का और दो' के नारे लगाने वाले तो समाजद्रोह के और अधिक पाप से मलिन होंगे । जिस समाज से उन्होने विकास पाया, बल, बुद्धि, और सस्कार पाए उसे रसातल मे जाते देखकर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना स्वधर्म से च्युत होना है और यह सचमुच बहुत बड़ा ईश्वरीय गुनाह है ।

व्यक्ति द्वारा समाजधर्म का पालन

यहाँ तक समाज और उसकी प्रगति के बारे मे सस्थाओ द्वारा समाजधर्म-पालन की बात चली, यद्यपि सस्था मे व्यक्ति तो आ ही जाता है, फिर भी मुख्यत सस्था के माध्यम से ही समाज धर्म का पालन करके समाज के विशिष्ट ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है । फिर भी यह प्रश्न तो रहता ही है कि व्यक्ति को समाज-धर्म के पालन के लिए क्या करना चाहिए ? यो तो इसका उत्तर ऊपर आ चुका है, फिर भी संक्षेप मे यह है कि समाज को लागू होने वाली हर चीज व्यक्ति को भी लागू होती है । इसलिए व्यक्ति समाज को आत्मीयरूप मानकर यथामति, यथाशक्ति, यथास्थिति समाजोन्नति और समाजप्रगति के कार्य मे पर्याप्त सहयोग दे, अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सेवाएँ समाज को अर्पण करे, समाजोन्नति के कार्य मे रोडे न अटकाए तो यह कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने समाजधर्म का पालन किया । और एक गृहस्थाश्रमी के द्वारा पालन किया हुआ वह समाज-धर्म निस्वार्थ होने से उसके आध्यात्मिक विकास का अग वनकर रहेगा ।

राष्ट्र-धर्म

अन्य राष्ट्रों के हितों को क्षति न पहुँचाते हुए अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी रख कर तन, मन, धन, भावन, श्रम, व्यवसाय, विचार, कला सयम और नीति-धर्म-प्रभार द्वारा राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की मुखशक्ति और ममृद्धि बढ़ाने का प्रयत्न करना राष्ट्र-धर्म है। गृहस्थाश्रमी के लिए तो राष्ट्रधर्म का पालन करना अनिवार्य है। इसके बिना गृहस्थाश्रम का सुन्दर निर्माण हो नहीं सकता।

राष्ट्र का ऋण

मनुष्य जिस राष्ट्रभूमि की गोद में खेलता है, राष्ट्रीय सस्कृति से जीवन को नुसस्कृत बनाता है, जिस राष्ट्र के मीन्द्र्य में जीवनरस बूटता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस राष्ट्र के अनेकानेक उपकारों से उपकृत होता है, जिस राष्ट्र के अन्न-पानी से पालित-पोषित होता है, उस राष्ट्र के इस ऋण को चुकाने के लिए मनुष्य को राष्ट्रसेवा की कितनी आवश्यकता है ? इसीलिए कहा गया है—‘जननी जन्मभूमिञ्च स्वर्गादपि गरीयसी’ (माता और जन्मभूमि का महत्त्व स्वर्ग से भी बढ़कर है।) इसलिए मानवधर्म की तरह ‘राष्ट्रधर्म’ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक होना चाहिए।

राष्ट्रधर्म पालन करते समय

राष्ट्र का स्थान प्रत्येक धर्मशास्त्र में बताया गया है, क्योंकि धर्मपालन करने वाला व्यक्ति राष्ट्र में ही निवास करता है, राष्ट्र के वातावरण से प्रभावित होता है, इसीलिए धर्म-साधक के लिए राष्ट्र का भी महान् उपकार बताया गया है। जैन धर्म के आगम स्थानाग-सूत्र में दश धर्मों में राष्ट्र धर्म (‘रट्टुधम्मे’) का स्पष्ट उल्लेख है।

राष्ट्रधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति यह न समझे कि इसके पालन से आध्यात्मिक धर्म या कुटुम्ब-समाजादि धर्म नष्ट हो जायेंगे । और यह भी न माने कि यह धर्म केवल धनिकों के लिए है, बल्कि चाहे जिस व्यवसाय, धर्म, जाति, प्रान्त और वर्ग वाले के लिए यह धर्म समान रूप से पालनीय है । अतः मनुष्य चाहे जिस मानवजीवन के क्षेत्र में कार्य करता हो, वह राष्ट्र-धर्म का बखूबी पालन कर सकता है ।

राष्ट्र धर्म-पालन के लिए कोई एक सीमारेखा निर्धारित नहीं की जा सकती । कोई उसमें प्रत्यक्ष भाग लेकर, कोई रचनात्मक कार्य करके, कोई राष्ट्रोपयोगी व्यवसाय द्वारा, राष्ट्रोन्नति के कार्य में सहायक हो सकता है । इसी प्रकार अपने राष्ट्र की बनी हुई चीज, भले ही थोड़ी महंगी हो, लेकिन उसे ही खरीदना, अपने ही राष्ट्र में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना सर्वप्रथम कर्त्तव्य है ही, परन्तु अपने राष्ट्र के स्वास्थ्य, व हित को हानि पहुँचे जिससे राष्ट्र बेकार, दरिद्र, दुर्बल और अवनत बनता हो, राष्ट्र में जिन कुण्डियों से विपमता व अज्ञान्ति, भिन्नता, फूट, प्रातीयता-जातीयता-भाषावाद आदि के भगडे, अनीति आदि फैलती हो वैसे कार्य या तोडफोड, दंगे, कानून भंग, करचोरी आदि न करना भी कर्त्तव्य है । दूसरे राष्ट्र के साथ अपने राष्ट्र को हानि पहुँचाने की दृष्टि से मिलना, गोपनीय बातों को बताना या प्रकट करना, अपने राष्ट्र पर आक्रमण कराना, पड़्यत्र रचना, राष्ट्र को धोखा देना, राष्ट्र-द्रोह है । राष्ट्र पर कोई आकस्मिक प्रकोप (भूकम्प, बाढ, रोगादि, उपद्रव, दुष्काल आदि) आ पडे तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में अपना कर्त्तव्य समझ कर उबारना भी राष्ट्रधर्म है । राष्ट्र पर किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय मूढता, मताग्रह, सम्प्रदायाभिनिवेश, जाति-कीम-वाद, या प्रातवाद-भाषावाद के भगडों को एक ओर रग कर, राष्ट्रधर्म का पालन करना अत्यावश्यक है । परन्तु यह याद रहे कि अपनी अधिकार-लिप्सा या सकुचित स्वार्थ वृत्ति वगैरे राष्ट्रभिमान के कारण दूसरे राष्ट्रों को हानि पहुँचाना, दूसरे देश पर व्यर्थ ही चढाई करना, दूसरे राष्ट्र की

जनता को मारना, अपने शील को खतरे में डालना, राष्ट्रधर्म का पालन नहीं है, उमसे राष्ट्र की सेवा नहीं होती ।

भारत का अनोखा राष्ट्रधर्म

भारत का राष्ट्रधर्म हमारे देशों के राष्ट्रधर्म की अपेक्षा कुछ निराला है । हमारे राष्ट्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना भारतीय जनता की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, परन्तु राष्ट्रभक्ति के नाम से वे दूसरे राष्ट्र के अल्प सख्यक लोगों के अधिकारों को हड़पने और उन्हें कुचलने का प्रयत्न करते हैं, सत्ता हथियाने के लिए दूसरे राष्ट्रों के वाजारों पर कब्जा जमाने का प्रयत्न करते हैं, उनकी गुप्त बातों को निकलवाने के लिए महिलाएँ शील लुटा कर जासूसी करती हैं । यह राष्ट्रभक्ति नहीं, राष्ट्रान्विता है । जब कि भारत सदा से अनाक्रमण और सह-अस्तित्व की नीति मानता आया है । यहाँ के राष्ट्रधर्म में सत्य, अहिंसा, शील को मुख्यता दी जाती है । कोई राष्ट्र अन्यायी बन कर छोटे राष्ट्र को कुचलना चाहे, किसी पर आफत आए तो भारत उसे भरसक मदद करने को हरदम तैयार रहता है और रहेगा ।

राष्ट्रीय सरकार और जनता

भारत में महात्मा गांधीजी आदि राष्ट्र नेताओं के पुरुषार्थ से आज लोकतन्त्रीय राष्ट्रसरकार है । यद्यपि इस लोकतन्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिम में हुआ किन्तु भारत में 'स्वदेशी राजतंत्र था, तभी एक तरह का समाज-धर्मानुकूल लोकतंत्र था । राज्य पर ब्राह्मणों और महाजनो (आज की भाषा में जनसेवकों और जनसंगठनों) का वर्चस्व व अकुशल रहता था । एक प्रेरकबल और हमारा पूरकबल था । यहाँ प्रजा को राज्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया था । भारत के वर्तमान लोकतन्त्रीय शासन पर भी केवल विरोध और नुकताचीनी करने वाले विरोधपक्ष के वजाय भारतीय संस्कृति के अत्यधिक अनुरूप, पूरक, प्रेरक बलों की जरूरत है, जिससे सरकार पर नैतिक अकुशल भी रह सके,

और वे निःशस्त्र प्रतिकार द्वारा सरकार के द्वारा सशस्त्र प्रतिकार में मर्यादा ला सके। सरकार जनता (८२ प्रतिशत ग्रामवासी जनता) की आवाज को बुद्धिवादी व वाचाल शहरी लोगों के प्रभाव में आकर दवाने न सके, भारतीय सस्कृति के विरुद्ध गलत कदम न उठा सके। इस दृष्टि से राष्ट्रीयजनता का कर्त्तव्य हो जाता है कि यदि वह सही माने में राष्ट्रोन्नति और राष्ट्रसेवा करना-कराना चाहती है तो अपना अमूल्य मत राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) को ही दे, (जिसका निर्माण, प्रेरकबल, भूतकालीन कार्य, वृनियाद आदि भारतीय सस्कृति के अनुरूप है) अन्य विरोधी पक्षों-कौमवादी, पूंजीवादी, सत्तावादी, दगेवादी, अधिनायकवादी व पश्चिमी सस्कृति से रगे पक्षों को न दे।

राष्ट्रीय सरकार कर्त्तव्य

राष्ट्रीय सरकार के अनेक अंग हैं, मुख्य अंग शासन का संचालन व सुव्यवस्था रखने वाला है, यद्यपि वह जनता में से निर्वाचित होकर आते हैं, फिर भी उन पर राष्ट्र-धर्म-पालन की जिम्मेवारी सबसे अधिक होती हैउन्हे विशिष्ट राष्ट्र धर्म के पालन के लिए के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए —

(१) वे चाहे जिस पद या कार्य पर नियुक्त हों, वे जनता के स्वामी नहीं, सेवक हैं, इसलिए राष्ट्र की गरीबी, सादगी व सस्कृति को देखते हुए तदनुरूप निवास-स्थान, खर्च आदि रखना चाहिए।

(२) राजकर्मचारियों और मंत्री-मण्डल में भ्रष्टाचार न फैले वे अधिकार का दुरुपयोग न करें, लालफीताशाही, भाईभतीजावाद और कार्य-विलम्बिता न फैले, अल्प सत्यको के अधिकार सुरक्षित रहें इनका पूरा ध्यान रखा जाय।

(३) चुनावों में भी वेईमानी तथा अनैतिक उपाय, पक्षपात आदि न अपनाए जाय।

(४) प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार में समन्वय और सवादिता बनी रहे।

(५) भारतीय सस्कृति के खिलाफ कार्य—(बड़े-बड़े कल्ल-खाने खड़े करना, मासाहार को प्रोत्साहन देना, हानिकारक व्यसनो—वैश्यावृत्ति, जुए-सट्टे के अट्टो, चोरबाजारी आदि को बढ़ावा देना, राष्ट्र-की उपेक्षा करना, धर्म महिष्णुता का अभाव, कृत्रिम मततिरोध का प्रचार करना, शिक्षा से धर्म और सस्कृति को दूर रखना, आदि)न करना, हो रहे हो तो उन्हें रोकना ।

(६) जनता में परस्पर प्रेम, वफादारी, श्रमवृत्ति और सस्कृति का विकास बढे और राष्ट्रभक्ति में वृद्धि हो इस दृष्टि में आम जनता का सपर्क अधिक से अधिक करें ।

(७) राष्ट्र-मुरक्षा, न्याय, विदेशनीति, राष्ट्रशांति आदि कार्य ही मुख्यतया सरकार के जिम्मे रहे बाकी के अन्य क्षेत्र जनता और जन-सेवको के सगठनो के जिम्मे रहे ।

इस प्रकार हर गृहस्थाश्रमी व्यक्ति राष्ट्रधर्म का पालन करेगा तो उससे स्वयं के साथ राष्ट्र व समाज का भी विकास होगा ।

आध्यात्मिक धर्म

प्राणीमात्र का ध्येय विकास करना है। किन्तु मनुष्य-जीवन में साधनों की प्रचुरता होने से उसके लिए वह जितना शक्य और स्वाभाविक होता है, उतना पशु या अन्य जीवन के लिए नहीं होता।

धर्म विकास का मुख्य अंग है। आत्मा को पतन से बचाकर, ऊँचा उठाए, उस क्रिया को धर्म कहा जाता है। वह धर्म आध्यात्मिक कोटि तक पहुँचने से पहले भिन्न-भिन्न स्वरूप में होता है। और उन-उन स्वरूपों में धर्म को नीति, कर्त्तव्य, कुटुम्ब-धर्म, पड़ोसी-धर्म समाजधर्म, ग्रामधर्म, राष्ट्र-धर्म इत्यादि नामों से पहचाना जा सकता है।

बाल्य-जीवन से लेकर प्रौढवय तक एक व्यक्ति गृहस्थजीवन में रह कर उपर्युक्त धर्मों को अपने जीवन में कैसे उतार सकता है, इन सब बातों को विस्तार से हम पिछले प्रकरणों में कह आए हैं। यहाँ आध्यात्मिक धर्म के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

आध्यात्मिक धर्म को हम दूसरे शब्दों में विश्वधर्म कहेंगे, क्योंकि आज जिस रूढ़ि में से आध्यात्मिक धर्म गुजर रहा है, उसे फिलहाल एक ओर रखकर आध्यात्मिक धर्म की वास्तविकता के प्रति न्याय करें तो उसकी विश्वधर्मिता अवश्य मालूम पड़ेगी।

विश्वधर्म

नीति धर्म की बुनियाद है, यह बात हमने दूसरे धर्मों का विचार करते समय दृष्टि में रखी थी, वह अभी भी रखनी है, अतः सिर्फ इतना ही है कि पहले धर्मों का और उसकी बुनियाद का क्षेत्र केन्द्रित था, सीमित था, अब वह विश्वव्यापी है। क्योंकि विश्वधर्म में जैसे नारा

विश्व समा जाता है वैसे विश्वनीति में भी विश्व के समस्त प्राणियों का समावेश हो जाता है। नीति में धर्म को पहिचानना आसान होता है। इसलिए हमने नीति और धर्म का नामभेद रखा है। नीति क्रियात्मक वस्तु है। उसे जल्दी पहिचाना जा सकता है। इसलिए मनुष्य की क्रिया पर से ही उसके धर्मिष्ठ या अधर्मिष्ठ हृदय को नापना और परखना चाहिए।

विश्वधर्म और दूसरे धर्म

विश्वधर्म और इतर धर्म (कुटुम्ब-धर्म, पड़ोसीधर्म समाजधर्म, राष्ट्रधर्म आदि) में अंतर यह है कि विश्वधर्म तो अपरिमित है, जब कि इतर धर्म अपने-अपने क्षेत्र में सीमित है। कुटुम्बादि धर्म प्रतिदिन और प्रतिक्षण अदा करने नहीं होते जब कि आध्यात्मिक धर्म पालन तो प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिपल और हर कदम पर करना होता है। किन्तु कुटुम्बादि अन्य धर्मों के पालन में यह बाधक नहीं अपितु सहायक होता है। कुटुम्ब-धर्म बजाने वाले मनुष्य का क्षेत्र उतनी सीमा में सीमित रहेगा, उसका अर्थ यह है कि आफत के समय उसकी दृष्टि तुरन्त वही टिकेगी और पहले वह उस धर्म का पालन करेगा। इसी प्रकार अन्य सीमित धर्मों के बारे में समझना चाहिए। परन्तु इतना जरूर है कि स्वयं मनुष्य होने से मानवधर्म को तो हर हालत में, किसी भी धर्म का पालन करते समय भी बजाना नहीं चूकेगा।

मतलब यह कि दूसरो का नुकसान करके खुद को बचाने जैसा अन्ध-स्वार्थ तो कोई भी किसी भी हालत में नहीं करेगा मगर दो आदमी डूबते हों तो उन्हें बचाने में अल्प शक्तिवाला मनुष्य पहले अपने-अपने निकट सम्बन्धी को बचाएगा। बचाने वाले ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरो को डूवाया नहीं है और न दूसरे को डूवाने की भावना ही रखी है, परन्तु अपनी शक्ति एक को बचाने की होने से उसने ऐसा किया इसी प्रकार कुटुम्बधर्म पालन करने वाले व्यक्ति का अपनी शक्ति के

अनुसार उतना ही सीमित क्षेत्र हो तो कोई बुरा नहीं है। यह तो समझने के लिए एक उदाहरण लिया है। लेकिन मनुष्य को उतने क्षेत्र में ही बन्द नहीं हो जाना है, वह ज्यो-ज्यो आगे (वय, अनुभव, परिपक्वता और विकास की दृष्टि से) बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो उसका क्षेत्र भी व्यापक होता जाना चाहिए। और अन्त में उसे 'आत्मवत् सर्व-भूतेषु' यानी सारे विश्व को आत्म-तुल्य समझना है। इस भावना को समझने और आचरण करने वाले की क्रिया इरादेपूर्वक किसी भी जीव को हानिकर्ता न होगी। इसीका नाम विश्वधर्म है।

यदि कोई यह शका करे कि विश्वधर्म तो जब दूसरे सभी धर्मों से ऊँचा है तो दूसरे धर्मों के पालन के पचड़े में न पड़ कर केवल उसी का ही आचरण क्यों न किया जाय ? इस शका का समाधान भगवद्गीता में स्पष्टरूप से किया गया है—

‘श्रेयान् स्वधर्मो विगुण , परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मो निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः ॥

अर्थात्—दूसरा धर्म ऊँचा और अतिलाभप्रद दिखता हो और अपना धर्म उसकी अपेक्षा से नीचा और कम लाभ वाला दिखता हो, फिर भी अपना तत्कालीन आचरणीय धर्म श्रेष्ठ जान कर उस धर्म का पालन करते-करते मृत्यु का आलिगन करना पड़े तो भी उचित है, परन्तु अच्छे दिखाई देने वाले परधर्म का आचरण करना भयकर है।

कोई इसका अर्थ अन्य प्रकार में घटाते हैं, किन्तु प्रसंग और मानव मानसशास्त्र की दृष्टि से यही अर्थ प्रसंगसगत है। इसका फलितार्थ यह है कि जहाँ तक मनुष्य ने आध्यात्मिक धर्म के आचरण करने की योग्यता प्राप्त नहीं की, वहाँ तक आध्यात्मिक धर्म उच्च होते हुए भी वह उसका आचरण नहीं कर सकता, यदि करने जायगा तो वह उसे पचा नहीं सकेगा, बल्कि वह जबरदस्ती पालन करने जायगा तो अपने सामान्य कर्तव्य या धर्म के आचरण से भी च्युत हो जायेगा, आध्या-

त्मिक धर्म का तो पालन उससे होगा ही नहीं, इस प्रकार वह धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का' वाली कहावत चरितार्थ करेगा।

आध्यात्मिक धर्म का अजीर्ण

आज भारतवर्ष में आध्यात्मिक धर्म में जो विकार दिखाई देता है, उसका कारण आध्यात्मिकता का अजीर्ण है। हमारे (अवान्तर) किसी भी धर्म या कर्तव्यों को समझने या आचरण नहीं करने वाली अधिकांश जनता आध्यात्मिक धर्म और उससे सम्बन्धित क्रिया करती दिखाई देती है, मगर उसके व्यावहारिक जीवन के साथ धार्मिक जीवन का बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर भी ऐसा व्यक्ति स्वयं यह मानता है कि "मैं जो कुछ धर्मक्रिया करता हूँ। वह भगवान के दरवार में जमा होता है। और जो पाप करता हूँ, वह ईश्वरीय न्याय के बहीखाते में उधार लिखा जाता है। उसका फल बाद में या परलोक में मिलेगा।" यह मान्यता बिल्कुल भ्रान्तिपूर्ण है। इस मान्यता ने व्यक्ति को ही नहीं, समाज और राष्ट्र तक को महान् हानि पहुँचाई है। इसे स्पष्ट समझने के लिए उदाहरण ले लें — एक अत्यन्त धर्मिष्ठ माना जाने वाला व्यक्ति मंदिर, मस्जिद या अपने धर्मस्थान में जाकर हमेशा पूजा, पाठ या प्रार्थना, स्तुति करता है, तिलक छापे लगाता है, माला फिराता है, भजन गाता है, फिर भी उसका व्यवहार धर्ममय नहीं होता। वह व्यापार में उलटी राह चलता है, वेईमानी, ठगई, अनीति और विश्वासघात करता है, ऊँचा व्याज लेकर कितने ही लोगों को चूसता है, कई कुटुम्बों की रोजी छीन कर या छुड़ा कर अपना क्षुद्र-स्वार्थमाधन करता है, अपने मातहत (आवीन) कार्य करने वाले को दवाता है, उनसे काम ज्यादा लेकर पैसा कम देता है, लोभ और अति-स्वार्थ में रचा-पचा रहता है। सतत इतनी धर्मक्रियाएँ करते हुए भी उसके जीवन में वासना, विकार, हिंसक व शोषणवृत्ति ज्यों की त्यों चलती रहती है। फिर भी वह अपने को धर्मात्मा मान कर झूठा

सतोष पा लेता है और तथाकथित दवा हुआ समाज और धर्मगुरु तक भी उसे सभाओ, उत्सवो या अन्य समारोहो मे प्रतिष्ठा दिया करते है, उसकी प्रगसा किया करते है । ऐसा अनेक जगह दिखाई देता है, उसका कारण शुद्ध व्यापक धर्म या धर्मक्रिया नही है, अपितु आध्यात्मिक धर्म का अजीर्ण है, अहकार है ।

आज धर्म के कलेवर को पकड कर अधिकाश लोग धर्म की मूलभूत आत्मा को कितनी भूल गए है इमे प्रत्यक्ष देखने के लिए हिन्दु-मुस्लिम दगे, एक देश से दूसरे देश को अपने धर्म से भिन्न धर्म वालो को खदेडा जाना या वहाँ रहे तो उन पर अन्याय-अत्याचार करना, धर्म के नाम से पालीपोसी जानेवाली अस्पृश्यता आदि दर्पणरूप है । धर्म की आत्मा को पुन प्रतिष्ठापित करने के लिए स्थूलक्रियाओ के कई कलेवरो मे तत्वरित सशोधन-परिवर्धन या परिवर्तन करने पडेगे ।

धर्म की व्याख्या

जैन दर्शन मे धर्म की व्याख्या की गई है—‘वत्युसहावो धम्मो’ यानी पदार्थ का स्वभावगत गुण ही उसका धर्म है । जैसे पानी का स्वाभाविक गुण शीतलता और स्वच्छता है, तो उसे पानी का धर्म कहा जाता है । जलाना अग्नि का धर्म है, क्योकि यह उसका स्वभावगतगुण है । इससे फलित होता है कि गुण के साथ गुणी का होना अवश्यम्भावी है । अग्नि मे जलाने का गुण न हो तो उसे कोई अग्नि न कहेगा । इसी प्रकार धर्मी से धर्म कभी अलग तो होना ही न चाहिए । मंदिर या धर्मस्थान मे धर्मिष्ठ हो और व्यापार या अन्य स्थलो मे धर्म दूमतर हो जाय, वहाँ पाप आकर डेरा जमा ले तो उस व्यक्ति को धर्मिष्ठ कहा ही नही जा सकता, क्योकि धर्मी और धर्म का सम्बन्ध सर्वदा अविनाभावी है ।

धर्मस्थान मे “जले विष्णु स्थले विष्णुः” और “अद्वेष्टा सर्व-भूताना” या ‘मिती मे सव्वभूएमु’ और ‘रत्विवा आलमिन’ इस प्रकार

की प्रार्थना विश्वनियन्ता के प्रति करने या परमात्मा के पाम विश्व के छोटे-बड़े सभी प्राणियों के साथ मंत्री के धर्ममूत्रो का उच्चारण करने वाला किसी भी प्राणी पर द्वेषबुद्धि कैसे रख सकता है ? मनुष्य का दिल दुखाने की क्रिया कैसे कर सकता है ? किसी प्राणी की हिंसा स्वार्थ या जिह्वालोलुपता के वश होकर कैसे कर सकता है ? अगर जीवन में उपर्युक्त प्रकार का ही व्यवहार होता हो, और धार्मिकक्रिया का असर अपने व्यावहारिक जीवन में न पड़ता हो तो समझना चाहिए कि वह सच्ची धर्मक्रिया नहीं है, किन्तु रूढिगत धर्म क्रिया है ।

जैसे व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, जातिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय रूढियाँ होती हैं, वैसे धर्म में भी ऐसी रूढियाँ होती हैं । जब धर्म जैसा व्यापक और महान् तत्व रूढि का रूप धारण कर लेता है, तब उनका स्वरूप भी विकृत हो जाता है और उद्देश्यरहित आचरण किया हुआ धर्म सत्य के बदले असत्य और उदारता के बदले वाद और मन की सकुचितता में बन्द हो जाता है ।

आज भारत में धर्म के नाम से अनेक फिरके, पथ, वाडे और सम्प्रदाय पैदा हो गए हैं, उन सबके सत्यो का तात्त्विक दृष्टि से समन्वय करना अत्यन्त जरूरी है । जैन, बौद्ध, वैदिक, भागवत (वैष्णव) ईस्लाम, ईसाई, पारसी इन सभी धर्मों के शास्त्रों में तत्त्वज्ञान को मुख्य और क्रियाकाण्ड, भूगोल, खगोल, इतिहास या गणित आदि की बातों को गौण समझकर विभिन्न धर्मसंस्थापकों ने अपने-अपने देश, काल, परिस्थिति, कक्षा, वातावरण और लोकमानस की दृष्टि से मानवसमाज को उन्नत बनाने में, मानव में मानवता भरने के लिए क्या-क्या कार्य किये हैं । इसका अव्ययन करके उनके प्रतिआदर व्यक्त करना चाहिए । साथ ही प्रत्येक धर्म को विज्ञान और बुद्धिगम्य व हृदयस्पर्शी तर्कों की कसौटी पर कसकर तथा उनमें घुसी हुई कुरूढियों का सशोषण-परिवर्द्धन करना चाहिए । सभी धर्मों को अपने मानने की दृष्टि रखकर प्रत्येक

धर्म सम्प्रदाय के अग्रगण्यो को सर्वमान्य कार्यक्रमो को अपनाना चाहिए। तभी वे जनता से धर्म का विशुद्धरूप से पालन करवा सकेंगे और अपने धर्म की सेवा बजा सकेंगे।

अपने धर्म-सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मसम्प्रदाय या उसके पालको को हल्का या असत्य बताकर या सम्प्रदायान्तर-धर्मान्तर करवाना भयकर अधर्म है। उससे दूर रह कर सिर्फ मानवजाति को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया जाय तो उसमें व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज, देश और विश्व की आत्माओं का श्रेय और प्रेम दोनों सधते ही रहते हैं।

सबसे पहले मानवधर्म

जैनधर्मसूत्रों में श्रमण भ० महावीर ने आध्यात्मिक विकासक्रम का स्पष्ट वर्णन किया है। धर्म-व्याख्या में सबसे पहले मनुष्यमात्र को मानवधर्म भलीभांति समझकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, यह जोर देकर कहा है। मनुष्य पहले जिस स्थान पर इस लोक में नियुक्त हुआ है, उस स्थान को स्थिर करना सर्वप्रथम अनिवार्य है। मतलब यह कि मानवधर्म के गुण उसे सबसे पहले प्राप्त करने चाहिए।

मानवजाति को पीड़ा पैदा करने वाला एक भी कर्म न करना, बल्कि उसकी पीड़ा देखकर उसे दूर करने के लिए तन-मन से साधनों का त्याग करना ही मानवधर्म है। अधिकांश पशुओं में भी अपनी जाति के प्रति प्रेमभावना होती है तो मानव में वह अधिकमात्रा में (अपनी जाति के प्रति) होनी चाहिए।

मानव अपने इस धर्म से च्युत न हो और किसी को कष्ट न पहुँचाए, इस प्रकार के मानव धर्म को मानवजाति के महान् उपकारी महर्षि मनु आदि ने स्मृतियों द्वारा नीति या कर्त्तव्य के रूप में प्रगट किया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान्य और विशेष मुख्य प्राप्त करने के लिए नीति और कर्त्तव्य के रूप में विहित मानवधर्म का पालन करना चाहिए।

नीति, न्याय, प्रामाणिकता, ईमानदारी ये सब नीति के पर्यायवाची शब्द हैं। मनुष्य-मनुष्य को ठगे-चूमे या लूटे नहीं, मनुष्य-मनुष्य पर अन्याय-अत्याचार न करे, मनुष्य-मनुष्य का तिरस्कार या अपमान न करे, इन और ऐसे ही अन्य कार्यों का नाम नीति है। नीति की पूर्णतया सुरक्षा हो तो मानवजाति सुख से रह सकती और विकास-मार्ग में प्रगति कर सकती है।

आज के धर्म सम्प्रदायो में सबसे बड़ा गलत मूल्यांकन यह हुआ है कि अनीति से उपाजित धन को पुण्य में और दानमात्र को पुण्य या धर्म में बताया गया। धर्म के नाम से हुए इन गलत मूल्यांकनों को जड़मूल में बदला नहीं जायगा, तब तक यह मलिनता दुनिया का सत्यानाश करती रहेगी। वास्तव में दिया जाने वाला दान अनीतिजन्य पदार्थों का है या नीति-अर्जित पदार्थों का, इसी पर पुण्य और पाप का आधार है। और उसके पीछे रहे हुए शुद्ध या अशुद्ध भावों पर धर्म या अधर्म निर्भर है।

नैतिक कर्त्तव्य सही तौर से पालन करने पर मानवधर्म का पालन समझा जायगा। मनुष्य-धर्म की रक्षा करके तो मनुष्य ने अपनी मूल-पूजा की ही रक्षा की है। दरअसल, मानवजीवन का ध्येय तो मुनाफा कमाना है, जो विकास की ओर प्रगति करने से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आदर्श गृहस्थाश्रमी के लिए अपने कौटुम्बिक कर्त्तव्य (अपने निकट-सम्बन्धी आप्तजन आदि के प्रति अदा किये जाने वाले कर्त्तव्य) का सर्वप्रथम पालन करने के साथ-साथ विकास-मार्ग में आने वाले कुटुम्ब धर्म, पड़ोसी धर्म, समाजधर्म, ग्रामधर्म और राष्ट्रधर्म आदि का उत्तरोत्तर पालन कर विश्वधर्म या आध्यात्मिक धर्म का पालन करके विकास के उच्चशिखर पर चढ़ना अनिवार्य है।

आध्यात्मिक धर्म के अंग

महाभारत में इस धर्म के पांच मुख्य अंग बताये हैं :—

‘अहिंसा सत्यमस्तेय त्यागो मैथुनवर्जनम् ।

पञ्चेन्द्रियतुषु धर्मेषु सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः ॥’

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्याग और ब्रह्मचर्य ये पाच धर्मों (धर्मांगों) पर सभी (कुटुम्ब-समाज-राष्ट्रादि धर्म) धर्म प्रतिष्ठित है ।

प्रत्येक धर्मसंस्थापक ने प्राणिमात्र के हित को लक्ष्य में रखकर देश, काल, परिस्थिति, लोकमानस आदि का विचार करके इन पाँचों सिद्धांतों (धर्मांगों) की लगभग समानरूप से स्थापना की है । कोई भी सघनवद्ध-धर्म हिंसा, असत्य, चोरी, विलास और परिगृहवृद्धि में धर्म नहीं मानता ।

उपर्युक्त धर्मांगों को पुष्ट करने और उनका सुविधापूर्वक सरलता से पालन करने के लिहाज से विविध सघनवद्ध धर्मों ने अनेक नियम और विधिविधान बनाए हैं, उनमें समय-समय पर मशोधन-परिवर्द्धन भी हुए हैं, कहीं देश-काल की दृष्टि से उनमें अन्तर भी है ।

जैनधर्म ने भी धर्म के उक्त पाच अंगों को साधु के लिए महाव्रत और गृहस्थ के लिए अगुव्रत के रूप में बताया है और सामान्य गृहस्थ भी उनका सहजरूप से रसपूर्वक जीवन में आचरण कर सके, इस प्रकार का स्पष्ट, उदार और सुन्दर विचार किया है साथ ही उन पाच अगुव्रतों का रचनात्मकरूप से पालन कर सकने के लिए उनके पोषक तीन गुणव्रतों और चार शिक्षा व्रतों की योजना भी की है । वे पाच, अगुव्रत इस प्रकार हैं —

अहिंसागुव्रत, सत्यागुव्रत, अचीर्यागुव्रत, स्वपत्नीसतोपव्रत, परिग्रह-परिमाणव्रत ।

अहिंसागुव्रत का निषेधात्मकरूप

१ किसी भी पञ्चेन्द्रिय जीव (पशु, पक्षी और मनुष्य) को बिना अपराध के लेशमात्र भी इजा न पहुँचाना, उन्हें तकलीफ हो ऐसा कोई भी कार्य मन, वाणी और व्यवहार से न करना ।

२ अपराधी को भी दलावल देकर यथाशक्य क्षमा करना ।

३ कीड़े आदि छोटे जीवजन्तुओं को भी जानबूझ कर डजा न पहुँचाना ।

४ गृहकार्यों, उद्योग-वधों या आक्रमणकारी अपराधी का विरोध करने में न्याय की रक्षा करने में, या किसी अपराधी या भूले हुए को सुधारने में जो हिंसा हो जाती है, वह गृहस्थ के लिए क्षम्य है, किन्तु उनमें भी कम-से-कम आरम्भ (हिंसा) हो, ऐसा विवेक रखा जाय ।

५ सूक्ष्महिंसा (मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जो चैतन्य है, उन एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा) जो गृहस्थजीवन में अनिवार्य है, उसमें सयम और विवेक रखा जाय ।

वर्तमान जैनो और हिन्दुओं में उपर्युक्त अहिंसापालन का कई बार उल्टा क्रम या विकृत रूप नजर आता है, यानी सूक्ष्मजीवों की अहिंसा के प्रति जितना लक्ष्य जाता है, उतना मनुष्यों के प्रति प्रायः नहीं दिखाई देता, यह उनकी नाममभी का दोष है, वर्म का दोष नहीं ।

अहिंसाणुव्रत का विधेयात्मकरूप

ऐसा गृहस्थाश्रमी अहिंसक हिंसा न करे, इतना ही नहीं, हिंसा को सह भी न सके तथा दूसरों के लिए यथाशक्ति उपयोगी बने, किसी को दुःखी देखकर वह चुपचाप खड़ा न रहे, परन्तु उसके दुःख को दूर करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करे । अहिंसक क्षमावान् होता है, किन्तु उसकी क्षमा में कायरता, दब्वूपन और नम्रता और गुलामी या खुशामदी का जरा भी अंश नहीं होता । जिसमें शौर्य और औदार्य दोनों हों, वही अहिंसा का अधिकारी समझा जाता है । विधेयात्मक अहिंसा में दया, अनुकम्पा, रक्षा, सेवा, परोपकार, प्रेम, क्षमा, मैत्री, करुणा, नम्रता वात्सल्य, दान, अतिथि सत्कार आदि अंग आ जाते हैं । केवल निषेधात्मक रूप की अहिंसा अधूरी है ।

दया, अनुकम्पा, रक्षा और करुणा

सामान्य तौर से दया और अनुकम्पा ये दोनों एकार्थक शब्द माने

जाते हैं, लेकिन दया की अपेक्षा अनुकम्पा उच्च है, क्योंकि अनुकम्पा में ठेठ आत्मा तक गहराई से विचार होता है, जबकि दया में परदुःख को नष्ट करने की भावना पैदा होती है, कष्टों में परदुःख दूर करने के लिए शुद्ध साधन जुटा कर सक्रियरूप से व्यक्ति तैयार होता है और रक्षा तो सामान्यरूप से दुर्बल, पीड़ित, पददलित, व्रस्त, आक्रान्त व्यक्ति को बचाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। परन्तु अनुकम्पा में दूसरों का दुःख देखकर, उस दशा का संवेदन अपने में किया जाता है, उसके प्रति सहानुभूति रखी जाती है। अनुकम्पावान् मनुष्य अनुकम्पा के लिए सत्य-सिद्धांत की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व होमने को तैयार हो जाता है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी का दिल नहीं दुखायेगा दुःखता होगा तो बचाएगा। संक्षेप में 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' (स्वयं को जो क्रिया प्रतिकूल हो उसका आचरण दूसरों के प्रति भी न करे) के अनुरूप अनुकम्पावान् का वर्तन होता है। उसका ऐसा वर्तन केवल अपने स्वजन-सम्बन्धियों के प्रति ही नहीं अपने मात-हृत रहने वाले अदने आदमी और पशु के प्रति भी होता है। कठोरता और निर्दयता के बदले उसमें स्नेह और सौजन्य होता है। इसीलिए अहिंसागुणवत् की व्याख्या में मनुष्य जाति ससार में अधिक उपयोगी है, एक मनुष्य के जीवनसुधार में सैकड़ों अन्य प्राणियों का कल्याण है वहाँ द्रव्यदया की अपेक्षा भावदया पर विशेष जोर दिया है तथा पशु आदि तथा अपने आश्रित जो मनुष्य जाति के अत्यन्त उपयोगी व सेवा करने वाले हैं, उनके प्रति दया रखना भी बताया है।

मैत्री, प्रेम और वात्सल्य

किसी भी मनुष्य को इरादतन वैरी न बनाना, सबके साथ शान्ति सन्धि और सहअस्तित्व पूर्वक रहना, किसी प्रसंग पर कोई मघर्ष हो जाय तो उसका समाधान कर लेना, परस्पर मिलकर हितकर कार्य सोचना, सबके प्रति बन्धुभाव रखना मैत्री है, परन्तु प्रेम मैत्री का जनक,

व्या का प्रेरक और अहिमा-वर्धक तत्त्व है। मनुष्य को स्वार्थत्यागी बनाकर उदारता के क्षेत्र में पहुँचा देनेवाला व प्रत्येक विक्रम की प्रवृत्ति में अनुत्तर भावन प्रेम है। प्रेम सद्गुण को दूढ़ता और देखना है। एक दम्पती का स्नेह जब शुद्ध होकर प्रेम में परिवर्तित होता है, तब वह गृह-वाश्रमी होते हुए भी वह विश्वकल्याण के कार्य में जुट कर स्वार्थ के साथ परमार्थ की भावना कर लेता है। मैत्री में दोनों ओर की बराबरी (सद्गुणाद्य समान हो यह) देखी जाती है, और वह टिकती भी तब, तक ही है, जब तक दोनों ओर का परस्पर विश्वास, सहकार और समाधान मिलता रहे, अन्यथा टूट जाती है। जबकि प्रेम में प्रीतिपात्र के दुर्गुणान्वेषण करने की या समानता देखने की वृत्ति नहीं होती। परन्तु प्रेम में यह खतरा है कि उसमें कभी-कभी प्रेम के बहाने मोह आ बसता है और वह धीरे-धीरे एक पात्र, एक समाज, एक राष्ट्र, एक प्रान्त या एक वर्ग के दायरे में बंद हो जाता है। जबकि 'वात्सल्य' में मोह को विकार या सकुचितता को जरा भी स्थान नहीं है, उसमें प्राणिमात्र के प्रति आत्मीयता, या कुटुम्बिता साधी जाती है, अपनी आत्मा के साथ सारे विश्व का तार जुड़ जाता है। इसलिए वात्सल्य आत्मा का स्वरूप है। जितना इसका विकास और शुद्धि होगी, उतनी ही आत्मा-भान की स्थिरता समझी जायगी।

अतिथि-सत्कार, दान, परोपकार और सेवा

अपने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना गृहस्थाश्रमी का अनिवार्य धर्म है। जिस घर में अतिथि निराग होकर, खाली हाथ लौट जाता है, यहाँ तक कि जहाँ आगुन्तक व्यक्ति को कुशल प्रश्न या सहानु-भूति भरे प्रेम के दो बोल भी नहीं मिलते, समझलो वह गृहस्थाश्रम स्नेह शून्य और दूषित है। अतिथि चाहे जिस जाति, धर्म या देश का हो, उसका प्रेमपूर्वक आदर करना और अपने घर में जो भी भोज्य-सामग्री हो, उसमें से यथाशक्ति देकर संतुष्ट करना, उसके साथ मित्रवत्

व्यवहार करना, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखना, यह अतिथि-सत्कार कहलाता है ।

दान का दायरा अतिथि-सत्कार की अपेक्षा विशाल है, क्योंकि अतिथि-सत्कार तो घर में आए हुए का ही किया जाता है, जबकि दान तो बाहर रहे हुए दानयोग्य दुखी, असहाय, भूखे, गरीब, पीड़ित आदि को भी किया जाता है । परन्तु दान के साथ पात्र का विचार हो, दान करने वाले में अहभावना पैदा न हो, देय द्रव्य भी शुद्ध हो और तदयोग्य हो, उपयोगिता का विवेक हो, यह अनिवार्य शर्त है । अन्यथा अविवेकपूर्वक किए गए दान से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है । बड़े-बड़े उत्सवों, प्रीतिभोजों, आडम्बरो या मृतकभोज आदि में हजारों-लाखों रुपये का धुआ उड़ाना और वाहवाही के लिए मिष्ठान्न उड़ाना, दान नहीं है, दुर्व्यय है । नैतिक रूप से पुरुषार्थ करके उपार्जित साधनों का सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करना, उचित नहीं, इसलिए उसमें से अमुक हिस्सा उसे समाज या राष्ट्र के लिए उपयोगी सुसंस्थाओं, निराधार विधवाओं, अशक्तों, अपंगों, रोगियों, अनाथों या वृद्धों के लिए निकालना चाहिए । और यही समझना चाहिए कि दान किसी पर एहसान या उपकार करना नहीं है, किन्तु पदार्थों पर से अपने स्वत्व या ममत्व को धीरे-धीरे कम करने के लिए निकालने योग्य वस्तु को निकालना है । इसीलिए दान की परिभाषा जैनाचार्य उमास्वाति ने की है—‘अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्गो दानम्’ (अपने पर अनुग्रह करने के लिए वस्तु का त्याग करना दान है) दान देने वाले व्यक्ति देय पात्र को ढूँढे, पर पात्र दाता को न ढूँढे, तभी सच्चा दान हो सकता है । इसके लिए दाता स्वयं ऐसे उपयोगी पात्रों—व्यक्तियों या मुसम्थाओं—की समाज और राष्ट्र में से तलाश करे । बाह्य क्षणिक कीर्ति, प्रतिष्ठा के लिए समाचार पत्रों में प्रशंसा पाने अपने नाम की तन्त्री नगाने या अपनी नामवरी के लिए आडम्बर करने में दान अपवित्र वनता है, उम का पुण्य समाप्त हो जाता है ।

परोपकार का दायरा दान की अपेक्षा विद्याल है, क्योंकि दान में तो प्रायः किसी पदार्थ का ही योग्य पात्र को अर्पण करना होता है, जबकि परोपकार में अपनी शक्ति, अधिकार, भावना, वाणी, शुभविचार, बुद्धि, श्रम तथा धनादि अन्य साधन, जो स्वयं को प्राप्त हुए हैं, उसका लाभ नि स्वार्थ भाव से, बदले की भावना न रखकर दूसरो को देना होता ।

प्रकृति, नदियाँ, वृक्ष, सूर्य, चन्द्र, छाया आदि मनुष्य पर नि स्वार्थ उपकार कर रहे हैं, इनमें से कई थोड़ा-मा लेकर जगत् को बहुत देते हैं, इसे सच्चा परोपकार कहा जा सकता है । मनुष्य जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें एक या दूसरी तरह से अनेक प्राणियों का उपकार है । परस्पर उपकार से ही हम सब का जीवन टिका हुआ है । उपकार के बदले उपकार करने को सहकार या सहयोग कह सकते हैं । वह भी परोपकार का एक अंग है । माता-पिता, कुटुम्ब, समाज और विश्व की अगणित सेवा मनुष्य ने ली है और ले रहा है, अगर उसके बदले में वह प्रत्युपकार न करे तो वह कर्जदार या कृतघ्न कहलाता है, उतना ही नहीं, उसका जीवन पशु से भी निकृष्ट है । अतः मनुष्य के अपने दूरगामी स्वार्थ या विकास के लिए परोपकार का आचरण अनिवार्य है ।

दान और परोपकार की अपेक्षा सेवा एक-दो कदम आगे की वस्तु है । दान और परोपकार करने वाला मनुष्य तो साधन देकर अलग हो जाता है, जबकि सेवा करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य से यश मिले या अपयश, विस्कार मिले या प्रशंसा अपना हृदय समभावी रखना पडता है । मेव्य के साथ उसके हृदय का तार अतः तक एक सरीखा जुड़ा रहे, सेव्य व्यक्ति पर क्रोध, ग्लानि, घवराहट, भेदबुद्धि या तिरस्कार भाव कदापि पैदा न हो तभी सच्ची सेवा कही जा सकती है । सेवा में धन की अपेक्षा तन और मन की उदारता की अधिक आवश्यकता होती है । इसलिए 'योगियों के लिए भी सेवा-धर्म अगम्य है' यह भर्तृहरि ने कहा है । परन्तु इतना कठिन होते हुए भी आदर्श गृहस्थाश्रम में तो

विकासकाक्षी गृहस्थ को कौटुम्बिक क्षेत्र से लेकर विश्वक्षेत्र तक क्रमशः इसकी साधना करना अनिवार्य है ।

सत्याणुव्रत

प्राणिमात्र के लिए जो त्रैकालिक हितकर है, वह सत्य का शुद्ध स्वरूप है । इसे जैनदर्शन तीन भागों में बांट देता है—वचनसत्य, मनसत्य और कायसत्य अर्थात् सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, और सद्बिचार करना । जैसा देखा, सुना, सोचा, समझा, कहा या अनुमान किया हो, वैसा ही उसे मन-वचन-शरीर की प्रवृत्तियों द्वारा प्राणिहित की दृष्टि प्रगट करना सत्य है । गृहस्थाश्रमी मनुष्य इतना सत्याचरणी, सत्यवादी, सद्बिचारक होना चाहिए कि उसका विश्वास समाज में, राज्य में, कुटुम्ब में या राष्ट्र में सबको हो, उसके भरोसे पर मनुष्य काम कर सके, इतनी साख उसकी होनी चाहिए । ऐसा सत्याणुव्रती किसी को अपने आचरण से धोखा नहीं दे सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता, दम्भ या प्रच्छन्न पाप नहीं कर सकता, वचन देकर उसको भग नहीं कर सकता, झूठी साक्षी, झूठ लेखन, झूठ भाषण, झूठे दस्तावेज, झूठे बहीखाते, जाली सिक्के या नोट नहीं चला सकता, किसी को वाग्जाल में फसाकर अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध कर सकता, अपने व्यापार-धंधे या पेशे अथवा नौकरी में झूठ नहीं बोल सकता, किसी पर झूठा दोषारोपण या झूठी निन्दा चुगली भी नहीं कर सकता, वह चीजों के एक भाव, एकदम ही कहेगा । जो प्रतिज्ञा ली है, उसका पूरा पालन करेगा, जो प्रण लिया है उस पर मृत्युपर्यन्त टिका रहेगा, सत्य को मिट्ट कर देने के लिए अशुद्ध या असत्य साधन नहीं अपनाएगा । मतलब यह है कि दूसरों को अहित पहुँचाने वाली कोई भी प्रवृत्ति व्यवहार या व्यापार वह नहीं करेगा, फिर चाहे वह स्त्री जाति सम्बन्धी, पशु सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी, वा धन या साधन सम्बन्धी ही क्यों न हो ।

कोई मनुष्य असत्य नहीं बोलता, इतने से ही उसे सत्याणुव्रती नहीं

कहा जा सकता । अपनी कार्य-प्रवृत्ति, मीन चेष्टा या इगिन आदि द्वारा भी मनुष्य अमत्याचरण करता है ।

पूर्ण मत्य तो बहुत ही सूक्ष्म है, और उसे जाम्त्रो में 'भगवान्' कहा है, उमें सर्वांगपूर्ण रूप से पकडना बहुत ही कठिन है, फिर भी वैसे मत्य के लिए मन, वचन और कर्म की एक वाक्यता—यानी जैसा सोचना वैसा ही बोलना और जैसा बोलना वैसा ही कर बताना—की साधना प्रत्येक जीवन में उपयोगी है । मत्य और अचौर्य दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है, जो मत्य की साधना करेगा, वह चोरी का दोष नहीं करेगा ।

अचौर्य अणुव्रत

अचौर्य का अर्थ केवल चोरी न करना इतना ही नहीं है, अपितु दूसरे के हक की वस्तु का उसकी सम्मति के बिना उपयोग करना, दूसरे का हक हरण करना, मन, वचन और काया से दूसरे के अधिकार की चीज को अपने अधिकार में कर लेना भी चोरी है ।

यो देखा जाय तो बड़ी चोरी [सिंध डालकर] करने वाला वर्ग बहुत ही कम है, किन्तु एक किस्म का माल बनाकर दूसरा माल देना, ऊँचा मुनाफा या व्याज लेकर जरूरत मद को चूमना, भावो में उथल-पुथल कर देना, झूठे विज्ञापनो द्वारा लोगो को ठगना, चोरी का माल लेना, चोर-वाजारी से माल लाना या लाने के लिए प्रेरित करना, खोटे तौल-नाप रखना या उनमें बेईमानी करना, लेते समय भोले व्यक्ति को देखकर तौल-नाप में अधिक लेना, वस्तु में हानिकर चीज मिलाना या रद्दी, सडी-गली वस्तु [पूरे दाम लेकर भी] देना, हिसाब-किताब में गोलमाल करना, दूसरे की धरोहर हजम कर जाना, जिस काम के लिए जनता या किसी व्यक्ति ने रकम जमा कराई हो, उसे अपने काम में या अन्य काम में उससे पूछे बिना लगा देना, जाली वहीखाते बनाकर विक्रय-कर, आय-कर आदि बचाना, रिश्वत देना या लेना, अपने हक से अधिक

लेना, किसी की मालिकी चीज कही पडी हो, उसे उठाकर अपने कब्जे मे कर लेना, दूसरे के लेख की नकल करना, दूसरे लेखक की लिखी हुई पुस्तक पर अपना नाम प्रकाशित करवा देना, दूसरे के आविष्कृत विचारो पर अपने नाम की मुहरछाप लगाना, अपने आश्रित नौकरो को थोडे पैसे देकर अधिक काम लेना, किसी के नाम का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना आदि सब चोरी मे शुमार है। ऐसी चोरियाँ अचौर्यागुव्रती नही कर सकता। ऐसी सफेद चोरियो का नतीजा बहुत भयकर होता है। जो गृहस्थ आध्यात्मिक धर्म का पालन करना चाहता है, वह इसका पालन अच्छी तरह से करेगा।

ब्रह्मचर्याणुव्रत : स्वदार सतोष

ब्रह्मचर्य का अर्थ पाँचो इन्द्रियो के विकारो पर सयम रख कर आत्मा मे रमण करना—विचरण करना है। ब्रह्मचर्य की महिमा व लाभ आदि के बारे मे 'विवाह विचारणा' आदि प्रकरणो मे काफी विवेचन किया गया है। ब्रह्मचर्य के भी तीन भेद हो सकते है—कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक ब्रह्मचर्य पालन करने वालो को सर्व-प्रथम जननेन्द्रिय पर नियत्रण करने के बाद तुरन्त कामविचार पर नियत्रण करना चाहिए, अन्यथा केवल कायिक ब्रह्मचर्य पालन करने मे ब्रह्मचर्य की पूर्ण साधना या सफलता नही मानी जायगी। कामविचार पर जितनी मात्रा मे नियत्रण आता जायगा, उतने ही अश मे ब्रह्मचर्य की सफलता है। कामविचार रोकने के लिए अपनी दृष्टि, व स्वादेन्द्रिय (जिह्वा), पर सयम, विलासिता का त्याग, सतत जागृति, आलस्य का त्याग, अपनी शक्ति को उपयोगी कार्यों मे लगाते रहना, विकारोत्तेजक दृश्य श्रवण, साहित्य या सग छोड कर ब्रह्मचर्यपोषक सात्त्विक वाचन, विचार, श्रवण और सत्सग करते रहना चाहिए।

गृहस्थाश्रमी व्यक्ति धीरे-धीरे ब्रह्मचर्य के कठोर मार्ग मे सफलता पाने के लिए पहले परस्त्रीत्याग और स्वस्त्री मे भी मर्यादित ब्रह्मचर्य पालन करने पर शास्त्रकारो ने जोर दिया है। साथ ही इस मर्यादित

ब्रह्मचर्य पालन में भी उन्होंने जो सावधानियाँ बताई हैं। उन पर ध्यान देना चाहिए तभी मर्यादित ब्रह्मचर्य कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों रूप में पाले जा सकेंगे। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को उपर्युक्त नियमों के प्रति लापरवाह न रहना चाहिए। स्वस्त्री मर्यादा में भी उसे धीरे-धीरे मकोच करते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना चाहिए।

परिग्रह-परिमाणव्रत : आसक्ति-त्याग

परिग्रह परिमाण का अर्थ तो इतना ही है कि अपने पाम जो कुछ स्थावर-जगम [खेत, जमीन, मकानात, धन, वान्य, मोना-चाँदी, द्विपद, चतुस्पद प्राणी या गृहस्थी की साधन सामग्री आदि] हैं, उसकी मर्यादा बाँध लेना। परन्तु उसका फलितार्थ यह है कि जिन वस्तुओं पर अपना स्वामित्व है, उन पर से आसक्ति कम करना या आसक्तित्याग करना। आसक्तित्याग का मार्ग बड़ा ही कठिन है। किन्तु गृहस्थाश्रमी के लिए असाध्य नहीं है। उसे विकास के लिए इस मार्ग को अपनाए बिना कोई चारा नहीं है। आसक्तित्याग के लिए उसे अपना जीवन सादा, मयमी और कम से कम आवश्यकता वाला बनाना होगा। साथ ही फलासक्ति, कर्मासक्ति [कर्म करने में अहत्व] अकर्मासक्ति [कर्म ही क्यों करूँ ? इस प्रकार सोचकर कर्म छोड़ने की तत्परता] सम्प्रदायासक्ति, पुत्रैपणा, वित्तैपणा और लोकेपणा आदि आसक्ति के विभिन्न प्रकारों को छोड़ना होगा, ताकि वह आध्यात्मिक धर्म पर आरुढ़ हो सके, दान, परोपकार, सेवा, दया आदि के कार्यों में अनासक्ति होकर अपने तनमन और साधनों को लगा सके। जैनसूत्र स्थानाग में सद्गृहस्थ के तीन मनोरथों में एक मनोरथ यह भी है कि 'कब मैं आरभ-परिग्रह से सर्वथा मुक्त बनूँगा।' इस पर से पता लग जाता है कि इच्छाओं, आसक्तियों, एपणाओं आदि का त्याग गृहस्थाश्रमी के लिए कितना अनिवार्य है।

तीन गुणव्रत

उपर्युक्त पाँच अणुव्रतों में सफलता प्राप्त करने और विशेष आगे बढ़ने के लिए तीन गुणव्रत बताए हैं — दिशा परिमाणव्रत, उपभोग

परिभोग परिमाणव्रत और अनर्थदण्ड विरमणव्रत ।

दिशा परिमाणव्रत का आशय यह है कि पहले स्वीकृत ५ गुणव्रतों में अहिंसादि की जो मर्यादाएँ बाँधी गई थी, उन्हें और भी मर्यादित करना । यानी पाँचों अगुणव्रतों में आगे बढ़ने के लिए दिशा निश्चित करके, जो छूट रखी गई थी, उसमें कमी करना । यह व्रत स्वदेशीव्रत का भी पोषक है । क्योंकि क्षेत्र मर्यादा होने से मनुष्य निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं के आरम्भ, परिग्रह आदि दोषों से बच जाता है ।

उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत में तो गृहस्थजीवन में एक बार या बार-बार काम में ली जाने वाली वस्तुओं की यावज्जीवन की तथा दैनिकी की मर्यादा निश्चित की जाती है । यह व्रत गृहस्थजीवन में अल्पारम्भ, सादगी और सयम लाने के लिए अत्यन्त जरूरी है । साथ ही इस व्रत में राष्ट्रघातक, प्राणिहितवाधक और अतिहिंसा, शोषण, व्यभिचारादि के पोषक धर्मों [जिन्हें 'कर्मादान' कहा गया है] का सर्वथा त्याग गृहस्थ को करना होता है ।

अनर्थदण्डविरमणव्रत में उन बातों का त्याग किया जाता है, जिनसे पाँचों अगुणव्रतों में रखी हुई छूट को लेकर निरर्थक हिंसा, अमत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का पोषण होता है । जैसे मनुष्य अपनी बाहवाही के लिए अहितकर कुरुडियों के पालन के प्रसंग में, वृहत्भोज आदि द्वारा बड़ा आरम्भ करता है, पर उससे आरम्भजा हिंसा के सिवाय जनहित क्या होता है ? इसी प्रकार अधिक धन या साधनों का संग्रह होने पर भाई-भाईयों में आपस में लड़ाई-झगड़े, मुकदमेवाजी करना तथा दूसरों के धन या साधनों को अपने कब्जे में करने के लिए हिंसा, अमत्य, चोरी या अन्याय-अत्याचारादि पोषक रौद्रध्यान करना एवं अपनी प्रिय वस्तु के वियोग होने पर रोने-पीटने, लम्बा शोक करने, व्यर्थ में भविष्य की चिन्ता करने आदि के रूप में आर्त्तव्यान करना । इसी प्रकार व्यर्थ का वादविवाद करना, गाली-गलौज करना, निदात्मक गपशप मारना, व्यर्थ की बकवास करना, हुजगत करना, विदूषणों की तरह कुत्तेप्टाएँ

करना, कामोत्तेजक या विलासवर्द्धक साधनो या नाटक-सिनेमा आदि का गौक रखना आलस्य मे समय वर्वाद करना अनापसनाप खर्च करना और उमकी पूर्ति के लिए कमाने मे रातदिन एक करना, मन, वाणी और शरीर को निरर्थक निकम्मे विचार वचन, और कर्म मे लगाना आदि अनर्थदण्ड के ही प्रकार है । इनके करने से गृहस्थ को उपर्युक्त पाच पाप बढ़ने के मित्राय पल्ले क्या पडता है ?

चार शिक्षाव्रत

इनके नाम सामायिक, देशावकाशिक, प्रतिपूर्ण पीपघोषव्रत, और अतिथि सविभागव्रत है । इन चारो मे क्रमश समभाव, मयम, त्याग और सविभाग का पालन बनाया गया है । आध्यात्मिक मार्ग मे उत्तरोत्तर विकास करने के लिए ये व्रत है । साथ ही इनमे पूर्वोक्त व्रतो मे गृहस्थ को कहा भूले हुई है ? कहा फिमला है ? कहा असफलता या सफलता मिली है ? किमके पालन मे क्या कठिनाई आई ? आगे सक्रिय कदम बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाना चाहिए, इस प्रकार के निरीक्षण परीक्षण का अभ्यास करना ही शिक्षाव्रत का उद्देश्य है । चिन्तन तो इसमे बहुत जरूरी है, और चिन्तन के लिए आहार, पानी, व्यवसाय या अन्य प्रवृत्तियो से निवृत्ति या अवकाश चाहिए, इस हेतु से सामायिक देशावकाशिक और पीपघोषवामव्रत रखे गए है । किसी भी क्रिया से पहले पीछे तत्सम्बन्धी ऐसे विचार आए, जिनमे आदेश, रुढि या स्वार्थादि के विचार मिश्रित न हो और स्थिरबुद्धि विवेक शक्ति द्वारा जिसका स्पष्ट निष्कर्ष निकल सके, उसे चिन्तन कहते है । मनुष्य को चिन्तन करने की आदत डालनी चाहिए और चिन्तन के बाद जो भी भावना स्फुरित हो, उसे लिपिवद्ध या हृदयांकित कर लेनी चाहिए । ऐसा करने से मानव-जीवन की धाधली और निरर्थक प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है । चिन्तन को उत्प्रेरित करने वाला सद्वाचन या स्वस्थ पुस्तको का स्वाध्याय है । इसके लिए क्रमश तीन शिक्षाव्रत तो अनिवार्य है ही, चौथा अतिथिसविभाग या यथा सविभाग व्रत भी समर्पणयोग की तालीम के लिए जरूरी

है। साँप जैसे अपनी कचुकी छोड़ देता है, वैसे मृत्यु के समय स्व-स्वानित्व वाली वस्तु—(अपना भरापूरा घर, कुटुम्बीजन और शरीर) तक को वही छोड़ सकता है, जो अतिथि से लेकर पड़ोसी, गाँव, समाज और देश तक के प्रति समर्पणबुद्धि से त्याग देने की तालिम पाया हुआ हो। मेरा जो सब कुछ है उसमें सबका हिस्सा है, इस भावना का पोषक यह व्रत है। भक्तियोग की इसमें सक्रिय साधना है।

गृहस्थाश्रम का उत्कृष्ट आदर्श : सेत्राधर्म

आध्यात्मिक धर्म के ५ अंग और ७ उपांग गृहस्थाश्रम के लिए बताए हैं, किन्तु गृहस्थाश्रम का चरम आदर्श तो आगे बढ़ने का है। जैन शास्त्रों में ऐसे कई सद्गृहस्थों की जीवनीया वर्णित हैं, जिन्होंने अपने पुत्र के गृहस्थाश्रम-कार्यभार सभालने योग्य होने पर अपना व्यावहारिक बोझ अपनी सतान या निकट सम्बन्धी पर डालकर उस प्रवृत्ति से मुक्त हुए हैं। उस साधक गृहस्थ को जैन परिभाषा में प्रतिमाधारी श्रावक कहा है। उसकी ११ कठोर प्रतिज्ञाएँ बताई गई हैं, जिन्हें वह क्रमशः अपने जीवन में धारण करता है, जिनमें मुख्यतः व्यापक स्पष्ट सम्यक् दर्शन, व्रतबद्धता, पूर्ण ब्रह्मचर्य का जागरूकतापूर्ण पालन, सादगी और खानपान विशेष समय, लोककल्याण और जीवन शोधन के कार्य में पड़कर आत्मविकास और सद्गुणों की विशेष साधना करने के हेतु गृहकार्यों-व्यापार तथा स्वयं आरम्भ करने आदि से निवृत्ति आदि प्रतिज्ञाएँ हैं। जो वैदिक धर्म की वानप्रस्थाश्रमी प्रथा से मिलती-जुलती हैं। आज इन दोनों प्रथाओं का द्रव्यक्षेत्रकाल भावानुकूल नशोधन होना जरूरी है। आज वह जैन परम्परानुसार गृहकार्य निवृत्ति अकेला नहीं होगा बल्कि वैदिक परम्परानुसार पति-पत्नी दोनों परिपक्व वय होते ही निवृत्त होंगे, परन्तु समाज रचना के कार्यों से निवृत्त नहीं होंगे, और न ही वे वन में या एकान्त में प्रस्थान करेंगे, वे जनता के प्रति प्रस्थान करेंगे, जनता के निर्माण में लगेंगे, जनसेवा के कार्य में अपना-अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे।

इनमें कुछ ऐसे भी बहन भाई होंगे जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर आजीवन समाजसेवा के कार्य में लगे होंगे। उन्हें समाज हर तरह में अपनाएगा, मारे समाज को वे अपना कुटुम्ब मानेंगे, और स्व-पर कल्याण साधना में लगे होंगे।

कुछ इन प्रकार गृहस्थाश्रमी भाई बहन होंगे, जो मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, स्वाभाविक सतानमर्यादा निश्चित करके समाज रचना के विविध कार्यों में प्रवृत्त होंगे।

इन तीनों कोटि के साधक-साधिकाओं (जनसेवक-जनसेविकाओं) के सामने अपना ध्येय निश्चित होगा और वे विविध जन संस्थाओं के संचालन निर्माण द्वारा वर्त्मय समाज रचना के कार्य में ओत प्रोत रहेंगे। इन प्रकार के उत्कृष्ट सेवाधर्म के पालन में सच्ची आध्यात्मिकता का आनन्द मिलेगा, अपना और समाज का विकास भी सवेगा। परन्तु यह सेवाकार्य उन्हें जन-संस्था और जन सेवक संस्था के जरिये करना होगा, ताकि व्यक्तिगत पूर्वग्रह, रागद्वेष, गैरजिम्मेवारी, अहंकार आदि साधना में बाधक तत्त्वों के आने की गुंजाइश कम रहे। व्रतबद्ध तो वे होंगे ही। उनके जीवन निर्वाह की चिन्ता पूर्वोक्त संस्थाएँ करेंगी मतलब यह कि उन्हें जनावारित रहना होगा। इसके सिवाय समाज उन्हें प्रतिष्ठा देगा उनके कार्यों का विश्लेषण 'समाज धर्म' प्रकरण में हम कर आए हैं।

उनमें निम्नलिखित गुण विशेषमात्रा में विकसित होने चाहिए —
 (१) मर्वागी सर्वक्षेत्रीय दर्शन (२) क्रान्त दृष्टि (३) जिम्मेवारी का सक्रिय भाव (४) प्रखरनिष्ठा (५) अटल वयं (६) अविरत पुरुषार्थ (७) लोकश्रेष्ठेय चारित्र्य (८) तप-त्यागात्मक कार्यक्रम में निष्णात (९) हिसाब किताब की सफाई और (१०) सत्यता-वीरता-अगुप्तानियमितता-व्यवस्थितता, उपयोगिता, सत्य-प्रेम-न्याय और प्रार्थना-सफाई कनाई इन चार त्रिपुटियों का जीवन में स्थान।

इन आध्यात्मलक्षी जनसेवक सगठनों को क्रांति प्रिय साधु साध्वी

सन्यासियों की प्रेरणा तो सतत रहेगी ही और वे साधु-साध्वी-सन्यासियों के अग्ररूप हो जायेंगे। उनके द्वारा प्रेरित कार्य को वे प्रत्यक्ष सम्पन्न कर दिखाएँगे। इसलिए उनका व्यक्तिगत जीवननिर्माण भी सरलता से हो सकेगा। इस सेवा धर्म के मार्ग पर चलने से कर्म योग [निरासक्ति योग] ज्ञानयोग और भक्तियोग तीनों की साधना सहज ही हो सकेगी।

विकास की सीढ़ी

पूर्वोक्त व्रतो और सेवाधर्म का पालन करने से आध्यात्मिक विकास कैसे हो जायगा ? यह प्रश्न तो खड़ा ही है। इसका उत्तर यह है कि जैन परिभाषा के अनुसार कर्म से और वैदिक परिभाषा के अनुसार माया से यह चैतन्य विकृत हुआ है और उसका नित्य स्वभाव ज्ञान, सुख और आनन्द होते हुए भी जैनदर्शन के अनुसार क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चार कपायो व रागद्वेषो से तथा वैदिक दर्शन के अनुसार क्रोधादि षड् रिपुओ से आवृत होने के कारण प्रतिक्षण दुःख, खेद, चिन्ता आदिका मामूली प्रसंगों में अनुभव करता रहता है। परन्तु इन विकास-रोधक षड् रिपुओ की जितनी मात्रा में न्यूनता होगी, उतनी ही मात्रा में आध्यात्मिक विकास अधिक होता जायगा। गृहस्थाश्रम में आध्यात्मिक धर्म के वताए पूर्वोक्त व्रतो तथा सेवा धर्म के पूर्वोक्त गुणों की साधना द्वारा इन ६ शत्रुओ की न्यूनता होती जायगी। और तब इतना आध्यात्मिक विकास प्राप्त व्यक्ति जेल में भी महल के से सुख का अनुभव करेगा, शत्रुओ के बीच भी मित्रवत् रह सकेगा, रूखी सूखी रोटी में भी आनन्द मानेगा, वैभव-त्याग में भी वास्तविक आनन्द विश्वात्माओं के साथ अभिन्नता का अनुभव करके लूटेगा, समाज के सर्वांगीण विकास में अपना विकास देखेगा। दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी मुक्ति मानेगा। इसका कारण कोई चमत्कार नहीं, आध्यात्मिक विकास ही है।

सभी धर्मसंस्थापकों ने अपने-अपने देश, काल, परिस्थिति आदि देख कर इन्हीं धर्मार्थों को क्रियात्मक रूप दिया है। इन क्रिया के लिए वताए

गए विभिन्न चिह्न सिर्फ मम्प्रदाय-परिचय के लिए है, वे धर्म के मुख्य अंग नहीं हैं। तथा सभी धर्मसंस्थापकों का अन्तिम ध्येय आत्मविकाम ही था और पूर्ण आत्म-विकास की अन्तिम स्थिति मोक्ष, निर्वाण या मुक्ति है और दूसरों के मुक्ति मार्ग का प्रशस्तीकरण है। जो माम्प्रदायिकता के कटाग्रह से नहीं सिद्ध होती, किन्तु उपर्युक्त व्रतों और गुणों की साधना से ही सिद्ध हो सकती है। क्रियाकाण्ड और चिन्ह तो उमकी पूर्ति के लिए हैं।

अतः गृहस्थाश्रम को सर्वांगीण और पूर्ण आदर्श बनाने के लिए प्रत्येक गृहस्थ को पूर्व प्रकरणों में बनाए गए कर्तव्यों और धर्मों का क्रमशः पालन करना अनिवार्य है और सुख भी। इसीलिए तो गृहस्थों के लिए भी 'गृहीलिङ्गमिद्धा' कह कर मुक्ति के द्वार खुले रखे हैं।

